चतुर्दश माला, खंड 27, अंक 26

बुधवार, 9 मई, 2007
19 वैशाख, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc No ....63............
Dated....3 March 2008

(खंड 27 में अंक 21 से 32 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

एस.एस. चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 27, दसवां सत्र, 2007/1929 (शक)]

अंक 26, बुधवार, 9 मई, 2007/19 वैशाख, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1–2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 482 से 486	3–42
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 487 से 501	42–65
अतारांकित प्रश्न संख्या 4605 से 4749 और 4751 से 4834	66–411
सभा पटल पर रखे गए पत्र	411–431
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
27वां प्रतिवेदन	431
पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में दिनांक 14 मार्च, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2184 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण	
श्री के.एव. मुनियप्पा	431–432
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
गत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किये गये कार्य	432–433
नियम 377 के अधीन मामले	440–446
(एक) उड़ीसा में तालचेर-विमलागढ़ रेल लाईन के निर्माण हेतु पर्याप्त धनराशि दिये जाने की आवश्यकता	
श्री जुएल ओराम	440–441
(दो) कर्नाटक में हवेरी जिले के शिवगांव में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोले जाने की आवश्यकता	
श्री मंजुनाथ कुन्नूर	441–442
(तीन) रेल यात्री सुविधाओं में सुधार किये जाने की आवश्यकता	
श्री रघुवीर सिंह कौशल	442

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित +चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(चार) भरतपुर (राजस्थान) और मथुरा (उत्तर प्रदेश) की पहाड़ियों में खनन कार्यों को रोके जाने की आवश्यकता	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	442
(पांच) गुजरात के सहकारी बैंकों को आयकर अधिनियम के दायरे से बाहर रखे जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	443
(छह) रेल विक्रेताओं (हाकर्स) के लाइसेंस का नवीकरण करने/नया लाइसेंस जारी किये जाने की आवश्यकता	
श्री सांताश्री चटर्जी	443
(सात) तमिल कार्यक्रमों के लिए समर्पित एक विशेष टी.वी. चैनल (टिरेस्ट्रिअल सर्विस) शुरू किये जाने की आवश्यकता	
श्री पी. मोहन	443–444
(आठ) देश में प्रखंड स्तर (ब्लाक लेवल) तक कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं का अनिवार्य रूप से नेटवर्किंग सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता	
डा. अरुण कुमार शर्मा	444–445
(नौ) असम के कोकराझार (संख्यांक 9) और उदलगिरि (संख्याक 10) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट (बी.टी.ए.डी.) के अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किये जाने की आवश्यकता	
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	445–446
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	447
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	448–454
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	455–456
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	455–456

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका
श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव
श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 9 मई, 2007/19 वैशाख, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

...(व्यवधान)

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को अपने एक पूर्व सहयोगी श्री छत्रपति अम्बेश के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री छत्रपति अम्बेश 1971 से 1977 तक पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री अम्बेश 1957 से 1967 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

वे 1971-72 के दौरान संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संबंधी संयुक्त समिति, 1973 से 1975 तक याचिका संबंधी समिति द्वारा 1976-77 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य रहे।

एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, श्री अम्बेश 1952 से 1957 तक आगरा में विशेष मानद मजिस्ट्रेट, 1957 से 1967 तक डी.ए.वी. स्कूल, आगरा की प्रबंध समिति के सदस्य तथा आगरा महाविद्यालय, आगरा के न्यासी रहे।

श्री अम्बेश 1976 में पूर्व सोवियत संघ के दौरे पर गए भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के एक सदस्य भी थे।

श्री छत्रपति अम्बेश का निधन 4 अप्रैल, 2007 को 84 वर्ष की आयु में आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी एवं सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कुछ कहना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको 12 बजे अवसर देंगे। सभी को मौका देंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर मामले के बारे में कहना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सबको मौका देंगे। पहले क्वैश्चन आवर हो जाने दीजिए। सभी को 12 बजे अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: युवक कार्यक्रम और खेल तथा संचार मंत्रालयों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम (जामनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं गुजरात के बारे में बोलना चाहता हूं। मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको कब मना किया? आप रूल्स के मुताबिक कीजिए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय: श्री हंसराज जी. अहीर-प्रश्न संख्या 482

[हिन्दी]

संचार उपग्रह

***482. श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इनसेट 4-बी के सफल प्रक्षेपण के पश्चात् 'इसरो' भविष्य में किन्हीं अन्य संचार उपग्रहों का प्रक्षेपण करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के संचार उपग्रहों के माध्यम से कितने ट्रांसपोन्डर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं;

(घ) उपग्रहों के माध्यम से ट्रांस्पोन्डर सेवा के जरिये प्रत्येक वर्ष कितनी आय हो रही है;

(ङ) क्या भविष्य में उपग्रहों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) इसरो 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान प्रतिस्थापन एवं अतिरिक्त क्षमता प्रदान करने हेतु 12 संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण का विचार रखता है।

(ग) इस समय, 199 ट्रांसपोंडर देश के संचार उपग्रहों के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

(घ) वर्ष 2007-08 के लिए इन्सैट ट्रांसपोंडरों को लीज पर दिये जाने से 400 करोड़ रुपये की कुल आय प्राप्त होने का अनुमान है।

(ङ) और (च) जी, हां। 11वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक भारतीय उपग्रह के ट्रांसपोंडरों के वाणिज्यिक उपयोग द्वारा लगभग 1000 करोड़ रुपये के वार्षिक राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर: अध्यक्ष महोदय, हमने इनसैट-4-बी संचार उपग्रह फ्रैंच-गुयाना के माध्यम से अंतरिक्ष में छोड़ा है, जबकि इटली से एजील उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रक्षेपण से भारत को कितना आर्थिक लाभ हुआ है? क्या भारत ने भविष्य में दुनिया के किसी और देश से उपग्रहों का व्यावसायिक प्रक्षेपण करने और उससे लाभ कमाने के लिए कोई अनुबंध किया है?

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदय, हमने इटली के उपग्रह-एजील एजीआईएलई का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है जो इसरो द्वारा किया गया प्रथम व्यावसायिक प्रक्षेपण है। यह प्रक्षेपण व्यावसायिक रूप से अत्यन्त सफल रहा है। हमने बहुत प्रतिस्पर्धात्मक कीमत की बोली लगायी थी। हमें प्रति किलो 29,000 डालर मिला जो बहुत प्रतिस्पर्धात्मक है। भविष्य में और उपग्रहों के व्यावसायिक प्रक्षेपण करने की हम आशा करते हैं। गत माह इटली के उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ ही पीएसएलवी प्रक्षेपकों, जो मजबूत, विश्वसनीय और बहुपयोगी प्रक्षेपक हैं की सफलता एक बार पुन: सिद्ध हो गयी है। हम भविष्य में और व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण की अपेक्षा करते हैं।

जहां तक पहले भाग का सवाल है, माननीय सदस्य ने इन्सेट उपग्रह के बारे में पूछा है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपण की क्षमता हमारे पास अभी भी नहीं है। जो एसएलवीएमके-III राकेट की उपलब्धता के साथ, जिसे तैयार किया जा रहा है। हम इस प्रकार के उपग्रहों का भारत से प्रक्षेपण कर सकेंगे। अभी भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए हम फ्रेंच गुयाना का इस्तेमाल कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर: अध्यक्ष महोदय, विश्व के अंतरिक्ष बाजार में करीब 2000 अरब डालर का व्यवसाय होता है, जबकि मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि हम 11वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक लक्ष्य 1000 करोड़ रुपये का राजस्व निर्धारित कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हम दुनिया के मुकाबले में केवल एक प्रतिशत, इतने बड़े राष्ट्र के लिए, लाभ कमाने जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस संबंध में नये प्लान बनाकर और ज्यादा लाभ कमाने के लिए कोई योजना बना रही है?

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम 1000 करोड़ रु. के राजस्व की आशा करते हैं जो भारतीय उपग्रहों के ट्रांसपोडरों को पट्टे पर देने मात्र से प्राप्त होगा। वर्तमान में यह लगभग 400 करोड़ रु. प्रतिवर्ष है। हम भारतीय उपग्रहों के ट्रांसपोडरों को पट्टे पर देने मात्र से इसे बढ़ाकर 1000 करोड़ रु. प्रति वर्ष करने की अपेक्षा करते हैं। वर्तमान में, व्यावसायिक उपग्रह विनिर्माण उपग्रह बनाने का व्यवसाय वार्षिक लगभग 2.3 बिलियन डालर है। हमें इस व्यवसाय में से तीन से चार प्रतिशत का हिस्सा मिलने की आशा है। हमारे पास पहले से ही अन्य देशों के लिए उपग्रह बनाने हेतु विदेशी फर्मों से दो अनुबंध प्राप्त हैं।

तीसरा भाग है प्रक्षेपण सेवाएं, जैसाकि हमने इटालवी उपग्रह एजील का प्रक्षेपण किया। इसका वार्षिक बाजार लगभग 1 से 1.2 बिलियन डालर होने की संभावना है और इस बाजार से भी हमें दो से तीन प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होने की आशा है।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इसरो का किसी आदमी को स्पेस में लांच करने का कोई प्रोग्राम है, यदि है तो कब तक?

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: काफी लम्बे समय से ''मानवयुक्त अभियान' के प्रश्न पर तैयारी की जा रही है। सरकार ने अब तक अभियान को स्वीकृति नहीं दी है। तैयारी का काम चल रहा है। अगले आठ वर्षों में लगभग 9500 करोड़ रु. की लागत से हम मानव को अन्तरिक्ष में भेज पाएंगे, इस आशय का एक वैज्ञानिक करार है। यह 'चन्द्रमा पर मानव' नहीं बल्कि 'अन्तरिक्ष में मानव' है। हम अन्तरिक्ष में मानव भेज सकेंगे। सरकार ने अब तक मानव युक्त अभियान को स्वीकृति नहीं दी है।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी: सबसे पहले रेवती रमन सिंह जी को भेजना।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि कई स्वयंसेवक होंगे।

श्री एन.एन. कृष्णदास: हाल में हमारे देश में कई संचार चैनल और संचार प्रौद्योगिकी आ रही है। क्या हमारे देश की मांग को पूरा करने के लिए वर्तमान इन्सेट-बी उपग्रह पर्याप्त है? क्या सरकार द्वारा कोई आकलन अध्ययन किया गया है? आगामी 10 वर्षों में मांग को पूरा करने की स्थिति क्या होगी? क्या सरकार इस संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंची है?

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: हमारे यहां क्षमता की कमी नहीं है। जैसाकि मैंने कहा हमारे पास उपग्रहों में 199 ट्रांसपोंडर्स हैं जो कि वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। जो भी चाहता है हम उसे टेलीविजन सेवाओं या संचार सेवाओं के लिए ट्रांसपोण्डर दे सकते हैं।

हम आशा करते हैं कि ग्यारहवीं योजना के अंत तक हमारे पास 500 ट्रांसपोडर होंगे। अत: संचार उपग्रह क्षमता की कोई कमी नहीं होगी। हम बारहवीं योजना में 12 नए संचार उपग्रहों का प्रक्षेपण करेंगे। वर्तमान में, हमारे पास नौ संचार उपग्रह कार्य कर रहे हैं जो कि हर किसी को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा इमेजिंग उपयोग तथा पृथ्वी निरीक्षण उपयोग के लिए हमारे पास सात दूरसंवेदी उपग्रह है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां इसरो के जरिये टैलिमैडिसिन के कुछ केन्द्र लद्दाख और कश्मीर एरियाज में लगाये गये थे। वे लगाये तो जाते हैं लेकिन उनकी फंक्शनिंग की प्रापर देखरेख नहीं होती। क्या मंत्री जी के पास कोई ऐसा प्रापर इंतजाम है कि ऐसे केन्द्र लगाने के बाद वे ठीक से फंक्शन करते रहें?

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: टेली मेडिसिन एक महत्वपूर्ण सामाजिक उपयोग है जो कि इसरो, अंतरिक्ष विभाग का कार्य है। वर्तमान में 38 सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों सहित 201 अस्पताल हैं जो कि टेली कन्शल्टेशन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हम इस कार्यक्रम का विस्तार करना चाह रहे हैं।

माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न जम्मू एवं कश्मीर में टेली मेडिसिन सुविधाओं के बारे में है। मैं निश्चित ही इस पर ध्यान दूंगा, तथा यदि कोई मुश्किल है तो हम निश्चित ही उसका समाधान करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

[अनुवाद]

खेल संघों की जवाबदेही

***483. श्री अनंत कुमार हेगड़े:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न खेल संघों की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये संघ आयकर का भुगतान करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार किस प्रणाली के माध्यम से इनकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एन.एस.एफ.)/खेल एसोसिएशन सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम के तहत अथवा कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत पंजीकृत स्वायत्तशासी निकाय हैं। ये अपनी-अपनी खेल विधाओं को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी हैं। सरकार दीर्घकालिक विकास योजनाओं की सहमति के अनुसार, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में खिलाड़ियों/भारतीय टीमों को प्रशिक्षण तथा भाग लेने; भारत में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन, भारतीय और विदेशी प्रशिक्षकों के तहत कोचिंग/प्रशिक्षण, खेल उपकरणों की खरीद के लिए सहायता उपलब्ध कराके तथा पर्याप्त वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर और सहायक/संयुक्त सचिवों के वेतनों की प्रतिपूर्ति पर प्रशासनिक व्यय के एक भाग की पूर्ति करके राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों की अनुपूर्ति करती है। इस प्रकार, अधिकांश राष्ट्रीय खेल परिसंघ अपनी खेल गतिविधियों के संचालन के लिए सरकारी सहायता पर महत्वपूर्ण अत्यधिक निर्भर है।

(ख) से (घ) आयकर अधिनियम के अनुसार, खेलों के संवर्धन के लक्ष्य वाले खेल संगठन और जो आयकर अधिनियम की धारा 12 एए के तहत पंजीकृत हैं, आयकर अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत कर से छूट प्रदान करने का दावा कर सकते हैं बशर्ते कि इसके तहत विभिन्न अन्य निर्धारित शर्तें पूरी कर ली गई हों। इसके अलावा, राज्य अथवा राष्ट्रीय महत्व के खेल संगठन भी आयकर अधिनियम की धारा 10 (23सी) (4) के तहत कर से छूट प्रदान करने का दावा कर सकते हैं बशर्ते कि इसके तहत विभिन्न निर्धारित शर्तें पूरी कर ली गई हों। ऐसे खेल संगठन की आय जो न तो आयकर अधिनियम की धारा 10 (23सी) (4) के तहत अधिसूचित है और न ही धारा 12 एए के तहत पंजीकृत हैं, आयकर अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत करयोग्य है। सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों से उम्मीद की जाती है कि वे आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित कार्रवाई करेंगे।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रीय खेल परिसंघ/खेल एसोसिएशन वित्तीय जवाबदेही बनाये रखते हैं। मान्यता केवल ऐसे राष्ट्रीय खेल परिसंघों/खेल एसोसिएशनों को प्रदान की जाती है जिनकी समुचित जवाबदेही की प्रक्रिया है तथा समय पर वित्तीय विवरण प्रकाशित करते हैं। सहायता अनुदान पहले जारी किये गये अनुदानों यदि कोई हो तो, के उपभोग प्रमाणपत्रों के प्रस्तुत करने के पश्चात ही जारी किये जाते हैं। इसके अलावा, सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार, एक वित्तवर्ष में एक करोड़ रु. से अधिक की वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले राष्ट्रीय खेल परिसंघों/खेल एशोसिएशनों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। ''राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता'' की योजना के दिशानिर्देशों में मान्यता के अस्थायी निरस्तीकरण के लिए भी तथा वित्तीय अनियमितताओं सहित अनियमितता पाए जाने पर मान्यता समाप्त किये जाने के लिए भी प्रावधान हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री अनंत कुमार हेगड़े, क्या आप अनुपूरक प्रश्न पूछना नहीं चाहते हैं। कृपया, आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री अनंत कुमार हेगड़े, कृपया अपनी सीट पर जाइए। आपकी सीट कौन सी है? कृपया अपनी सीट पर जाइए। आप पीछे वालों में क्यों बैठे रहना चाहते हैं?

क्या आपका अनुपूरक प्रश्न तैयार नहीं है? ठीक है। यदि कोई और सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता है, तो मैं अनुमति दे दूंगा।

ठीक है, अब मैं देखता हूं कि माननीय सदस्यों की खेलों में कितनी रुचि है। यह बहुत अच्छी बात है। मैं खिलाड़ी से ही शुरुआत करूंगा-श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर।

[हिन्दी]

श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि स्पोर्ट्स फैडरेशन्स इनकम टैक्स नहीं देती हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि फैडरेशन की जो आय होती है, वे उसे किस ढंग से खर्च करती हैं? मेरे ख्याल से बहुत सारी फैडरेशन ऐसे हैं, जो ठीक ढंग से आय को खर्च नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमारे देश में प्रतिभाशाली खिलाड़ी आगे नहीं आ पाते। उत्तर में बताया गया है कि एक करोड़ रुपये से ज्यादा आय होने पर, किसी फैडरेशन द्वारा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देने पर उनकी सहायता को सस्पैन्ड कर दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि कौन कौन से फैडरेशन्स यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं और किन-किन फैडरेशन्स को अभी तक सस्पैन्ड किया गया है?

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, जहां तक इनकम टैक्स का सवाल है, हमें सीबीडीटी द्वारा बताया गया है कि किसी एक स्थान पर केन्द्रित यह सूचना उनके पास उपलब्ध नहीं है और इसलिए उन्हें बहुत से फील्ड इन्फोर्मेशन सैन्टर्स से इस सूचना को लेना पड़ेगा। इस परिस्थिति में, जैसा उन्होंने कहा है, एकदम इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो माननीय सदस्य ने कहा कि सारे स्पोर्ट्स फैडरेशंस इनकम टैक्स देने से मुक्त हैं, वह सही नहीं है। जिनका रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स के अंतर्गत सही तरह से हुआ है, खास तौर से सैक्शन 12 एए एवं सैक्शन 10 (23सी) 4 के तहत, उन्हीं को एक्जैम्पशन मिलता है, बाकी को टैक्स देना पड़ता है।

जहां तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स की बात है जो हमें अभी तक नहीं मिले हैं, मेरे पास यह सूचना उपलब्ध है और बहुत से फैडरेशंस के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स के इंतजार में हम हैं। जब तक ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं, तब तक हम उन पर पाबंदी लगा देते हैं कि अगली किश्त उनको नहीं मिले।

महोदय, जो सूचना मेरे पास है, यदि मैं इसे पढ़कर सुनाऊं, तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए इस सूचना को मैं माननीय सदस्या को सीधे भेजने की अनुमति चाहता हूं। जहां तक सी.ए.जी. द्वारा आडिटिंग का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं कि यदि एक करोड़ रुपये से ज्यादा आय का मामला हो, तो हमारी तरफ से सी.ए.जी. को आडिटिंग के लिए मामला भेजा जाता है और उनके द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर भी दिये जाते हैं। अंत में, मैं माननीय सदस्या को यह बताना चाहूंगा कि हालांकि सरकार की तरफ से कुछ साधन इन फैडरेशन्स को उपलब्ध कराये जाते हैं, फिर भी उन्हें छूट है कि वे अपनी आमदनी का इंतजाम खुद करें। जहां तक इन्कम टैक्स का सवाल है, वह उनकी पूरी आमदनी पर लगाने का सोचा जाता है, मात्र जो सहायता हम देते हैं, उसी पर नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बालासाहेब विखे पाटील। मुझे यह जानकर खुशी है कि आपकी खेल में भी रुचि है।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट न आने के कारण, कुछ फैडरेशन्स डिफाल्ट हो जाते हैं और इस कारण स्पोर्ट्स का सारा काम रुक जाता है। ऐसा न हो, इसके लिए क्या आप कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? मेरा दूसरा सवाल यह है कि उनकी सैल्फ फाईनेनसिंग के लिए, डोनेशन या कोई और आदमनी करने के लिए, क्योंकि वे केवल सरकार पर ही निर्भर करते हैं, इसी कारण उनके कार्यों में कोई प्रगति नहीं हो पाती है, इसलिए क्या सरकार इस दिशा में सोच रही है ताकि खुद की आमदनी करने के लिए, वे कुछ काम करें? कारपोरेट हौसिस से डोनेशन में इनकम टैक्स छूट मिलने से खेल को बढ़ावा मिलेगा। मैं इसी के साथ यह भी पूछना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स फैडरेशनों की ग्रांट स्टेट्स को जाने के कारण, वर्ष 2005 में जो ग्रांट्स यहां से सीधे रिलीज होती थी, वह अब सीधे स्टेट गवर्नमेंट्स को चली जाती है, जिसके कारण कई राज्यों में स्पोर्ट्स की बहुत पूअर परफारमेंस हो रही है और स्टेट्स स्पोर्ट्स को बढ़ावा नहीं दे रही है। ऐसा न हो, इस बारे में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी की राय जानना चाहता हूं?

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, मुझे भी अफसोस है कि उस नैशनल स्पोर्ट्स पालिसी का वारिस मैं बना हूं जिसमें कि स्पष्ट रूप से यह बताया गया था कि जहां हम खेल की सुविधाओं को माटी के स्तर पर पहुंचाएं, उनकी जिम्मेदारी राज्यों को दी जाए और हमारा मंत्रालय, जो केन्द्र सरकार का हिस्सा है, उसका ध्यान खास इंटरनैशनल और नैशनल मेगा स्पोर्ट्स पर रखा जाए। यह परिस्थिति थी, जिसमें मैं मंत्री बना और उस बीच में, जो पहले से रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स की कुछ स्कीम्स थीं, जिनके लिए थोड़ा बहुत धन यहां दिल्ली से उपलब्ध कराया जाता था, वह मेरे मंत्री बने से पहले, 1 अप्रैल, 2005 से पहले, यह बताया गया कि उन स्कीम्स को बन्द कर दिया गया है, इसकी जिम्मेदारी राज्यों को दी जाएगी और जो मात्र कमिटिड लायबिलिटीज हैं, उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे और वह भी 31 मार्च, 2007 तक। इस

परिस्थिति में, मुझे सदन को अवगत कराने में बड़ी खुशी हो रही है कि मंत्रिमंडल ने मुझे खास निर्देश दिया है कि हम एक काम्प्रीहेंसिव स्पोर्ट्स पालिसी तैयार करें। अभी जो कमियां, खामियां और खूबियां हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए, हम एक नई नीति तैयार करने में लगे हुए हैं। मैंने इस काम को प्राथमिकता दी है और मैं उम्मीद रखता हूं कि मुझे इस काम में सदन का पूरा सहयोग मिलेगा। एक और चीज है जिस पर मुझे सदन का ध्यान आकर्षित कराना बहुत जरूरी है और वह है कि एंट्री 33 के मुताबिक, स्पोर्ट्स स्टेट सब्जैक्ट है। जब हम ज्यादा दखल देने लगते हैं, तो उसमें संविधान के इस प्रावधान के कारण अड़चनें आने लगती है। इसे बदलने के लिए भी हम सोच रहे हैं। जब हम इसमें संशोधन करने के लिए तैयार होंगे, तब हम सदन में आएंगे और तब हमें आप सबका सहयोग मिलना बहुत आवश्यक होगा।

[अनुवाद]

श्री बालासाहेब विखे पाटील: राज्य संघ प्रभावी नहीं है। मंत्री जी इसके बारे में क्या करेंगे? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: और अधिक पूरक प्रश्न न करे। आप लेखों से संबंधित ही पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा: अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान सबसे युवा राष्ट्र है और खेल हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, किन्तु हमारे खेल फैडरेशन्स को जो भी पैसा मिलता है, उसे वे जुडीशियस तरीके से खर्च नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है। कुछ समय पहले जब सदन में चर्चा हुई थी, उस समय इस बात को लेकर लगभग सभी सांसद एक मत थे कि स्पोर्ट्स के ऊपर जो खर्च होता है, उसे लगभग 3000 से 4000 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। ऐसे हालात में जो इनका डिलीवरी वैहीकल है, वह उसे खर्च नहीं कर सकता है। इसी के साथ जुड़ा मेरा सवाल है कि हम जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात कर रहे थे, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी सदन में एक व्हाइट पेपर लाएंगे, जिससे इस बात को स्पष्ट किया जा सके कि एक नई स्पोर्ट्स पालिसी के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा फंड्स के एलोकेशंस खर्च कर पायें और जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, उसे ज्यादा इफैक्टिव बना पायें, रिजल्ट ओरिएन्टिड बन पाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कार्य-निष्पादन से संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर: जहां तक ग्रामीण स्तर तक और गांवों तक हमारे खेल क्रीड़ा का इंतजाम पहुंचाने का सवाल है, उसके लिए एक स्कीम हम तैयार कर रहे हैं, जिसका नाम हमने पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान दिया है, जो कि मेरे ख्याल में चन्द ही हफ्तों के अंतर एक अंतिम रूप लेगा। उसमें हमारा लक्ष्य यह होगा कि 10 साल के अन्दर-अन्दर कोई ऐसी ग्राम पंचायत देश में न हो, जहां कि न्यूनतम स्तर पर कम से कम कुछ न कुछ खेल का इंतजाम न हो। यह इंतजाम एक तरफ है। दूसरी तरफ हमने आपको काम्प्रीहेंसिव स्पोर्ट्स पालिसी का जिक्र किया है। मैं पंचायती राज मंत्री हूं, लेकिन शहरी इलाकों का नहीं हूं, इसलिए उसके अंतर्गत मैं उम्मीद रखता हूं कि जैसे कि हम पंचायत युवा खेल क्रीड़ा अभियान का इंतजाम कर रहे हैं, वैसे ही नगरपालिकाओं के लिए भी कछ प्रावधान किया जा सकता है। आज के दिन औपचारिक रूप में हमारे जो नौजवान हैं, जो कि 35 साल से कम उम्र के हैं, मैं बच्चों से लेकर नौजवान तक का जिक्र कर रहा हूं। उनकी संख्या तकरीबन 77 करोड़ है, लेकिन पांच करोड़ बच्चों के लिए ही हमारे देश में खेल की सुविधा है। मुझे लगता है कि हमें केन्द्रीय मंत्रालय की तरफ से शेष 72 करोड़ बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिनकी अब तकरीबन उपेक्षा हो रही है और मुकम्मल तौर पर इस जिम्मेदारी को हम राज्य सरकारों पर थोप रहे हैं। इसको बेहतर करने के लिए सख्त कदम हमारी सरकार उठा रही है और मैं आपको चन्द ही दिनों में उससे अवगत कराऊंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम नियम 193 के अंतर्गत खेलों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि मैं खेलकूद नीति के बारे में शीघ्र ही इसी सत्र में पूरी चर्चा करने की अनुमति दूंगा तथा मैं चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्य इस चर्चा में प्रभावी रूप से भाग लें। कल हमने देखा कि हम राष्ट्रीय मुद्दों पर एक साथ काम करते हैं। मैं पहले ही इस मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति दे चुका हूं। अत:, आज के प्रश्न केवल लेखों से ही संबंधित होंगे।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: खेल का मैदान कहां है, इसकी तरफ भी तो मंत्री जी ध्यान दें कि खेल के मैदान का इंतजाम पंचायत कहां से करेंगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने सभी पत्ते न खोलें। चर्चा के समय, मंत्रीजी झपकियां लेते हुए पकड़े जाएंगे। अभी तो इतने नोटिस मत दीजिए।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: अध्यक्ष जी, नेशनल स्पोर्ट्स फैडरेशंस और एसोसिएशंस के फंड्स की जहां तक बात है, कुछ फैडरेशंस ऐसे हैं, जिनके पास मिलियंस आफ रूपीज आज भी उनके फंड्स में हैं। कुछ ऐसी फैडरेशंस भी हैं, जो सिर्फ गवर्नमेंट फंड्स पर ही मुनहसर करती हैं। जब मैं एन.डी.ए. गवर्नमेंट में 2-3 महीने के लिए मिनिस्टर था, तो मेरे पास स्पोर्ट्स डिपार्टेंट था। उस समय माधवराव सिंधिया जी आज हमारे दरम्यान नहीं हैं, उस वक्त वे कांग्रेस के डिप्टी लीडर थे, उनके साथ मेरा डिस्कशन हुआ, जो अपोजीशन में थे कि गवर्नमेंट कोई ऐसा बिल लाये, फंड बनाये, जिसमें सभी फैडरेशंस के लिए एक लिमिट बन जाये, उसके ऊपर अगर किसी के पास पैसे आ जायें तो वह कामन फंड्स में आ जायें ताकि गवर्नमेंट के ऊपर भी ज्यादा फाइनेंशियल असर न हो। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्रवाई के लिए एक अच्छा सुझाव है।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। मेरा महकमा चला गया तो उसके बाद वह मैटर वहीं रह गया। मैं मंत्री जी से आपके थ्रू पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस पर दोबारा कोई विचार करेंगे? बिल लाने पर हम आपको सपोर्ट करेंगे।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, हम इस पर अवश्य विचार करेंगे, लेकिन इसके साथ-साथ मेरा फर्ज बनता है कि मैं माननीय सदस्य को बताऊं कि जो बोर्ड आफ कंट्रोल फार क्रिकेट इन इंडिया है, वह सबसे धनी फेडरेशन्स में से एक है। उन्होंने अपने आप तय किया है कि वे अपने फंड्स के जरिये अन्य स्पोर्टस डिसिप्लिन्स को समर्थन देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया चर्चा के लिए अपने मुद्दों को बचा कर रखें। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आप सभी को पूरा अवसर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

आबंटन से अधिक मात्रा में कोयला निकालना

***484. श्री गिरिधारी यादव:**
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी/निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा आबंटन से अधिक मात्रा में निकाले गये कोयले को उसी क्षेत्र में स्थित अन्य कोयला कंपनियों को बेचा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों द्वारा निकाले गये अधिक कोयले की मात्रा और उसका मूल्य तथा बिक्री किये गये कोयले के मूल्य का वर्षवार तथा कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कोई शिकायत मिली है कि इन कंपनियों द्वारा आबंटन से अधिक मात्रा में निकाले गए कोयले की कालाबाजारी की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किये गये हैं?

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। कोयला ब्लाक के विकास के चरण के दौरान तथा/अथवा लिंक्ड अन्त्य उपयोग संयंत्र के लिए कोयले की मूल्यांकित आवश्यकता से अधिक अनुमोदित खान क्षमता की स्थिति में कैप्टिव कोयला ब्लाक आबंटी को कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की स्थानीय सहायक कंपनी को अतिरिक्त कोयले की बिक्री करना अपेक्षित है।

(ख) अब तक कैप्टिव आबंटियों द्वारा सीआईएल की सहायक कंपनियों को कोयले की बिक्री का कोई मामला नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) जहां तक कैप्टिव उपयोग के लिए निजी कंपनियों को आबंटित ब्लाकों का संबंध है, अपने अन्त्यत उपयोग संयंत्र में कोयले के कैप्टिव उपयोग की शर्त का उल्लंघन करते हुए कोयले के अवैध खनन की जो केवल एक घटना, केन्द्र

सरकार की जानकारी में आयी है, वह मै. सेन्ट्रल कोलियरी कंपनी लि. से संबंधित थी, जहां उन्होंने अपने प्रस्तावित विद्युत संयंत्र में उपयोग के लिए कोयले के कैप्टिव खनन के लिए आबंटित तकली-जेना-बेल्लोरा (साउथ) कोयला ब्लाक से खनित कोयले को बेच दिया था। उक्त ब्लाक के संबंध में उनके पक्ष में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिये गये पट्टे को खान और खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957 के तहत संशोधन की शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा गठित संशोधनात्मक प्राधिकरण द्वारा अमान्य करार दिया गया है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा नियमित मानीटरिंग;

(2) राज्य सरकारों द्वारा खनन पट्टे की निबंधन और शर्तों को लागू करना।

[हिन्दी]

श्री गिरिधारी यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि एक कंपनी द्वारा कैप्टिव कोल खनन शर्तों का उल्लंघन किया गया है। यदि आप वृहद् पैमाने पर जांच करेंगे, तो देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियां इन शर्तों का उल्लंघन कर रही हैं और कोयले का सही तरीके से जो उपयोग करना चाहिए, वह नहीं कर रही हैं, बल्कि वे इसे अन्यत्र बेच रही हैं। क्या सरकार का ऐसा विचार है कि इस मामले में कोई वृहद् जांच कराई जाए ताकि जो कंपनीज के साथ शर्त है, वे उनका उल्लंघन न करने पाएं?

[अनुवाद]

डा. दासरि नारायण राव: महोदय, जहां तक इस प्रश्न का संबंध है सरकार का इन्टिग्रेटेड कोल माइनिंग लिमिटेड, जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड तथा टिस्को के खिलाफ कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वास्तव में, उन्हें अतिरिक्त कोयला उत्पादों की बिक्री करने की अनुमति है। सामान्यतया, अतिरिक्त कोयला तब होता है जब आवंटिती की कुल आवश्यकता से ब्लाक में कोयले का भंडार अधिक हो अथवा वार्षिक आवश्यकता से ब्लाक की वार्षिक खनन क्षमता अधिक हो। जब भी कोयले का अतिरिक्त उत्पादन होता है, प्रारंभिक चरण में इस तरह उत्पादित कोयले का आबंटिती द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि अंतिम उत्पाद तैयार नहीं है। अतएव, ऐसी व्यवस्था की गई है। इस प्रकार, आवश्यकता तथा उत्पादित की गई अतिरिक्त कोयले को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर सीआईएल की स्थानीय अनुषंगी को बेचा जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री गिरिधारी यादव: महोदय, कोयले की जो आपूर्ति काटेज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को हो रही है, वह राज्यों द्वारा सही तरीके से नहीं हो पा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय में सरकार कोई स्पष्ट नीति बनाकर काटेज इंडस्ट्री और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, जो देश के विभिन्न राज्यों में हैं, उन्हें सही तरीके से कोल आपूर्ति कराने की व्यवस्था कर रही है?

[अनुवाद]

डा. दासरि नारायण राव: महोदय, लघु तथा छोटे उपभोक्ताओं को समायोजित करने के लिए हमने राज्य सरकारों को तीन मिलियन टन तथा एनसीसीआर के माध्यम से दो मिलियन टन आवंटित किया है। कुछ राज्य सरकारों ने प्रतिक्रिया दिखाई है तथा भंडार उठाया है लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने अब तक भंडार नहीं उठाया है। हमें यह कहते हुए आश्चर्य हो रहा है कि तीन मिलियन टन में 25 से 30 प्रतिशत तक भी नहीं उठाया गया है। अतएव सचिव (कोयला) को सभी सचिवों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कोयला प्रदान करने के लिए तंत्र की व्यवस्था करने हेतु बैठक करती है।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने जो प्रश्न का उत्तर दिया है, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि कैप्टिव कोल माइनिंग कार्य जिनको मिला है, वे सरप्लस कोल का क्या करते हैं? आपने पालिसी में उत्तर दिया कि वे नियर-बाइ सब्सिडियरीज को गवर्नमेंट प्राइज पर कोयला बेच सकती हैं। प्रश्न के उत्तर में आपने कुछ दूसरी कंपनीज के बारे में उल्लेख किया है। आपने यहां मौखिक उत्तर देते हुए कहा कि 3 कंपनीज- इंटीग्रेटेड कोल, टाटा और जिंदल-विशेष परिस्थितियों में अपने सरप्लस कोल को बेच रही हैं। मेरा आपसे एक ही सवाल है कि आप इतना सेलेक्टिव और मोनोपोलिस्ट क्यों होते हैं? जिनको आपने कैप्टिव माइनिंग की परमीशन दी है, उनके सरप्लस कोल को आप मार्केट में छोड़ दीजिए, आप इस संबंध में पालिसी बना दीजिए, जिससे कोल सब्सिडियरीज का मोनोपोलिस्टिक प्राइस के ऊपर कंट्रोल भी घट जाएगा और उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर कोल भी मिल सकेगा। आप दो-तीन कंपनियों को क्यों सेलेक्टिव फैसिलिटी देते हैं? यह प्रश्न क्यों उठता है? आप इसके लिए एक पालिसी बनाइए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अपना प्रश्न मत दोहराएं।

डा. दासरि नारायण राव: महोदय, कुल 229 ब्लाक हैं। 229 ब्लाकों में से हमने 130 ब्लाक आवंटित किये थे। इन 130 ब्लाकों में से केवल 11 ब्लाक में उत्पादन हुआ। अतएव, इन कंपनियों को इन 11 ब्लाकों में से दिया गया। अब एक नीति बनाई गई है। वास्तव में, यह व्यवस्था आवश्यक समझी गई क्योंकि एक ब्लाक की शीर्ष दर क्षमता उत्पादन के विकास में तीन से पांच वर्ष लगते हैं। तदनुसार, एक कोयले के ब्लाक का विकास समय से काफी पहले शुरू किया जाता है। प्रारंभिक चरण में इस प्रकार से उत्पादित कोयले का आबंटिती द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि अंतिम उत्पाद परियोजना तैयार नहीं है। अतएव, यह व्यवस्था की जानी चाहिए।

अब माननीय सदस्य यह पूछते हैं कि हम इसे खुली क्यों नहीं बना सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि कोयले की आपूर्ति केवल प्रमुख परियोजनाओं, यथा, विद्युत, सीमेंट तथा इस्पात को की जा सकती है तथा खुले बाजार में नहीं की जा सकती है।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): आपने पहले ही उल्लेख किया है कि आपने कोयला ब्लाक इनमें से कुछ जीवंत कंपनियों को आवंटित किये हैं। इसके बावजूद कुछ उद्योगों को ब्लाक प्राप्त नहीं हो रहे हैं। कोयले की अनुपलब्धता के कारण उन्हें अपने उद्योगों को, विशेषरूप से ईसीएल क्षेत्रों में बंद करना पड़ा।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री चीन की तरह कोयला खनन के लिए स्थानीय सहकारी क्षेत्र को लाइसेंस देने के लिए तैयार हैं ताकि अवैध खनन बंद हो तथा सरकार कुछ पैसे कमा सकें।

अध्यक्ष महोदय: यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

डा. दासरि नारायण राव: माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य की सुविधा के लिए मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा।

जो भी रक्षित ब्लाक उपलब्ध हैं, उन्हें आवंटित कर दिया जाता है। कुछ अलग-थलग ब्लाक है। इन अलग अलग पड़े ब्लाकों के खनन के लिए हमने एक बैठक की है ताकि उन्हें सहकारी क्षेत्र को दिया जा सके।

[अनुवाद]

जलवायु परिवर्तन के कारण बीमारियों में वृद्धि

***485. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:**
श्री सर्वे सत्यनारायण:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जलवायु परिवर्तन संबंधी अन्तर सरकार पैनल की चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से अतिसार रोगों के कारण होने वाले स्थानिक रोगों और मृत्यु दर के बढ़ने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जलवायु परिवर्तन से बाढ़ तथा सूखे की आशंका होती है, जिससे पानी से फैलने वाली बीमारियों तथा संचारी रोगों के कारण महिलाएं और बच्चे बीमार पड़ते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में निजी अस्पतालों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जलवायु परिवर्तन संबंधी अन्तर सरकारी पैनल के चौथे मूल्यांकन के निष्कर्ष, प्राकृतिक, प्रबंधित एवं मानव प्रणालियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की वर्तमान वैज्ञानिक समझ, इन प्रणालियों की अनुकूलन क्षमता तथा उनकी संवेदनशीलता का आकलन है। इसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित ऐसे अनुमानित प्रभाव निर्दिष्ट किये गये हैं जो निम्नलिखित के माध्यम से लाखों लोगों, विशेषकर कम अनुकूलन क्षमता वाले लोगों की स्वास्थ्य स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं:

* कुपोषण में वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप विकार जिसमें बच्चे की वृद्धि एवं विकास संबंधी जटिलताएं शामिल हैं।

* गर्मी, बाढ़, आंधी, आग एवं सूखे के कारण मृत्यु, रोग और घायल होने की घटनाओं में वृद्धि।

* मुख्य रूप से बाढ़ एवं सूखे के कारण अतिसार रोगों में वृद्धि।

* जलवायु परिवर्तन के कारण निचले स्तर पर ओजोन की मात्रा बढ़ने से हृदय-श्वसनीय रोगों की बारंबारता में वृद्धि।

* कुछ संक्रामक रोग कारकों के आकाशीय वितरण में परिवर्तन।

जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों को कम करने के लिए एक बहुद्देशीय कार्यनीति तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें प्रशमन, अनुकूलन, प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान शामिल है। सतत विकास से अनुकूलन क्षमता और लोच बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है।

स्वास्थ्य प्रमुखतया राज्य का विषय है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिये अतिसार एवं अन्य संचारी रोगों जैसे रोगों के लिए चिकित्सा राहत के कार्यों की देखभाल करना राज्य सरकारों का काम है। जन स्वास्थ्य से संबंधित आपात स्थितियों पर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित किया गया है और निजी अस्पतालों/गैर-सरकारी संगठनों समेत सभी लाभग्राहियों (स्टेक होल्डर्स) का चिकित्सीय राहत/पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए किया जाता है। असुरक्षित/पीने के गन्दे पानी, खराब सफाई और स्वच्छता अतिसार के कुछेक कारण हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान जल जन्य रोगों और वैक्सीन से रोके जा सकने वाले रोगों के कारण राज्य-वार रोगियों का ब्यौरा अनुबंध दिया गया है।

स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा किये गये निवारक उपायों में पीने के साफ पानी की व्यवस्था, वैयक्तिक और सामुदायिक स्वच्छता में सुधार, मानव मल का सुरक्षित निपटान, समुचित स्वास्थ्य शिक्षा शुरू करना, निगरानी और मानीटरिंग, क्लोरीन की गोलियों और ओर्स के पैकेटों इत्यादि का संवितरण करना शामिल है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मूलभूत स्तर पर प्रभावकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य, पीने के पानी, पोषण और सफाई संबंधी सेवाओं को एकीकृत किया गया है।

भारत सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति में गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं का सामना करने के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम, समग्र सफाई अभियान, स्कूल सफाई और स्वच्छता शिक्षा और कम लागत वाली सफाई योजना के अंतर्गत धन प्रदान करके राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करती है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करती है और अतिसार सहित संचारी रोगों के प्रकोपों की निगरानी, इनका शुरू में ही पता लगाने और निवारण और नियंत्रण का काम करता है।

विभिन्न राज्यों में पीने के पानी की गुणवत्ता को मानीटर करने हेतु पेय जल आपूर्ति विभाग के साथ एक एकीकृत दृष्टिकोण शुरू किया गया है ताकि जल जन्य रोगों के होने से रोका जा सके। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूखे और बाढ़ को नियंत्रित करने की एक आकस्मिक योजना तैयार की है और उसको राज्यों में परिचालित कर दिया गया है।

भारत सरकार ने नवम्बर, 2004 में अतिसार सहित विभिन्न रोगों के प्रकोपों की पहचान के आगे सुदृढ़ करने के लिए एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम शुरू किया है ताकि इसके लिए शुरू में ही रोकथाम संबंधी कार्यकलाप चलाया जा सके और ऐसे रोगों के होने, इनके कारण होने वाली विकलांगता और मौतों को कम किया जा सके।

अनुबंध

वर्ष 2005 और 2006 में वैक्सीन से रोके जा सकने वाले रोगों के कारण राज्य-वार रोगी

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	खसरा		डिप्थीरिया		काली खांसी		नवजात टेटनस	
		2005	2006	2005	2006*	2005	2006	2005	2006*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0	1902	4305	1009	11095	4077	167	21
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1264	0	666	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	4718	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	अप्राप्त	0	अप्राप्त	0	अप्राप्त	0	अप्राप्त	0
5.	छत्तीसगढ़	अप्राप्त	206	अप्राप्त	78	अप्राप्त	417	अप्राप्त	2
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	2	187	78	274	161	30	8	35
8.	हरियाणा	6	322	17	12	30	78	6	25
9.	हिमाचल प्रदेश	0	619	0	0	0	0	0	1
10.	जम्मू-कश्मीर	0	2549	0	4	1322	4074	0	0
11.	झारखंड	18	903	0	0	218	803	0	42
12.	कर्नाटक	63	2048	43	0	619	430	86	0
13.	केरल	0	3109	26	1	212	163	0	3
14.	मध्य प्रदेश	19	426	111	0	8738	0	247	179
15.	महाराष्ट्र	0	627	130	24	84	26	12	2
16.	मणिपुर	0	201	0	0	105	122	1	0
17.	मेघालय	1	1095	1	0	557	17	3	0
18.	मिजोरम	0	180	6	25	44	13	0	0
19.	नागालैंड	3	589	229	74	4328	1438	0	20
20.	उड़ीसा	37	221	2	0	405	324	3	2
21.	पंजाब	0	252	2	2	4	5	17	12
22.	राजस्थान	0	919	358	233	383	541	67	22
23.	सिक्किम	0	542	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	11	274	35	0	269	10	0	0
25.	त्रिपुरा	0	455	1	0	461	241	17	2
26.	उत्तर प्रदेश	22	361	4	125	7054	3895	46	31
27.	उत्तरांचल	5	138	215	0	78	228	0	17
28.	पश्चिम बंगाल	0	16839	545	260	1881	2500	145	71
29.	अं. व नि. द्वीप समूह	0	20852	0	0	44	193	1	9
30.	चंडीगढ़	अप्राप्त	0	अप्राप्त	0	अप्राप्त	0	अप्राप्त	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	18	0	0	3	5	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	505	47	48	480	34	65	37
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	20	269	2830	2	0	1	0	0
	कुल	207	56608	10249	2171	43959	19755	891	533

स्रोत: केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

*वर्ष 2006 के आंकड़े अनंतिम हैं।

वर्ष 2005 और 2006 में जल जन्य रोगों के कारण राज्य-वार रोगी

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	एडीडी		वी. हैपेटाइटिस		आन्तरिक ज्वर	
		2005	2006*	2005	2006*	2005	2006*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1614276	1139456	29282	20639	171931	127983
2.	अरुणाचल प्रदेश	32297	0	433	अप्राप्त	2446	0
3.	असम	791591	0	16929	अप्राप्त	23659	0
4.	बिहार	अप्राप्त	0	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	0
5.	छत्तीसगढ़	अप्राप्त	65379	अप्राप्त	733	अप्राप्त	1348
6.	गोवा	2343	0	19	अप्राप्त	33	0
7.	गुजरात	470675	382056	9650	18792	4200	7290
8.	हरियाणा	294417	225923	3458	6798	8516	4499
9.	हिमाचल प्रदेश	401758	299416	2669	1338	23212	23012
10.	जम्मू-कश्मीर	528677	519317	7908	7371	36593	42369
11.	झारखंड	13448	14752	23	51	924	4707
12.	कर्नाटक	993620	870541	17913	11204	67247	90579
13.	केरल	540853	438681	8905	12720	7383	5608
14.	मध्य प्रदेश	501761	318935	7047	3783	46955	28654
15.	महाराष्ट्र	729917	101348	39167	8384	27740	5267
16.	मणिपुर	187728	11024	206	394	1655	1551

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मेघालय	159050	151483	269	236	6701	5309
18.	मिजोरम	15274	16570	642	974	1056	1339
19.	नागालैंड	16081	9176	1117	211	2923	2328
20.	उड़ीसा	350177	325043	2522	2501	11464	12759
21.	पंजाब	175651	170897	1815	7184	15370	15630
22.	राजस्थान	385033	281177	2261	7274	6245	12808
23.	सिक्किम	50617	51433	250	400	229	428
24.	तमिलनाडु	351818	116062	8263	4523	82423	36973
25.	त्रिपुरा	166829	150750	343	4987	26312	18547
26.	उत्तर प्रदेश	335406	267635	2142	3381	30105	40539
27.	उत्तरांचल	48480	94746	884	7048	4515	15020
28.	पश्चिम बंगाल	1604568	1961200	5626	5980	64969	77133
29.	अं. व नि. द्वीप समूह	22830	16170	267	65	428	107
30.	चंडीगढ़	अप्राप्त	0	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	0
31.	दादरा और नगर हवेली	63405	74661	159	224	954	646
32.	दमन और दीव	2513	45	11	2	14	2
33.	दिल्ली	136756	94398	10602	5654	17625	13774
34.	लक्षद्वीप	6788	6722	40	140	14	6
35.	पांडिचेरी	152778	116811	789	1118	1273	1687
	कुल	10978459	8291807	181621	144109	695114	610012

स्रोत: केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
*वर्ष 2006 के आंकड़े अनंतिम हैं।

वर्ष 2005 और 2006 में वैक्सीन से रोके जा सकने वाले रोगों के कारण राज्य-वार रोगी

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	हैजा	
		2004	2005
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	35	165
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0

1	2	3	4
3.	असम	अप्राप्त	0
4.	बिहार	अप्राप्त	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0
6.	गोवा	0	0
7.	गुजरात	79	80
8.	हरियाणा	10	7
9.	हिमाचल प्रदेश	0	2
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0
11.	झारखंड	अप्राप्त	0
12.	कर्नाटक	255	214
13.	केरल	88	27
14.	मध्य प्रदेश	11	2
15.	महाराष्ट्र	473	724
16.	मणिपुर	0	1
17.	मेघालय	0	0
18.	मिजोरम	0	0
19.	नागालैंड	0	0
20.	उड़ीसा	0	0
21.	पंजाब	171	15
22.	राजस्थान	6	2
23.	सिक्किम	0	0
24.	तमिलनाडु	1501	724
25.	त्रिपुरा	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	16	2
27.	उत्तरांचल	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	274	236
29.	अं. व नि. द्वीप समूह	0	0
30.	चंडीगढ़	25	9

1	2	3	4
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0
32.	दमन और दीव	0	0
33.	दिल्ली	1784	945
34.	लक्षद्वीप	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0
	कुल	4728	3455

स्रोत: केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
*वर्ष 2006 के आंकड़े अनंतिम हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सर्वे सत्यनारायण-उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा उत्तर में उल्लेख किया गया है कि कुपोषण में वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप जो विकार होते हैं, उनमें बच्चों की वृद्धि एवं विकास संबंधी जटिलताएं शामिल हैं। ऐसे बहुत से रोगों का उल्लेख किया गया है और सरकार को आने वाले खतरों की भी जानकारी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या इनसे बचाव के लिए कोई उपाय किये गये हैं या अलग से किसी प्रकार के फंड आदि का निर्धारण किया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? देश की जनता को इसके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए किये जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: जैसाकि उत्तर में विस्तार से बताया गया है, मौसम परिवर्तन पर अंतर-शासकीय पैनल का चौथा आंकलन, स्वास्थ्य क्षेत्रों में मौसम परिवर्तन पर इसके प्रभावों के बारे में है।

यहां कुपोषण के बारे में मुद्दे उठाए जाएंगे। यहां वैक्टर जनित एवं जल जनित बीमारियां में वृद्धि होगी। यहां अनेक समस्याएं होंगी। इस सम्माननीय सदन में कल भी हमने मौसम परिवर्तन पर उत्साहपूर्ण चर्चा की थी। मुझे खुशी है कि संसद सदस्य इस मुद्दे से अवगत है।

सरकार ने संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र पर केन्द्रित अनेक कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा कार्यक्रम, मैं कह सकता हूं कि, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों तथा स्वयं ग्रामवासियों का सशक्तिकरण किया गया है। हम लगभग प्रत्येक ग्राम अथवा पंचायत में ग्राम स्वास्थ्य तथा सफाई समितियों का गठन कर रहे हैं। हम उन्हें बिना शर्त व्यय करने के लिए 10000 रुपये को राशि दे रहे हैं। समिति के सदस्य, पंचायत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता एएनएम, स्वयंसेवी महिलाएं तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति भी इस संघ से जुड़े हुए हैं। यह एक बिना शर्त राशि है जिसका उपयोग वे साफ-सफाई के लिए कर सकते हैं। हमारे पास एक समेकित रोग निगरानी परियोजना है जो कि रोगों की निगरानी करने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है। आज, हमारे देश के किसी भी भाग में हैजा नहीं फैलता है, इसकी सूचना उपलब्ध कराने में हमें कुछ समय लगता है परन्तु इस कार्यक्रम के लागू होने के पश्चात, कुछ ही घंटों में हमें अधिसूचित कर दिया जायेगा तथा हम सुधारात्मक कदम उठाएंगे। पानी से होने वाली बीमारियों तथा उससे होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए अधिकतम राज्यों को तैयार किया जा रहा है तथा चूंकि यह राज्य का मामला है, हम राज्य सरकारों के कार्यक्रमों को अनुपूरक सहायता प्रदान कर रहे हैं। वास्तव में, केन्द्र सरकार की राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन योजना के तहत फ्लूरोसिस, आरसनिक, सफाई इत्यादि कई उप मिशन हैं तथा अन्य गतिविधियां चल रही हैं। इसकी बागडोर ग्रामीण विकास मंत्रालय के हाथ में है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विभिन्न विषयों जैसे कि स्वास्थ्य, पोषण, सफाई तथा पेय जल का मिश्रण है। यह एक समग्र कार्यक्रम है तथा गांवों में प्रत्येक घर, जहां सफाई कार्यक्रम के तहत शौचालय का निर्माण किया जाएगा, के लिए एएसएचए को कुछ राशि एवं प्रोत्साहन दिया जाएगा। हम इस संबंध में कई कदम उठा रहे हैं जैसेकि सूचना, शिक्षा अभियान आदि चालू करना। यह केवल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ही एक समग्र कार्यक्रम नहीं है बल्कि

संपूर्ण समाज के लिए है, सभी संसद सदस्यों एवं राज्य सरकारों को इस पर ध्यान देकर आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: अध्यक्ष महोदय, ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले खतरे से बचाने के लिए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किये हैं? उनका ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के क्या परिणाम निकले?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबंधित है। इसलिए इसे एक अलग प्रश्न के रूप में उठाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: हां, मैं आपसे सहमत हूं।

डा. बाबू राव मीडियम: अध्यक्ष महोदय, बेशक पर्यावरण में बदलाव के कारण संक्रामक रोगों में वृद्धि हो रही है। माननीय मंत्रालय ने बड़े स्पष्ट रूप से पेय जल, सफाई, पोषण तथा अन्य चीजों के संबंध में उठाये जा रहे विभिन्न कदमों की जानकारी दी है। उसके बावजूद रोगों में वृद्धि हो रही है। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान का इस संबंध में क्या मत है कि क्या हैजा फैलाने वाला वाइब्रो कोलेरा फिर से पैदा हो गया है अथवा रोगाणुओं में कोई परिवर्तन आए है जिसके कारण हैजा या अतिसार जैसी बीमारियां हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय: मुख्य प्रश्न पर्यावरण में बदलाव के बारे में है।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, एनआईसीडी के बारे में यह भी एक विशिष्ट मामला है। मुझे जानकारी प्राप्त कर माननीय सदस्य को देनी है। जहां तक हैजे का सवाल है, हम रोकथाम के लिए प्रभावी टीके प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में हैजे का प्रकोप कहीं-कहीं दिखायी देता है। इसका आरंभिक प्रकोप पहले चैन्नई में था तथा यह हैजा चीन भी पहुंच गया तथा इससे संबंधित कई मुद्दे हैं। हमारे यहां कोलकाता में स्थिति राष्ट्रीय हैजा तथा आंत्रशोध रोग संस्थान है जोकि इस पर काफी शोध कर रहा है तथा एनआईसीडी के साथ समन्वय बनाए हुए हैं। इसलिए, मैं एनआईसीडी से जानकारी प्राप्त करके आपके माध्यम से माननीय सदस्य तक पहूंचा दूंगा।

श्रीमती मेनका गांधी: माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भविष्यवाणी जो बिल्कुल सही साबित हुई है वह यह है कि मलेरिया तथा मच्छर से होने वाली बीमारियों में जलवायु के गर्म होने के साथ-साथ वृद्धि होगी। चूंकि, भारत में मेलाथलान कीटनाशक बिल्कुल बेकार है तथा डीडीटी किसी भी जीव के लिए खतरनाक है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मलेरिया के फैलाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं क्योंकि यदि और कोई बीमारी नहीं आएगी तब भी यह जरूर आएगी?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय मलेरिया फिलेरिया, जापानी एनसेफ्लाईटिस, डेंगू तथा चिकनगुनिया जैसी रोगवाहक बीमारियों पर नियंत्रण पाने के लिए डीडीटी तथा मैलाथिओन समस्या के हल का अंश मात्र हैं। बल्कि, हम रोकथाम के लिए कई कदम उठा रहे हैं जैसेकि सूचना शिक्षा अभियान चलाना, बैड नैट का प्रयोग, गम्बूजिया एवं लारविसिडल मछली पालना जो कि मच्छरों को खा जाती है आदि। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में इसका सफल कार्यान्वयन किया गया है तथा अब हम इसे देश भर में करने का प्रयास कर रहे हैं। केरल में कई बड़े जल स्रोत हैं। हम वहां धुआं एवं कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं। जैसाकि हम सब जानते हैं कि कृषि में डीडीटी के उपयोग पर पहले ही रोक लगा दी गई है।

परंतु विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि स्वास्थ्य के उद्देश्य से डीडीटी का सीमित इस्तेमाल किया जा सकता है, विशेषकर कालाजार के लिए, जो देश के चार राज्यों में फैला हुआ है। हम इसका विवेकपूर्ण प्रयोग करते रहे हैं। परंतु रोगवाहक इनमें से कुछ के प्रतिरोधक हो चुके हैं तथा यह एक निरंतर प्रक्रिया है तथा नए रसायन आ गए हैं। परंतु हम अधिक रसायनों के प्रयोग से बचने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं।

हम बायो-लार्वा में भी इनका प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार द्वारा रोगवाहक बीमारियों को रोकने के काफी प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1999 में आए भयंकर चक्रवात के परिणामस्वरूप, तटीय जिलों के लोग कैंसर, दिल की बीमारी तथा सफेद दाग जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं जो कि अब मेरे संसदीय क्षेत्र के संपूर्ण तटीय जिलों में फैल रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी ऐसी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए कोई समुचित उपाय करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: यह विशिष्ट विषय एवं प्रश्न हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं इस बात से अनभिज्ञ हूं कि एक भयंकर चक्रवात का प्रभाव कैंसर के रूप में हो सकता है। परंतु मुझे विश्वास है कि इसका प्रभाव जीर्ण रोग के बजाय

संक्रामक रोगों के रूप में पड़ सकता है। परंतु फिर भी, यदि ऐसा है तो, मैं अपने लोगों को इस मामले की ओर ध्यान देने के लिए कह सकता हूं।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा: महोदय, विशेषज्ञों का एक दल इस इलाके में स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा जाए।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही कहा है कि मंत्रालय इस ओर ध्यान देगा। कृपया मुख्य प्रश्न से संबंधित बात करें।

श्री सनत कुमार मंडल: माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण में बदलाव पर अंतर-सरकारी पैनल की चौथी आकलन रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल का सुंदरवन इलाका पर्यावरण बदलाव के कारण सबसे अधिक प्रभावित होगा। यह एक निचला इलाका है तथा यहां सुंदरबन भूमि के जलमग्न हो जाने का भारी खतरा है। इससे भविष्य में वहां पर बाढ़ तथा पानी से होने वाली बीमारियां तथा संक्रामक रोग फैल सकते हैं।

मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार सुंदरवन में भी एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं तथा भारी बाढ़ एवं जलवायु परिवर्तन की स्थिति में स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है?

अध्यक्ष महोदय: ब्यौरे के बारे में भूल जाइए मंत्री महोदय।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, हम सुंदरवन इलाके के साथ-साथ सारे देश में एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे हैं। बल्कि, इस कार्यक्रम के तहत, हम प्रत्येक जिले में आईटी कार्मिक नियुक्त कर रहे हैं और बीमारियों की जांच हेतु हम सभी प्रयोगशालाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण कर रहे हैं तथा इन प्रयोगशालाओं के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा पश्चिम बंगाल समेत संपूर्ण देश भर में कई अन्य कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

जी हां, महोदय, माननीय सदस्य सही कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का घटना, गैस प्रभाव आदि से तापमान में वृद्धि हुई है तथा इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। कभी कभार बाढ़ भी आ सकती है, यहां तक कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो सकती है जिससे भूमि का कुछ भाग जलप्लावित भी हो सकता है।

हम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत, जिसे हाल ही में संप्रग सरकार द्वारा इस विषय पर निगरानी रखने के लिए गठित किया गया था, इसका सर्वेक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमती मेनका गांधी जी ने भी बिल्कुल सही कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण रोगवाहक बीमारियों में वृद्धि होगी। सरकार को इन मुद्दों की जानकारी है तथा इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा निश्चित रूप से हर संभव कदम उठाया जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी और पहले भी मैंने यह प्रश्न उठाया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कम से कम 50 लाख लोग जो कोसी एरिया के अन्दर और उसके आसपास रहते हैं, आर्सेनिक वाला पानी पी रहे हैं। दिनों-दिन उसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती जा रही है। पिछले तीन सालों में मुझे हर बार यही सुनने को मिलता है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न इसमें नहीं आता है।

श्रीमती रंजीत रंजन: महोदय, जलवायु परिवर्तन के कारण ही वहां पानी में आर्सेनिक बढ़ रहा है और घेंघा की बीमारी बढ़ रही है। आज वहां एक से डेढ़ लाख लोग कालाजार के पेशेन्ट हो गए हैं, लेकिन हर बार यही सुनने को मिलता है कि हम प्रयास कर रहे हैं। क्या जब लोग रोज मरने लगेंगे, तब हम इसके लिए कुछ करेंगे? जब हमारे घर के लोग आर्सेनिक वाला पानी पिएंगे, क्या तब हमें होश आएगा कि उनके लिए हमें कुछ करना है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे नाराज हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: मैं माननीय सदस्य की वेदना को समझता हूं। कालाजार के संबंध में दूसरे भाग में, आज कालाजार चार राज्यों में केवल 52 जिलों में है। वस्तुत:, हम अपने देश से कालाजर को मिटाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया इसकी अनुमति किसी नियम के अधीन नहीं है। *...(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास: मुझे उत्तर देने दीजिए; फिर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आज हमारे पास कालाजार के लिए नई दवाइयां हैं। पहले हमारे पास एमएसजी होती थी जो कि थोड़ा नशीली थी।

अध्यक्ष महोदय: उनके क्षेत्र में देखिए जहां कि वे शिकायत कर रही हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: मैं बता रहा हूं कि सरकार कालाजार को मिटाने के लिए क्या करने का प्रयास कर रही है। इसलिए,

मैंने कहा कि कालाजार के संबंध में अभी हम केवल चार राज्य, नामत: बिहार, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल पर ही ध्यान दे रहे हैं। हम निश्चित रूप से समन्वय स्थापित कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत बांग्लादेश तथा नेपाल के साथ सीमा पार क्षेत्रों में रोगों के संक्रमण के संबंध में एक समझौता किया है। आज, हमारे पास कालाजार के लिए नई दवाइयां उपलब्ध हैं।

हमारे पास मिल्टेफोसिन, पारामोमाइसिन नामक दवाइयां हैं जो गैर-नशीली हैं। खाने वाली दवाई, मिलीफोसिन दी जा सकती है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक्स के लिए हमारे पास आरके39 किट है। इस प्रकार इस कार्यक्रम के लिए हमारे पास क्रियान्वयन लक्षित है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले दो-तीन वर्षों में कालाजार के मामलों में भारी कमी होने वाली है।

जहां तक पश्चिमी बंगाल के आर्सेनिक मामले का संबंध है, वास्तव में आप स्थिति से अवगत ही हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत आर्सेनिक के लिए एक उप-मिशन भी है। केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार के भी कार्यक्रम हैं; कई प्रकार की तकनीक हैं जैसेकि एब्जारपशन तकनीक तथा को-प्रीजरवेशन तकनीक। वास्तव में, 1999-2000 के दौरान, उप-मिशन के तहत तीन योजनाएं चल रही थीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उनकी रुचि अपने निर्वाचन क्षेत्र सहरसा में है। कृपया इस पर ध्यान दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं। मैंने कह दिया है कि सहरसा में भेजें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: इसकी महत्ता के कारण, मैं आठवें पूरक प्रश्न की अनुमति दे रहा हूं, जो कि अंतिम भी है। श्री शिवन्ना।

****श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मौसम बदलने पर मलेरिया, हेलसना तथा अन्य बीमारियां फैलती हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार देश के सभी तटवर्ती गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ढांचे को मजबूत करेगी।

अध्यक्ष महोदय: वे धाराप्रवाह अंग्रेजी जानते हैं लेकिन कभी इसका प्रयोग नहीं करते क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग कन्नड़ बेहतर ढंग से समझते हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: वास्तव में वेक्टर बोर्न डिजीज कान्ट्रोल प्रोग्राम के बारे में बताकर इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले दे चुका हूं। निश्चित रूप से सरकार को इस बारे में जानकारी है तथा नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कन्ट्रोल प्रोग्राम के तहत हम सभी कदम उठा रहे हैं। मैंने पहले ही मच्छरदानी, बायोलारविसाइड्स, कीटनाशकों का छिड़काव, फागिंग आदि कदमों के बारे में बताया है।

अध्यक्ष महोदय: आप एक संभावित प्रश्न मानकर यह उत्तर दे रहे हैं क्योंकि आपने इसे सुना ही नहीं है।

[हिन्दी]

भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में बांग्लादेश और नेपाल से वार्ता

***486. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बांग्लादेश और नेपाल के समक्ष उनके देश से चलाई जा रही भारत-विरोधी गतिविधियों का मामला उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला?

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

विवरण

सरकार बांग्लादेश से शुरू होने वाली भारत विरोधी गतिविधियों के मसले को बंगलादेश की सरकार के साथ नियमित रूप से उठाती रही है। बंगलादेश की सरकार ने उच्चतम स्तर पर आश्वासन भी दिया है कि वह भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अपने भू-प्रदेश को प्रयोग करने की अनुमति नहीं देगी। भारत सरकार ने इस बात पर बल दिया है कि उनके द्वारा इस आश्वासन को पूर्ण करने की दिशा में ठोस और सतत कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है।

बंगलादेश की सरकार के साथ इस मामले को नियमित रूप से उठाने के अलावा सरकार ने देश में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए विभिन्न उपाय भी किये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सीमा सुरक्षा बल को सशक्त बनाना, सीमा सड़कों के निर्माण और सीमा पर बाड़ लगाने के कार्यक्रम में तेजी लाना और निगरानी में सुधार शामिल हैं।

नेपाल के संबंध में सीमा-पार सुरक्षा के सभी मसलों जिनमें आपराधिक और असामाजिक गतिविधियां भी शामिल है, पर नेपाल की सरकार के साथ गठित द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र में विचार-विमर्श किया जा रहा है। नेपाल की सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि वह ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं देगी, और ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देगी।

[हिन्दी]

श्री मनसुखभाई डी. वसावा: अध्यक्ष महोदय, बांग्लादेश और नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। इस संबंध में मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसके जवाब में मंत्री जी ने कहा है कि इन देशों की सीमाओं पर सड़क बनाने, बाड़ लगाने और सुरक्षा बलों को सशक्त बनाने जैसे कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं। सरकार द्वारा इतने सारे कदम उठाए गए हैं, फिर भी आज हजारों की संख्या में बांग्लादेश और नेपाल से घुसपैठिए हमारे देश में आ रहे हैं। क्या सरकार को इनकी जानकारी है और अगर है, तो उसे रोकने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत है कि जहां तक नेपाल का संबंध है, नेपाल के साथ व्यापार और पारागमन समझौता है तथा लोग स्वतंत्र रूप से नेपाल से भारत आ सकते हैं तथा स्वतंत्र रूप से भारत से नेपाल जा सकते हैं।

इसलिए जहां तक बांग्लादेश का संबंध है, यह सत्य है कि कुछ घुसपैठ, गैरकानूनी प्रवास की घटनाएं हो रही हैं। हमने इन मुद्दों को बांग्लादेश सरकार के सामने उठाया है।

इन मुद्दों को बांग्लादेश सरकार के सामने उठाने के अलावा हमने कुछ बचावकारी कदम भी उठाए हैं, जिसका जिक्र मैंने वक्तव्य में किया है जिसमें बाड़ लगाना, सीमा को मजबूत बनाना, सीमा सड़कों का निर्माण करना शामिल है। ये सभी उपाय बांग्लादेश से गैरकानूनी प्रवास को रोकने के लिए हैं।

[हिन्दी]

श्री मनसुखभाई डी. वसावा: माननीय अध्यक्ष जी, नेपाल और बांग्लादेश की सरकारों ने केवल आश्वासन मात्र दिया है। हमारे देश में जो घुसपैठिये नेपाल और बंगलादेश से आते हैं, वे यहां रहकर, नेपाल और बंग्लादेश में हमारे देश के विरुद्ध जो गतिविधियां चलती हैं, उन गतिविधियों में सहयोग दे रहे हैं। हमारे देश में रहकर, हमारे देश के विरुद्ध वे जो गतिविधियां कर रहे हैं, क्या उसकी जानकारी हमारी सरकार को है? यदि हैं, तो ऐसे लोगों की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, माननीय सदस्य नेपाल तथा बांग्लादेश के बारे में भ्रम की स्थिति में हैं। महोदय, जैसाकि मैंने आपसे उल्लेख किया है, नेपाल से गैरकानूनी प्रवास का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि वहां से आने-जाने की खुली छूट है।

जहां तक बंग्लादेश का संबंध है, हां, गैरकानूनी घुसपैठ हो रहा है और इसे रोकने के लिए 4,096 किलोमीटर की पूरी सीमा पर हमने कुछ कदम उठाए हैं। कुछ विद्रोही समूहों द्वारा चलाई जा रही भारत विरोधी गतिविधियों के संबंध में हमने बांग्लादेश सरकार के साथ बातचीत की है। 19 फरवरी को बांग्लादेश के अपने पिछले दौरे के दौरान वहां की सरकार के प्रमुख ने मुझे आश्वासन दिया है कि वे बांग्लादेश की सीमाओं का दुरुपयोग भारत से व्यक्तिगत द्वेष के लिए नहीं होने देंगे और मुझे आशा है कि वे अपने वायदे पर कायम रहेंगे।

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा: माननीय अध्यक्ष जी, बंग्लादेश से अवैध घुसपैठ और नेपाल से जो आतंकवादी गतिविधियां चलती हैं, ये दो बातें सारा देश जानता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज तक बंग्लादेश से कितने लोगों ने अवैध घुसपैठ की है, उनमें से कितने लोगों को वापस बंगलादेश भेज दिया है और सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, गैर काननी प्रवास के बारे में कोई ठोस अनुमान नहीं है। लेकिन एक बार एक आंकड़े का अनुमान लगाया गया था कि लगभग 15-16 लाख गैर कानूनी प्रवासी अभी भी भारत में रह रहे हैं। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, गैर-कानूनी प्रवासी पंक्ति में खड़े होकर यह नहीं कहेंगे कि ''मैं एक गैर-कानूनी प्रवासी हूं और मैं आपके देश में प्रवेश करने जा रहा हूं।'' इसलिए, यह मात्र अनुमान है।

जहां तक नेपाल का संबंध है, शायद माननीय सदस्य हाल की घटनाओं से अवगत हैं। यह सच है कि एक दशक से भी अधिक समय से माओवादी गुट नेपाल में अपनी गतिविधियां फैला रहे हैं तथा वे सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखते हैं। लेकिन नेपाल में हाल ही में नई बात सामने आई है और माओवादियों ने हिंसा त्याग दी है। सशस्त्र कैडरों को अब विभिन्न छावनियों में रखा जा रहा है, उनका संगठन किया गया है। उन्होंने अपने शस्त्र सौंप दिए हैं और उन्हें संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण में जमा करवाया जा रहा है। इसका सबसे महत्वपूर्ण अंश यह है कि माओवादियों ने यह घोषणा कर दी है कि वे नेपाली राजनैतिक गतिविधियों की मुख्य धारा में शामिल होंगे और वे उसने शामिल हुए भी हैं। इसलिए, हम आशा करते हैं कि इस प्रकार की गतिविधियां अब समाप्त हो जाएंगी।

मोहम्मद सलीम: महोदय, इसमें कोई शंका नहीं है कि सरकार ने इस मुद्दे को नेपाल तथा बंग्लादेश की सरकारों के साथ लंबी अवधि के आधार पर उठाया है ताकि नेपाल तथा बांग्लादेश की धरती का भारत विरोधी गतिविधियों के लिए प्रयोग न किया जा सके।

लेकिन इसके बावजूद, हम यह भी जानते हैं कि इस प्रकार की बातें हो रही हैं, और विशेषकर उत्तरी बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्य प्रभावित हैं। अब नेपाल तथा बांग्लादेश में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। इसलिए, इन देशों में परिवर्तित घरेलू तथा राजनैतिक परिदृश्य के साथ, क्या भारत सरकार ने बदले हुए परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश तथा नेपाल की सरकारों के साथ बातचीत की है। केवल पुराने आश्वासनों की दोहराने से काम नहीं चलेगा। लेकिन विशेषकर बांग्लादेश की धरती का उपयोग करके चलायी जा रही भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, यह एक जारी रहने वाला कार्य है। जैसाकि मैंने उल्लेख किया है, हमारे बीएसएफ तथा बीडीआर के मध्य पिछली बातचीत के दौरान भी हमने उन्हें 176 भारतीय विद्रोही समूह कैम्पों तथा 339 अपराधियों की एक सूची सौंपी थी। उन्होने भी हमें कुछ अपराधियों की एक सूची दी थी जो बांग्लादेश के हैं तथा अपराध कर रहे हैं। ये अपराधी कोई राजनैतिक कार्यकर्ता अथवा चरमपन्थी नहीं है, बल्कि वे साधारण अपराधी हैं, जिन्होंने कोलकाता समेत भारत के कुछ भागों में शरण ली हुई है। इसलिए जहां तक भारत का संबंध है, जब भी हमें सूचना प्राप्त होगी हम उस पर तत्परता से कार्यवाही करेंगे। हमने बांग्लादेश सरकार से भी इस पर कार्यवाही करने का आग्रह किया है तथा मैं यह आशा करता हूं कि बांग्लादेश सरकार भी उचित कार्यवाही करेगी।

महोदय, चर्चा के दौरान विशेषकर जब उनके निवर्तमान प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री भारत आए थे तब मैं यहां रक्षा मंत्री था और मैंने यह मुद्दा उठाया था तथा उनसे वर्तमान समस्या पर ध्यान देने का आग्रह किया था। कभी कभी ऐसा होता है कि वे किसी प्रकार की समस्या से साफ इंकार कर देते हैं। इसलिए मैंने उनके पूर्व प्रधान मंत्री को सलाह दी थी कि वे समस्या को पहचानें क्योंकि जब तक आप समस्या को नहीं पहचानेंगे तब तक शायद समस्या का समाधान नहीं प्राप्त किया जा सकता है। मैं यह आशा करता हूं कि बांग्लादेश का नया राजनैतिक प्रबंधन अपने उस वायदे पर कायम रहेगा, जो उन्होंने हमसे किया है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यहां जो जवाब दिया, मैं उससे बहुत आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उन्होंने जवाब दिया कि बांग्लादेश को 15-16 लाख लोग ही हिंदुस्तान में रहते हैं। जब बांग्लादेश निर्मित हुआ, तब हमारे लाखों जवानों ने अपनी जान की कुर्बानियां दीं और हमारे राजनेताओं ने भी कुर्बानियां दीं।

इससे पहले यहां जो सरकारें रहीं, चाहे एनडीए की सरकार थी या उसके पहले आपकी कांग्रेस की सरकार थी, तब सबने कहा था कि एक-दो करोड़ बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मात्र 15-16 लाख बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन लोगों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए आपने क्या क्राइटेरिया अपनाया है? एक तरीका यह हो सकता है कि उनका जन्म प्रमाण पत्र हिंदुस्तान का होना चाहिए। यदि चैक करेंगे तो उनका जन्म प्रमाण पत्र बांग्लादेश का होगा। आप इसे वेरीफाई करें, तभी आप उन लोगों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल सकेंगे।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आपने समय-समय पर माना है कि बंग्लादेश में एंटी इंडिया एक्टीविटीज कैम्प चल रहे

हैं जहां से ट्रैंड होकर लोग हमारे देश में आते हैं। क्या बांग्लादेश उन कैम्प्स को डिस्ट्राय कर रहा है और अगर नहीं कर रहा है, तो आप इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, माननीय सदस्य को यह बात माननी होगी कि जब हम किसी प्रभुसत्ता सम्पन्न देश के साथ बात करते हैं तो हमें उन पर निर्भर होना पड़ता है। मैं उनकी सीमा में घुसकर कैम्पों को नष्ट नहीं कर सकता। यह संभव नहीं है। इसलिए, इस बात को समझना होगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया उन्हें उत्तर देने दें।

श्री प्रणब मुखर्जी: दूसरे, माननीय सदस्य को यह भी पता होना चाहिए कि यह वायदा स्वतंत्र देश द्वारा किया गया था जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी स्वीकार किया गया था, कि जो उस समय के पूर्वी बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान से 24 मार्च, 1971 तक भारत आए थे उन्हें अपने आप भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यदि आप यह कहने लगें कि बांग्ला बोलने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक गैर कानूनी प्रवासी है, तो मैं भी उसी श्रेणी में आ जाऊंगा ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: मैंने ऐसा कभी नहीं कहा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में माननीय मंत्री के उत्तर के सिवाय कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

श्री प्रणब मुखर्जी: इसलिए, हम मान लेते हैं ...*(व्यवधान)*

मैं आंकड़ों के बारे में पहले कह चुका हूं कि "यह अनुमान लगाया गया है।" कोई भी आपको वास्तविक आंकड़े नहीं बता सकता। यदि आपने वास्तविक आंकड़े दिये होते, तो हम ऐसा नहीं करते। ये अनुमान हैं। ये 10 लाख हो सकते हैं; 15 लाख हो सकते हैं; 20 लाख हो सकते हैं ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: लेकिन, महोदय ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में माननीय मंत्री के उत्तर के सिवाय कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री प्रणब मुखर्जी: परन्तु हमें आंकड़ों के इस खेल में नहीं पड़ना है ...*(व्यवधान)* परन्तु बांग्लादेश की सरकार भी इस बारे में मना कर रही है। इसलिए, मैं आशा करता हूं कि हम जो कदम अर्थात भौतिक प्रतिबंध उठा रहे हैं वे बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध होंगे और बांग्लादेश सरकार के सहयोग से हम उन्हें रोक सकेंगे।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वीजा और पासपोर्ट जारी न करना

*487. **श्री अविनाश राय खन्ना:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूतावास और उच्चायोग वर्षों से विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारत लौटने के लिए वीजा और पासपोर्ट जारी नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन्हें वीजा और पासपोर्ट जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों की कोई सूची तैयार की है, जिन्हें ये सुविधाएं नहीं दी जाएंगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जी हां।

(ग) विदेश स्थित हमारे मिशनों द्वारा भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट सुविधाएं शीघ्र और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप प्रदान की जाती है। विदेश में रह रहे भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा भारत लौटने के लिए वीजा प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है। विदेशी राष्ट्रिकता वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को संगत मानदण्डों के अनुरूप शीघ्र वीजा प्रदान किया जाता है।

(घ) और (ङ) देश के हित को देखते हुए उन व्यक्तियों की पृथक सूची रखी जाती है जिन्हें वीजा प्रदान करने से इंकार किया जाना हो अथवा सरकार के पूर्व अनुमोदन से पासपोर्ट अथवा वीजा प्रदान किया जाना हो। पासपोर्ट सुविधा से केवल उन मामलों में इंकार या प्रतिबंधित किया जाता है जो पारपत्र अधिनियम 1967 के संगत उपबंधों के अंतर्गत आते हों अथवा उनके मामलों में जिनमें विदेश में शरण मांगी गई हो/प्राप्त किया गया हो।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान धनराशि का आवंटन

*488. **श्री के.सी. सिंह 'बाबा'**: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदा दृष्टिकोण पत्र को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य और बाल कल्याण हेतु बढ़ायी गयी धनराशि का आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है;

(घ) क्या धनराशि का यह आवंटन इस प्रयोजनार्थ विकासशील देशों में किये जा रहे आवंटनों की तुलना में कम है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार अन्य विकासशील देशों की तुलना में इन क्षेत्रों के आवंटनों में वृद्धि करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथा अनुमोदित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) के दृष्टिकोण पत्र में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए प्रतिवर्ष 9% का विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इस अवधि की समाप्ति तक अर्थव्यवस्था की धारणीय विकास गति को लगभग 10% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र का लक्ष्य कृषि क्षेत्रक में 4% विकास दर हासिल करना है। इस प्रयोजन हेतु ग्रामीण संबद्धता में सुधार, सिंचाई संभाव्यता सृजन को बढ़ाने, जल संभर प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और भू-जल का पुन: उपयोग, विस्तार प्रणाली जो किसानों को विश्वविद्यालयों एवं उत्तम प्रयोगों से जोड़ती है, के पुनरुत्थान आदि पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। दृष्टिकोण पत्र में मूलभूत वास्तविक अवसंरचना के साथ-साथ सभी को स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए क्षेत्रों एवं समुदायों में व्याप्त असमानता को कम करने का उल्लेख किया गया है। दृष्टिकोण-पत्र में इस विकास की समावेशिता को दर्शाते हुए निष्पादन के अन्य आयामों जैसे आय और गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल मुद्दे, अवसंरचना और पर्यावरण के लिए भी मानीटरिंग करने योग्य लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

(ग) ग्यारहवीं योजना हेतु निधियों के आवंटन के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) से (छ) उपरोक्त (ग) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खेल अवसंरचना योजनाएं

*489. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
श्री गणेश सिंह:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों को खेल सुविधाओं के सृजन हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित खेल अवसंरचना योजनाओं के माध्यम से दी जा रही सहायता 1 अप्रैल, 2005 से बंद किये जाने से देश में खेल संबंधी क्रियाकलापों का विकास, विशेषकर सिंथेटिक सरफेस आदि जैसी महंगी अवसंरचना का विकास प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राज्य सरकारें केन्द्र सरकार से सहायता न मिलने के परिणामस्वरूप महंगी लागत वाली खेल अवसंरचना विकास परियोजनाओं में निवेश करने से हिचकिचा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने पिछली योजना के स्थान पर कोई वैकल्पिक योजना/प्रस्ताव तैयार किया है अथवा उस पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) 1.4.2005 से खेल अवस्थापना योजनाओं के राज्य क्षेत्र को हस्तांतरण के बाद बहु लागत परियोजनाओं सहित खेल अवस्थापना का विकास संबंधित राज्य योजनाओं के अनुसार राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए भी यह संभव है कि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के गैर-व्यपगमन संसाधनों के केन्द्रीय पूल में से पूर्वोत्तर परिषद में से फंड ले सकते हैं। तथापि ग्रामीण और शहरी भारत में खेल अवस्थापना की भारी कमी को देखते हुए इस जरूरत की तरफ देखते हुए इस पर दोबारा ध्यान देना आवश्यक है। मंत्रालय मंत्रिमंडल के निर्देश पर एक "समग्र खेल नीति" तैयार कर रहा है।

(ग) नवीनतम बहु-लागत अवस्थापना सहित खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अधिकतम राज्य सरकारों द्वारा सीमित व्यय को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि राज्य के पास सीमित संसाधन हैं, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आने वाली "समग्र खेल नीति" को बनाते समय इस पर ध्यान दिया जाएगा।

(घ) और (ङ) भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल अवस्थापना पूरे देश में फैली हुई है जिसका उपयोग कई खेल कोचिंग और प्रशिक्षण योजनाएं जैसे राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना, भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र योजना, विशेष क्षेत्र खेल योजना, सेना बाल खेल कंपनी और भाखेप्रा उत्कृष्टता केन्द्र चलाने के लिए किया जाता है। वर्तमान में देशभर में 230 केन्द्रों में इन योजनाओं के अंतर्गत लगभग 13000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण व अन्य अपेक्षित वैज्ञानिक सहायता प्रदान की जा रही है।

इसके साथ ही खेल अवस्थापना की कमी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में, को देखते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय देश भर में "पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान" नामक एक योजना आरम्भ करने पर भी विचार कर रहा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर मूलभूत खेल अवस्थापना का विकास करना तथा ग्राम और ब्लाक पंचायत स्तर पर खेल कूद गतिविधियों का संवर्धन करना, युवाओं के विकास के आवश्यक घटक के रूप में तथा खेल प्रतिभा का पता लगाने तथा पोषण करने के व्यापक प्रसार, दोनों के रूप में है। प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए सभी संबंधित पणधारियों से इस संबंध में विचार-विमर्श किया जा रहा है।

[हिन्दी]

नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना

***490. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:**
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में ग्राम पंचायत स्तर पर नशामुक्ति केन्द्रों हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और स्थानवार स्थापित किये जाने वाले नशामुक्ति केन्द्रों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2005-06 के दौरान केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों, विशेषकर मध्य प्रदेश राज्य सरकार, के लिए कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों से भी नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मद्यव्यसनिता एवं मादक पदार्थ (ड्रग्स) के दुरुपयोग के रोकथाम के लिए एक योजना 1986 से कार्यान्वित कर रहा है, 1985-86 से जिसे 1999 में संशोधित किया गया, लेकिन यह स्कीम ग्राम पंचायत के बिना दखल के विभिन्न प्रकार के केन्द्रों और एनजीओ द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, संविधान के भाग-9 की सीमा के बाहर आने वाले राज्यों में कुछ राज्य अधिक प्रभावित राज्यों या क्षेत्रों में आते हैं।

(ख) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से सूचना एकत्रित की जा रही है और बाद में सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) मध्य प्रदेश के संबंध में एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। अन्य राज्यों के बारे में सूचना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पता लगाया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य सरकारों के जरिये प्राप्त किये गये स्वयंसेवी संगठनों के प्रस्तावों पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में विचार किया गया था एवं वर्ष 2005-06 के दौरान विशेषकर, मध्य प्रदेश में दो नशामुक्ति केन्द्र स्थापित किये गये थे जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	स्वयंसेवी संगठनों के नाम	परियोजना स्थान
1.	न्यू प्रताप शिक्षा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश	सिहोर
2.	निवेदिता कल्याण समिति, रीवा, मध्य प्रदेश	रीवा

[अनुवाद]

पाकिस्तान से संबंधित बीजा मानदंड

491. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समझौता एक्सप्रेस में बम विस्फोट की घटना के पश्चात पाकिस्तान संबंधी बीजा मानदंडों में कोई परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परिवर्तनों को कब तक लागू किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) दिल्ली-अटारी एक्सप्रेस में विस्फोट के बाद सरकार द्वारा वीजा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तथापि, सरकार ने उपर्युक्त घटना में मृतकों और घायलों के रिश्तेदारों के वीजा शीघ्र जारी करने को सुसाध्य बनाया है। मौजूदा वीजा व्यवस्था को उदार बनाने के लिए एक नए वीजा करार पर पाकिस्तान के साथ अक्तूबर, 2005 से विचार-विमर्श चल रहा है।

''सार्क'' सम्मेलन

***492. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 14वां 'सार्क' सम्मेलन हाल ही में 3-4 अप्रैल, 2007 को नई दिल्ली में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में चर्चा किये गये मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) इस अवसर पर किन-किन द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये;

(घ) क्या इस सम्मेलन में कुछ देश प्रेक्षक के रूप में उपस्थित थे; और

(ङ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है तथा सम्मेलन में उन्होंने क्या विचार प्रस्तुत किए तथा सुझाव दिए?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ङ) चौदहवां सार्क शिकर सम्मेलन 3-4 अप्रैल, 2007 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चौदहवें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान किये गये विचार-विमर्शों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

* इतिहास में पहली बार सार्क ने अपनी सदस्यता का विस्तार करते हुए आठवें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान का स्वागत किया। पुन: पहली बार इस क्षेत्र से बाहर के पांच पर्यवेक्षकों-चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, अमरीका और यूरोपीय संघ ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में ईरान को भी यही पद प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

* शिखर सम्मेलन में एक व्यापक और प्रगतिशील घोषणा पारित की गयी जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें एक-दूसरे के साथ जुड़ी दक्षिण एशिया, जिसमें लोगों, सामानों, सेवाओं और विचारों की मुक्त आवाजाही हो, के लिए सार्क राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के सामूहिक विजन पर बल दिया गया।

* वातावरण के लिहाज से यह सबसे निर्विघ्न, सबसे विवाद रहित शिखर सम्मेलन था। राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों, मंत्रियों की परिषद और वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य की इच्छाओं की अभिव्यक्ति सहित पर्यवेक्षकों की उच्च स्तरीय उपस्थिति सभी इस बात के साक्ष्य हैं कि इसे न सिर्फ इस क्षेत्र के भीतर बल्कि इसके बाहर भी मान्यता मिली।

* इस बात को स्वीकार किया गया कि अपनी स्थापना के तीसरे दशक में सार्क को घोषणात्मक दौर से क्रियान्वयन के दौर में ले जाने की आवश्यकता है। सार्क को सहयोगी परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर बल देना चाहिए जिससे कि इस क्षेत्र के लोगों को ठोस लाभ मिल सके। इस संदर्भ में सार्क देशों ने सार्क विकास कोष (एसडीएफ) का कार्य आरंभ किये जाने पर अपनी वचनबद्धता व्यक्त की।

* अंतर-क्षेत्रीय संपर्क, विशेष रूप से भौतिक, आर्थिक और लोगों से लोगों के बीच संपर्कों में सुधार लाने पर सहमति हुई। एक समन्वित क्षेत्रीय बहु-माडल परिवहन प्रणाली के पूर्ण लाभों की पहचान की गयी। यह सहमति हुई कि सार्क क्षेत्रीय बहु-माडल परिवहन अध्ययन को अफगानिस्तान तक बढ़ाया जाएगा। यह भी सहमति हुई कि संपर्क में सुधार लाने के लिए पायलट परियोजनाओं की पहचान की जाए और उन्हें क्रियान्वित किया जाए।

* शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय और सार्क खाद्य बैंक की स्थापना से संबंधित दो करारों पर हस्ताक्षर किये गये। यह खाद्य बैंक आपातकाल और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में इस क्षेत्र की खाद्य की कमी से सामूहिक रूप से निपटाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग का एक अनुकरणीय उदाहरण है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय को संपूर्ण क्षेत्र के लिए उच्च शिक्षा के उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

* इस बात पर पूर्ण सहमति थी कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र करार (साफ्टा) को इसकी मूल भावना में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। पूर्ण क्षमताएं प्राप्त करने के लिए साफ्टा में सेवाओं के व्यापार को शामिल किया जाना चाहिए। व्यापार को सुविधाजनक बनाने से संबंधित उपायों के महत्व पर भी बल दिया गया।

* सार्क देश अन्य बातों के साथ-साथ गरीबी उपशमन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, जल, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, व्यापार एवं परिवहन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर्यटन शिक्षा, संस्कृति और आतंकवाद प्रतिरोध के क्षेत्रों में एक कार्य योजना बनाने के लिए मिलकर कार्य करने के लिए सहमत हुए।

* क्षेत्रीय संपर्क विस्तार के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में लोगों से लोगों के बीच संपर्क के महत्व पर बल दिया गया।

* सार्क देशों ने आतंकवाद का मुकाबला करने के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की और आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता से संबद्ध करार को अंतिम रूप देने की दिशा में कार्य करने के भारत के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।

गांवों में मोबाइल फोन सेवा

***493. श्री दुष्यंत सिंह:**
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी गांवों को नवंबर, 2008 तक मोबाइल फोन सेवा से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मोबाइल फोन सेवा का विस्तार सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सभी गांवों, विशेषकर राजस्थान के गांवों, को यह सुविधा कब तक प्रदान की जाएगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा एक स्कीम आरंभ की गई है, जिसकके अंतर्गत उन विनिर्दिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों, जहां अभी कोई फिक्स्ड बेतार अथवा मोबाइल सुविधा मौजूद नहीं है, में फिक्स्ड/मोबाइल टर्मिनलों का इस्तेमाल करके वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) जैसी अन्य बेतार अभिगम सेवाओं सहित मोबाइल सेवाएं प्रदान करने हेतु देश के 81 संकुलों (क्लस्टर्स) में फैले हुए 500 से अधिक जिलों में 7871 अवसंरचना स्थल स्थापित करने और इनका प्रबंधन करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। देश के विनिर्दिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले टावरों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) यह उम्मीद है कि वर्ष 2008 तथा 2009 में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित अतिरिक्त टावरों से वर्ष 2010 तक सभी गांवों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

विवरण

देश के विनिर्दिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले टावरों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	टावरों की संख्या	प्रस्तावित टावरों से सुविधा प्राप्त करने वाले गांवों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	22	581	9081
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	62	936

1	2	3	4	5
3.	असम	20	90	3118
4.	बिहार	37	489	23586
5.	छत्तीसगढ़	16	560	10929
6.	गुजरात	04	66	822
7.	हरियाणा	08	14	273
8.	हिमाचल प्रदेश	11	295	5653
9.	जम्मू-कश्मीर	12	178	2150
10.	झारखंड	18	305	12529
11.	कर्नाटक	26	427	9309
12.	केरल	11	46	140
13.	मध्य प्रदेश	45	985	24505
14.	महाराष्ट्र	33	1017	18520
15.	मणिपुर	09	95	695
16.	मेघालय	07	102	2803
17.	मिजोरम	08	71	361
18.	नागालैंड	07	56	474
19.	उड़ीसा	30	432	15930
20.	पंजाब	03	13	501
21.	राजस्थान	32	411	10839
22.	सिक्किम	03	08	87
23.	तमिलनाडु	27	371	6430
24.	त्रिपुरा	04	147	655
25.	उत्तर प्रदेश	66	666	36767
26.	उत्तरांचल	13	217	8086
27.	पश्चिम बंगाल	16	167	9125
	देशव्यापी जोड़	500	7871	212304

[हिन्दी]

सड़कों की गुणवत्ता की जांच के लिए समिति

***494. श्री चन्द्रभान सिंह:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि की धनराशि से निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता की जांच के लिए एक दल/समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दल/समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो निरीक्षण रिपोर्ट का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) केन्द्रीय सड़क निधि स्कीम से राज्यीय सड़कों के सुधार के प्रस्ताव इस मंत्रालय द्वारा केवल प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किये जाते हैं तथा उनके निष्पादन और विनिर्देशों के अनुसार कार्यों की गुणता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र जिम्मेदार होते हैं। इस मंत्रालय ने ऐसी सड़कों की गुणता की जांच के लिए किसी दल अथवा समिति का गठन नहीं किया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना

***495. श्रीमती किरण माहेश्वरी:**
श्री गिरधारी लाल भार्गव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना किये जाने संबंधी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस फाउंडेशन का विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान क्षेत्र के अनुसंधान संगठनों के वर्तमान नेटवर्क के साथ प्रस्तावित संबंध क्या है; और

(घ) विभिन्न संगठनों तथा इस फाउंडेशनों के अधिदेशों की किसी संभावित परस्पर व्याप्ति से सरकार का किस प्रकार से बचने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) सरकार को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) की "राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन" से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग को उनकी टिप्पणियों के लिए भिजवाया गया है।

(ग) राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन के उद्देश्य हैं:

* पारंपरिक विषयों से भिन्न क्षेत्रों पर जोर देते हुए प्राकृतिक, भौतिक, कृषि, स्वास्थ्य और सामाजिक विज्ञान के सभी क्षेत्रों में सृजन और नये ज्ञान के उपयोग में भारत को अग्रणी बनाने के लिए नीतिगत पहल करने का सुझाव देना।
* यह सुनिश्चित करना कि हमारे लोगों की बेहतरी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाए।
* एक वैज्ञानिक सोच विकसित करना।

(घ) भारत सरकार के निर्णय में सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान घरेलू बचत

***496. श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुई दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में घरेलू बचत की दर में कई गुणा वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान घरेलू बचत की दर का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में बचत की दर का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ), से उपलब्ध नवीनतम अनुमानों के अनुसार घरेलू बचत दर जो वर्ष 2002-03 (दसवीं योजना का आधार वर्ष) में 26.4% थी, वर्ष 2005-06 (दसवीं योजना का उपान्तिम वर्ष) में 32.4% हो गई थी। वर्ष 2006-07 (दसवीं योजना का अंतिम वर्ष) के लिए बचत दर का डाटा उपलब्ध नहीं है।

(ख) दसवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान घरेलू बचतों की दर का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है।

सकल घरेलू बचतों की क्षेत्रक-वार दर (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

क्र.सं.	क्षेत्रक	नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)	दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07)*
1.	घरेलू क्षेत्रक	20.3	22.6
2.	निजी निगमित क्षेत्रक	4.1	6.3
3.	सार्वजनिक क्षेत्रक	-1.0	1.4
4.	सकल घरेलू बचतें	23.3	30.2

*दसवीं योजना के पहले चार वर्षों अर्थात 2002-03 से 2005-06 के लिए औसत।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 2002-03 से 2005-06 के दौरान 30.2% की घरेलू बचत दर सार्वजनिक क्षेत्रक में 1.4% बचत और गैर-सरकारी क्षेत्रक में 28.8% बचत से संघटित है।

सी.बी.आई. छापे/जांच

***497. श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन माह के दौरान देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मारे गये छापों और की गई जांच के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान सी.बी.आई. ने देश के विभिन्न भागों में आयकर अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों पर छापे मारे हैं और बड़ी मात्रा में चल और अचल संपत्ति का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में सी.बी.आई. और विभागीय सतर्कता संगठनों को और अधिक सशक्त बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 1.1.2007 से 31.3.2007 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में 115 मामलों में तलाशियां संचालित की है।

(ख) और (ग) इन 155 मामलों में से 4 मामले आयकर अधिकारियों द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति रखे जाने से संबंधित थे। इस स्तर पर की गई जब्तियों/वसूलियों के ब्यौरे का खुलासा समुचित नहीं होगा क्योंकि इससे जांच में व्यवधान हो सकता है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा विभागीय सतर्कता संगठनों को मजबूत बनाने के लिए पहले ही कई उपाय किये गये हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम का अधिनियमन, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की अवसंरचना का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का क्षमता निर्माण, केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति और सतर्कता गतिविधियों के लिए वार्षिक कार्य योजनाओं की संरचना तथा कार्यान्वयन शामिल हैं।

[अनुवाद]

पासपोर्ट जारी करने के लिए नए मार्ग-निर्देश

***498. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:**
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पासपोर्ट जारी करने संबंधी मार्ग-निर्देशों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो किये गये संशोधन का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनसे पासपोर्ट को शीघ्रतापूर्वक जारी करने में कितनी सहायता मिली है; और

(घ) अब पासपोर्ट जारी करने में औसतन कितना समय लगता है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) पासपोर्ट जारी करने के संबंध में संशोधित दिशानिर्देशों पर एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) इन दिशानिर्देशों से पासपोर्ट आवेदकों को पासपोर्टों को जारी करना आसान और अपेक्षाकृत अधिक शीघ्र हो गया है। पासपोर्ट जारी करने में अब औसतन 30 दिन का समय लगता है जो अनिवार्य औपचारिकताओं के पूर्ण होने के अध्यधीन है।

विवरण

पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को अपेक्षाकृत सरल बनाने के उद्देश्य से 23 दिसंबर 2006 से कई निर्णय लिये गये हैं।

नई योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. पासपोर्ट जारी/पुन: जारी करने संबंधी संशोधित नियम

वर्तमान में पासपोर्ट सामान्य और तत्काल श्रेणियों में जारी किये जाते हैं-(1) इस श्रेणी के अंतर्गत, पासपोर्ट स्पष्ट पुलिस सत्यापन की प्राप्ति पर जारी किये जाते हैं और (2) तत्काल योजना के अंतर्गत 10 वर्ष के लिए वैध पासपोर्ट पैरा 2(ख) में निर्दिष्ट प्राधिकारियों से प्राप्त किये गये सत्यापन प्रमाणपत्र के आधार पर और यदि आवेदक 1-7 दिन के भीतर पासपोर्ट प्राप्त करना चाहता है (पूर्व में 1-10 दिन के स्थान पर) तो 1500 रु. के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने पर और यदि आवेदक 8-14 दिन में पासपोर्ट प्राप्त करना चाहता है (पूर्व में 11-20 दिन के स्थान पर) तो 1000 रु. के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने पर जारी किया जाता है।

तत्काल योजना के अंतर्गत पासपोर्ट इस आधार पर जारी किये जाते हैं कि पुलिस सत्यापन बाद में किया जाएगा।

अथवा

2(क) में दिए गए निम्नलिखित 14 दस्तावेजों की सूची में से तीन दस्तावेज जमा करने पर, बशर्ते कि तीन में से एक दस्तावेज फोटो पहचान दस्तावेज हो और तीन में से कम से कम एक निम्नलिखित (क) से (झ) में से, और (ii) एक नोटरी द्वारा यथोचित रूप से साक्ष्यांकित मानक शपथ पत्र हो:

2(क) 14 दस्तावेजों की सूची:

(क) मतदाता पहचान पत्र

(ख) राज्य/केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय अथवा, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र

(ग) अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र

(घ) स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र

(ङ) शस्त्र लाइसेंस

(च) संपत्ति के कागजात जैसे पट्टा, पंजीकरण प्रलेख इत्यादि।

(छ) राशन कार्ड।

(ज) पेंशन के कागजात जैसे पूर्व सैनिक की पेंशन पुस्तिका/ पेंशन भुगतान आदेश, पूर्व सैनिक की विधवा/अभिसाक्षी प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश।

(झ) रेलवे पहचान पत्र

(ञ) आयकर पहचान (पैन) पत्र

(ट) बैंक/किसान/डाकघर पासबुक

(ठ) मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं से जारी छात्र पहचान पत्र

(ड) ड्राइविंग लाइसेंस

(ढ) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के अंतर्गत जारी जन्म प्रमाण पत्र

2(ख) सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की सूची

(क) भारत सरकार में अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव/विशेष सचिव/सचिव/मंत्रिमंडल सचिव;

(ख) राज्य सरकार में निदेशक/संयुक्त सचिव/अतिरिक्त सचिव/ विशेष सचिव/मुख्य सचिव;

(ग) आवेदन के निवास के जिले के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट/ प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त डीएम/जिलाधीश

(घ) आवेदन के आवास के जिले के जिला पुलिस अधीक्षक, डीआईजी/आईजी/डीजीपी;

(ङ) सेना में मेजर और उससे ऊपर, नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर और उससे ऊपर, वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर;

(च) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के महाप्रबंधक;

(छ) अखिल भारतीय सेवा अथवा केन्द्रीय सेवा का कोई सदस्य जो सरकार के अवर सचिव के समकक्ष हो अथवा 10,000-15,200 अथवा इससे ऊपर के वेतमान में हो;

(झ) उस आवेदक के लिए संबंधित तहसीलदार अथवा थाना प्रभारी जिसके कार्यक्षेत्र में वह रह रहा हो; और

(ञ) कंपनियों के उन स्वामियों, भागीदारों अथवा निदेशकों के लिए शीर्ष व्यापारिक संगठनों जैसे फेडरेशन आफ इंडियन कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), कन्फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सी.आई.आई.) और एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचेम) के अध्यक्ष जो संबंधित चैम्बर के सदस्य हों।

2(ग) प्रक्रियानुसार तत्काल वर्गों के अंतर्गत आने वाले पासपोर्ट पुलिस सत्यापन रिपोर्ट आने से पूर्व जारी किये जायेंगे। पुलिस प्राधिकारियों से तीन महीने की अवधि के भीतर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया जाएगा। यदि इस अवधि के बीच कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती अथवा सही रिपोर्ट प्राप्त होती है तो पासपोर्ट को सामान्य अवधि के लिए जारी रहने दिया जाएगा। तथापि पासपोर्ट जारी करने के पश्चात किसी अवस्था में यदि प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है तो पासपोर्ट जारी करने वाला प्राधिकारी (पी.आई.ए.) पासपोर्ट जब्त कर लेगा और पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करेगा। सभी तत्काल वर्गों में तत्काल शुल्क उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित के अनुसार देय होगा। तत्काल योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले किसी आवेदक द्वारा तात्कालिकता प्रमाण पत्र जमा करना अपेक्षित नहीं होगा। तत्काल योजना के अंतर्गत पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए तीनों में से कोई भी दस्तावेज अथवा सत्यापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर सकने वाले आवेदकों को पासपोर्ट पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के पश्चात जारी किया जाएगा।

2(घ) ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें आवेदक के पास सत्यापन प्रमाणपत्र हो और/अथवा पैरा 2(क) में यथा निर्धारित तीन दस्तावेज हों, किंतु वह तत्काल के अंतर्गत अपेक्षित शुल्क का भुगतान नहीं करना चाहता/चाहती हो। ऐसे मामलों में पासपोर्ट अधिकारी इस आधार पर 30 दिनों के भीतर पासपोर्ट जारी करेंगे कि पुलिस सत्यापन बाद में किया जाएगा। आवेदक को मानक शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

3. सरकारी सेवा और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के उन कर्मचारियों और उनके परिवार के निकटतम सदस्यों (केवल पत्नी और आश्रित नाबालिग बच्चे) को बिना किसी पूर्व अथवा पश्च पुलिस सत्यापन के दस वर्ष के लिए वैध पासपोर्ट जारी किया जा सकता है जिनकी पहचान विभागाध्यक्ष, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अध्यक्ष अथवा इस प्रयोजनार्थ विधिवत प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में प्रमाणित की गई हो।

4. उपर्युक्त पैरा 2 (ख) और 3 में उल्लिखित वर्गों के संबंध में आवश्यक प्रमाणपत्र प्रमाणकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से प्रमाणकर्त्ता प्राधिकारी का पूरा नाम, पद और पता इंगित करते हुए दो प्रतियों में दिया जाएगा। इस प्रकार दी गई एक प्रति पासपोर्ट जारी करने के उपरांत पासपोर्ट कार्यालय द्वारा डाक से प्रमाणकर्त्ता प्राधिकारी को लौटा दी जाएगी। यदि इस प्रकार सूचित किये गये प्राधिकारी से फर्जी प्रमाणपत्र प्राप्त होने का कोई संकेत मिलता है तो प्रश्नगत पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत धारक के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट बाद में प्राप्त होने के आधार पर पासपोर्ट से पूर्व अनिवार्यत: नेट (परी.आई.एस.ओ.एन.) पर पासपोर्ट सूचना सेवा और प्रत्येक मामले में पूर्व अनुमोदित वर्ग (पी.ए.सी.) की जांच करेंगे।

5. इसके अतिरिक्त नए पासपोर्ट को जारी करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान आवेदकों के संगत वर्गों. के मामले में लागू होंगे:

(क) नाबालिग: 18 वर्ष तक के आवेदक के मामले में पासपोर्ट जारी करने से पूर्व अथवा पश्चात किये जाने वाले पुलिस सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। तथापि, नाबालिग आवेदकों के सभी मामलों में, माता पिता की सहमति देने की आवश्यकता होगी। पहचान के उद्देश्य से ऐसे नाबालिग आवेदक निम्नलिखित प्रस्तुत करेंगे:

(i) माता-पिता/वैध अभिभावकों के वैध पासपोर्ट सहित उनके माता-पिता होने का उपयुक्त प्रमाण और माता-पिता की ओर से निर्धारित शपथ पत्र

अथवा

(ii) माता-पिता में से एक की पहचान को स्थापित करने के लिए पैरा 2(क) के अनुसार माता-पिता के मामले में तीन दस्तावेज, और उसके माता-पिता होने के उपयुक्त प्रमाण और माता-पिता की ओर से मानक शपथ-पत्र।

18 वर्ष की आयु के नाबालिग आवेदकों के मामले में, चेहरे में निरन्तर परिवर्तन के कारण एक बार में पांच वर्ष की अवधि के लिए पासपोर्ट जारी किया जाता है।

(ख) पुन: जारी किये जाने के मामले: तत्काल योजना के अंतर्गत 1500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके तीन कार्य दिवसों के अंतर्गत 10 वर्षों की अवधि के लिए पासपोर्ट नवीकृत/पुन: जारी किये जाएंगे। दूसरी ओर, पासपोर्ट आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिकतम 15 दिनों की अवधि के भीतर 1000 रुपए का सामान्य शुल्क का भुगतान करके 10 वर्षों की अवधि के लिए पासपोर्ट नवीकृत/पुन: जारी किये जाएगें। इसके अलावा पीआईए के नोटिस में आवेदक के विरुद्ध कुछ प्रतिकूल न होने पर पासपोर्ट के नवीकरण/पुन: जारी करने के लिए कोई पुलिस सत्यापन अपेक्षित नहीं होगा। आवेदक के पते में किसी परिवर्तन की दशा में केवल नवीनतम पता सूचित करने वाले दस्तावेज पर बल दिया जाएगा।

केवल पते में परिवर्तन के लिए पुलिस सत्यापन आवश्यक नहीं होगा। आवेदक की शारीरिक बनावट में कोई मुख्य परिवर्तन होने की दशा में, नया पासपोर्ट जारी करने के लिए, यथास्थिति उपरोक्त पैरा 1-3 में सूचीकृत किसी एक प्रक्रिया का पालन आवेदक की पहचान को स्थापित करने के लिए किया जाएगा। कोई आवेदक वैधता अवधि समाप्त हो गये/समाप्त होने वाले पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट की वैधता अवधि समाप्त होने के तीन वर्ष बाद और एक वर्ष पूर्व नये पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है।

पुराने पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने के बाद तीन वर्षों के पश्चात नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के मामले में उपर्युक्त यथस्थिति पैरा 1-3 में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

(ग) डुप्लिकेट पासपोर्ट: इस मामले में यदि पासपोर्ट जारीकर्त्ता प्राधिकारी के ध्यान में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, गुमशुदा पासपोर्ट के बदले में आवेदक को 10 वर्षों की अवधि के लिए डुप्लिकेट पासपोर्ट जारी किया जाएगा बशर्ते कि पासपोर्ट के गुम होने के संबंध में पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हो और आवेदक के ब्यौरे गुम हुए पासपोर्ट की फाइल में दिये गये ब्यौरे के साथ पीआईएसओएन/पीएसी प्रणाली में मेल खाता हो। ऐसे मामलों में कोई पूर्व/पश्च जारी पुलिस सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। गुम पासपोर्ट से संबंधित परिपत्रों को तत्काल जारी किया जायेगा और क्षतिग्रस्त/रद्द/जब्त/गुम (डीआरआईएल) पासपोर्ट की पीआईएसओएन प्रणाली में प्रविष्टियां की जाएगी।

(घ) कंपनियकों के उन स्वामियों, भागीदारों अथवा निदेशकों जो संबंधित चैम्बर के सदस्य हों, के लिए शीर्ष व्यापारिक संगठनों जैसे फेडरेशन आफ इंडियन कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), कन्फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सी.आई.आई.) और एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचेम) के अध्यक्ष सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करेंगे। इन सत्यापन प्रमाण पत्रों और मानक शपथ-पत्र के आधार पर इन आवेदकों को बाद में पुलिस सत्यापन किये जाने के अध्यधीन 10 वर्षों के लिए पासपोर्ट जारी किये जाएंगे।

साइबर सुरक्षा उपाय

***499. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग से साइबर सुरक्षा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विकसित देशों की स्थिति की तुलना में भारत में 'नेट ट्रैफिक' की सुरक्षा का स्तर क्या है;

(घ) क्या महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठन वायरस के हमले से पूरी तरह सुरक्षित हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकारी 'साइटों' और महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणाली (आईएसएमएस) प्रयोक्ता समूह द्वारा एकत्रित सूचना के अनुसार, भारत अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आईएसओ) द्वारा निर्धारित साइबर सुरक्षा मानकों को अपनाने के मामले में जापान तथा ग्रेट ब्रिटेन के बाद तीसरे स्थान पर है। देश के संगठन क्रमश: साइबर सुरक्षा से संबंधित अपेक्षाओं के बारे में जागरुक हो रहे हैं। अत: अधिकाधिक संगठन सुरक्षा से संबंधित सर्वोत्तम प्रक्रियाएं अपना रहे हैं और अपनी कम्प्यूटर प्रणालियों तथा नेटवर्कों को नेट पर संव्यवहार करते समय उनकी सुरक्षा के लिए अद्यतन तकनीकी जानकारी के उपकरणों/उपस्करों का प्रयोग कर रहे हैं।

(घ) से (च) महत्वपूर्ण मूलसंरचना के संरक्षण से संबंधित नीति लागू है। इस नीति का उद्देश्य सरकार तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों तथा नेटवर्कों की सुरक्षा में सुधार करने तथा आवधिक जोखिम मूल्यांकन के जरिए सत्यापन करने और तृतीय पक्षकार परीक्षण संगठनों द्वारा वार्षिक परीक्षण करने से संबंधित सुविधाएं प्रदान करना है।

उपर्युक्त सुरक्षा नीति के समर्थन में, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) ने संगठनों को अपनी सूचना प्रौद्योगिकी मूलसंरचना तथा सूचना प्रणालियों का जोखिम मूल्यांकन, नेटवर्क में अनाधिकार प्रवेश तथा संवेदनशीलता के मूल्यांकन की दृष्टि से परीक्षण करने में सहायता करने के लिए 55 सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा परीक्षकों का एक पैनल तैयार किया है।

गैर-एक्सचेंज लाइनों के जरिए कनेक्शन

***500. श्री मधुसूदन मिस्त्री:**
श्री अनन्त नायक:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जिलों और तालुकाओं में होरिजोन्टल कार्यालयों को गैर-एक्सचेंज लाइनों के माध्यम से जोड़ने का है जिनका भविष्य में और आगे गांवों तक विस्तार किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) बीएसएनएल द्वारा देश के सभी गांवों में उपग्रहों के माध्यम से टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) इस संबंध में अभी तक राज्य-वार क्या प्रगति हुई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) और (ख) सरकारी दूरसंचार प्रचालक, भारत संचार निगम लिमिटेड राज्य सरकारों के विशिष्ट अनुरोध पर और व्यवहार्यता के अनुसार जिलों और तालुकों के कार्यालयों को और आगे गांवों को जोड़ने के लिए पट्टेशुदा लाइनें प्रदान करता है।

(ग) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि प्रशासन और बीएसएनएल के बीच हुए करार के अनुसार कंपनी नवम्बर, 2007 तक उपग्रह आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 1483 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के समीप सिकंदराबाद भू केन्द्र में हब उपस्कर संस्थापित किया जा रहा है। उपस्कर के परीक्षण का कार्य चल रहा है। अंतरिक्ष विभाग द्वारा ट्रांसपोंडर आवंटित किये जाने तथा संबंधित गांवों में डिजीटल सेटेलाइट फो टर्मिनलों के अभिरक्षकों की पहचान होने के बाद नेटवर्क का राल आठट किया जाएगा।

विवरण

सेटेलाइट फोन टर्मिनलों (डीएसपीटी) के माध्यम से गांवों की उपग्रह आधारित कवरेज

गांवों की उपग्रह आधारित कवरेज की राज्य-वार योजना

क्र.सं.	राज्य का नाम	डीएसपीटी की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	115
2.	असम	279
3.	झारखंड	1694
4.	हिमाचल प्रदेश	275
5.	जम्मू-कश्मीर	465
6.	मध्य प्रदेश	443
7.	छत्तीसगढ़	88
8.	महाराष्ट्र	483
9.	गोवा	13
10.	मेघालय	500
11.	मिजोरम	20
12.	त्रिपुरा	58
13.	नागालैंड	16
14.	मणिपुर	730
15.	अरुणाचल प्रदेश	543
16.	उड़ीसा	4899
17.	राजस्थान	18
18.	उत्तरांचल	3544
	कुल	14183

कैंसर के मामले

***501. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:**
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैंसर संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी (आई.ए.आर.सी.) ने उल्लेख किया है कि कैंसर के पता लगाए गए मामलों की संख्या के वर्ष 2000 और 2030 के बीच दुगुना हो जाने की संभावना है, जैसाकि दिनांक 4 अप्रैल, 2007 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें उल्लिखित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने आई.ए.आर.सी. की रिपोर्ट की जांच की है; और

(घ) देश में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के उपचार के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान अभिकरण (आईएआरसी) ने कहा है कि 2000-2030 के बीच निदान किये गये कैंसर रोगियों की संख्या दुगुनी से अधिक हो जाएगी। वर्ष 2000 में विश्व भर में निदान किये गये कैंसर के 11 मिलियन नए रोगी, कैंसर से हुई 7 मिलियन मौतें और कैंसर से पीड़ित 25 मिलियन लोग थे। अभिकरण आशा करता है कि वर्ष 2030 तक वार्षिक आधार पर रोग पीड़ित 27 मिलियन लोगों का निदान कर लिया जाएगा, 17 मिलियन इस रोग से मर जाएंगे और 75 मिलियन लोग कैंसर से पीड़ित होंगे।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की संशोधित योजना के अनुसार अब स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देकर, जागरूकता पैदा करके कैंसर का शुरू में पता लगाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकारी मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में रेडियोथिरेपी यूनिट स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन विगत वर्षों में विकसित किये गये 25 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों द्वारा संबंधित क्षेत्रों/राज्यों में कैंसर का पता लगाने संबंधी व्यापक जांच सुविधाएं प्रदान की जाती है। गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को कैंसर के उपचार के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि से भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 11वीं योजना के दौरान कैंसर का शुरू में पता लगाने और उसके उपचार के लिए जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम का विस्तार करने और मौजूदा क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों का उन्नयन करके, अधिक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र सृजित करके, देश भर में गुणवत्तायुक्त कार्मिकशक्ति तथा उपचार सुविधाएं तैयार करने की दृष्टि से कैंसर उपचार केन्द्रों की स्थापना करके अवसंरचना का सृजन करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

[हिन्दी]

ज्ञान आधारित परीक्षा

4605. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्रैक्टिस कर रहे सभी चिकित्सकों के लिए कान्टिन्यूइंग मेडिकल एजूकेशन (सीएमई) योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र में हो रहे विकास से अद्यतन करने के लिए ज्ञान आधारित परीक्षा में बैठना अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) डाक्टरों के लिए ज्ञान आधारित परीक्षा में बैठना अनिवार्य करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनरों को सतत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए एक स्कीम कुछ समय से लागू है।

[अनुवाद]

गैर-कोर क्षेत्र में बकाया राशि

4606. श्री जोवाकिम बखला: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 31 दिसंबर, 2006 की स्थिति के अनुसार रेलवे के माध्यम से कोयले की आपूर्ति के कारण गैर-कोर क्षेत्र में कोई राशि बकाया रखी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त राशि कब से बकाया रखी गई;

(घ) क्या 31 दिसम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार कोई राशि बट्टे खाते डाली गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार रेलवे के माध्यम से कोयले की आपूर्ति के कारण नान-कोर क्षेत्र में 66.49 लाख रु. की राशि बकाया रखी गई है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल) की 47.34 लाख रु. की राशि 15 वर्षों से अधिक की अवधि से बकाया है और भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) के 19.05 लाख रु. वर्ष 1994 से बकाया है और लिंक्ड उपभोक्ता की यूनिट के बंद होने अथवा इस तथ्य के कारण कि मामला न्यायिक विचाराधीन है, ये लंबित हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नए सी.जी.एच.एस. औषधालयों का निर्माण

4607. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में नए सी.जी.एच.एस. औषधालय निर्माणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ औषधालयों का निर्माण रोक दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) दिल्ली में निर्माणाधीन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का स्थानवार ब्यौरा इस प्रकार है:

1. शालीमार बाग
2. योजना विहार
3. दिलशाद गार्डन
4. गाजियाबाद

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 2006-07 के दौरान संसाधनों की तंगी के कारण निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन जारी नहीं किया जा सका।

माइटोकोंड्रियल डीएनए

4608. श्री वाडिगा रामकृष्णा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माइटोकोंड्रियल डी.एन.ए. म्यूटेशन जनित बीमारियां लाइलाज हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले प्रतिवर्ष रिपोर्ट किये गये;

(ग) क्या सीसीएमबी, हैदराबाद ने माइटोकोंड्रियल डीएनए से जनित बीमारियों के संबंध में जागरूकता लाने के लिए इंडियन माइटोकोंड्रियल सोसाइटी की स्थापना की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) यह डाटा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार सी.सी.एम.बी., हैदराबाद ने माइटोकोन्ड्रियल विकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने और माइटोकोन्ड्रियल विकारों के निदान हेतु संभव विधियों और रोगियों के लिए एक उपयुक्त चिकित्सा का पता लगाने के उद्देश्य से इंडियन सोसाइटी फार माइटोकोन्ड्रियल रिसर्च एंड मेडीसिन को स्थापित किया है।

रेल द्वारा भेजा गया कोयला

4609. श्री सुव्रत बोस: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल द्वारा भेजे गये कोयले का प्रतिशत क्या था जिसे 2005-06 तथा 2006-07 में इलेक्ट्रानिक धर्मकांटा पर तौला गया था; और

(ख) कितने प्रतिशत कोयला तोला नहीं गया तथा कम प्राप्तियों के कारण प्रति टन कितने रुपए की कटौती की गई?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान इलेक्ट्रानिक तोलसेतुओं पर तोले गये तथा कोल इंडिया स्रोतों से रेल द्वारा प्रेषित कोयले की प्रतिशतता क्रमश: 97.67% और 98.37% थी।

(ख) 2005-06 तथा 2006-07 में रेल द्वारा प्रेषित बिना तोले कोयले का प्रतिशत क्रमशः 2.33% और 1.63% है। 2005-06 में कम प्राप्ति के लिए 0.76 रुपये प्रति टन तथा 2006-07 के दौरान 0.21 रुपए प्रति टन की कटौती की गई।

अंतर्राष्ट्रीय धनादेश

4610. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय धनादेश योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसको कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) महोदय, डाक विभाग विभिन्न देशों के साथ कई वर्षों से पेपर मनीआर्डर सेवाएं प्रदान कर रहा है। अब डाक विभाग धन के त्वरित पारेषण के लिए इलेक्ट्रानिक अंतर्राष्ट्रीय मनीआर्डर सेवा शुरू करने के बारे में जांच कर रहा है।

(ख) भारतीय डाक की 27 देशों से अंतर्राष्ट्रीय मनीआर्डर सेवाएं हैं जिसके माध्यम से इन देशों से मनीआर्डर प्राप्त कर सकते हैं। जावक मनीआर्डर सेवा नेपाल और भूटान के लिए उपलब्ध है। प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक अंतर्राष्ट्रीय मनीआर्डर सेवा संबंधी ब्यौरे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) अभी निर्णय लिया जाना शेष है।

पूर्वोत्तर हेतु आर्थिक सुधार

4611. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं योजना अवधि के दौरान आर्थिक विकास की गति देश के सभी क्षेत्रों में संतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो आर्थिक सुधारों ने पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास की संभावना को किस सीमा तक बढ़ावा दिया है;

(ग) क्या ग्यारहवीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु नई रणनीति अपनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) दसवीं योजना अवधि के लिए औसत विकास का अनुमान लगभग 7.2% होने का लगाया गया है। यद्यपि, यह दसवीं योजना के 8% के लक्ष्य से कम है, फिर भी यह किसी अन्य योजना अवधि में प्राप्त की गई विकास दर की तुलना में उच्चतम है। दसवीं योजना अवधि के दौरान उद्योग क्षेत्रक के लिए अनुमानित विकास 8.3% है जबकि इसका लक्ष्य 8.86% का था। सेवा क्षेत्रक में 9.35% के लक्षित विकास की तुलना में अनुमानित विकास 9% है। तथापि, योजना अवधि के दौरान कृषि क्षेत्रक में विकास में गति नहीं देखी गई और यह 4% के लक्षित विकास की तुलना में लगभग 1.7% रहा।

राज्यों के विकास की गति में विषमताएं और असंतुलन भी विद्यमान हैं। उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा का निष्पादन अच्छा रहा। तथापि, पूर्वोत्तर के शेष पांच राज्यों का निष्पादन संभावना के अनुरूप नहीं रहा।

11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव में पूर्वोत्तर की विशेष समस्याओं जैसे इसकी भौगोलिक अवस्थिति, वास्तविक अवसंरचना की अपर्याप्तता, उद्यमशीलता के न्यून स्तर इत्यादि की पहचान की गई है। इस दस्तावेज में परिवहन अवसंरचना में सुधार, प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने और पर्यटन, बागवानी, कृषि व वानिकी को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

प्रवासी भारतीय नागरिक

4612. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड धारकों को अनेक लाभ प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रवासी भारतीय सदस्यों को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति देने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का श्रम मुद्दों पर कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (घ) प्रवासी भारतीय नागरिक को वे सभी अधिकार देने, जो

अप्रवासी भारतीयों को उपलब्ध हैं, जिनमें प्रैक्टिस का अधिकार शामिल है और वे अधिकार जो नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7ख (2) में उल्लिखित हैं और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और नीतिगत हितों पर आधारित अन्य कोई अधिकार शामिल नहीं है, का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) और (च) सरकार ने हाल ही में श्रम, रोजगार और जनशक्ति विकास के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात राज्य और कुवैत राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। सरकार का प्रस्ताव ओमान, बहरीन और मलेशिया के साथ श्रम रोजगार और जनशक्ति विकास के बारे में समझौता ज्ञापन करने का है। इन समझौता ज्ञापनों में भारतीय श्रमिकों के विदेशों में रोजगार बढ़ाने और मेजबान देश में उनके संरक्षण और कल्याण के लिए द्विपक्षीय सहयोग की व्यवस्था है।

कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति

4613. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश के नक्सल/आतंकवाद प्रभावित राज्यों में कार्यरत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मुआवजा प्रदान करने हेतु दोहरी नीति है;

(ख) यदि नहीं, तो गृह तथा रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों की तुलना में डाक विभाग के कर्मचारियों को सरकार द्वारा प्रदान किये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डाक विभाग के कर्मचारी भी राज्यों में ऐसी हिंसा से समान रूप से प्रभावित होते हैं;

(घ) यदि हां, तो मुआवजा देने की ऐसी दोहरी नीति के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में एकरूपता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) विभिन्न परिस्थितियों में वास्तविक सरकारी ड्यूटी निभाते हुए मृत केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के परिजनों को निम्नानुसार एकमुश्त अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है:

(1)	ड्यूटी निभाने के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर	5.00 लाख रु.
(2)	ड्यूटी के दौरान आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों द्वारा की गई हिंसा के कारण मृत्यु होने पर	5.00 लाख रु.
(3)	(क) अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में दुश्मन की कार्रवाई अथवा सीमा पार झड़प और (ख) उग्रवादियों, आतंकवादियों आदि के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मृत्यु होने पर	7.50 लाख रु.
(4)	डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों को	50,000 रु.

7.50 लाख रु. की दर से अनुग्रह अनुदान राशि केवल उन मामलों में ही दी जाती है, जिनमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी वास्तविक फील्ड कार्रवाई में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो केवल उन केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के लिए लागू है जो सीमा पर, नियंत्रण रेखा पर तैनात हैं और उनके लिए भी जो आतंकवाद निरोधक कार्रवाई में तैनात हैं।

(ग) जी हां।

(घ) अधिक मुआवजा उन मामलों में दिया जाता है, जिनमें परिस्थितियां अधिक भीषण हों और अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता हो और फील्ड कार्रवाई ज्यादा जोखिम भरी हो।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय क्रिकेट टीम हेतु सुरक्षा

4614. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेजबान देश तथा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आई.सी.सी.) वर्ल्ड कप में भाग लेने गई भारतीय क्रिकेट टीम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेवार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कैरेबियन देशों में हो रहे आई.सी.सी. वर्ल्ड कप 2007 में भाग ले रही भारतीय क्रिकेट टीम को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कवर प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में व्यय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) द्वारा वहन किया जाता है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। दौरे पर आई सभी टीमों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और मेजबान देश की है। यह प्रदान की गई थी।

(ग) और (घ) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मंत्रालय को सूचित किया है कि विदेश मंत्रालय ने एक उपायुक्त (सुरक्षा, दिल्ली पुलिस) को भारतीय क्रिकेट टीम के साथ सुरक्षा अधिकारी के रूप में नामांकित किया था। आई.सी.सी. विश्व कप, 2007 के लिए कैरेबियन देशों में इनके आवास के दौरान हुए सभी खर्चों का वहन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किया है।

कर्नाटक में सड़कों का रखरखाव

4615. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य में 3900 कि.मी. के राष्ट्रीय राजमार्गों के लगभग 50% भाग का उचित रूप से रख-रखाव नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इंडियन रोड कांग्रेस के एक लाख रुपए प्रति कि.मी. के निर्धारित मानदंडों की तुलना में केन्द्र सरकार 30,000 रुपए प्रति कि.मी. आवंटित कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को निधियों का आवंटन पर्याप्त नहीं है तथा राज्य ने निधियों के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए धनराशि की समग्र उपलब्धता मंत्रालय के अनुमोदित मानकों के अनुसार आवश्यकता से कम है। राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंदर यातायात योग्य स्थिति में रखने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2006-07 के दौरान कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए 3.01 लाख रु. प्रति कि.मी. आवश्यकता के मुकाबले में धनराशि की उपलब्धता के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 1.39 लाख रु. प्रति कि.मी. धनराशि आवंटित की गई है।

(ङ) जी हां।

(च) राज्यों को धनराशि का आवंटन निधियों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

वेतनमानों में बढ़ोत्तरी

4616. श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा': क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) के सहायकों के वेतमान को 5500 रुपए से बढ़ाकर 6500 रुपए कर दिया लेकिन अन्य संबद्ध/अधीनस्थ विभागों/केन्द्र सरकार के कार्यालयों में 5500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत सहायकों को वेतनमानों के बढ़ोत्तरी के लाभ से वंचित रखा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गैर-सी.सी.एस. कैडर के सहायकों के वेतनमानों में बढ़ोत्तरी के संबंध में मामले को छठे वेतन आयोग को भेज दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो विचारार्थ विषय का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.सी.एस.)/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सी.एस.एस.एस.) के सहायकों/वैयक्तिक सहायकों के वेतनमान दिनांक 15.9.2006 से संशोधित करके बढ़ा दिए गए हैं। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वैयक्तिक सहायकों के वेतनमानों का अपग्रेडेशन अपवादस्वरूप इन्हीं दो पदों की श्रेणियों के लिए विशिष्ट रूप से किया गया था।

(ग) और (घ) वेतनमानों के अपग्रेडेशन से संबंधित प्रस्ताव पर प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के परामर्श से विचार किया जाता है। व्यय विभाग ने दिनांक 21.12.2006 के अपने कार्यालय ज्ञापन में सभी मंत्रालयों को सूचित किया था कि वेतनमानों के अपग्रेडेशन, संवर्ग-समीक्षा आदि से संबंधित

मामले छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के पास भेजे जाएं, जो सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। वेतन आयोग, विशिष्ट रूप से ऐसे मामलों के लिए नियुक्त एक विशेषज्ञ निकाय होने के नाते सरकार की वेतन संरचनाओं, प्रसुविधाओं आदि से संबंधित मुद्दों पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की स्थिति में होगा। वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं के संबंध में सिफारिशें करने का प्रावधान हैं।

कामन सर्विस सेंटर

4617. श्री नवीन जिन्दल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कामन सर्विस सेंटर खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों द्वारा कौन-कौन सी सेवाएं प्रदान की जाएंगी;

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितने रोजगारों का सृजन होने की संभावना है;

(ङ) क्या योजना में निजी क्षेत्र को शामिल करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो निजी क्षेत्र इसमें किस प्रकार योगदान देगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारत सरकार ने पूरे ग्रामीण भारत में 100,000 + ब्राडबैण्ड इंटरनेट समर्थित सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए 26 सितम्बर, 2006 को सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) योजना अनुमोदित की है।

(ख) इस योजना का उद्देश्य देश के सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में प्रति 6 आवासीय ग्रामों में (1) सीएससी की स्थापना करना है।

(ग) सामान्य सेवा केन्द्र नागरिक केन्द्रित जी2सी (सरकार से नागरिक) सेवाओं तथा निजी क्षेत्र की सेवाओं का मिश्रित रूप उपलब्ध कराएंगे।

(घ) इस योजना से 300,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

(ङ) जी, हां।

(च) सीएससी योजना का कार्यान्वयन सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) ढांचे में किया जाएगा। प्रथम (सीएससी) स्तर पर स्थानीय ग्रामीण स्तर के उद्यमकर्त्ता (वीएलई-आमतौर पर फ्रेंचाइजी के समतुल्य) होंगे। दूसरे स्तर पर सेवा केन्द्र एजेंसी (एससीए-आमतौर पर फ्रेंचाइजर के समतुल्य) नामक एक संगठन होगा जिसका चयन प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। एससीए की जिम्मेदारी सीएससी मूलसंरचना की स्थापना एवं प्रचालन तथा वीएलई नेटवर्क एवं व्यवसाय का प्रबंध करना होगी। सरकार बोली के माध्यम से निर्धारित सहायता उपलब्ध कराएगी जिससे एससीए अधिक से अधिक 4 वर्षों की अवधि के लिए सीएससी का प्रबंध निरंतर आधार पर कर सकें।

गुजरात द्वारा आई.आर.एस. आंकड़ों का उपयोग

4618. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के विकास के लिए लगभग सभी क्षेत्रों में भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह के आंकड़ों का उपयोग शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य में विकास योजना को समर्थन देने के लिए उपग्रह की लागत को कम करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जी, हां। गुजरात राज्य के लिए दूरसंवेदी और भौगोलिक-सूचना प्रणाली (जीआईएस) से संबंधित प्रौद्योगिकियों में मूल्यवर्धित एवं जरूरत आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए गांधीनगर स्थित नोडल एजेंसी, भास्कराचार्य अंतरिक्ष उपयोग और भू-सूचनाविज्ञान संस्तान (बीआईएसएजी) राज्य के विकास के लिए विविध उपयोगों हेतु नियमित आधार पर आईआरएस आंकड़ों का उपयोग करता रहा है। बीआईएसएजी राज्य के विकास के लिए ग्रामीण विकास, भूमि और जल संसाधन प्रबंध, कृषि, सिंचाई, तटीय क्षेत्र प्रबंध, आपदा प्रबंध सहायता, अवसंरचना विकास, शहरी योजना जैसे क्षेत्रों में तथा ऐसे अन्य उपयोगों में आईआरएस आंकड़ों का व्यापक उपयोग करता है। उल्लेखनीय परियोजनाओं में शामिल कुछ के नाम इस प्रकार हैं-राष्ट्रीय पेय जल मिशन के अंतर्गत जलभूआकृतिविज्ञान, उच्च विभेदन सुदूर संवेदी आंकड़ों के लिए भूकर आंकड़ों का भू-निर्देशन, जिला स्तर पर प्राकृतिक

संसाधन सूचना प्रणाली, प्राकृतिक संसाधन संबंधी विषयों के लिए क्षेत्र-निर्धारण एटलस, नर्मदा कमांड क्षेत्र के लिए ईआईए, खनिज सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, सड़क जीआईएस, चुनाव आयोग के लिए मानचित्र।

(ग) और (घ) जी, हां। उपग्रह आंकड़ा उत्पादों की कीमत को हाल में कम करके लगभग 30% के न्यून स्तर तक लाया गया है। 3 वर्षों से अधिक अवधि तक संग्रहित आंकड़े वर्तमान कीमत के 50% पर बेचे जाते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विशेष छूट वाली कीमत की भी घोषणा की गई है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

एनआईसी द्वारा परियोजनाओं का क्रियान्वयन

4619. श्री महावीर भगोरा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) कितनी परियोजनाएं अब तक पूरी की गई; और

(ग) लंबित परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, केन्द्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों तथा अन्य सरकारी निकायों को ई-शासन का समर्थन प्रदान करता है। यह उपर्युक्त प्रयोक्ता विभागों को परियोजना के प्रतिपादन, विकास, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण में तकनीकी समर्थन प्रदान करता है। सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे वे सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणालियों तथा ई-शासन अनुप्रयोगों का प्रयोग कर सकें। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकी सहायता नियमित स्वरूप की होती हैं जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणालियों का अभिवर्धन/ग्रेड उन्नयन करता रहता है। परियोजनाओं का स्वामित्व प्रयोक्ता संगठनों के पास होता है जो इसके कार्यान्वयन तथा रोजमर्रा के प्रचालन के प्रचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। सरकारी परियोजनाएं सतत स्वरूप की होती हैं और राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र की तकनीकी सहायता उसी आधार पर दी जाती है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा कार्यान्वित प्रमुख ई-शासन अनुप्रयोग उनकी वेबसाइट (http://offerings.nic.in) पर उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र ने उपर्युक्त प्रयोजन से विवरण में बताए अनुसार आईसीटी मूलसंरचना स्थापित की है।

विवरण

प्रमुख राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र-आईसीटी मूलसंरचना

* डीवीबी प्रौद्योगिकी हब तथा वी-सैट सहित उपग्रह आधारित व्यापक क्षेत्र नेटवर्क। इसके लगभग 3000 नोड हैं।
* निकनेट की 24 घंटे निगरानी के लिए एकीकृत नेटवर्क प्रचालन केन्द्र (आई-एनओसी)।
* वेबसाइटें तथा डेटाबेस होस्ट करने के लिए राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय में 110 टेरा बाइट की भंडारण क्षमता युक्त इंटरनेट डेटा केन्द्र।
* राज्यों की राजधानियों में उनकी स्थानीय भण्डारण आवश्यकताओं के लिए 2-5 टेरा बाइट की भंडारण क्षमता वाले डेटा केन्द्र।
* सभी राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ते हुए राष्ट्रीय लम्बी दूरी उच्च गति (4/8/16/34/45 एमबीपीएस) पट्टाकृत डेटा परिपथ।
* 2एमबीपीएस पट्टाकृत परिपथों का प्रयोग करके राज्य से जिलों को सम्पर्क।
* सभी केन्द्र सरकार के विभागों तथा राज्य सरकार के सचिवालयों में स्थानीय क्षेत्र नेटवर्कों के लगभग 30,000 नोड।
* राज्यों की राजधानियों तथा जिलों में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधाएं। स्थापना-स्थलों की कुल संख्या 490 है।
* इंटरनेट गेटवे बैण्डविड्थ की क्षमता को बढ़ाकर आने वाली ट्रैफिक के लिए 418 एमबीपीएस तथा जाने वाली ट्रैफिक के लिए 384 एमबीपीएस किया गया है, जिसके बहु वैकल्पिक पथ हैं।
* निकनेट को 68 एमबीपीएस की बैण्डविड्थ से निक्सी के समस्तरीय बनाया गया है।
* जी2जी डोमेन में अंकीय हस्ताक्षर के लिए प्रमाणन प्राधिकारी।
* राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय तथा राज्य सरकार के सचिवालयों में प्रशिक्षण सुविधाएं।

* नेटवर्क सुरक्षा।

* हैदराबाद में डीआर केन्द्र।

[अनुवाद]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं का राज्यों को हस्तांतरण

4620. श्री के.एस. राव: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र द्वारा उन प्रायोजित परियोजनाओं की क्रियान्वयन तथा उपलब्धियों की स्थिति क्या है जिन्हें राज्यों को हस्तांतरण करने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी हस्तांतरित योजनाओं तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रक्रियाएं तथा मानदंड तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्धारित समय-सीमा के अंदर लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या तंत्र है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) स्कीमें शून्य आधारित बजट (जैडबीबी) प्रक्रिया के आधार पर बन्द की जाती हैं। जैडबीबी प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य योजना उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार स्कीमों के अभिसरण, कुशलता और प्रभाविता और उपलब्ध संसाधनों का अत्यन्त विवेकपूर्ण और आर्थिक रूप से कुशल तरीके से प्रयोग को भी सुरक्षित करना है। इस प्रकार की प्रक्रिया नियमित रूप से की जाती है।

[हिन्दी]

भारत-चीन वार्ता

4621. डा. राजेश मिश्रा: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-चीन के बीच वार्ता का नौवां दौर हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में तवांग में हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें क्या प्रगति हुई?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) 16-18 जनवरी, 2007 तक नई दिल्ली में भारत-चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच नौवें दौर की वार्ता हुई। तत्पश्चात 20-22 अप्रैल, 2007 तक नई दिल्ली और कुनूर में दसवां दौर हुआ। दोनों विशेष प्रतिनिधियों ने 11 अप्रैल, 2005 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित राजनैतिक तौर तरीकों और दिशा-निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित करार के आधार पर सीमा के समाधान के लिए रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया। दोनों पक्ष परस्पर सहमत समय, जो राजनयिक माध्यमों से निर्धारित किया जाएगा, पर विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का अगला (ग्यारहवां) दौर आयोजित करने पर सहमत हुए।

[अनुवाद]

मोबाइल फोन सेवा की जम्बलिंग

4622. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम तथा उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में मोबाइल फोन सेवा प्रदाताओं हेतु विभिन्न बारंबारताओं की जम्बलिंग की समस्या पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में विभिन्न मोबाइल फोन सेवा प्रदाताओं को किस प्रकार की तथा किस सीमा तक समस्याओं का सामना करना पड़ता है; और

(ग) समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। असम दूरसंचार सेवा क्षेत्र में मै. आयल इंडिया लि. के कुछ बेतार लिंकों के कारण जीएसएम 900 मेगाहर्ट्ज बैण्ड फ्रिक्वेंसियों पर कुछ मोबाइल फोन सेवा प्रदाताओं द्वारा रेडियो व्यवधानों की सूचना प्राप्त हुई थी।

(ख) और (ग) इस बारे में आयल इंडिया के अधिकारियों और संबंधित मोबाइल फोन सेवा प्रदाताओं से विचार-विमर्श किया गया था। इस व्यवधान का समाधान कर दिया गया है।

एन.एल.सी. के कर्मचारियों हेतु पेंशन योजना

4623. श्री ए.वी. वेल्लारमिन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को अपने कर्मचारियों के लिए उचित पेंशन योजना शुरू करने हेतु कोई निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का एनएलसी के कर्मचारियों को किसी पेंशन योजना में शामिल करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में योजना का नया फार्मूला बनने तक तथा पेंशन योजना के क्रियान्वयन तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तदर्थ भुगतान करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) शीर्ष न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 को लागू करने के लिए एनएलसी को निर्देश दिया, जिसे सभी पात्र सदस्यों के लिए कार्यान्वित किया गया।

(ग) और (घ) एनएलसी के कर्मचारियों को ईपीएस, 1995 योजना के तहत पहले ही शामिल कर लिया गया है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) ईपीएस, 1995 योजना कार्यान्वयनाधीन है जिसमें पहले से ही सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हैं यदि वे योजना के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर तथा इंटरनेट सुविधाएं

4624. श्री काशीराम राणा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेष रूप से गुजरात में कम्प्यूटर तथा इंटरनेट सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर तथा इंटरनेट सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजनाओं के नाम क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) अपनी 'इंटरनेट ढाबा' योजना के अंतर्गत ग्रामीण ब्लाक मुख्यालयों में इंटरनेट ढाबा के फ्रेंचाइजी को इंटरनेट अभिगम उपलब्ध करता है। मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार, देश के विभिन्न राज्यों में फ्रेंचाइजी के जरिए कुल 3722 इंटरनेट ढाबा स्थापित किये गये हैं। गुजरात में 125 इंटरनेट ढाबा स्थापित किए गए हैं।

इंटरनेट ढाबा के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

सरकार ने देश में इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस जारी किये हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय तार (शोध) अधिनियम के अंतर्गत यूनिवर्सल सर्विसेज आब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) स्थापित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामों को चरणबद्ध रूप से ब्राडबैण्ड सम्पर्क उपलब्ध कराना है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कम्प्यूटर तथा इंटरनेट उपलब्ध कराए हैं।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने 8 पूर्वोत्तर राज्यों में ब्लाक स्तर पर 555 सामुदायिक सूचना केन्द्र, अंडमान एवं निकोबार में 38 सामुदायिक सूचना केन्द्र तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह में 30 सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित किये हैं। जम्मू तथा कश्मीर में भी 127 सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत शिक्षण एवं अनुसंधान नेटवर्क (अर्नेट) नामक संस्था 6 राज्यों के 7 जिलों में सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को इंट्रानेट और इंटरनेट सुविधा सहित कम्प्यूटर उपलब्ध करा रही है।

विवरण

मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल के मण्डलवार इंटरनेट ढाबा सम्पर्क

क्र.सं.	मंडल का नाम	इंटरनेट ढाबों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार	1
2.	आंध्र प्रदेश	964
3.	असम	14
4.	बिहार	96

1	2	3
5.	चेन्नै	23
6.	छत्तीसगढ़	96
7.	गुजरात	125
8.	हरियाणा	122
9.	हिमाचल प्रदेश	48
10.	जम्मू-कश्मीर	23
11.	झारखण्ड	30
12.	कर्नाटक	149
13.	केरल	152
14.	कोलकाता	19
15.	मध्य प्रदेश	248
16.	महाराष्ट्र + गोवा	348
17.	उत्तर पूर्व-I	8
18.	उत्तर पूर्व-II	1
19.	उड़ीसा	164
20.	पंजाब	117
21.	राजस्थान	194
22.	तमिलनाडु	292
23.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	187
24.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	102
25.	उत्तरांचल	76
26.	पश्चिम बंगाल	123
	कुल	3722

[अनुवाद]

बी.एस.एन.एल. द्वारा खेलकूदों को प्रायोजित करना

4625. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएसएनएल ने कतिपय खेल-कूदों को प्रायोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान बीएसएनएल द्वारा ऐसे प्रयोजनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीएसएनएल ने इस उद्देश्य के लिए कोई पैनल/समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो पैनल के सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसके विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ङ) बीएसएनएल मुख्यालय द्वारा विभिन्न खेलकूदों के लिए अखिल भारतीय बीएसएनएल टूर्नामेंट आयोजित करने हेतु कितनी धनराशि आवंटित तथा व्यय की गई तथा उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक दूरसंचार सर्किल को कितनी धनराशि आवंटित की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) बीएसएनएल द्वारा कतिपय खेलकूदों के लिए प्रदान किये गये प्रायोजनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। किसी भी खेल के लिए प्रायोजनों हेतु सभी अनुरोधों पर मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाता है।

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान बीएसएनएल द्वारा विभिन्न अखिल भारतीय बीएसएनएल टूर्नामेंटों के लिए आबंटित और खर्च की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न दूरसंचार सर्किलों को आवंटित निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

सं.	खेल-कूद आयोजनों का ब्यौरा
1	2
वर्ष 2005-06	
1.	कालीकट जिला लीग फुटबाल
2.	अलेप्पी में स्टेट बास्किटबाल चैम्पियनशिप
3.	टैनिस बाल क्रिकेट टूर्नामेंट-पालक्कड़
4.	स्पोर्टस एंड कल्चरल मीट आफ एसोसिएशन आफ इंजीनियर्स, त्रिवेन्द्रम

1	2
5.	23वीं अखिल भारतीय आरबीआई स्पोर्टस मीट
6.	वैल्यानी एग्रीकल्चर कालेज में नैशनल बैंकिंग टैनिस
7.	23वीं सब जूनियर नैशनल एक्वैटिक चैम्पियनशिप
8.	त्रिचुर में सीनियर स्टेट फुटबाल चैम्पियनशिप
9.	कोट्टायम बोट रेस-2005
10.	नैशनल पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप-कालीकट
11.	नेहरू ट्राफी बोट रेस 2005
12.	कय्यूर में केरल स्टेट वालीबाल
13.	8वीं नैशनल एरोबिक जिमनास्टिक्स
14.	कन्नूर में केरल राज्य बैडमिंटन चैम्पियनशिप
15.	केरल स्टेट सीनियर वूमैन्स क्रिकेट चैम्पियनशिप 2005
16.	कालीकट में जूनियर नैशनल बैडमिंटन
17.	बास्किट बाल एसोसिएशन गोल्डन जुबली मीट त्रिशुर
18.	केरल फैडरेशन आफ ब्लाइन्ड-चैस चैम्पियनशिप
19.	कोल्लम में 49वीं स्टैट जूनियर एथलैटिक चैम्पियनशिप
20.	त्रिवेन्द्रम में संतोष ट्राफी क्लस्टर मैच
21.	तिरचूर में 59वीं नैशनल बास्किट बाल आफ डैफ
22.	तिरचूर में 59वीं नैशनल एक्वैटिक चैम्पियनशिप
23.	इंडिया-पाक वेटरेन क्रिकेट मैच इरनाकुलम
24.	अखिल भारतीय सेलेस्टियल ट्राफी क्रिकेट टूर्नामेंट
25.	अखिल भारतीय अंत: विश्वविद्यालय एक्वैटिज चैम्पियनशिप
26.	पाला में अखिल भारतीय वाली बाल टूर्नामैंट
27.	हैल्थ फिटनेस ट्रस्ट द्वारा आयोजित ''रन अगेन्स्ट ड्रग एब्यूज''
28.	साइलैंट चैस चैम्पियनशिप
29.	व्हूसू
30.	भुवनेश्वर जिला टैनिस एसोसिएशन
31.	36वीं समर नैशनल ब्रिज चैम्पियनशिप 2005 के दौरान बीएसएनएल सर्विसिज बैनर का प्रदर्शन
32.	जयपुर में 5वीं अखिल भारतीय साइकलिंग मीट 2005-06
33.	भिलवाड़ा में जिला टैनिस चैम्पियनशिप
34.	बुंदी में एडवैंचर स्पोर्टस फैस्टिवल-2006
35.	हैल्थ फिटनैस ट्रस्ट
36.	साइलैंस स्पोर्टस प्रोमोशन
37.	व्हूसू एसोसिएशन आफ इंडिया
38.	कृष्णन टैनिस चेन्नै
39.	टी नगर स्पोर्टस क्लब चेन्नै
40.	एस फुटबाल, चेन्नै
41.	बीएसएनएल तमिलनाडु सर्किल स्पोर्टस एंड कल्चरल
42.	श्री पूबेश आनन्द
43.	कृष्णन टैनिस सैन्टर, चेन्नै
44.	दी माइलापोर क्लब, चेन्नै
45.	तमिलनाडु ब्रिज एसोसिएशन
46.	प्रोफेशनल बास्किट बाल एस क्लब
47.	तमिलनाडु बिलियर्डस एंड स्नूकर्स
48.	स्पास्टिक संपोर्ट सोसाइटी
49.	इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट
50.	तमिलनाडु थ्रो बाल एसो.
51.	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी
52.	थिरुवल्लूवर डिस्ट्रिक्ट बाडी बिल्डिंग एसो.
53.	तमिलनाडु फुटबाल एसो.
54.	तमिलनाडु हैंडिकैप्ड फेडरेशन
55.	एसोसिशन फार नान ट्रेडिशनल एम्प्लायमैंट फार वूमैन
56.	लोटस ब्लाइन्ड वैलफेयर ट्रस्ट आफ इंडिया

1	2
57.	सिंग्राम पिल्लई टैनिस सैन्टर
58.	अन्ना नगर बास्केट बाल क्लब
59.	न्यू गोल्ड्स जिम एण्ड फिटनेस सेंटर
60.	केसपा-चेन्नई
61.	अखिल भारतीय बीएसएनएल एथलैटिक मीट
62.	जूनियर स्टेट बैडमिंटन चैम्प्स
63.	डिसएबल्ड स्पोर्टस एंड वैलफेयर अकादमी, पटना
64.	भारत-पाक दूसरा वैट्रन हाकी टैस्ट मैच
65.	बीएसएनएल मैराथन फार पोलो ईरैडिकेशन अवेयरनैस
66.	अखिल भारतीय फुटबाल टूर्नामैंट, गोरखपुर
67.	बीएसएनएल तमिलनाडु स्पोर्टस एंड कल्चरल बोर्ड
68.	चेन्नै में कैलिफोर्निया क्रिकेट क्लब
69.	13वीं वर्ल्ड कप यूथ वाली बाल चैम्पियनशिप
70.	क्रिकेट चैम्पियनशिप फार डैफ
71.	5वां अखिल भारतीय बीएसएनएल लान टैनिस
72.	डिस्ट्रिक्ट चैस टूर्नामेंट
73.	विजयवाड़ा में नैशनल नेटबाल चैम्पियनशिप
74.	सीनियर नोबल क्लान, वोखा, नागालैंड

वर्ष 2006-07

1.	ई.के. नैयर मेमोरेयल गोल्ड कप फुटबाल, कन्नूर
2.	केरल के मंत्रियों और फिल्मी सितारों के बीच क्रिकेट मैच
3.	तीसरा अखिल केरल भीमा भातर मैमोरियल क्रिकेट
4.	36वीं केरल पुलिस एथलैटिक मीट-2006 त्रिवेन्द्रम
5.	19वीं, केरल फारेस्ट स्पोर्टस एंड गेम्स मीट
6.	थाजाथानगडी बोट रेस-कोट्टायम
7.	कुमराकाओम बोट रेस-कोट्टायम
8.	कालीकट डिस्ट्रिक्ट एथलैटिक चैम्पियनशिप आफ डैफ
9.	केरल स्टेट वूमैन्स क्रिकेट चैम्पियनशिप
10.	14वां विस्वाप्पन मेमोरियल बास्किट बाल टूर्नामेंट एएलपी
11.	कालाडी वोली बाल-36वां अखिल भारतीय टूर्नामैंट
12.	नेहरू ट्राफी बोट रेस 2006
13.	कालीकट में अंतरराष्ट्रीय चैस चैम्पियनशिप
14.	कालीकट-बीच फुटबाल टूर्नामैंट
15.	इडुक्की जिला चैस चैम्पियनशिप
16.	त्रिचुर में वेटरेन हाकी चैम्पियनशिप
17.	इंडिया-इंग्लैंड क्रिकेट मैच
18.	हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन, पंचकुला
19.	उड़ीसा स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन, कट्टक
20.	भुवनेश्वर जिला टैनिस एसोसिएशन
21.	जयपुर में चौथी नैशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप आफ डैफ के दौरान बीएसएनएल सर्विसिज बैनरों का प्रदर्शन
22.	कोटा में अखिल भारतीय रैस्लिंग टूर्नामेंट
23.	अखिल भारतीय पोस्ट बास्किट बाल टूर्नामेंट-2006 स्मारिका में बीएसएनएल सेवा विज्ञापन प्रकाशित करना
24.	जयपुर में छठा अखिल भारतीय कबड्डी टूर्नामेंट
25.	जयपुर में छठे पिंक सिटी इंटरनैशनल रेटिंग चैस टूर्नामेंट की स्मारिका में बीएसएनएल सेवा पर विज्ञापन प्रकाशित करना और इवैंट साइट पर बैनरों का प्रदर्शन
26.	अलवर में 39वें अखिल भारतीय सेन्ट्रल रेवन्यू स्पोर्टस मीट का प्रायोजन
27.	जयपुर में अखिल भारतीय पीएसयू बैडमिंटन टूर्नामेंट में बीएसएनएल सेवा बैनर्स का प्रदर्शन
28.	जयपुर में रैसलिंग चैम्पियनशिप में बीएसएनएल सेवाओं के बैनर्स का प्रदर्शन
29.	अखिल भारतीय टैनिस एसोसिएशन

1	2
30.	राजीव गांधी स्पोर्टस फेडरेशन
31.	अखिल भारतीय टैनिस एसोसिएशन
32.	नेहरु युवा केन्द्र
33.	टी नगर स्पोर्टस क्लब चेन्नै
34.	तमिलनाडु एसोसिएशन फार वैलफेयर आफ फिजिकली हैंडिकैप्ड चैन्नै
35.	ऐस बास्किट बाल क्लब, चैन्नै
36.	बीएसएनएल-टीएनसीएससीबी
37.	वैलीज क्लब
38.	श्री रागेवन्द्र बास्किट बाल क्लब
39.	इंडियन हाकी फैडरेशन
40.	कृष्णन टैनिस सैंटर
41.	कृष्णन टैनिस सैंटर, कोट्टीवाक्कम, चेन्नै
42.	जापान कराटे दो गुजूरुलु ओशिकी
43.	तमिलनाडु एसोसिएशन फार द वैलफेयर आफ द फिजिकली हैंडिकैप्ड
44.	यंग ब्लड फुटबाल क्लब
45.	तमिलनाडु टैनिस एसोसिएशन (निगम कार्यालय द्वारा प्रायोजित)
46.	लाम स्पोर्टस
47.	तमिलनाडु अंत:इंजीनियरिंग स्पोर्टस
48.	अखिल भारतीय स्पोर्टस कौंसिल आफ दी डैफ
49.	तमिलनाडु वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन
50.	नैशनल स्विमिंग कंपीटीशन आन रिवर भागीरथी
51.	अंत जिला टैनिस टूर्नामेंट-2007
52.	भारत पाकिस्तान डेविस कप मुकाबला सीसीआई, मुंबई
53.	क्रिकेट और कबड्डी टूर्नामेंट, जयहिंद नेहरु क्लब
54.	विकलांग खेल व कल्याण अकादमी, पटना
55.	35वीं कनिष्ठ राष्ट्रीय कैरम

1	2
56.	अखिल भारतीय कबड्डी टूर्नामेंट
57.	राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट
58.	राष्ट्रीय वालीबाल टूर्नामेंट
59.	राष्ट्रीय ब्रिज चैंपियनशिप
60.	मालवा हैरिटेज फाउंडेशन भटिंडा द्वारा पंजाब अंतर्राष्ट्रीय लोक संगीत, नृत्य और जिमनास्टिक उत्सव 2006
61.	राजकीय राजिंद्र महाविद्यालय भटिंडा में आयोजित खेल-कूद
62.	ज्ञानी जैल सिंह इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, भटिंडा में आयोजित खेल-कूद
63.	महिलाओं की राष्ट्रीय हैंडबाल चैंपियनशिप
64.	पश्चिम बंगाल टेबल टेनिस संघ
65.	दम-दम फुटबाल उत्सव
66.	पश्चिम बंगाल बास्केटबाल संघ
67.	राजपाल ट्राफी क्रिकेट टूर्नामेंट गोरखपुर
68.	एलडीटीए, लखनऊ द्वारा प्रतिभा खोज टेनिस टूर्नामेंट
69.	उत्तर प्रदेश न्यायिक अधिकारी खेलकूद प्रतियोगिता, लखनऊ
70.	सीआरएसबी आमंत्रण बैडमिंटन टूर्नामेंट, लखनऊ
71.	सलेम में जिमनास्टिक चैंपियनशिप
72.	ब्रिज और बास्केटबाल टूर्नामेंट के लिए बीएसएनएल, तमिलनाडु खेलकूद व सांस्कृतिक बोर्ड
73.	राजीव गांधी 10वां फेडरेशन बाक्सिंग चैंपियनशिप 2006, सिकंदराबाद
74.	एशियन हॉपमैन कप 2006
75.	6ठा अखिल भारतीय बैडमिंटन टूर्नामेंट-एपीसीएस और एसबी को
76.	राज्य स्तरीय टेनिकायट टूर्नामेंट-एमबीएन एसएसए
77.	राष्ट्रीय स्तरीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप

1	2
78.	टेबल टेनिस की एपी अंतर-जिला और अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप टूर्नामेंट
79.	ऐलुरू में राज्य स्तरीय रालर स्केटिंग प्रतियोगिता
80.	33वां राष्ट्रीय कनिष्ठ वालीबाल चैंपियनशिप 2007
81.	सुमी फुटबाल संघ, नुईलैंड, नागालैंड

विवरण II

वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान अखिल भारतीय बीएसएनएल टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए सर्किलों को मंजूर की गई खेलकूद अनुदान राशि

क्र.सं.	खेल	आबंटित व खर्च की गई राशि वर्ष 2005-06 (लाख रु. में)	आबंटित व खर्च की गई राशि वर्ष 2006-07 (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	बास्केटबाल	4.50	5.70
2.	टेबल टेनिस	7.00	5.88
3.	डब्ल्यूएल/पीएल/बीपी	3.49	4.75
4.	क्रिकेट	-	11.58
5.	ब्रिज	3.25	3.86
6.	कबड्डी	6.00	5.84
7.	एथलेटिक्स	4.14	5.14
8.	कैरम	7.50	7.55
9.	बैडमिंटन	6.00	7.88
10.	साइकलिंग	2.33	2.35
11.	लान टेनिस	3.32	3.99
12.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	4.65	5.44
13.	हाकी	6.00	7.36
14.	वालीबाल	6.00	6.21
15.	शतरंज	4.00	4.19
16.	फुटबाल	6.12	9.65
17.	एक्वैटिक	2.30	-
		76.60	97.37

विवरण III

वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए सर्किलों को मंजूर की गई खेलकूद अनुदान राशि

क्र.सं.	सर्किल का नाम	मंजूर की गई राशि वर्ष 2005-06 (लाख रु. में)	मंजूर की गई राशि वर्ष 2006-07 (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	हिमाचल प्रदेश	5.20	2.30
2.	हरियाणा	1.00	1.75
3.	मध्य प्रदेश	6.00	2.50
4.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) लखनऊ	4.85	4.71
5.	राजस्थान	6.25	5.06
6.	कर्नाटक	4.50	5.13
7.	पूर्वोत्तर I	1.00	1.75
8.	पश्चिमी बंगाल	5.94	4.48
9.	आंध्र प्रदेश	4.57	3.14
10.	जम्मू-कश्मीर	1.00	1.75
11.	गुजरात	3.57	3.90
12.	उत्तरांचल	1.38	1.85
13.	उड़ीसा	5.50	3.87
14.	असम	3.88	4.97
15.	तमिलनाडु	5.50	6.87
16.	झारखंड	1.25	1.57
17.	एनटीआर दिल्ली	6.31	6.57
18.	केरल	0.75	3.20

1	2	3	4
19.	महाराष्ट्र	5.50	2.37
20.	बिहार	4.00	4.50
21.	पंजाब	2.00	2.00
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	–	1.00
		79.95	75.24

विदर्भ पैकेज

4626. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय प्रधान मंत्री ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के विकास हेतु विदर्भ पैकेज के रूप में 34750 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निधि की वर्तमान स्थिति सहित आज तक कितनी धनराशि जारी की गई; और

(घ) किन विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि जारी की गई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) भारत सरकार ने महाराष्ट्र के छः जिलों अर्थात् वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला बुलधाना और वाशीम के लिए एक विशेष पुनर्वास पैकेज अनुमोदित किया है जिसमें 3873.26 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

(ख) माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित विदर्भ पैकेज का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) विदर्भ पैकेज के तहत जारी निधियों की स्कीम-वार प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दर्शायी गई है।

विवरण I

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पुनर्वास पैकेज का ब्यौरा

(1) पीएमएनआरएफ से अनुग्रह सहायता: ऋण-ग्रस्त किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रति जिला 50 लाख रुपये की राशि संबंधित जिला कलेक्टर को निपटान हेतु दी जाएगी।

(2) किसानों को ऋण-राहत : भारत सरकार द्वारा 18 जून, 2004 को घोषित ऋण राहत पैकेज को पहचान किए गए जिलों में किसानों को राहत देने के लिए और अधिक उदार किया जाएगा। यह अनुमान लगाया गया है कि महाराष्ट्र के विदर्भ में पहचान किए गए जिलों में 30 जून, 2006 की स्थिति के अनुसार 1296 करोड़ रुपये की देय ऋण राशि को संकट में पड़े किसानों अथवा देनदार किसानों के लिए ऋण राहत पैकेज के अंतर्गत पुनः संरचित/पुनर्निर्धारित किया जाएगा। किसानों को ऋण-राहत दी जाएगी और पैकेज के अंतर्गत वे नए ऋण के लिए पात्र होंगे। आरबीआई/नाबार्ड द्वारा विशेष ऋण राहत पैकेज के संचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

(3) क्रेडिट प्रवाह: वर्ष 2006-07 में इन छः जिलों में 1275.00 करोड़ रुपये का अतिरिक्त क्रेडिट प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा। नाबार्ड और अग्रणी बैंकों की विशेष टीमों को यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा कि संकट में पड़े किसानों के लेखों को समयबद्ध तरीके से पुनः संरचित/पुनर्निर्धारित किया जा सके तथा नए क्रेडिट का प्रवाह शुरू हो सके।

(4) ब्याज माफी: दिनांक 1 जुलाई, 2006 की स्थिति के अनुसार देय कृषि ऋणों पर समूचे ब्याज को छः प्रभावित जिलों में माफ कर दिया जाएगा जिससे कि उस तिथि तक किसानों पर पहले का कोई ब्याज देय न हो। इस उपाय से वे बैंकिंग प्रणाली से नए ऋण लेने के लिए तुरंत पात्र हो जायंगे। इन छः जिलों में 1 जुलाई, 2006 की स्थिति के अनुसार देय ऋणों पर 712 करोड़ रुपये का ब्याज अनुमानित है। ब्याज की माफी से उत्पन्न बोझ को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समान रूप से शेयर किया जाएगा। देय ब्याज राशि को भारत सरकार और राज्यों के बीच समान रूप से शेयर करते समय राज्य सरकारों द्वारा इस मामले में पूर्व में जारी राशि, यदि कोई हो, की क्षतिपूर्ति के लिए समुचित ध्यान रखा जाएगा।

(5) आश्वासित सिंचाई सुविधाएं: 1.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सभी मुख्य, मध्यम, लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के माध्यम से तीन वर्षों के अंदर 2177.00 करोड़ रुपये की लागत से आश्वासित सिंचाई सुविधाओं के अंतर्गत लाया जाएगा।

(6) बीज प्रतिस्थापन कार्यक्रम: पहचान किए गए जिलों में 50% सब्सिडी सहित एक व्यापक बीज प्रतिस्थापन

कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। गुणवत्ता वाले बीज की हकदारी को आधा एकड़ प्रति किसान से बढ़ाकर एक हेक्टेयर प्रति किसान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम पर तीन वर्षों की अवधि में 180 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है।

(7) जल संभर विकास: निम्नलिखित घटकों को कवर करते हुए जल संभर विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा:

* आगामी तीन वर्षों में प्रति जिला प्रतिवर्ष 500 चैक डैमों का निर्माण। कार्यक्रम पर प्रतिवर्ष 60.00 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

* जल संभर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति जिला प्रतिवर्ष 15000 हेक्टेयर का शोधन कार्य जिसके प्रति 1000 हेक्टेयर जल संभर के लिए 60 लाख रुपये सहित प्रतिवर्ष 54.00 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया जाएगा।

* लघु एवं उपांतक किसानों सहित अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए सिंचाई संभाव्यता के त्वरित विकास हेतु प्रति जिला प्रतिवर्ष 1000 लाभार्थियों को कवर करते हुए वर्षा जल संग्रहण संरचना तैयार करना। स्कीम के लिए 50% बैंक ऋण सहित 50% बैक-एंडिड पूंजी सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी। स्कीम में 1.00 करोड़ रुपये प्रति जिला प्रतिवर्ष की सब्सिडी सहायता शामिल होगी।

(8) बागवानी विकास: सभी पहचान किए गए जिलों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत कवर किया जाएगा। राष्ट्रीय नारंगी अनुसंधान केन्द्र-नागपुर के पर्यवेक्षण में विदर्भ में नारंगी उत्पादन, संरक्षण, फसलोत्तर प्रौद्योगिकी और प्रसंस्करण की समस्या के समाधान हेतु नारंगी संबंधी एक प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया जाएगा।

(9) माइक्रो सिंचाई: माइक्रो सिंचाई स्कीम के अंतर्गत सभी छ: जिलों को कवर किया गया है। कार्यक्रम को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के अंतर्गत 53400 हेक्टेयर भूमि कवर करने के लिए सघन प्रयास किया जाएगा जिसमें 26.00 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से 78.00 करोड़ रुपये का निवेश शामिल होगा।

(10) विस्तार सेवाएं: किसानों को सशक्त करने के लिए पहचान किए गए जिलों में प्रभावी व कुशल विस्तार सेवा मैकेनिज्म की स्थापना की जाएगी। जिला स्तर पर विस्तार सहायता एवं अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) को प्रचालित किया जाएगा।

(11) सहायक आय: पशुपालन और मत्स्यपालन से संबंधित घटकों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

* 50% सब्सिडी (शेष बैंक क्रेडिट) सहित प्रतिवर्ष प्रति जिला 1000 अधिक दूध देने वाले पशुओं को शामिल करना।

* संवर्धन लागत का 50% प्रदान करते हुए प्रतिवर्ष प्रति जिला 500 बछियों को शामिल करना।

* 25% सब्सिडी सहित शामिल किए गए पशुओं को आहार हेतु चारा खण्डों की आपूर्ति।

* 50% सब्सिडी (शेष बैंक क्रेडिट) सहित चार-चारा खण्ड बनाने वाली ईकाइयों की स्थापना।

* सभी पशुओं को पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल का प्रावधान।

* व्यापक ए-एल कार्यक्रम शुरू करना तथा 70% संवर्धन योग्य पशुओं का समकालीकरण करना।

* 10 दुग्ध अभिशीतलन संयंत्रों की स्थापना।

* पूंजी और इनपुट लागत का 40% सब्सिडी के रूप में तथा शेष बैक क्रेडिट के माध्यम से प्रदान करते हुए प्रति जिला 100 हेक्टेयर में मत्स्यपालन।

* पशुपालन/मत्स्यपालन/चारा बैंक के लिए पैकेज में 135 करोड़ रुपये की सहायता शामिल होगी।

(12) कार्यान्वयन मैकेनिज्म

* भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों सहित राज्य स्तर पर समन्वय और पर्यवेक्षण समिति तथा

* जिला स्तर समिति, पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वयन

* पैकेज की डिलीवरी और संसाधनों का समयबद्ध तरीके से इष्टतम उपयोग हेतु स्थानीय स्तर पर उपयुक्त संस्थागत संरचनाओं और विशेष उद्देश्य सहित सहकारिता/समुदाय आधारित संगठनों का सृजन।

विवरण II

पुनर्वास पैकेज का कार्यान्वयन

	मदों का विवरण	संशोधित पुनर्वास पैकेज		(30 मार्च, 2007 तक जारी निधियां)
	पीएमएनआरएफ से अनुग्रह सहायता	3.00	3.00	3.00
	संस्थागत क्रेडिट			
(1)	क्रेडिट प्रवाह (वर्ष 2006-07)	1,275.00		
(2)	ऋण का पुनर्निर्धारण-ऋण राहत	1,296.00		
(3)	30.6.2006 के अनुसार देय ब्याज को फाम करना	712.00	712.00	808.44
	स्कीम सहायता			
(1)	आश्वासित सिंचाई	2,177.26		794.15
(2)	माइक्रो सिंचाई	78.00		12.18
(3)	जल संभर विकास, जल संरक्षण स्कीम और चैक-डैश	360.00		14.07
(4)	विस्तार सेवाएं	3.00		3.83
(5)	बीज परिवर्तन अनुपात	180.00		25.46
(6)	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	225.00		21.20
(7)	पशुपालन, पशु, चारा के माध्यम से सहायता आय	135.00		17.49
	उप-जोड़ (स्कीम सहायता)		3,158.26	888.38
	कुल जोड़ (रुपये 712.00 + 3158.26)		3,873.26	1699.82

तीर्थयात्रा हेतु अनुमति

4627. श्री नरहरि महतो:
श्री जोवाकिम बखला:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार कितने व्यक्तियों को तीर्थयात्राओं के लिए विदेश जाने की अनुमति दी गई;

(ख) ऐसी तीर्थयात्रा हेतु किन-किन देशों में जाने की अनुमति दी गई; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वार्षिक रूप से प्रदान किए गए अनुदान और एकत्र किए गए करों का ब्यौरा क्या है;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) धार्मिक उद्देश्य से विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों को सरकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। हज के लिए सऊदी अरब और चीन में कैलाश मानसरोवर और पाकिस्तान में सिख गुरुद्वारों और हिन्दू मंदिरों में जाने के लिए सरकार सहायता प्रदान करती है।

हज यात्रा के मामले में सऊदी अरब अलग-अलग देशों के लिए हज का वार्षिक कोटा नियत करता है। केन्द्रीय हज समिति के माध्यम से हज के लिए सऊदी अरब जाने वाले लोगों को एक

विशेष दास्तावेज दिया जाता है जिसे यात्रा पास (पासपोर्ट के स्थान पर) कहा जाता है, जो केवल हज के लिए सऊदी अरब की यात्रा करने के लिए वैध होता है; जो लोग निजी टूअर संचालकों के माध्यम से हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं उन्हें नियमित पासपोर्ट पर यात्रा करनी होती है। विगत तीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय हज समिति के माध्यम से जिन्होंने हज किया उनका राज्यवार विवरण संलग्न विवरण-I पर है।

कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन की यात्रा नियमित पासपोर्ट के आधार पर की जाती है। विगत तीन वर्ष के दौरान जिन्होंने यह यात्रा की उनकी संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	यात्रियों की संख्या
2004	537
2005	529
2006	592

(राज्यवार ब्यौरा एकत्र नहीं किया गया है)

पाकिस्तान में सिख गुरुद्वारों और हिन्दू मंदिरों की यात्रा भी नियमित पासपोर्टों के आधार पर की जाती है। धार्मिक स्थलों की यात्रा से संबद्ध द्विपक्षीय प्रोतोकोल के अंतर्गत विगत तीन वर्ष में जिन्होंने यह यात्रा की उनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर है।

केन्द्रीय हज समिति के माध्यम से मक्का जाने वाले हज यात्रियों के लिए सरकार विमान के भाड़े के रूप में राजसहायता प्रदान करती है। विगत तीन वर्ष में राजसहायता की राशि निम्नलिखित है।

वर्ष	राजसहायता (करोड़ रु.)
2004	160.70
2005	179.66
2006	280.00

आंकड़े अनंतिम हैं।

(ग) भारत सरकार ने ऐसी यात्राओं पर कोई कर नहीं लगाया है। सऊदी अरब, चीन और पाकिस्तान की सरकार उपर्युक्त यात्राओं पर जाने वाले यात्रियों से कोई कर नहीं लेती है।

विवरण I

विगत तीन वर्ष के दौरान सभी राज्यों से भारत की केन्द्रीय हज समिति के माध्यम से हज करने वाले भारतीयों की संख्या

राज्य	2004	2005	2006-I	2006-II
1	2	3	4	5
अंडमान निकोबार	37	23	38	39
आंध्र प्रदेश	4584	5299	6172	6980
असम	1240	1461	2020	2157
बिहार	1436	1517	2100	2324
चंडीगढ़	37	36	33	28
छत्तीसगढ़	310	395	579	641
दादर और नगर हवेली	5	14	4	15
दमन दीव	9	12	14	10
दिल्ली	2623	3000	2617	2419

1	2	3	4	5
गोवा	20	25	36	74
गुजरात	5168	5901	6351	4760
हरियाणा	515	926	947	1489
हिमाचल प्रदेश	51	70	94	110
जम्मू-कश्मीर	8923	8593	9197	10616
झारखंड	832	921	1043	1310
कर्नाटक	7503	4057	5488	6735
केरल	7503	9121	10714	7870
लक्षद्वीप	123	159	226	247
मध्य प्रदेश	2588	3306	5270	3775
महाराष्ट्र	9180	9625	11300	11639
मणिपुर	172	206	191	195
उड़ीसा	284	306	423	525
पांडिचेरी	53	59	85	145
पंजाब	237	230	255	351
राजस्थान	3348	3862	5498	4923
तमिलनाडु	2621	2578	3799	3608
त्रिपुरा	25	18	23	39
उत्तर प्रदेश	12923	14401	18339	27025
उत्तराखंड	596	897	1372	1966
पश्चिम बंगाल	2336	2231	3308	4561
सरकारी कोटा	279	1476	2154	2240
हज 2004 की भगदड़ के शिकार के रिश्तेदार		35		
योग	71711	80772	99660	108816

हज 2006-I की अवधि : 6.1.2006 से 11.1.2006 तक
हज 2006-II की अवधि : 27.12.2006 से 31.12.2006 तक

विवरण II

धार्मिक स्थलों की यात्रा से संबद्ध द्विपक्षीय प्रोतोकोल के अंतर्गत पाकिस्तान की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	2006	2005	2004
1.	आंध्र प्रदेश	58	50	
2.	बिहार	35	30	
3.	छत्तीसगढ़	47	40	
4.	गुजरात	37	30	
5.	हरियाणा	575	545	
6.	हिमाचल प्रदेश	38	30	
7.	जम्मू और कश्मीर	90	80	
8.	झारखंड	40	30	राज्यवार ब्यौरा
9.	कर्नाटक	27	20	एकत्र नहीं किया गया।
10.	मध्य प्रदेश	28	20	
11.	महाराष्ट्र	225	200	
12.	उड़ीसा	27	20	
13.	पंजाब	5105	5000	
14.	राजस्थान	124	100	
15.	उत्तर प्रदेश	86	80	
16.	पश्चिम बंगाल	17	10	
17.	चंडीगढ़	212	150	
18.	उत्तरांखड	64	44	
19.	दिल्ली	1802	1700	
	कुल	8637	8179	7636

एक्सेस प्रदाताओं द्वारा शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना

4628. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के दिशानिदेशानुसार सभी एक्सेस प्रदाताओं को कॉल सेंटर स्तर पर एक उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र और कंपनी में एक अपीलीय प्राधिकरण गठित करना होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी एक्सेस प्रदाताओं द्वारा उक्त शर्त का पालन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या दूरसंचार सेवाओं और उपभोक्ताओं के लिए सीधे शिकायत करने तथा उसके निवारण हेतु तंत्र न होने की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर, ट्राई ने इस संबंध में ट्राई अधिनियम की समीक्षा करने और सरकार को एक प्रस्ताव भेजने का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के तत्काल निवारण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। अभिगम प्रदाताओं ने कॉल सेंटर स्तर पर एक उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र और कंपनी के अंदर एक अपीलीय प्राधिकारी का पहले ही गठन कर लिया है।

(घ) और (ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकार ने ट्राई अधिनियम, 1997 में विभिन्न संशोधनों पर विचार करने के लिए फरवरी, 2007 में दूरसंचार विभाग को एक समेकित संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

[हिन्दी]

डाकघरों का उन्नयन

4629. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष में देश में राज्यवार विशेषकर उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में किन-किन डाकघरों का उन्नयन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) अभी तक कितने डाकघरों को उन्नत किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) डाकघरों की सावधिक समीक्षा के समय उनके उन्नयन के संबंध में आकलन किया जाता है। डाकघरों का उन्नयन निर्धारित मानदंडों पर आधारित है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 16 शाखा डाकघरों/उप डाकघरों का उन्नयन करना प्रस्तावित है। इनमें से उत्तर प्रदेश में शून्य तथा कर्नाटक में 9 स्थित हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान जिन डाकघरों के उन्नयन किए जाने की संभावना है उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 198 डाकघरों का उन्नयन किया गया है।

विवरण

उन्नयन किए जाने के लिए प्रस्तावित डाकघरों की सर्किलवार संख्या एवं नाम

क्रम सं.	सर्किल	उन्नयन किए जाने के लिए प्रस्तावित डाकघरों की संख्या	उन्नयन किए जाने के लिए प्रस्तावित डाकघरों के नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2	पोप्पालगुडा शाखा डाकघर गगनपहाड अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर
2.	असम	शून्य	
3.	बिहार	शून्य	
4.	छत्तीसगढ़	शून्य	
5.	दिल्ली	शून्य	
6.	गुजरात	शून्य	
7.	हरियाणा	शून्य	
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	
9.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	
10.	झारखंड	शून्य	

1	2	3	4
11.	कर्नाटक	9	बेल्लारंदूर शाखा डाकघर राजाजीनगर उप डाकघर कार्मलराम अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर जीगानी शाखा डाकघर होसकोटे उप डाकघर तांडवपुरा शाखा डाकघर साउथर्न एक्सटेंशन उप डाकघर देवराज उर्स लेआउट उप डाकघर विद्यानगर शाखा डाकघर
12.	केरल	शून्य	
13.	मध्य प्रदेश	शून्य	
14.	महाराष्ट्र	4	कसरवाडवली शाखा डाकघर कलहेर शाखा डाकघर लोनेरे शाखा डाकघर वादवानी शाखा डाकघर
15.	उत्तर पूर्व	शून्य	
16.	उड़ीसा	1	चितलो शाखा डाकघर
17.	पंजाब	शून्य	
18.	राजस्थान	शून्य	
19.	तमिलनाडु	शून्य	
20.	उत्तराखंड	शून्य	
21.	उत्तर प्रदेश	शून्य	
22.	पश्चिम बंगाल	शून्य	
	कुल	16	

[अनुवाद]

दूरसंचार सेवाओं के लिए धनराशि का आवंटन

4630. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में विशेषकर कर्नाटक में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु आबंटित की गई धनराशि का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दूरसंचार परिमंडलों ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इसे कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है;

(च) चालू वित्त वर्ष के दौरान कर्नाटक राज्य में उन्नत किए जाने हेतु कितने दूरभाष केन्द्रों को चिन्हित किया गया है और उनकी क्षमता कितनी है;

(छ) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) चालू वित्त वर्ष के दौरान सारे कर्नाटक राज्य को डब्ल्यूएलएल से कवर करने पर विचार कर रहा है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) गत तीन वर्षों के दौरान दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए राज्यवार आवंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 2007-08 के लिए निधियों के आबंटन के संबंध में विचार किया जा रहा है।

(ख) सीधी एक्सजेंच लाइनों के संबंध में गत 3 वर्षों और ब्रॉडबैंड के संबंध में गत 2 वर्षों के लक्ष्य और उपलब्धता की स्थिति का ब्यौरा विवरण-IIक और IIख में दिया गया है।

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान हुए राज्यवार व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) उपस्कर की आपूर्ति न होने के कारण ब्रॉडबैंड कनेक्शनों में कुछ कमी आई है।

(ङ) ब्रॉडबैंड कनेक्शनों में आई कमी सितंबर, 2007 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।

(च) कर्नाटक राज्य के सभी टेलीफोन एक्सचेंज आधुनिकतम प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हैं जिन्हें उन्नत करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(छ) जी, हां।

(ज) बीएसएनएल की योजना कर्नाटक सर्किल में पर्याप्त संख्या में बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) संस्थापित करके पूरे राज्य को कवर करने की है, केवल कुछ इलाके ही तकनीकी कारणों से इस सुविधा से वंचित रह सकते हैं। कर्नाटक सर्किल में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) उपस्करों का ब्यौरा निम्नवत है

मद	बीटीएस की संख्या	सञ्चित क्षमता (लाइनों में)
संस्थापित क्षमता	330	2,76,950
संस्थापन के अधीन	53	29,750
2007-08 के लिए आदेशित	281	2,00,000

विवरण I

दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्षवार, राज्यवार आवंटित निधियां

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आवंटित निधियां		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार	11.10	10.02	17.61
2.	आंध्र प्रदेश	637.03	603.96	505.00
3.	असम	117.92	227.36	137.22
4.	बिहार	254.68	246.82	219.66
5.	छत्तीसगढ़	58.16	108.18	220.24

1	2	3	4	5
6.	गुजरात	296.66	374.16	481.67
7.	हरियाणा	289.17	329.10	200.87
8.	हिमाचल प्रदेश	158.64	169.61	101.27
9.	जम्मू-कश्मीर	117.64	162.69	155.95
10.	झारखंड	140.26	208.10	152.51
11.	कर्नाटक	610.42	528.76	444.25
12.	केरल	770.04	920.11	419.17
13.	मध्य प्रदेश	211.38	318.13	350.01
14.	महाराष्ट्र	531.67	759.48	1081.44
15.	पूर्वोत्तर	123.31	158.95	179.86
16.	उड़ीसा	141.25	234.09	223.03
17.	पंजाब	288.63	667.02	343.11
18.	राजस्थान	448.94	473.77	404.30
19.	तमिलनाडु	802.46	632.78	744.96
20.	उत्तर प्रदेश	847.61	1053.35	775.19
21.	उत्तरांचल	98.50	159.03	112.67
22.	पश्चिम बंगाल	703.14	777.27	469.39
23.	अन्य	926.32	1349.74	1271.76
	कुल	8584.93	10472.48	9011.14

टिप्पणी:

1. पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वोत्तर-I और पूर्वोत्तर-II दूरसंचार सर्किल शामिल हैं; तमिलनाडु में चेन्नै टेलीफोन्स शामिल है; उत्तर प्रदेश में दूरसंचार सर्किल उ.प्र. (पूर्व) और उ.प्र. (पश्चिम) शामिल है, तथा पश्चिम बंगाल में कोलकाता टेलीफोन्स शामिल है।
2. अन्य में दूरसंचार परियोजना सर्किल, अनुरक्षण क्षेत्र और प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल हैं।

विवरण II(क)

गत तीन वर्षों के दौरान एक्सचेज लाइनों का सर्किलवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्रम संख्या	दूरसंचार सर्किल/मेट्रो जिले	निम्नलिखित वर्ष के दौरान					
		2004-05		2005-06		2006-07	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार	4,950	4,407	6,262	22,209	1,400	4,797
2.	आंध्र प्रदेश	319,850	295,671	477,548	333,141	560,600	366,282

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	106,800	153,502	141,119	251,531	41,200	222,807
4.	बिहार	219,150	179,635	449,167	448,605	160,000	162,593
5.	छत्तीसगढ़	51,450	47,969	101,857	73,885	408,100	264,085
6.	गुजरात	331,500	127,918	429,571	169,303	937,000	44,372
7.	हरियाणा	187,500	113,344	215,738	218,280	334,300	392,997
8.	हिमाचल प्रदेश	73,850	45,838	104,762	142,503	166,100	273,792
9.	जम्मू-कश्मीर	51,050	136,652	141,643	377,914	112,600	315,245
10.	झारखंड	75,500	87,053	157,524	211,863	51,300	146,875
11.	कर्नाटक	217,200	412,887	545,145	563,583	284,500	394,109
12.	केरल	509,000	710,685	708,071	1,101,915	301,600	533,719
13.	मध्य प्रदेश	166,100	202,668	212,571	198,456	739,100	541,559
14.	महाराष्ट्र	482,750	384,831	580,952	357,558	1,494,300	1,121,513
15.	पूर्वोत्तर-I	58,400	49,317	48,881	51,696	63,300	102,706
16.	पूर्वोत्तर-II	11,500	47,858	48,952	93,467	54,200	114,137
17.	उड़ीसा	159,600	181,940	241,857	311,313	216,200	224,532
18.	पंजाब	274,000	97,884	266,310	-133,346	256,100	531,190
19.	राजस्थान	320,850	234,226	484,714	805,493	676,100	865,401
20.	तमिलनाडु	274,300	581,741	433,595	663,209	833,700	620,093
21.	उत्तरांचल	69,950	65,509	84,476	166,350	103,900	202,623
22.	उत्तर प्रदेश पूर्व	293,300	388,035	622,714	877,515	951,900	1,201,225
23.	उत्तर प्रदेश पश्चिम	181,250	122,576	272,143	167,423	312,300	129,892
24.	पश्चिम बंगाल	266,000	195,046	304,714	440,238	385,900	364,269
25.	कोलकाता	175,850	222,111	216,190	183,272	300,700	210,008
26.	चेन्नै	118,350	197,101	203,524	126,849	253,600	213,529
	कुल	5,000,000	5,286,404	7,500,000	8,224,225	10,000,000	9,564,350

विवरण II(ख)

गत दो वर्षों के दौरान ब्रॉडबैंड के संबंध में सर्किल-वार लक्ष्य और उपलब्धि

क्रम संख्या	दूरसंचार सर्किल/मेट्रो जिले	2005-06		2006-07	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	अंडमान और निकोबार	200	204	100	600
2.	आंध्र प्रदेश	53000	45772	46400	19893
3.	असम	5000	3915	5800	3696
4.	बिहार	16000	12948	20400	1421
5.	छत्तीसगढ़	8000	5764	8000	4608
6.	गुजरात	42000	41304	44900	28290
7.	हरियाणा	12000	12487	9000	6119
8.	हिमाचल प्रदेश	1700	2179	1200	1843
9.	जम्मू-कश्मीर	4000	4035	2400	1682
10.	झारखंड	6000	5404	8700	4733
11.	कर्नाटक	110000	80086	83200	47052
12.	केरल	29000	24975	27000	25050
13.	मध्य प्रदेश	28000	26017	25500	6061
14.	महाराष्ट्र	55000	47709	59600	41682
15.	पूर्वोत्तर-I	1500	1022	2100	1197
16.	पूर्वोत्तर-II	750	360	2100	704
17.	उड़ीसा	7000	3787	7500	7481
18.	पंजाब	35000	24535	35000	26089
19.	राजस्थान	24000	20082	18500	15340
20.	तमिलनाडु	18500	20323	17700	42524
21.	उत्तरांचल	2500	2700	1400	3359
22.	उत्तर प्रदेश पूर्व	29000	19355	29600	20148
23.	उत्तर प्रदेश पश्चिम	11000	11084	7200	5790
24.	पश्चिम बंगाल	3000	2647	3900	5930
25.	कोलकाता	82000	71231	67000	34276
26.	चेन्नै	85000	62542	65800	350006
	कुल	669150	552467	600000	390574

टिप्पणी: ब्रॉडबैंड सेवाएं जनवरी 2005 से शुरू की गई।

विवरण III

दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्षवार, राज्यवार वास्तविक व्यय

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वास्तविक व्यय		2006-07
		2004-05	2005-06	(अनंतिम)
1.	अंडमान और निकोबार	7.70	7.24	19.25
2.	आंध्र प्रदेश	429.33	353.22	246.88
3.	असम	131.45	167.62	124.62
4.	बिहार	233.84	143.45	168.48
5.	छत्तीसगढ़	58.86	61.55	128.42
6.	गुजरात	211.20	233.82	210.28
7.	हरियाणा	279.61	190.82	130.69
8.	हिमाचल प्रदेश	46.43	148.71	97.19
9.	जम्मू-कश्मीर	102.45	171.09	74.47
10.	झारखंड	103.12	115.58	106.04
11.	कर्नाटक	379.07	328.75	186.42
12.	केरल	756.48	721.92	398.28
13.	मध्य प्रदेश	195.84	211.23	265.28
14.	महाराष्ट्र	579.76	296.99	531.73
15.	पूर्वोत्तर	125.86	119.46	102.60
16.	उड़ीसा	156.88	192.05	135.04
17.	पंजाब	432.77	398.61	201.87
18.	राजस्थान	385.28	220.54	224.32
19.	तमिलनाडु	495.33	680.11	391.88
20.	उत्तर प्रदेश	879.74	369.36	446.61
21.	उत्तरांचल	50.88	86.01	80.23
22.	पश्चिम बंगाल	443.59	626.35	368.25
23.	अन्य	1092.53	993.61	1691.58
	कुल	7578.00	6838.09	6330.41

टिप्पणी:

1. पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वोत्तर-I और पूर्वोत्तर-II दूरसंचार सर्किल शामिल हैं; तमिलनाडु में चेन्नै टेलीफोन्स शामिल है; उत्तर प्रदेश में दूरसंचार सर्किल उ.प्र. (पूर्व) और उ.प्र. (पश्चिम) शामिल हैं, तथा पश्चिम बंगाल में कोलकाता टेलीफोन्स शामिल है।
2. अन्य में दूरसंचार परियोजना सर्किल, अनुरक्षण क्षेत्र और प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग 121 की स्थिति

4631. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रामनगर और भैरोखाल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-121 की स्थिति खराब है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा रामनगर-भैरोखाल खंड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-121 के रख-रखाव उसे चौड़ा करने तथा उसके उन्नयन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग-121 की स्थिति में सुधार कब तक किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) रामनगर और भैरोखाल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-121 की स्थिति खराब नहीं है। पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-121 के इस खंड के सुधार के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत 11.84 करोड़ रु. के दो कार्य स्वीकृत किए गए हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) और अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्यों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 121 के इस खंड पर 11.05 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास कार्य यातायात की सघनता, धनराशि की उपलब्धता और कार्यों की पारस्परिक उपलब्धता के आधार पर किए जाते हैं।

कैलाश-मानसरोवर यात्रा

4632. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने व्यक्ति कैलाश-मानसरोवर की यात्रा पर गए;

(ख) क्या नेपाल पर्यटन बोर्ड ने कैलाश-मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले भारतीय पर्यटकों को विशेष पैकेज देने की पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मुंबई-काठमांडू के बीच उड़ानों को फिर शुरू करने की लंबे समय से मांग की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) विगत तीन वर्ष के दौरान कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	तीर्थयात्रियों की संख्या
2004	537
2005	529
2006	592

(ख) और (ग) नेपाल पर्यटन बोर्ड नेपाल को कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग के रूप में संवर्धित करना चाहता है। नेपाल में निजी यात्रा एजेंसियां कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले भारतीयों को पैकेजों की पेशकश करती हैं।

(घ) और (ङ) मुंबई काठमांडू क्षेत्र दोनों देशों के बीच विद्यमान द्विपक्षीय व्यवस्थाओं की शर्तों में अनुमोदित मार्गों में से है। अब दोनों देशों के नामित एयर कैरियर को संचालन के मार्ग का चयन करना है।

[हिन्दी]

भारत-पाक के बीच शांति वार्ता

4633. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान का विचार कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ शांति वार्ता शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच समग्र वार्ता

स्वरूप के भीतर वार्ता की जा रही है। दोनों देशों के विदेश सचिवों ने अब तक जम्मू और कश्मीर पर वार्ता के चार दौर पूरे कर लिए हैं। चौथे दौर की वार्ता मार्च, 2007 में इस्लामाबाद में आयोजित की गई थी।

झांसी-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करना

4634. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार झांसी-मिर्जापुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने और उसे सुदृढ़ बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 झांसी और मिर्जापुर को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 76 के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और सड़क गुणता सुधार के लिए 55.13 करोड़ रु. के 13 कार्य स्वीकृत किए गए। ये कार्य प्रगति के विभिन्न स्तरों पर है तथा इन्हें मार्च, 2008 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

सचल स्वास्थ्य इकाइयां

4635. श्री अशोक अर्गल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चिकनगुनिया रोग का प्रसार रोकने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सचल स्वास्थ्य इकाइयां चलाने का है;

(ख) देश में राज्यवार कितने सचल औषधालय चल रहे हैं और इन्हें किस योजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है; और

(ग) उक्त सचल इकाइयों पर वर्षवार कितनी राशि खर्च की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 12.4.2005 को शुरू किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन देश भर में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें 18 राज्यों अर्थात अधिकार प्राप्त कार्य दल वाले 8 राज्य (बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा और राजस्थान), 8 पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रमुख उद्देश्य, विशेषकर निर्धन एवं कमजोर वर्ग के लोगों को सुगम, वहनीय, जवाबदेह, प्रभावी एवं भरोसेमंद प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त इस मिशन का उद्देश्य प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-II, मलेरिया, दृष्टिविहीनता, आयोडीन अल्पता, फायलेरिया, कालाजार, क्षयरोग, कुष्ठरोग और एकीकृत रोग निगरानी सहित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मौजूदा सभी कार्यक्रमों को मिशन के अंतर्गत लाना है। चूंकि मिशन का उद्देश्य सभी मौजूदा कार्यक्रमों को कवर करना है, इसलिए चिकनगुनिया के नियंत्रण को भी इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में प्रत्येक जिले में सचल चिकित्सा एकक (एम एम यू) की व्यवस्था करके दूर-दराज, ग्रामीण क्षेत्रों में आउटरीच सेवाओं में सुधार लाने की बात कही गई है। देश के 595 जिलों को चरणबद्ध तरीके से सचल चिकित्सा एकक प्रदान करने का प्रस्ताव है।

राज्यों ने पहले ही अपने संसाधनों/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के जरिए 224 से अधिक सचल चिकित्सा एकक प्रचालित कर लिए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने 318 जिलों के लिए सचल चिकित्सा एककों का अनुमोदन किया है तथा इनमें से अधिकतर एककों के चालू वित्तीय वर्ष में प्रचालित होने की आशा है। इनमें से कुछ राज्यों ने दूरदराज क्षेत्रों में सेवाओं की आउटरीच बढ़ाने के लिए सचल चिकित्सा एककों की प्रभावी प्रणाली स्थापित की है। कुल पूंजीगत व्यय 175 करोड़ होने का अनुमान है तथा सम्पूर्ण देश के लिए कुल आवर्ती व्यय 122.21 करोड़ है।

[अनुवाद]

कनाडा में भारतीय छात्र

4636. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कनाडा में स्थानीय सरकार द्वारा उस विश्वविद्यालय, जिसमें भारतीय छात्रों के समूह द्वारा एमबीए डिग्री की पढ़ाई करने हेतु प्रवेश लिया था, को बंद कर दिया गया है जैसा कि दिनांक 12 अप्रैल, 2007 के 'द टाइम्स इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस संबंध में कनाडा सरकार से बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो कनाडा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) जी हां। प्रोविंसियल गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश कोलम्बिया, कनाडा ने फरवरी, 2007 में अधिकारियों द्वारा लांसब्रिज विश्वविद्यालय में स्थानीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन पाये जाने पर विश्वविद्यालय को 1 मई, 2007 से बंद करने का आदेश दिया था।

(ग) और (घ) टोरन्टो में भारत के महावाणिज्यिकदूत ने मामले को प्रोविंसियल गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश कोलम्बिया, कनाडा के साथ उठाया है। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के उन्नत शिक्षा मंत्री के साथ भी बैठक की थी। ब्रिटिश कोलम्बियाई सरकार ने एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की है जो विद्यार्थियों को अन्य विश्वविद्यालयों में हस्तांतरित करने के वैकल्पिक प्रबंधों द्वारा संबंधित विद्यार्थियों की सहायता करेगा। प्रभावित कुल 60 भारतीय विद्यार्थियों में से लगभग 50 विद्यार्थियों को पहले ही अन्य विश्वविद्यालयों में स्थानांतरित किया जा चुका है।

[हिन्दी]

कोयला खनन हेतु भारत-चीन समझौता

4637. श्री राकेश सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन के बीच कोयला खनन के क्षेत्र में सहयोग हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत कोयला खनन के मामले में आत्मनिर्भर है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और भारत किस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जनवरी, 1994 में चीन में सम्पन्न द्विपक्षीय विचार-विमर्श के दौरान सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए औपचारिक ढांचा प्रदान करने के लिए संयुक्त कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया गया। यह कार्यदल चीन और भारत में बारी-बारी से वर्ष में एक बार बैठक करता है। दिसम्बर 1994 के दौरान कार्यदल की दूसरी बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार, भारत और चीन के बीच कोयला क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के तहत परियोजनाओं की प्रगति को मानीटर करने के लिए 1995 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। अब तक कार्यदल की 11 बैठकें तथा टास्क फोर्स की 9 बैठकें हुई है। कार्यदल की अंतिम बैठक 3 अप्रैल, 2007 को नई दिल्ली में हुई। भारत-चीन संयुक्त कार्यदल की अंतिम टास्क फोर्स बैठक 2 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली में हुई।

सितम्बर, 1995 में तीन लांगवाल परियोजनाओं अर्थात साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लि. के राजेंद्र, न्यू कुण्डा और बलरामपुर क्षेत्रों में स्थापना एवं तैयार करने के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लि. और सीएमई, चीन के बीच तीन द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर हुए। इन्हें कार्यान्वित किया जा चुका है। बलरामपुर क्षेत्र में लघु लांगवाल प्रौद्योगिकी को लागू करने की अन्य परियोजना भी शुरू की गई थी। खान स्थल पर उपकरण पहुंच गया है और उसे स्थापित किया जा रहा है। उपर्युक्त के अलावा, हार्ड रूफ प्रबंध तकनीकियों, रेसिन केप्सूल मेन्युफेक्चरिंग, डीप शाफ्ट सिंकिंग की प्रौद्योगिकी कोयला खनन सुरक्षा आदि जैसे संबंधित मसलों पर सूचना/अनुभव को बांटने के लिए चर्चाएं हुई हैं।

(ग) और (घ) भारत कोयला खनन में कुल मिलाकर आत्मनिर्भर है। तथापि, नई प्रौद्योगिकियां और सम्बद्ध विकास लगातार हो रहे हैं। इन विकासों से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, दूसरे देशों के साथ तकनीकी जानकारी और सामग्रियों का नियमित रूप से आदान-प्रदान होता है।

नेशनल रोड फ्रेट एक्सचेंज की स्थापना

4638. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार परिवहन क्षेत्र में नकदी रहित लेन-देन हेतु नेशनल रोड फ्रेट एक्सचेंज पोर्टल की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सरकारी धनराशि का दुरूपयोग

4639. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर रहे कुछ गैर-सरकारी संगठन ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं और सरकारी धनराशि का दुरूपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम निकले?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 1151 गैर-सरकारी संगठन पूरे देश में उच्च जोखिम वाले समूहों में 1231 लक्षित कार्यकलाप परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं और 107 गैर-सरकारी संगठन 122 सामुदायिक परिचर्या केन्द्र चला रहे हैं। नाको के दिशा-निर्देश के अनुसार गैर-सरकारी संगठनों को मासिक कार्यकलाप रिपोर्टें, व्यय के लेखा परीक्षित ब्यौरे तथा अर्द्ध वार्षिक एवं वार्षिक आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते हैं। राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों से जिन्हें उपरोक्त रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती हैं, निधियों के दुरूपयोग की कोई रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कारगिल के शहीदों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष

4640. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों ने कारगिल में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों की सहायता करने के लिए धनराशि एकत्र कर उसे प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एस ई सी एल सहित सहायक कंपनियों से एकत्र की गई राशि का कंपनीवार ब्यौरा क्या है; और

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों में दरार

4641. श्री अबु अयीश मंडल: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों में आई दरारों के बारे में कोई जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों में आई दरारों की जांच करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में परिवहन का कोई वैकल्पिक मार्ग बनाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त मार्गों को कब तक बहाल किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों में आई दरारों और अन्य क्षति का आकलन कार्य एक सतत प्रक्रिया है। ऐसे आकलन के आधार पर तात्कालिक और दीर्घावधि दोनों प्रकार की मरम्मत/निवारक उपाय संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर किए जाते हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों में आई दरारों की जांच के लिए कोई समिति गठित नहीं की है।

(ङ) से (छ) राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी खंड के अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने अथवा इसके टूट जाने के कारण यातायात के आवागमन में बाधा होने की स्थिति में यातायात को वैकल्पिक मांगों से चलाया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के ऐसे क्षतिग्रस्त खंडों पर तात्कालिक मरम्मत और स्थायी निवारक उपायों के लिए धनराशि की उपलब्धता के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

4642. श्री जुएल ओराम: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेल शुरू होने से पहले दिल्ली में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कितने औषधालयों, अस्पतालों और अभिघात केन्द्रों को स्थापित और उन्नत किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उस अवधि से पूर्व, क्या अन्य अतिरिक्त स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाऐं उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार राष्ट्र-मंडल खेल, 2010 के लिए अपेक्षित अतिरिक्त स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था कर रही है।

उन्नयन केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार एक सतत गतिशील प्रक्रिया है।

स्वास्थ्य संबंधी खतरे

4643. श्री अमिताभ नन्दी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नमक उत्पादन के काम में लगे हुए व्यक्ति पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति अत्यधिक संवदेनशील हैं और अनेक प्रकार की व्यवसाय जनित स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा नमक का उत्पादन में लगे हुए श्रमिकों में किए गए अध्ययन से श्रमिकों में सिर-दर्द, सिर-चक्कर, जोड़ों के दर्द, मांस-पेशीय दर्द और हीट क्रेम्प्स की उच्च व्यापतता दर का पता चला। त्वचा की पपड़ी, सूखापन से दुखना, जलन-अनुभूति, फिशर, वार्टस और प्लांटर केरोटोडर्मिया जैसे चर्म रोग के लक्षण भी काफी अधिक थे।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने उपचारी उपायों के रूप में नमक श्रमिकों द्वारा गमबूटों और चश्मों के प्रयोग का मूल्यांकन किया। परिणामों से पता चला कि ये उपाय साल्ट पैन्स में कार्य करने के लिए आरामदेह और इनका नियमित प्रयोग करने से सोडियम और पोटासियम के अवचूषण में कमी हुई है।

[हिन्दी]

वेबसाइटों को हैक करना

4644. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनआईसी वेबसाइट सहित किसी सरकारी वेबसाइट को हैक किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी वेबसाइटों को हैक करने के कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं और गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइटों को हैक किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा हैकर समूह के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकारी वेबसाइटों को अधिक सुरक्षित बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) निकनेट पर उपलब्ध कराई गई जिन सरकारी वेबसाइटों को पिछले तीन वर्षों के दौरान हैक किया गया है, उनकी सूची नीचे दी गई है:

वेबसाइट	वेबसाइट के विवरण/साइट के स्वामी
1	2
1. http://govtenders.nicin	भारत सरकार टेण्डर सूचना प्रणाली
2. http://isidev.delhi.nic.in	औद्योगिकी विकास अध्ययन संस्थान
3. http://punjab.gov.in	पंजाब राज्य सरकार की कार्यकारी सूचना प्रणाली
4. http://delhipolice.nic.in	दिल्ली पुलिस
5. http://akshaya.kerala.nic.in	केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी मिशन, केरल सरकार

1	2
6. http://forest.and.nic.in	अण्डमान सरकार
7. http://labour.and.nic.in	अण्डमान सरकार
8. http://alhw.and.nic.in	अण्डमान सरकार
9. http://darpg.nic.in	प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, कार्मिक मंत्रालय
10. http://oss.kerala.nic.in	केरल सरकार
11. http://treasury.kerala.nic.in	केरल सरकार
12. http://cee.kerala.nic.in	केरल सरकार
13. http://gist.ap.nic.in	जिस्टनिक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र
14. http://aphmhidc.ap.nic.in	–
15. http://www.sanwand.nic.in	असम सरकार, शिव नगर
16. http://webjk.nic.in	–
17. http://tolil,mit.gov.in	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
18. http://www.mit.gov.in	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
19. http://knowledgecommission.gov.in	राष्ट्रीय ज्ञान आयोग

(ग) हैकर समूह के खिलाफ कार्रवाई करने का मामला आमतौर पर संबंधित नेटवर्क प्रतादाताओं के माध्यम से उठाया जाता है। लेकिन देश के कम्प्यूटर सर्वरों पर हमले मुख्यत: देश से बाहर स्थित कम्प्यूटर सर्वरों से किए जाते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हैकर की वास्तविक पहचान से संबंधित सूचना के अभाव में हैकरों के विरुद्ध कार्रवाई करना कठिन हो जाता है।

(घ) निकनेट की जो कम्प्यूटर प्रणालियों वेबसाइट उपलब्ध कराती है, वे सभी वास्तविक रूप से संरक्षित स्थल पर स्थित होती है और उन तक पहुंच पर अभिगम नियंत्रण, अंतरवेध निवारण प्रणाली, वायरस निरोधी सॉफ्टवेयर तथा अनुप्रयोग स्तर की फायरवॉल नीतियों के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है। सभी वेबसाइटों को कम्प्यूटर पर उपलब्ध कराने से पहले उनकी संवदेनशीलता की दृष्टि से परीक्षण किया जाता है।

भूमि गंवाने वालों के लिए मुआवजा

4645. श्री टेक लाल महतो: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार झारखण्ड राज्य के बोकारो जिले में सीसीएल की एक इकाई, दामोदर नदी विपथन क्षेत्र (डीआरडीए) को शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने भूमि गंवाने वालों को मुआवजे का भुगतान कर दिया है और उन्हें रोजगार प्रदान किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस इकाई से अभी तक कोयले का उत्पादन शुरू नहीं हुआ है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) कोयला उत्पादन कब तक शुरू होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। दामोदर नदी विपथन (डीआरडी), फुसरो-जारंगडीह रेल विपथन (पीजेआरडी) और कोयला खनन परियोजनाएं तीन एकीकृत परियोजनाएं हैं, जिनका इस क्षेत्र के लिए प्रस्ताव किया गया है। 2.00 करोड़ रु. के पूंजीगत परिव्यय से 1983 में सरकार द्वारा दामोदर नदी विपथन के अग्रिम कार्य प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था। 1993 में 5.59 करोड़ रु. के संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) का अनुमोदन किया गया था।

15.93 करोड़ रु. की लागत से 1982 में फुसरो-ज़ारंगडीह रेल विपथन की परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत की गई। 48.78 करोड़ रु. की पूंजी से 1991 में इस परियोजना के संशोधित लागत अनुमान अनुमोदित किए गए। दामोदर नदी विपथन क्षेत्र में भू-वैज्ञानिक संरचना एवं कोयला भंडार का पता लगाने के उद्देश्य से अन्वेषण किया जा रहा है।

(ग) और (घ) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. ने दामोदर नदी तथा रेल विपथन परियोजना के लिए अधिगृहीत भूमि के बदले 631 परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) को रोजगार दे दिया है। आज की तारीख तक मुआवजे के रूप में 3,60,22,152.00 रु. की राशि का भुगतान किया गया है।

(ङ) से (छ) कोयले का उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है। कंपनी के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास (आर. एंड आर) नीति के मानदंडों/प्रावधानों से हटकर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा रोजगार की मांग के कारण परियोजना में विलंब हुआ हैं। इस क्षेत्र से कोयले का उत्पादन 2010-11 में शुरू होने की संभावना है।

[अनुवाद]

अंडमान और निकोबार में यात्री यातायात

4646. डा. पी.पी. कोया: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप क्षेत्र और मेनलैंड इंडियन पोर्ट के बीच यात्री यातायात का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) बाहर जाने वाले यात्रियों में कितने स्थानीय निवासी, पर्यटक और रोजगार हेतु जाने वाले यात्री थे;

(ग) क्या क्षेत्र में यात्री और कार्गो आवाजाही की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त पत्तन सुविधा और यात्री पोत हैं;

(घ) अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों और मेनलैंड पोर्टों तथा पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीप समूहों के बीच कितने पोत चल रहे हैं;

(ङ) अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के कितने पत्तनों की मरम्मत की जा रही है; और

(च) मरम्मत का काम कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) अंडमान एवं निकोबार द्वीप क्षेत्र और मुख्यभूमि के भारतीय पत्तनों के बीच पिछले तीन वर्षों में यात्रियों के यातायात का ब्यौरा निम्नानुसार है:

2003-2004	पोर्टब्लेयर-चेन्नै-पोर्टब्लेयर-	102826
	पोर्टब्लयेर-कोलकाता-पोर्टब्लयेर-	59272
	पोर्टब्लेयर-विशाखापट्टनम-पोर्टब्लयेर-	17940
2004-2005	पोर्टब्लेयर-चेन्नै-पोर्टब्लेयर-	95547
	पोर्टब्लेयर-कोलकाता-पोर्टब्लेयर-	60191
	पोर्टब्लेयर-विशाखापट्टनम-पोर्टब्लेयर-	22507
2005-2006	पोर्टब्लेयर-चेन्नै-पोर्टब्लेयर-	94272
	पोर्टब्लेयर-कोलकाता-पोर्टब्लेयर-	59471
	पोर्टब्लेयर-विशाखापट्टनम-पोर्टब्लेयर	16640

(ख) टिकटें जारी करते समय स्थानीय निवासी, पर्यटक और रोजगार के संबंध में यात्रा करने वालों के रूप में यात्रियों की पड़ताल नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) 26.12.2004 को आई सुनामी से पहले यात्रियों और कार्गो के संचलन की मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए 56 घाट-ढांचों के माध्यम से पत्तन सुविधाएं उपलब्ध थीं, अर्थात् 8 मुख्यभूमि-द्वीप व्हार्फ/जेट्टियां, 14 अंतर-द्वीपीय जेट्टियां, 7 वाहन फैरी जेट्टियां और 27 स्थानीय फैरी जेट्टियां। सुनामी ने पत्तन की अवसंरचनात्मक सुविधाओं को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया। तत्पश्चात् यह सुनिश्चित किए जाने की दृष्टि से कि उपर्युक्त मांग को पूरा करने के लिए न्यूनतम पत्तन सुविधाएं उपलब्ध हों, बहाली से संबंधित गतिविधियों में एक समयबद्ध तरीके से तेजी लाई गई

इस समय अंडमान और निकोबार द्वीपमूह तथा मुख्यभूमि के पत्तनों के बीच 5 पोत चल रहे हैं और पोर्टब्लेयर तथा अन्य द्वीपों के बीच 78 जलयान चल रहे हैं, जिनमें यात्री, कार्गो, पर्यटन जलयान और अन्य उपयोगिता-जलयान शामिल हैं जो कि मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त हैं।

(ङ) इस समय 28 जलयानों की मरम्मत चल रही है/उनका वार्षिक यात्री पोत सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(च) यह एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है, फिर भी, जलयानों की मरम्मत/वार्षिक रखरखाव में लगने वाला समय 5-6 महीने है।

अनुदानों के लाभ

4647. श्री रघुनाथ झा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को गत चार वर्षों के दौरान देश के आठ प्रतिशत विकास दर से कोई लाभ नहीं मिला है और पूरे देश की लगभग 10 प्रतिशत ग्रामीण आबादी 9 रु. प्रतिदिन पर गुजारा करती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) उनकी दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) वर्ष 1999-2000 से 2004-05 के दौरान वर्ष 1999-2000 के मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के अर्थ में मापित अर्थव्यवस्था की वार्षिक औसत विकास दर 6.0 प्रतिशत थी। वर्ष 2004-05 में गरीबों का 21.8% वर्ष 1999-2000 के गरीबी अनुमान से तुलनीय है, जो कि 26.1 प्रतिशत था। इससे यह पता चलता है कि गरीबी कम हुई है और गरीबों को देश की विकास दर का लाभ प्राप्त हुआ है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एनएसएएस के 61वें दौर (जुलाई, 2004 से जून 2005) की रिपोर्ट संख्या 508(61/1.0/1), "लेवल एंड पैटर्न ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर 2004-05" में दिए गए मासिक प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय (एमपीसीई) के स्तरों के नीचे की ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर देश में ग्रामीण जनसंख्या के 9.9% का प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय वर्ष 2004-05 में 270 रु. प्रति माह अथवा प्रतिदिन 9.00 रु. से कम है।

(ख) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को देश की अर्थव्यवस्था के विकास का लाभ मिलना कारकों के जटिल सेट पर निर्भर करता है। आय वृद्धि की दर के अतिरिक्त (सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर द्वारा मापित), देश में गरीबी के प्रसार में परिवर्तन की व्याख्या के लिए, क्षेत्रकों व क्षेत्रों में और पेशों व सामाजिक श्रेणी में इसके वितरण और जनसंख्या वृद्धि की दर पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

(ग) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए एक त्रि-आयामी कार्यनीति अपनाई है: (1) रोजगार गहन क्षेत्रकों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आर्थिक विकास का तीव्रीकरण; (2) न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से मानव और सामाजिक विकास; और (3) लक्षित गरीबी-रोधी कार्यक्रम।

ग्रामीण क्षेत्रों में, गीपीएल परिवारों के उत्थान हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं, वे हैं: (1) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), (2) स्वर्ण-जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), (3) इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई), और (4) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम।

राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा

4648. चौ. मुनव्वर हसन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित देश के प्रत्येक राज्य में राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या तथा उनकी लंबाई कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के संदर्भ में दुर्घटना के शिकार लोगों को ले जाने के लिए कितने एंबुलेंस उपलब्ध कराए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राष्ट्रीय राजमार्गवार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना (एनएचएआरएसएस) के अंतर्गत एंबुलेंस द्वारा ले जाए गए दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित देश के प्रत्येक राज्य में राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्गों और उनकी लंबाई के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, यह मंत्रालय दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों को निकटतम चिकित्सा केन्द्र तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर सरकारी संगठनों को एंबुलेंस सेवा प्रदान करता है। गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 12 एंबुलेंस और उत्तरांखड को 2 एंबुलेंस प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, 3, 24 और 27 के लिए उत्तर प्रदेश में 6 एंबुलेंस प्रदान की गई हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उत्तराखंड में कोई एंबुलेंस प्रदान नहीं की है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत प्रदान की गई एंबुलेंसों द्वारा ले जाए गए दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों की संख्या से संबंधित पूर्ण ब्यौरे मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश को प्रदान की गई एंबुलेंस द्वारा गत तीन वर्ष के दौरान 395 दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति ले जाए गए थे।

विवरण

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	कुल लंबाई (किमी)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 16, 18, 43, 63, 202, 205, 214, 214ए, 219, 221 और 222	4472
2.	अरुणाचल प्रदेश	52, 52ए और 153	392
3.	असम	31, 31बी, 31सी, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62, 151, 152, 153 और 154	2836
4.	बिहार	2, 2सी, 19, 28, 28ए, 28बी, 30, 30ए, 31, 57, 57ए, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 110	3642
5.	चंडीगढ़	21	24
6.	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 78, 200, 202, 216, 217, 111 और 221	2184
7.	दिल्ली	1, 2, 8, 10 और 24	72
8.	गोवा	4ए, 17, 17ए और 17बी	269
9.	गुजरात	एनई-1, 6, 8, 8ए, 8बी, 8सी, 8डी, 8ई, 14, 15, 59, 113 और 228	3245
10.	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 21ए, 22, 64, 65, 71, 71ए, 72, 73, 73ए, 71बी और एनई-2	1512
11.	हिमालय प्रदेश	1ए, 20, 21, 21ए, 22, 70, 72, 88 और 73ए	1208
12.	जम्मू-कश्मीर	1ए, 1बी, 1सी और 1डी	1245
13.	झारखंड	2, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99 और 100	1805
14.	कर्नाटक	4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 206, 207, 209, 212 और 218	3843
15.	केरल	17, 47, 47ए, 49, 208, 212, 213 और 220	1440
16.	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 26ए, 27, 59, 59ए, 69, 75, 76, 78, 86 और 92	4670
17.	महाराष्ट्र	3, 4, 4बी, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 50, 69, 204, 211 और 222	4176

1	2	3	4
18.	मणिपुर	39, 53, 150 और 155	959
19.	मेघालय	40, 44, 51 और 62	810
20.	मिजोरम	44ए, 54, 54ए, 54बी, 150 और 154	927
21.	नागालैण्ड	36, 39, 61, 150 और 155	494
22.	उड़ीसा	5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 75, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217 और 224	3704
23.	पांडिचेरी	45ए और 66	53
24.	पंजाब	1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72 और 95	1557
25.	राजस्थान	3, 8, 11, 11ए, 11बी, 12, 14, 15, 65, 71बी, 76, 79, 79ए, 89, 90, 113, 112, 114 और 116	5585
26.	सिक्किम	31ए	62
27.	तमिलनाडु	4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 45सी, 46, 47, 47बी, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219, 220, 226 और 227	4462
28.	त्रिपुरा	44 और 44ए	400
29.	उत्तराखंड	58, 72, 72ए, 73, 74, 87, 94, 108, 109, 123, 119, 121 विस्तार और 125	1991
30.	उत्तर प्रदेश	2, 2ए, 3, 7, 11, 12ए, 19, 24, 24ए, 24बी, 25, 25ए, 26, 27, 28, 28बी, 28सी, 29, 56, 56ए, 56बी, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 91ए, 92, 93, 96, 97, 119 और एनई-2	5874
31.	पश्चिम बंगाल	2, 2बी, 6, 31, 31ए, 31सी, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 60ए, 80, 81 और 117	2377
32.	अंडमान ओर निकोबार	223	300
		जोड़	66590

"भूमि बैंक" की संकल्पना

4649. श्री हितेन बर्मन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला खानों हेतु अधिगृहीत भूमि के लिए प्रतिपूरक वनरोपण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए "भूमि बैंक" की संकल्पना क्या है;

(ख) क्या इस संकल्पना का वास्तव में कार्यान्वयन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी संकल्पना का कब तक कार्यान्वयन किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) अपवर्तित किए जा रहे वर क्षेत्र से दोगुना के बराबर गैर-वन भूमि अथवा अवक्रमित वन भूमि से प्रतिपूरक वनरोपण करने की अनुमति दी जाती है। उपयोगकर्ता एजेंसी को मांग प्राप्त होने पर संबंधित राज्य सरकार के पास प्रतिपूरक वनरोपण के लिए राशि

जमा करनी होती है तथा मांगी गई राशि के प्राप्त होने के बाद ही वन भूमि का वास्तविक हस्तांतरण उपयोग होता है।

(ख) जी, हां। मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य सरकार ने अपने संबंधित राज्यों में केन्द्रिय परियोजनाओं के प्रतिपूरक वनरोपण के लिए अपने राज्यों में अवक्रमित वन भूमि की पहचान की है। यदि संबंधित राज्य सरकारें अपेक्षित भूमि की पहचान करने में असफल होती हैं तो अन्य राज्यों की केन्द्र सरकार की परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में अवक्रमित वन भूमि का पूल भी उपलब्ध है। नोडल अधिकार (वन संरक्षण), राज्य वन विभाग संबंधित मुख्य वन संरक्षक (सी), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों के परामर्श से ऐसे अवक्रमित वन भूमि के पूल की पहचान करते हैं। संबंधित राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण योजना तैयार की जाती है और मांग प्राप्त होने पर कोयला कंपनियां प्रतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) के पक्ष में राशि जमा करती हैं।

(ग) संबंधित वन विभाग को उपयुक्त और समतुल्य गैर-वन भूमि की पहचान करने तथा अंतरित करने में होने वाले विलम्ब में कुछ हद तक कमी आयी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रस्तावित निवेश

4650. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) ने आगामी पंचवर्षीय योजना में दूरसंचार, विद्युत, सड़क और परिवहन, जल तथा स्वच्छता के क्षेत्र में 1,58,310 करोड़ रु. के निवेश का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों की स्थिति क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या अनुमानित उपलब्धियां होने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) द्वारा तैयार की गई भारतीय ग्रामीण अवसंरचना रिपोर्ट में दूरसंचार, विद्युत, सड़कें और परिवहन, जल तथा स्वच्छता के क्षेत्र में 1,58,313 करोड़ रु. के निवेश का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में श्री रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित की गई थी तथा एनसीएईआर के स्वर्ण जयंती समारोह, दिसम्बर, 2006 के अवसर पर जारी की गई।

प्रक्षेपित निवेश से अनुमानित उपलब्धियां इस प्रकार है:

(1) दूरसंचार-4.2 डीईएल प्रति 100 जनसंख्या का दूर घनत्व (टेलीडेनसिटी)

(2) विद्युत-वे सभी गांव जो अभी तक कवर नहीं हैं कवर किए जाएंगे।

(3) ग्रामीण सड़कें-वे सभी आवासन, जिन्हें सम्बद्ध नहीं किया गया है, सम्बद्ध किया जाएगा।

(4) पेय जल-वे सभी कवर न किए गए और आंशिक रूप से कवर किए गए आवासों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

कोयला भंडारों का दोहन

4651. श्री रेनेन बर्मन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई कोयला खानों में केवल सरल खुले मुहाने वाली खानों का ही संचालन हो रहा है तथा गहरे स्थित कोयला भण्डारों का दोहन नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे भण्डारों का दोहन नहीं होने से राज्य सरकारों को रॉयल्टी का नुकसान होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ङ) क्या कोयला उत्पादन कंपनियां कम पाए गए कोयला भण्डारों पर राज्य सरकारों को रॉयल्टी का भुगतान नहीं करती है; और

(च) यदि हां, तो कानून के किस उपबंध के अंतर्गत ऐसी रॉयल्टी नहीं दी जा रही है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) इस समय अधिक संख्या में ओपनकास्ट खानों की आयोजना की जा रही है/खोली गई हैं क्योंकि भंडार का स्वरूप कम गर्भाविधि एवं प्रचालन की बेहतर आर्थिकियों से इन खानों से बड़ी मात्रा में कोयला उत्पादन की अनुमति देता है। तथापि, कोल इंडिया लि. विभिन्न कोलफील्डों में कई भूमिगत खानों का भी प्रचालन करती है, उनमें से ईस्टर्न कोलफील्ड लि. और भारत कोकिंग कोलफील्ड लि. की कुछ खानें 400 मीटर से

भी अधिक गहरी हैं। ओपनकास्ट तथा भूमिगत खनन पद्धति के चयन का निर्णय परियोजना के समग्र अर्थव्यवस्था के आकलन पर निर्भर करता है न कि केवल कोयला भंडारों की गहराई पर।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, हां। कोयला भंडार के कम पाए जाने, यदि कोई हो, पर कोयला कंपनियों राज्य सरकारों को रायल्टी का भुगतान नहीं कर रही है।

कम्प्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क

4652. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत कम्प्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों की स्थापना करने में पीछे हैं;

(ख) देश में कार्य कर रही हार्डवेयर विनिर्माण इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार टेक्नोलॉजी पार्कों की स्थापना हेतु विशेष कर छूट देने का है जिससे वे ताइवान और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) योजना वाणिज्य विभाग की विदेश व्यापार नीति द्वारा शासित है। दिसम्बर, 2006 तक ईएसटीपी योजना के अंतर्गत 108 इकाइयां चल रही थी।

(ग) और (घ) वाणिज्य विभाग द्वारा आरम्भ की गई विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) योजना तथा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा आरम्भ की गई औद्योगिक पार्क योजना के अंतर्गत विकासकर्ताओं को आयकर संबंधी लाभ आयकर अधिनियम की धारा 80-1 क के अंतर्गत उपलब्ध हैं। प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना उपर्युक्त में से किसी भी योजना के अंतर्गत की जा सकती है।

मांस में डीडीटी

4653. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) द्वारा नियंत्रित इंटरनेशनल कोडेक्स ऐलिमेन्टेरियस कमीशन (सीएसी) और खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ ए ओ) द्वारा अनुमत्य अधिकतम अवशिष्ट स्तर (एम आर एल) की तुलना में मांस और कुक्कुट में उच्चस्तरीय जहरीला कीटनाशी डीडीटी कंटेंट की अनुमति देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोडेक्स, इण्डिया की ओर से सीएसी द्वारा यथासंस्तुत न्यून स्तर पर इसे लाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) कृषि में डीडीटी के प्रयोग पर प्रतिबंध है। तथापि, देश में वेक्टर नियंत्रण (मलेरिया कार्यक्रम) के लिए डीडीटी के प्रयोग की अनुमति है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत विभिन्न खाद्य वस्तुओं में डीडीटी की अधिकतम अवशिष्ट सीमा (एम आर एल) को इस कारण से निर्धारित किया गया है कि, यद्यपि एक कीटनाशी होने के कारण डीडीटी पर्यावरण में बना रहता है, को कृषि में प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, फिर भी सामान्यतया, खाद्य वस्तुओं, भोजन एवं चारे में इसका पता लगाया गया है।

इस अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत केन्द्रीय खाद्य मानक समिति, सांविधिक समिति है, का परामर्श लेते हुए मांस, मुर्गा-मुर्गी एवं मछली (साबुत उत्पाद के आधार पर) में डीडीटी की अधिकतम सह्य-सीमा (एम आर एल) 7:0 पीपीएम निर्धारित की गई है।

मांस में (समुद्री स्तनपायी को छोड़कर अन्य स्तनपायियों से) डीडीटी का वर्तमान कोडेक्स स्तर (जैसा कि वर्ष 2006 में था) 5.0 मिलीग्राम/किलोग्राम (चर्बी/वसा के आधार पर) है और मुर्गे-मुरगियों के मांस में 0.3 मिलीग्राम/किलोग्राम है।

(ग) से (ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की तुलना में जनसंख्या अनुपात

4654. डा. के.एस. मनोज: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य राज्यों की तुलना में केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई इसकी जनसंख्या अनुपात के मुकाबले कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य राज्यों की स्थिति क्या है; और

(ग) इस विषमता को कम करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) केरल में प्रति लाख आबादी और राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का अनुपात 4.79 किमी. है जो देश के कुछ राज्यों के मुकाबले अधिक और कुछ अन्य राज्यों के मुकाबले कम है। फिलहाल अखिल भारतीय औसत 6.5 किमी. है।

(ग) नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा, क्षेत्र, राज्य, उसके क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार की जाती है।

[हिन्दी]

लोक शिकायत निवारण तंत्र

4655. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री नरहरि महतो:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर औसतन कितनी लोक शिकायतें प्राप्त की जाती है;

(ख) प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य मंत्रालयों में गत तीन वर्षों में कितनी शिकायतें निपटाई गई तथा कितनी लम्बित है;

(ग) ऐसी शिकयतों की प्रकृति क्या है;

(घ) क्या सरकार का ब्लॉक स्तर पर लोक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(छ) ऐसे मामलों में से कितने पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) तीन वर्षों की अवधि (2004-06) में प्रति माह प्रधान मंत्री कार्यालय के पब्लिक विंग में लोक शिकायतों से संबंधित औसतन लगभग 6,000 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं।

(ख) कार्यवाही की जाने योग्य सभी याचिकाओं की प्रधानमंत्री कार्यालय में छानबीन की गई थी और उन्हें समुचित कार्यवाही के लिये संबंधित प्राधिकारियों को अग्रेषित कर दिया गया था।

(ग) ये शिकायतें मुख्य रूप से लोक सेवकों, सेवा संबंधी शिकायतों, बेरोजगारी, कानून एवं व्यवस्था, वित्तीय सहायता, संपत्ति/भूमि विवादों तथा नागरिक सुविधाओं आदि से संबंधित थी।

(घ) से (च) राज्य सरकारों ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा 24 मई, 1997 को आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रभावी और उत्तरदायी प्रशासन के लिये एक कार्य-योजना अपनाई है। इस योजना में यह बात भी शामिल है कि सभी राज्य सरकारें शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निवारण के लिये सचिवालय स्तर से लेकर नीचे ग्रामों तक विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध सुविधाओं का व्यापक रूप से प्रचार करेगी। राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिये एक आंतरिक और लोक शिकायत विभाग राज्य सरकारों को शिकायतों को समयबद्ध रूप से त्वरित निपटान के लिए समय-समय पर निर्देश जारी करता है।

(छ) इस अवधि के दौरान पश्चिमी बंगाल से प्राप्त हुई ऐसी शिकायतों की संख्या 11,087 है।

[अनुवाद]

खाद्य उत्पादों में तम्बाकू या निकोटिन पर प्रतिबंध

4656. प्रो. एम. रामदास: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य कंपनियों द्वारा उत्पादों के 'प्रूव्स ऑफ पैकिंग' में परिवर्तन करने के अनुदेश जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खाद्य उत्पादों में तम्बाकू या निकोटिन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/कंपनियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए जाने के प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 491 (ङ) दिनांक 21 अगस्त, 2006 के तहत खाद्य एवं अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत पैकेट में रखने से पूर्व खाद्य पदार्थों की लेबल संबंधी अपेक्षाओं में संशोधन करने वाली एक अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है जो 20 अगस्त, 2007 से लागू हो जाएगी। संशोधित उपाबंध, अन्य अपेक्षाओं के साथ-साथ, मोटे तौर पर निम्नलिखित पहलुओं को कवर करते है:

* लेबल पर मात्रात्मक अवयवों की घोषणा;
* उत्पाद के प्रति 100 ग्राम में पूरी पोषणिक और इनको किस ढंग से घोषित किया जाएगा, के बारे में सूचना देना;
* लेबल पर पोर्क फैट, लार्ड और गो-मांस वसा अथवा सत्व/अर्क के विद्यमान होने की उनके विशिष्ट नामों के साथ घोषणा करना;
* आयातित खाद्य पदार्थ के मामले में लेबल पर उत्पत्ति करने वाले देश का उल्लेख करना;
* उस खाद्य उत्पाद के लेबल पर फलों के चित्रों का प्रयोग नहीं करना जहां फल का अवयव के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है।
* केवल मिलाए गए पानी, जहां यह अवयव जैसे खारा-पानी, शर्बत अथवा दोनों का भाग बनता है, को छोड़कर मिलाए जाने वाले पानी की घोषणा करना।

(ग) से (ङ) खाद्य एवं अपमिश्रण निवारण नियम में उपर्युक्त संशोधन के अनुसार तम्बाकू और निकोटीन को स्वामित्व वाले खाद्य उत्पादों में अवयवों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी उल्लंघन के मामले में इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित कानूनी कार्रवाई की जाती है।

स्वास्थ्य नगर

4657. श्री अधीर चौधरी:
श्री अजीत जोगी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों में स्वास्थ्य नगर बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितना व्यय आने की संभावना है; और

(घ) इस प्रस्ताव के कब तक कार्यशील होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) दिल्ली अथवा किसी अन्य राज्य में 'स्वास्थ्य नगर' बनाने का कोई प्रस्ताव नही है।

[हिन्दी]

ट्रांसपोर्टरों द्वारा कोयले की चोरी

4658. श्री चन्द्रशेखर दुबे:
श्री रवि प्राकश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी 2007 में कुछ निजी ठेकेदारों की कुछ गाड़ियां जब्त की गई थी जो अनुपयोगी कोयला ढुलाई के नाम पर एसईसीएल से चुराए गए साफ कोयले की भारी मात्रा ले जा रहे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप चुराए गए कोयले की मात्रा और मूल्य कितना है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) चूंकि एसईसीएल के स्वामित्व वाली/उसके द्वारा प्रचालित कोई वाशरी यूनिट नहीं है, इसलिए एसईसीएल द्वारा स्वच्छ कोयले और रिजेक्टेड कोयले के उत्पादन/परिवहन का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि फरवरी, 2007 में एसईसीएल के क्रमश: हसदेव क्षेत्र और रायगढ़ क्षेत्र में क्रमश: 4 टन और 16.650 टन चोरी का कोयला ढो रहे दो वाहनों को जब्त किया गया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

(ग) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए कोयला कंपनियां राज्य प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखती हैं। इसके अलावा, कोयले की चोरी/उठाईगिरी को रोकने के लिए सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

1. अवैध कोयला डिपो और कोयले के अवैध परिचालन के बारे में आसूचना रिपोर्ट इकट्ठा करना और निवारणात्मक कार्रवाई करने के लिए उक्त की सूचना जिला प्राधिकारियों को देना।
2. परिवहन दस्तावेजों की जांच करने के लिए संवेदनशील बिन्दुओं पर चेक पोस्टों की स्थापना करना।
3. वॉच टावरों का निर्माण करना और कोयला भंडार वाले क्षेत्र के आसपास प्रकाश की व्यवस्था करना।
4. पिटहेड डिपों के चारों ओर कंटीले तार/चाहरदीवारी की व्यवस्था करना, रात में हथियारबंद गार्डों की तैनाती सहित स्थाई सुरक्षाबल की तैनाती।
5. हथियारबंद गार्डों द्वारा रेलवे तोल सेतुओं तक लदे हुए रेकों का परिरक्षण करना और लंबे रेलवे ट्रेकों जहां वैगनों के लूटे जाने की संभावना है, रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ) के साथ संयुक्त रूप से गश्त लगाना।
6. चोरी और उठाईगिरी के कार्य में पकड़ी गई परिवहन गाड़ियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना
7. कोयले की चोरी/उठाईगिरी में महिलाओं और बच्चों के लिप्त होने को रोकने के लिए महिला सुरक्षा गार्ड लगाना, सुरक्षा कार्मिकों की आवश्यकता का पुन: आकलन करके सुरक्षा स्कंध को सुदृढ़ बनाना, सुरक्षा कार्य की क्षमता वाले अधिकारियों का होरीजोंटल संचलन तथा कनिष्ठ, मध्यम तथा वरिष्ठ स्तरों पर योग्य सुरक्षा कार्मिकों को लगाना।
8. मौजूदा सुरक्षा कार्मिकों का प्रशिक्षण, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल (सीआईएसएफ), कार्मिकों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए सुरक्षा स्कंध में नए भर्ती हुए कार्मिकों को बेसिक प्रशिक्षण देना।

[अनुवाद]

भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन

4659. श्री एम. शिवन्ना:
श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज):
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक भूतपूर्व हॉकी खिलाड़ियों ने भारतीय हॉकी परिसंघ के नकारात्मक रवैये जिसके परिणामस्वरूप देश में हॉकी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, के विरुद्ध दिल्ली में एक प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पिछले विश्व कप और एशियाई खेलों में पुरुष भारतीय हॉकी टीम के भाग लेने के लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर भारी राशि खर्च की थी;

(घ) यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ङ) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय हॉकी टीम के घटिया प्रदर्शन पर भारतीय हॉकी परिसंघ से कोई स्पष्टीकरण मांग है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) सरकार से अनुदान/वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होने के लिए खेल परिसंघों के लिए निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है और उन्हें किस आधार पर धनराशियां संवितरित की जाती है;

(ज) क्या भविष्य में मार्गदर्शन हेतु एक संचालन समिति का गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(झ) यदि हां, तो ऐसी समिति का गठन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ञ) भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन को सुधारने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। कुछ भूतपूर्व ओलंपिक खिलाड़ियों ने दोहा एशियाई खेलों में भारतीय हाकी टीम के धूमिल प्रदर्शन के खिलाफ दिल्ली में एक जुलूस निकाला था तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को एक ज्ञापन दिया जिसमें भारतीय हाकी परिसंघ के वित्तीय लेनदेन की जांच करने, वर्तमान आई.एच.एफ. के गठन को भंग करना, 2008 ओलंपिक के लिए टीम को सक्षम बनाने हेतु तुरंत उपाय करने के लिए एक तदर्थ विशेषज्ञ समिति का गठन करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने 2006 में पुरुष हाकी के लिए राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों पर 35,11,935 रु., की राशि खर्च की थी। इसके अलावा, भारतीय हाकी परिसंघ को 23,80,950 रु. की अग्रिम राशि दी गई थी ताकि वह विश्व कप, 2006 में सहभागिता के लिए भारतीय हाकी टीम के भोजन और आवास के व्यय को पूरा कर सके तथा 26,61,436 रु. टीम की यात्रा व्यय के लिए दिये गए थे। दोहा एशियाई खेलों में सहभागिता के लिए भारतीय हाकी टीम की यात्रा लागत, भोजन और आवास तथा किट पर कुल 18,63,015 रु. की राशि खर्च हुई थी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों के आयोजन तथा भारत और विदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय हाकी टीम की सहभागिता पर 41,66,181 रु. की धनराशि खर्च हुई थी।

(ङ) और (च) सरकार हाकी में भारत के प्रदर्शन पर चिंतित है जो हाल के वर्षों में उम्मीद से काफी कम रहा है और इस संबंध में भारतीय ओलंपिक संघ से हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। भारतीय हाकी परिसंघ जो मुख्यत: देश में इस खेल के विकास से तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय टीमों के प्रदर्शन से संबंधित है, ने कहा कि वह हाकी की दुनिया में देश को उसका सही स्थान पुन: दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है तथा दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं, कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के चोटिल हो जाने की वजह से पिछले विश्व कप और एशियाई खेलों के लिए उत्कृष्ट तैयारी तथा सुव्यवस्थित कोचिंग शिविरों, वैज्ञानिक समर्थन, प्रशिक्षित पेशेवरों की भागीदारी तथा पर्याप्त मैचों में प्रदर्शन के अवसर के संबंध में इस मंत्रालय की सहायता से भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग के बावजूद कुछ मैचों में प्रदर्शन खराब और उम्मीद के अनुसार नहीं रहा।

(छ) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत, खेल संगटनों को निम्नलिखित मानदंड पूरे करने चाहिएं।

1. राष्ट्रीय खेल परिसंघ इस मंत्रालय से मान्यता प्राप्त होते ही तत्काल सहायता के लिए पात्र हो जाएंगे।
2. वे समुचित लोकतांत्रिक और स्वस्थ प्रबंधन प्रथाओं को अपनाएंगे जिसमें सभी स्तरों पर और अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता होगी।
3. वे सभी स्तरों पर समुचित लेखांकन प्रक्रिया को अपनाएंगे तथा वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेंगे।
4. वे वर्ष के पूर्ण होने के 6 महीने के अंदर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
5. वे भेदभाव रहित और पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाएंगे।
6. वे भारत में खेलों के प्रमुख प्रायोजक के रूप में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को सकारात्मक अवसर देंगे, और
7. वे सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित खेल विधा के अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा निर्धारित मानकों/मानदंडों के अनुसार इसके सभी खिलाड़ियों की डोप जांच नियमित रूप से हो।

सरकार ने मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को ओलंपिक/एशियाई/राष्ट्रमंडल/सैफ खेल और विश्व चैम्पियनशिपों में उनके प्रदर्शन के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा है। ''प्राथमिकता'' और ''सामान्य'' श्रेणी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सहभागित और विदेश में प्रशिक्षक, उपस्करों की खरीद भाखेप्रा द्वारा आयोजित कोचिंग शिविरों तथा भारत में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है जबकि ''अन्य'' श्रेणी के लिए केवल वार्षिक राष्ट्रीय चैम्पिनशियों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। हाल के वर्षों में सभी प्रमुख टूर्नामेंटों में लगातार खराब प्रदर्शन के कारण पुरुष हाकी को ''प्राथमिकता'' श्रेणी से ''सामान्य'' श्रेणी में कर दिया गया है।

(ज) से (ञ) भारतीय हाकी परिसंघ ने सूचित किया है कि वह विशेषज्ञों की एक छोटी टीम नामांकित करने का प्रस्ताव करते हैं जिनका नेतृत्व एक पूर्णतया समर्पित कोचिंग निदेशक करेगा जो अत्यधिक सावधानी से कोचिंग शिविरों की योजना बनाएगा तथा भाखेप्रा और खेल मंत्रालय के तत्वावधान में समुचित सुविधाओं तथा वैज्ञानिक समर्थन का प्रबंधन करेगा जिसका तात्कालिक लक्ष्य ओलम्पिक्स के लिए टीम तैयार करना और क्वालीफाई करना होगा। इस परिसंघ ने अगले चार वर्षों के लिए युवा विकास कार्यक्रम भी शुरू किया है जिसके लिए ओलंपिक, विश्व कप और ऐशियाई खेलों की विजेता टीमों के भूतपूर्व कैप्टनों सहित बलबीर सिंह, अजीत पाल सिंह, बी. भास्करन और धनराज पिल्लई के साथ विचार-विमर्श हो चुका है।

सेलुलर ऑपरेटर-बैंक-ट्राई के बीच सांठ-गांठ

4660. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के उपभोक्ता राज्य आयोग ने 26 दिसम्बर, 2006 के अपने आदेश में सेलुलर आपरेटरों, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं तथा ट्राई को एक ''अनहोली ट्रीनिटी'' कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) व्यापक जनहित में इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) दिल्ली के उपभोक्ता राज्य आयोग ने दिनांक 26.12.2006 के अपने आदेश में ''अनहोली ट्रीनिटी'' पर निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

''31. ऐसा नहीं है कि विनियामक प्राधिकरण, अर्थात् ट्राई इस समस्या से अवगत नहीं है, जो कि एक महामारी की तरह फैली है, परंतु ट्राई इस समस्या का समाधान करने में सफल नहीं रहा है। उसने इस बारे में कोई प्रभावी कदम या उपाय नहीं किए हैं। अत: निष्कर्षत: हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे बिना नहीं रह सकते हैं कि सेल्यूलर सेवा प्रदाताओं, बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा अन्य कंपनियों, जो टेलीमार्किटिंग के माध्यम से अपने उत्पाद बेचती हैं, तथा ट्राई, जो हमेशा इन समस्याओं की अनदेखी करता रहता है, संयुक्त रूप से अलग-अलग तथा परोक्ष रूप से इसके लिए उत्तरदायी हैं। उनकी यह ''अनहोली ट्रीनिटी'' है.....''

(ग) अवांछित टेलीमार्किटिंग कॉलों के मुद्दों के समाधान हेतु, सरकार ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अनुदेश दिए हैं कि वे अपने कर्मचारियों द्वारा अपने उपभोक्ता से संबंधित सूचना के किसी संभावित अवैध विक्रय को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 23 अप्रैल, 2007 को अवांछित टेलीमार्किटिंग कॉलों पर नियंत्रण हेतु ''नेशनल डू नॉट काल रजिस्ट्री (एनडीएनसी)'' नामक तंत्र स्थापित करने के लिए एक मसौदा विनियमन जारी किया है।

अपने उपभोक्ताओं की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, मोबाइल सेवा प्रदाताओं ने ऐसे उपभोक्ताओं हेतु, जो अपने मोबाइल सेवा प्रदाता के उत्पाद और सेवा से संबंधित सूचना प्राप्त करने के इच्छुक नहीं हैं, पहले ही ''डू नोट डिस्टर्ब'' सुविधा शुरू कर दी है। इसके अलावा ट्राई ने अग्रणी समाचार-पत्रों में विज्ञापन के जरिए मोबाइल उपभोक्ताओं को इस सुविधा का उपयोग करने की सलाह दी है।

[हिन्दी]

बजटीय आवंटन का उपयोग

4661. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रामकृपाल यादव:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किए गए आबंटन में से प्रत्येक खेल पर अलग-अलग वर्षवार कितनी राशि खर्च की गयी;

(ख) अप्रयुक्त राशि, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार में एक राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज्य मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) मंत्रालय प्रशिक्षण, कोचिंग शिविरों के आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारतीय टीमों की सहभागिता, देश में टूर्नामेंटों के आयोजन, उपस्कर सहायता आदि के लिए मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विभिन्न खेल विधाओं से संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों को प्रदान की गई निधियों के वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाये गए हैं।

(ख) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत कोई अप्रयुक्त धनराशि नहीं पड़ी है।

(ग) बिहार में राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ''खेल'' राज्य का विषय है, राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियमों सहित, खेल अवस्थापना के सृजन के लिए राज्य सरकार की मुख्य रूप से जिम्मेदारी है। इस संबंध में, वे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विवरण

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2004-2005	2005-2006	2006-2007 (31-3-2007)
1	2	3	4	5
1.	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ	14.25	13.98	12.68
2.	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ	111.90	78.94	112.46
3.	अखिल भारतीय कराटे-डो परिसंघ	0.00	0.00	3.45
4.	अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद	30.02	13.43	19.15
5.	भारतीय एमेच्योर बेसबाल परिसंघ	12.50	07.00	15.49
6.	भारतीय एमेच्योर हैंडबाल परिसंघ	14.00	34.57	38.64
7.	भारतीय आत्यापात्या परिसंघ	7.50	12.00	15.50
8.	भारतीय बाल बैडमिंटन परिसंघ	5.50	0.00	0.00
9.	भारतीय बास्केटबाल परिसंघ	49.61	41.21	36.31
10.	भारतीय साईकल पोलो परिसंघ	6.75	0.00	30.00
11.	भारतीय फेंसिंग संघ	17.07	43.78	45.70
12.	भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ	18.88	14.88	66.47
13.	भारतीय शरीर सौष्ठव परिसंघ	0.00	0.00	0.00
14.	भारतीय कयाकिंग और केनोइंग संघ	16.06	36.50	21.23
15.	भारतीय पोलो संघ	1.62	01.10	1.555
16.	भारतीय पावर लिफ्टिंग परिसंघ	13.00	15.00	8.50
17.	भारतीय जूडो परिसंघ	56.37	64.66	48.62
18.	भारतीय खो-खो परिसंघ	18.92	12.00	2.00
19.	भारतीय कोर्फ बाल परिसंघ	12.50	09.00	12.50
20.	अखिल भारतीय टेनिस संघ	136.87	77.45	90.07
21.	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ	218.37	433.43	373.19
22.	भारतीय नेटबाल परिसंघ	7.50	11.50	8.50
23.	भारतीय रोलर स्केटिंग परिसंघ	15.00	9.00	0.00
24.	भारतीय रोइंग परिसंघ	118.43	51.65	9.75
25.	भारतीय सेपक टकारो परिसंघ	7.50	10.50	13.50

1	2	3	4	5
26.	भारतीय शूटिंग बाल परिसंघ	12.00	0.00	0.00
27.	भारतीय साफ्ट बाल परिसंघ	14.00	9.80	10.00
28.	भारतीय स्क्वैश राकेट परिसंघ	119.37	15.42	21.94
29.	भारतीय तैराकी परिसंघ	11.76	53.33	13.59
30.	भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ	116.78	165.10	178.75
31.	भारतीय ताइक्वांडो परिसंघ	6.00	0.00	0.00
32.	भारतीय टेनी-कोइट परिसंघ	10.50	11.00	13.00
33.	भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ	7.00	17.00	11.50
34.	भारतीय रस्साकशी परिसंघ	12.50	11.50	20.75
35.	भारतीय वालीबाल परिसंघ	32.17	94.97	58.17
36.	भारतीय याटिंग संघ	159.88	141.30	78.40
37.	भारतीय वुशू संघ	10.50	7.10	10.50
38.	भारतीय थ्रो बाल परिसंघ	0.00	9.00	1.50
39.	पैरालंपिक	0.00	13.50	48.71
40.	भारतीय तीरदांजी संघ	58.95	51.75	96.48
41.	भारतीय बिलयर्डस और स्नूकर परिसंघ	23.52	28.57	16.13
42.	भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी परिसंघ	81.28	142.74	97.81
43.	भारतीय हाकी परिसंघ	194.21	96.46	92.09
44.	भारतीय महिला हाकी परिसंघ	110.35	78.81	111.64
45.	भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ	25.00	24.69	13.95
46.	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ	79.88	51.41	3.28
47.	भारतीय एथलेटिक परिसंघ	215.08	227.95	86.83
48.	भारतीय बैडमिंटन संघ	160.16	271.94	117.65
49.	भारतीय घुड़सवारी परिसंघ	32.76	31.20	29.06
50.	फुटबाल	119.36	70.37	30.55
51.	भारतीय गोल्फ यूनियन	32.48	37.84	33.65
52.	भारतीय कुश्ती परिसंघ	225.35	209.82	32.58
53.	भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ	9.64	12.51	1.65

1	2	3	4	5
54.	भारतीय महिला क्रिकेट परिसंघ	0.00	0.00	1.00
55.	भारतीय साईक्लिंग परिसंघ	16.38	11.73	1.00
56.	स्पेशल ओलंपिक भारत	0.00	0.00	4.50
	कुल	2806.98	2888.39	2221.92

[अनुवाद]

खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र

4662. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार, स्थानवार स्थापित खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) का कर्नाटक के हवेरी जिले में खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 230 प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं। इन प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्यवार सूची उनके स्थान सहित ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिए गए है।

(ख) भा.खे.प्रा. के पास हवेरी जिले, कर्नाटक में भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता/स्थिति	विशेष क्षेत्र खेल/स्थिति	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र/स्थिति	सेना बाल खेल कंपनी/स्थिति	उत्कृष्टता केन्द्र/स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान निकोबार	1 रंगथ	1 पोर्ट ब्लेयर	-	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	5 विजयवाड़ा हैदराबाद विशाखापतनम जिला-रंगा रेड्डी जिला-श्रीकाकुलम	-	5 सिकन्दराबाद, एलूरु, मेडक, विशाखापतनम, कुरनूल	2 हैदराबाद सिकन्दराबाद	-
3.	अरुणाचल प्रदेश	1 जिला-लोहीर	1 नाहरलगुम	-	-	-
4.	असम	4 जिला-गुहाटी जिला-धारंग, जिला-सोनितपुर कामरूप	2 तिनसुकिया	2 गुहाटी, गंगटोक	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5.	बिहार	4 नालन्दा, बेगुसराय, भोजपर, कटिहार	3 मुजफ्फरपुर किशनगंज दिदौर	1 पटना	1 दानापुर	–
6.	चंडीगढ़	3 चंडीगढ़	–	1 चंडीगढ़	–	–
7.	छत्तीसगढ़	4 जिला-सरगुजा दांतेवाड़ा, बिलासपुर बस्तर	–	1 राजनांदगांव	–	–
8.	दमन दियु	–	–	–	–	–
9.	दिल्ली	7 कुतुबगढ़, नजफगढ़ सिविल लाइन्स, गुरमांडी, आजादपुर नयी सब्जी मंडी	–	1 दिल्ली	1 दिल्ली छावनी	1 दिल्ली
10.	गोवा	1 केनाकोना जिला-साउथ गोवा	–	1 पोंडा	–	–
11.	गुजरात	2 जिला-खेड़ा, जिला-पोरबंदर	–	1 गांधीनगर	–	0 गांधीनगर
12.	हरियाणा	9 राय, सोनीपत, गुड़गांव, अम्बला, कैथल, हिसार, जिन्द, झज्जर	–	3 भिवानी, हिसार, कुरक्षेत्र	–	1 सोनीपत
13.	हिमाचल प्रदेश प्रदेश	2 ऊना	–	2 बिलासपुर धर्मशाला	–	–
14.	जम्मू-कश्मीर	3 दोडा, बारामुला, कठुआ	–	1 उधमपुर	1 लेह	–
15.	झारखंड	6 गुमला, रांची, धनबाद खुंटी बोकारो	1 रांची	–	1 रामगढ छावनी	–

1	2	3	4	5	6	7
16.	कर्नाटक	3 बंगलौर जिला-कोडागु	-	3 बंगलौर, धारवाड़, मेडिकेरी	2 एएससी बंगलौर एमईजी, बंगलौर	1 बंगलौर
17.	केरल	3 जिला-पलक्कड़, जिला-कासरगोड, एरनाकुलम	2 एलेप्पी, तेल्लीचेरी	4 त्रिवेन्द्रम, कोल्लम, कालीकट, त्रिचुर	-	1 त्रिवेन्द्रम
18.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-
19.	मध्य प्रदेश	9 इंदौर, जबलपुर भोपाल, बेतूल ग्वालियर, जिला-झाबुआ, महु उज्जैन	-	5 धर, विस्तार खण्डवा, भोपाल, टीकमगढ़ जबलपुर इंदौर	2 भोपाल, जबलपुर	1 भोपाल
20.	महाराष्ट्र	17 पुणे, नासिक जिला-अमरावती जिला-सोलापुर औरंगाबाद, सांगली, कोल्हापुर, अहमदनगर	-	2 कान्दीवली, औरंगाबाद	2 खिरकी, अहमदनगर	-
21.	मणिपुर	4 इम्फाल, विष्णुपुर	2 इम्फाल, उतलोव	1 इम्फाल	-	1 इम्फाल
22.	मेघालय	-	-	1 शिलांग	1 शिलांग	-
23.	मिजोरम	-	1 आइजोल	-	-	-
24.	नागालैंड	1 जिला-फेक	-	1 दीमापुर	-	-
25.	उड़ीसा	8 सुंदरगढ़, भुवनेश्वर तालचेर, अंगुल, मयूरभंज, नवपाड़ा	2 जगतपुर सुंदरगढ़	2 कटक, धेनकनाल	-	-

1	2	3	4	5	6	7
26.	पांडिचेरी	1 पांडिचेरी	–	1 पांडिचेरी	–	–
27.	पंजाब	6 जालंधर, कुराली कपूरथला, गुरदासपुर, अमृतसर	–	3 पटियाला, बादल, मस्ताना साहिब	–	1 पटियाला
28.	राजस्थान	7 श्री गंगानगर, उदयपुर जिला-दौसा, सिरोही जिला-जोधपुर, जिला-दौसा भीलवाड़ा	–	2 अलवर, जोधपुर	1 फतेहगढ़	–
29.	सिक्किम	1 गंगटोक	1 नामची	–	–	–
30.	तमिलनाडु	1 अम्बर	2 नागरकोल, मयिलादुतुरई	2 चेन्नई, सलेम	–	–
31.	त्रिपुरा	2 अगरतला	1 अगरतला	–	–	–
32.	उत्तर प्रदेश	7 वाराणसी, सुल्तानपुर, मथुरा, बलिया, सीतापुर गोरखपुर	–	6 रायबरेली, सैफई इटावा, इलाहाबाद, झांसी, बरेली लखनऊ	3 मेरठ, फैजाबाद, लखनऊ	1 लखनऊ
33.	उत्तरांचल	2 जिला-उधम सिंह नगर, हरिद्वार	–	1 काशीपुर	1 रूड़की	–
34.	पश्चिम बंगाल	2 साल्टलेक सिटी, जिला-दीनाजपुर	–	4 वर्धमान, कोलकाता, लेबोंग, सिलीगुड़ी	–	1 कोलकाता
	कुल	126	19	57	18	10

पत्तनों में प्रशुल्क संरचना

4663. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पत्तनों में वर्तमान प्रशुल्क संरचना के कारण भारत के पत्तनों से व्यापार पड़ोसी अंतर्राष्ट्रीय पत्तनों के पास चला गया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतरराष्ट्रीय नौवहन कंपनियों को आकर्षित करने के लिए प्रशुल्क संरचना में संशोधन करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) ऐसी कोई भी सूचना नहीं मिली है, जो यह दर्शाती हो कि महापत्तनों में मौजूदा प्रशुल्क अवसंरचना के कारण भारत के महापत्तनों में किया जाने वाला कारोबार पड़ोसी अंतरराष्ट्रीय पत्तनों में स्थानांतरित हुआ है।

(ग) पोत-परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग ने महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण और सरकार, दोनों ही के स्तर पर सभी संबंधित हिस्सेदारों से व्यापक परामर्श करने के बाद, मार्च, 2005 में महापत्तन न्यासों में प्रशुल्क तय करने के बारे में प्रशुल्क से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों का संशोधित सेट अनुमोदित किया है। 2005 के संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रमुख अंश निम्नानुसार है:

(1) महापत्तन-न्यासों/गैर सरकारी संचालकों द्वारा नियोजित पूंजी पर 15% आय की सीमा का निर्धारण।

(2) गैर सरकारी संचालक द्वारा पत्तन-स्वामी को दिये जाने वाली रायल्टी/राजस्व शेयर, प्रशुल्क के माध्यम से लिया जाना अनुमत नहीं होगा ताकि प्रयोक्ताओं को भार वहन नहीं करना पड़े।

(3) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण अधिनियम द्वारा निर्धारित दरें सीमा के रूप से होंगी। पत्तनों/संचालकों को वाणिज्यिक आवश्यकताओं के आधार पर प्रशुल्क को कम करने या उसमें छूट देने का लचीलापन होगा।

(4) पत्तन/संचालक द्वारा विलम्ब किये जाने के मामले में प्रयोक्ता जिम्मेदार नहीं होंगे।

(5) संयुक्त पायलटेज शुल्क अलग-अलग हैं, ताकि प्रयोक्ता उन्हीं सेवाओं के लिए शुल्क अदा करें, जिन्हें वे प्राप्त कर रहे हैं।

(6) बड़े जलयानों के लिए थ्री टीयर स्लाइडिंग पायलेटेज शुल्क निम्न दरों पर निर्धारित किया गया है।

(7) भारतीय पत्तनों में यानान्तरण को बढ़ावा देने के क्रम में यानान्तरण कंटेनरों को संभालने की दृष्टि से रियायती प्रशुल्क निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-49 के बाइपास के लिए नया संरेखण

4664. श्री पी.सी. थामस: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल के राष्ट्रीय राजमार्ग-49 के बाइपास हेतु नए संरेखण हेतु आदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन बाइपासों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन बाइपासों का निर्माण शुरू होने की प्रस्तावित तिथि क्या है और इसके पूरा होने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 49 पर तीन बाइपासों अर्थात् त्रिपुनीतुरा, मुवत्तुपूजा और कोटमंगलम का प्रस्ताव है। सभी तीनों बाइपासों का संरेखण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

(ग) त्रिपुनीतुरा बाइपास की आंशिक लंबाई में भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। केरल सरकार ने मुवत्तुपूजा और कोटमंगलम बाइपास तथा त्रिपुनीतुरा बाइपास की शेष लंबाई के लिए भूमि अधिग्रहण प्राक्कलन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) इन बाइपासों का निर्माण धनराशि की उपलब्धता, कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता और भूमि अधिग्रहण पूरा होने पर निर्भर करेगा। इसलिए, अभी इन बाइपासों का निर्माण शुरू होने/पूरा होने की तारीख बता पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

विभागीय अभ्यर्थियों के लिए आयु में छूट

4665. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में प्रत्यक्ष भर्ती करते समय विभागीय अभ्यर्थियों के लिए आयु की अधिकतम सीमा में छूट देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) वर्तमान नीति के अंतर्गत न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले केन्द्र सरकार (सिविलयन) के कर्मचारी सीधी भर्ती हेतु ऊपरी आयु सीमा में निम्नानुसार छूट के पात्र हैं:

(1) केन्द्र सरकार के अधीन समूह 'ग' और 'घ' पदों/सेवाओं में भर्ती हेतु 40 वर्ष तक की छूट (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 45 वर्ष)।

(2) संघ लोक सेवा आयोग अथवा अन्य एजेंसियों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा भरे जाने वाले समूह 'क' और 'ख' पदों के लिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट। आयु सीमा में ऐसी छूट संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले समूह 'क' और 'ख' पदों के लिए तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि परीक्षा की स्कीम में इसका विशिष्ट रूप से प्रावधान न किया गया हो।

[अनुवाद]

मातृत्व अवकाश हेतु नए दिशानिर्देश

4666. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद की स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा समिति ने 24 अप्रैल, 2002 को हुई अपनी बैठक में मातृत्व अवकाश हेतु नए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अम्बेडकर-पत्तन पर गाद निकालना

4667. श्री तूफानी सरोज: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया को अगस्त, 2003 में चेन्नई पत्तन-न्यास के डा. अम्बेडकर डाक बेसिन के चैनल की सफाई करने तथा उसे गहरा बनाए जाने के ठेके दिये गये थे;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्पोरेशन ने ठेके पर हस्ताक्षर करने से पहले डाक बेसिन का सर्वेक्षण किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उक्त ठेके में कार्पोरेशन को कोई घाटा हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (च) चेन्नै-पत्तन-न्यास ने डा. अम्बेडकर गोदी बेसिन को गहरा किये जाने और बाहरी बन्दरगाह, पहुंच जलमार्ग तथा रेत-रोध में रखरखाव निकर्षण का काम भारतीय निकर्षण-निगम को जून, 2003 में कार्य सौंपा था। इसमें डा. अम्बेडकर गोदी बेसिन में निर्दिष्ट क्षेत्र में लगभग 8.67 लाख घन मीटर और भारती गोदी और पहुंच जलमार्ग में 7.15 लाख घन मीटर का निकर्षण किया जाना शामिल था। उपर्युक्त परियोजना को पूरा किये जाने की अवधि छः महीने थी। भारतीय निकर्षण-निगम ने उपर्युक्त ठेके पर हस्ताक्षर किये जाने से पहले अंतरराष्ट्रीय निकर्षण कंपनियों के संघ द्वारा सामान्यतः स्वीकार किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकीय संस्थान को

डा. अम्बेडकर गोदी बेसिन का सर्वेक्षण करने का काम दिया था। भारतीय निकर्षण-निगम को 3.76 करोड़ रु. का घाटा हुआ और उसने इस मसले का समाधान करने के लिए इसे चेन्नई-पत्तन-न्यास के साथ उठाया है।

बायो मेडिकल रिसर्च

4668. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोज्जा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जीनोम वैली, हैदराबाद में बायो-मेडिकल रिसर्च के लिए "नेशनल एनीमल रिसोर्स फैसिलिटी" की स्थापना हेतु भूमि आवंटन के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) इस संस्था के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) आंध्र प्रदेश सरकार ने जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए जीनोम वैली, हैदराबाद में नेशनल एनीमल रिसोर्स फैसिलिटी की स्थापना के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुरोध पर 103 एकड़ जमीन आवंटित की है।

11वीं योजना के दौरान नेशनल एनीमल रिसोर्स फैसिलिटी की स्थापना का प्रस्ताव निधियों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उत्तरी बंगाल के अल्प-विकसित जिले

4669. श्री इन्नान मोल्लाह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी बंगाल के जिले अल्प-विकास की समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उत्तरी बंगाल के जिलों को देश के अन्य पिछड़े जिलों के समकक्ष स्तर पर मानने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास उन क्षेत्रों के विकास के लिए सिक्किम, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल के समकक्ष स्तर पर विशेष सहायता देने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत उत्तर बंगाल के 3 जिलों नामत: जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर को कवर किया गया है। इन जिलों का चयन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, कृषि उत्पादकता और कृषि मजदूरी दर, तीनों को समान महत्व देते हुए, मानदंड के आधार पर किया गया है। वर्ष 2006-07 में राष्ट्रीय सम विकास योजना को पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) कर दिया गया था। उत्तर बंगाल के चार जिले नामत: जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और माल्दा को बीआरजीएफ के अंतर्गत कवर किया गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बीआरजीएफ मानदंडों के अनुसार इन जिलों को केन्द्रीय सहायता आवंटित की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले का अधिकांश हिस्सा भी पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किया गया है और दार्जीलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर के सीमावर्ती ब्लाकों और मालदा को भी सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अंतर्गत कवर किया गया है।

(ङ) और (च) सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के समान उन क्षेत्रों के विकास हेतु विशेष सहायता देने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं हो सकी क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और अन्य विशेष श्रेणी राज्यों जैसे सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रियायतें और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन, उनकी भौगोलिक पृथकता, दुर्गम भू-भाग, अल्प संसाधन आधार और बृहतर मार्किट में दूरवर्तिता और इन राज्यों की अपर्याप्त अवसंरचना के कारण दिये गये हैं।

एनएसएसओ रिपोर्ट

4670. श्री सुग्रीव सिंह: क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ने वर्ष 2004-05 के लिए अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट को जारी कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शिक्षण केन्द्रों में बच्चों की उपस्थिति दर के मामले में उड़ीसा का स्थान राज्यों की सूची में सबसे नीचे है; और

(घ) यदि हां, तो देश के उन राज्यों में स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं जो साक्षरता दर के मामले में सर्वाधिक निचले स्तर पर हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) 2004-05 के सर्वेक्षण से अपेक्षित 14 रिपोर्टों में से 10 रिपोर्टें (सूची विवरण में दी गई है) प्रकाशित हो चुकी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जारी की गई रिपोर्टों की सूची

रिपोर्ट सं.	शीर्षक
515	भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति 2004-05
516	भारत में सामाजिक समूहों के बीच रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति
517	भारत में शिक्षा एवं व्यवसाय प्रशिक्षण की स्थिति 2004-05
508	उपभोक्ता व्यय का स्तर एवं पद्धति-2004-05
518	घरेलू कार्यों के साथ-साथ विशिष्ट कार्यकलापों में महिलाओं की भागीदारी
512	भारतीय परिवारों में खाद्य उपभोग की प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर समुचित मात्रा 2004-05
520	भारत में शहरों तथा कस्बों में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति
521	भारत में विभिन्न धार्मिक समूहों में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति
509	भारत में विविध वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू खपत, 2004-05
511	खाना पकाने तथा प्रकाशन हेतु भारतीय परिवारों के ऊर्जा स्रोत 2004-05

छोटा परिवार मानदंड में संशोधन

4671. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छोटे परिवार के मानदंडों को अपनाने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश की जनसंख्या में हो रही खतरनाक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए छोटे परिवार के मानदंडों में संशोधन करने तथा इसे एक दम्पत्ति के लिए एक बच्चा बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी नहीं। केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए छोटे परिवार के मानदंडों को अपनाने के बारे में प्रावधानों में परिवर्तन करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार सरकार प्रजनन स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं और परिवार नियोजन सेवाओं की प्रदानगी में लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण को जारी रखने में स्वैच्छिक एवं सोची समझी पसन्द एवं नागरिकों की सहमति के प्रति वचनबद्ध है। इसलिए इस समय छोटे परिवार के मानदंडों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डाक टिकटों की बिक्री

4672. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डाक टिकटों की बिक्री निजी क्षेत्र के माध्यम से करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) डाक विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार डाक टिकटों की बिक्री लाइसेंसधारी डाक टिकट विक्रेताओं, लाइसेंसधारी डाक एजेंटों, पंचायत संचार सेवा केन्द्रों एवं डाक फ्रेंचाइजियों के माध्यम से की जाती है। डाकघरों के

मंडल अधीक्षकों को निर्धारित शर्तों के पूरा करने के आधार पर डाक टिकट विक्रेताओं और डाक फ्रैंचाइजियों को लाइसेंस प्रदान करने की शक्तियां प्रदत्त हैं। हालांकि, डाक एजेंटों को नए लाइसेंस अभी जारी नहीं किये जा रहे हैं। औचित्यसम्मत पाए जाने पर भी जिस ग्राम पंचायत में डाकघर मौजूद नहीं है, वहां संबंधित ग्राम पंचायत किसी एक व्यक्ति को पंचायत संचार सेवा केन्द्र चलाने के लिए नामित करती है। लाइसेंसधारी डाक-टिकट विक्रेता, लाइसेंसधारी डाक एजेंट, डाक फ्रैंचाइजी और पंचायत संचार सेवा केन्द्र चलाने वाला व्यक्ति आम जनता में से ही होते हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट

4673. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री बापू हरी चौरे:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट मामले की जांच के दौरान एकत्रित आसूचना जानकारियां इस्लामाबाद में होने वाली आतंकवाद रोधी संयुक्त तंत्र की बैठक के दौरान उपलब्ध कराए जाने की संभावना है जैसाकि दिनांक 22 फरवरी, 2007 के ''राष्ट्रीय सहारा'' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें रिपोर्ट किये गये तथ्यों का ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) भारत पाकिस्तान संयुक्त आतंकवाद रोधी तंत्र की पहली बैठक 6-7 मार्च 2007 को इस्लामाबाद में हुई। इस बैठक में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि विनिर्दिष्ट सूचना का आदान-प्रदान इस तंत्र के माध्यम से किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति हुई कि आतंकवाद-रोधी तंत्र की बैठकें त्रैमासिक आधार पर होंगी, कोई सूचना, जिसे प्राथमिकता के आधार पर संप्रेषित करना आवश्यक होगा, तंत्र के प्रमुखों के जरिए तुरंत संप्रेषित की जाएगी।

पोलियो प्रभावित बच्चों को वित्तीय सहायता

4674. श्री अजीत जोगी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पोलियो प्रभावित बच्चों के रोग के उपचार के साथ ही उनके लिए कृत्रिम अंगों की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक बच्चे को 10,000 रुपए (दस हजार रुपए) प्रदान करने की एक योजना तैयार की है अथवा सरकार का विचार तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पोलियो प्रभावित बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(घ) क्या योजना क्रियान्वित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसका क्रियान्वयन कब तक किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी हां। सुधारात्मक शल्य-चिकित्सा और पुनर्वास योजना के अंतर्गत देश में 3-18 वर्ष की आयु वर्ग के मौजूदा पोलियो प्रभावित बच्चों को कवर किया जाएगा।

यह योजना राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सोसाइटियों के माध्यम से चल रही है। ये सोसाइटियां सुधारात्मक शल्य-चिकित्सा के लिए राज्य/जिला स्तर के अस्पतालों का उपयोग करेंगी। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसाइटियां इस क्षेत्र में पहले ही से लगे हुए और अच्छी ख्याति वाले और इस कार्य में कम से कम 5 वर्षों के प्रमाणित रिकार्ड वाले गैर-सरकारी संगठनों को वास्तविक शल्य-चिकित्सा से पहले, बाद में और उसके दौरान उनके लाने, ले जाने, भोजन, ठहरने इत्यादि के लिए सुधारात्मक शल्य-चिकित्सा, प्रबंधों की जरूरत वाले पोलियो के रोगियों की पहचान, मूल्यांकन से संबंधित कार्य सौंप सकती हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस योजना में शामिल किये गये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसाइटियों को धन जारी करेगा। राज्य सोसाइटी संबंधित अस्पताल को सुधारात्मक शल्य-चिकित्सा करने के लिए संबंधित अस्पताल को प्रति मामले अधिक से अधिक 6000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति करती है। इस धन का अस्पताल के आपरेशन थियेटरों/अन्तरंग वार्डों के क्षमता-निर्माण करने और सुधारात्मक शल्य-चिकित्सा के दौरान अपेक्षित चिकित्सीय और शल्य-चिकित्सीय उपभोज्यों की लागत को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। गैर-सरकारी संगठन को सहायता सामग्री और यंत्रों के लिए केवल एक

बार प्रति मामले के लिए अधिक से अधिक 2000 रुपए और रोगी को भोजन, ठहरने, लाने ले जाने, भौतिक चिकित्सा इत्यादि के लिए प्रति मामले के लिए अधिक से अधिक अतिरिक्त 2000 रुपए तक का भुगतान किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) जी हां। बिहार, उत्तरांचल, हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सरकार को सुधरात्मक शल्य-चिकित्सा और पुनर्वास के लिए धन पहले ही संवितरित किया जा चुका है।

(च) राज्यों से इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अपने-अपने प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

ई-गवर्नेंस परियोजनाएं

4675. श्री धावरचन्द गेहलोत:
श्री जुएल ओराम:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निधियों का आवंटन किया है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को राज्यवार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(च) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विभिन्न राज्यों ने कितनी सफलता प्राप्त की है/प्रगति की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) भारत सरकार को ई-शासन परियोजनाएं मंजूर करने के लिए राज्य सरकारों से समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उक्त प्रस्तावों के मूल्यांकन तथा उपयुक्तता के आधार पर सरकार द्वारा इन ई-शासन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी भी प्रदान की गई है। विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत ई-शासन परियोजनाओं के ब्यौरे (http://www.mit.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

(च) ये परियोजनाएं अलग-अलग समय पर स्वीकृत की गई हैं और इस कारण ये कार्यान्वयन के अलग-अलग चरण पर हैं। इन परियोजनाओं की भी निगरानी तथा समीक्षा निरंतर आधार पर उनके अंतिम कार्यान्वयन तक की जाती है।

[अनुवाद]

औषधीय पौधों की खेती

4676. श्री अनवर हुसैन:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास असम में औषधीय पौधों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु में औषधीय पौधों की खेती के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ङ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना औषधीय पादप क्षेत्र के विकास से संबंधित मामलों का समन्वय करने के लिए हुई है। बोर्ड ने असम राज्य सहित संपूर्ण देश में औषधीय पादपों की कृषि एवं विकास हेतु स्कीमों का सूत्रपात करके उनका कार्यान्वयन किया है। अब तक बोर्ड ने असम राज्य में औषधीय पादपों के विकास और कृषि के लिए सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रकों से संबंधित विभिन्न संगठनों को 294.65 लाख रु. की वित्तीय सहायता के साथ 26 परियोजनाओं को अपनी संस्वीकृति प्रदान की है।

(ग) से (ङ) औषधीय पादप बोर्ड की स्कीमों का कार्यान्वयन तमिलनाडु राज्य में भी किया गया है। बोर्ड की स्कीमें मांग के अनुरूप विनिर्धारित होती हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र को विशेष रूप से चिन्हित नहीं किया गया है। तथापि, संविदात्मक कृषि स्कीमों के अंतर्गत 22 जिलों में औषधीय पादपों की कृषि हेतु 171.85 लाख रु. के वित्तीय परिव्यय वाली 64 परियोजनाओं को संस्वीकृति प्रदान की गई है।

कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग ने बागबानी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2005-06 से देश में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)पर एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की है। वर्ष 2006-07 के दौरान एनएचएम के अंतर्गत औषधीय पादपों की कृषि के संवर्धन कार्य को एक घटक के रूप में शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

चीन के साथ सीमा विवाद

4677. श्री संतोष गंगवार:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री जे.एम. आरून रशीद:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश को अपने भूभाग के अभिन्न भाग के रूप में दर्शाया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने सीमा विवाद के मुद्दे पर चीन के साथ नौवें तथा दसवें दौर की वार्ताएं की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और अभी तक इसमें कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनके बारे में विवाद का समाधान नहीं किया जा रहा है तथा इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ङ) चीन ने भारत के जम्मू-कश्मीर राज्य में लगभग 38,000 वर्ग कि.मी. का अनधिकृत कब्जा किया हुआ है। इसके अतिरिक्त 1963 के कथित चीन-पाकिस्तान सीमा करार के अंतर्गत पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 5,180 वर्ग कि.मी. का भारतीय क्षेत्र चीन को सौंप दिया। चीन अरुणाचल प्रदेश राज्य में लगभग 90,000 वर्ग कि.मी. और मध्य क्षेत्र में लगभग 2000 वर्ग कि.मी. भारतीय क्षेत्र का अवैध दावा करता है। सरकार ने चीनी पक्ष को यह व्यक्त किया है कि जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश भारत के अभिन्न अंग है।

भारत और चीन सीमा प्रश्न के निष्पक्ष, समुचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान हेतु चर्चा जारी रखे हुए हैं। भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच नौवीं और दसवें दौर की वार्ता भारत में क्रमश: 16-18 जनवरी, 2007 और 20-22 अप्रैल, 2007 को आयोजित हुई। दोनों विशेष प्रतिनिधियों ने 11 अप्रैल, 2005 को हस्ताक्षरित राजनैतिक मानदंड संबंधी करार और दिशा-निर्देशी सिद्धांतों के आधार पर सीमा समाधान हेतु स्वरूप पर अपनी चर्चा जारी रखी। दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर अगले (ग्यारहवें) दौर की वार्ता आयोजित करने की सहमति व्यक्त की, जिसका निर्णय राजनयिक चैनलों के माध्यम से लिया जाएगा।

दामोह-कुंडलपुर सड़क का गुणवत्ता निरीक्षण

4678. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के दामोह जिले में दामोह से कुंडलपुर तक जाने वाली सड़क की गुणवत्ता की जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उक्त सड़क की गुणवत्ता की जांच किये जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) दामोह-कुंडलपुर सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 2001 में केन्द्रीय सड़क निधि स्कीम के अंतर्गत मंजूर किया गया था और यह कार्य पूरा हो चुका है। इस कार्य का निरीक्षण सब-इंजीनियर, सहायक इंजीनियर, कार्यपालक इंजीनियर और अधीक्षण इंजीनियर स्तर के राज्य लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया है। आवश्यक गुणता नियंत्रण परीक्षण समय-समय पर किए जाते हैं। जब भी आवश्यकता हुई, उपचारात्मक उपाय किये गये हैं।

[अनुवाद]

ईरान का परमाणु कार्यक्रम

4679. श्री स्वदेश चक्रवर्ती: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आई.ए.ई.ए.) को ईरान द्वारा सैनिक प्रयोजनों के लिए परमाणु कार्यक्रम चलाए जाने का कोई साक्ष्य प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो ईरान के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन (एनएम) के सदस्य देशों ने शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु परमाणु ऊर्जा का विकास करने के ईरान जैसे देशों के अधिकार का बचाव किया है;

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजरायल के परमाणु कार्यक्रम की चर्चा करने के बारे में अनिच्छुक है;

(छ) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

(ज) शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास करने के बहुसंख्यक देशो के अधिकारों को अभिव्यक्त करने के लिए भारत द्वारा क्या भूमिका अदा की गई है अथवा की जा रही है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग (आईएईए) ने कहा है कि हालांकि वह ईरान में घोषित नाभिकीय सामग्री के नान-डायवर्सन को सत्यापित करने में समर्थ है, परंतु जब तक ईरान सत्यापन से संबंधित जांच मुद्दों का समाधान नहीं कर लेता, वह ईरान की अघोषित नाभिकीय सामग्री और गतिविधियों की अनुपस्थिति को सत्यापित करने में असमर्थ है।

(घ) और (ङ) 16 सितम्बर, 2006 को ईरान इस्लामी गणराज्य नाभिकीय मुद्दे पर जारी एक वक्तव्य में निर्गुट आंदोलन के शासनाध्यक्षों ने अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की पुष्टि की कि बिना किसी भेदभाव के और अपने-अपने विधिक दायित्वों के अनुरूप शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के अनुसंधान को बढ़ावा देने, उत्पादन करने और उपयोग करने के सभी राज्यों के बुनियादी और सहज अधिकारों की पुष्टि की।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) सरकार का हमेशा से मानना है कि राष्ट्रों को अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और वचनबद्धताओं के अनुरूप नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के अधिकार के लिए प्रयास करने चाहिए।

राज्यों हेतु वित्तपोषण पद्धति की पुनरीक्षा

4680. श्री मित्रसेन यादव:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान सहायता जारी करने हेतु केन्द्र तथा राज्य के मध्य 75 : 25 के वित्त पोषण पद्धति अनुपात की पुनरीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्र से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या केन्द्र ग्यारहवीं योजना के अंतिम दृष्टिकोण पत्र में वित्तपोषण पद्धति को 75 : 25 से बढ़ाकर 90 : 10 करने पर सहमत हो गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य और केन्द्रीय अंशदान का शेयर प्रतिशत प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों और प्रकृति के आधार पर प्रत्येक स्कीम के लिए भिन्न-भिन्न होता है केन्द्रीय शेयर में बढ़ोत्तरी के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर तदनुसार विचार किया जाता है।

(ङ) से (छ) ग्यारहवीं योजना के अंतिम दृष्टिकोण पत्र में निधियन पैटर्न को 75 : 25 से बढ़ाकर 90 : 10 करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बगोदर तथा भावनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का उन्नयन

4681. श्री बी.के. दुम्मर: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बगोदर तथा भावनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का उन्नयन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) राष्ट्रीय

राजमार्ग 8ए, 8बी, 8डी और 8ई द्वारा बगोदर और भावनगर जुड़े हुए हैं। बगोदर तथा भावनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति इस प्रकार है:

रा.रा.सं.	खंड	उन्नयन की वर्तमान स्थिति
8ए	बगोदर-बामनबोरे	4 लेन बन चुकी
8बी	बामनबोरे-जैतपुर	36 किमी. में 4 लेन बनाने का कार्य चल रहा है। शेष लंबाई 4 लेन की है।
8डी	जैतपुर-सोमनाथ	उन्नयन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3ख में शामिल।
8ई	सोमनाथ-भावनगर	पारस्परिक प्राथमिकता, सड़क की स्थिति और सड़क को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए धनराशि की उपलब्धता के आधार पर सुधार और अनुरक्षण कार्य चरणों में किये जा रहे हैं। फिलहाल इस खंड को 4 लेन का बनाने की योजना नहीं है।

दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

4682. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री पी.सी. थामस:
श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री रशीद मसूद:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्री देविदास पिंगले:
श्री मो. ताहिर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाकर चौहत्तर प्रतिशत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग ने जुलाई, 2007 से दूरसंचार कंपनियों द्वारा अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उनचास प्रतिशत से बढ़ाकर चौहत्तर प्रतिशत करने के लिए उनके द्वारा सख्त सुरक्षा उपायों के अनुपालन को अनिवार्य बना दिया है

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ क्या दिशानिर्देश निर्धारित किये गये हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में प्रेस नोट संख्या 5 में संशोधन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी मानिटरिंग मशीनरी की स्थापना करने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या विदेश से रिमोट एक्सेस जैसे अन्य मुद्दों का समाधान कर लिया गया है;

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ट) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं कि दूरसंचार कंपनियां सरकार की उदारीकरण नीति का अनुचित लाभ न उठाएं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सतत वृद्धि, जो दूरसंचार पर निर्भर है, को सुगम बनाने के लिए सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा की और दिनांक 19.4.2007 के प्रेस नोट सं. 3 (2007 सिरीज) के द्वारा संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये। इन दिशा-निर्देशों के पैरा 2ख में कतिपय सुरक्षा संबंधी शर्तें विहित हैं, जिनका अनुपालन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा पर विचार किये बिना सभी प्रचालकों द्वारा किया जाना है। प्रेस नोट सं. 3 (2007 सीरीज) की प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) और (च) जी, हां। इसे दिनांक 19.4.2007 के प्रेस नोट 3 (2007) द्वारा अधिक्रमित किया गया है।

(छ) और (ज) जी, हां। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "सेन्टर फार कम्युनिकेशन सेक्युरिटी, रिसर्च एंड मानीटरिंग" स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(झ) और (ञ) जी, हां। प्रेस नोट सं. 3 (2007) के पैरा 2ख (XI) से (XV) के तहत दूरस्थ अभिगम का समाधान किया गया है।

(ट) प्रेस नोट सं. 3 (2007 सिरीज) में उल्लिखित शर्तें लाइसेंस संबंधी शर्तों का भाग होंगी, जिसे लाइसेंसदाता द्वारा कड़ाई से लागू किया जाएगा।

विवरण

भारत सरकार
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
एसआईए (एफसी प्रभाग)
प्रेस नोट सं. 3 (2007 सीरीज)

विषय: दूरसंचार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करना संशोधित दिशा-निर्देश

सरकार ने कतिपय दूरसंचार सेवाओं के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने हेतु दिनांक 3.11.2005 के प्रेस नोट सं. 5 (2005 सीरीज) के द्वारा विशिष्ट शर्तों के अध्यधीन अधिसूचना जारी की थी।

2. सरकार ने इस संबंध में नीति की पुनरीक्षा करने पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन दूरसंचार सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का निर्णय लिया है:

क. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

(1) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा में वृद्धि, बुनियादी, सेल्युलर, एकीकृत अभिगम सेवाओं, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी, वी सैट, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सेवाओं (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन्स सर्विसेज (जीएमपीसीएस) तथा अन्य मूल्यवर्द्धित सेवाओं के संबंध में लागू होगी।

(2) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा के प्रयोजनार्थ लाइसेंसधारक कंपनी में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गणना की जाएगी। विदेशी निवेश में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई), अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बौंड (एफसीसीबी), अमरीकन डिपोजिटरी रिसीट्स (एडीआर), ग्लोबल डिपाजिटरी रिसीट्स (जीडीआर) तथा विदेशी संस्थाओं द्वारा धारित कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर शामिल हैं। अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश का तात्पर्य होगा, लाइसेंसधारक कंपनी के शेयर धारित करने वाली कंपनी/कंपनियों में विदेशी निवेश और उनकी नियंत्रक कंपनी/कंपनियों अथवा आनुपातिक आधार पर कानूनी संस्था (जैसे म्युचुअल फंड, ट्रस्ट)। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों द्वारा धारित लाइसेंसधारक कंपनी के शेयरों को भारतीय होल्डिंग माना जाएगा। किसी भी तरह "भारतीय" शेयर होल्डिंग 26 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(3) 49 प्रतिशत तक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग पर जारी रहेगा। यदि लाइसेंसधारक कंपनी/भारतीय प्रवर्तक कंपनियों/निवेशी कंपनियां और उनकी नियंत्रक कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 74 प्रतिशत की समग्र सीमा को प्रभावित करता है तो उसके लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा। निवेश प्रस्तावों को अनुमोदित करते समय एफआईपीबी इस बात का ध्यान रखेगा कि निवेश केवल मित्र देशों की कंपनियों द्वारा ही किया जाए।

(4) एफआईपीबी द्वारा निवेश के लिए अनुमोदन इस शर्त पर किया जाएगा कि कंपनी लाइसेंस करार का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

(5) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत के कानूनों के अध्यधीन होगा, न कि विदेशी देश/देशों के कानूनों के अध्यधीन।

ख. सुरक्षा संबंधी शर्तें

(1) तकनीकी नेटवर्क प्रचालनों के प्रभारी मुख्य अधिकारी और मुख्य सुरक्षा अधिकारी निवासी भारतीय नागरिक होने चाहिए।

(2) अवसंरचना/नेटवर्क डायग्राम का ब्यौरा (नेटवर्क का तकनीकी ब्यौरा) केवल दूरसंचार उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं तथा लाइसेंसधारक कंपनी की संबद्ध/मूल कंपनी को आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध कराया जा सकता है। यदि इस प्रकार की जानकारी किसी और को उपलब्ध करायी जानी हो तो लाइसेंसदाता (दूरसंचार विभाग, भारत सरकार) से अनुमति लेनी अपेक्षित होगी।

(3) सुरक्षा कारणों से लाइसेंसदाता द्वारा यथा अभिज्ञात/विनिर्दिष्ट ऐसे निकायों के घरेलू परियात का भारत के बाहर किसी स्थान को संवहन/रूट नहीं किया जाएगा।

(4) लाइसेंसधारक कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समय पर आवश्यक उपाय करेगी कि उपभोक्ताओं द्वारा नेटवर्क के माध्यम से सम्पादित सूचना संरक्षित और सुरक्षित हो।

(5) संदेशों का कानूनन अवरोधन कार्य करने वाली लाइसेंसधारक कंपनियों के अधिकारी/पदाधिकारी निवासी भारतीय नागरिक होंगे।

(6) कंपनी के निदेशक मंडल के अधिसंख्य निदेशक भारतीय नागरिक होंगे।

(7) यदि अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और/अथवा मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के पद विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा धारित हों तो उनकी सुरक्षा जांच गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा अपेक्षित होगी। सुरक्षा जांच आवधिक रूप से वार्षिक आधार पर अपेक्षित होगी। यदि सुरक्षा जांच के दौरान कुछ प्रतिकूल पाया जाता है तो गृह मंत्रालय का निर्देश लाइसेंसधारक कंपनियों पर बाध्यकारी होगा।

(8) कंपनी निम्नलिखित को भारत के बाहर किसी व्यक्ति/स्थान को अंतरित नहीं करेगी:

(क) उपभोक्ता से संबंधित कोई लेखा संबंधी सूचना (अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग/बिलिंग को छोड़कर) (टिप्पणी: यह प्रतिबंध सांविधिक रूप से वित्तीय स्वरूप के अपेक्षित प्रकटन पर लागू नहीं होता); और

(ख) प्रयोक्ता संबंधी सूचना (रोमिंग के समय भारतीय प्रचालन के नेटवर्क का प्रयोग करने वाले विदेशी उपभोक्ताओं से संबंधित सूचना को छोड़कर)।

(9) कंपनी के अपने उपभोक्ताओं को ढूंढ़ पाने योग्य पहचान अवश्य देनी चाहिए। तथापि, विदेशी कंपनियों के रोमिंग उपभोक्ता को सेवा प्रदान करने की स्थिति में भारतीय कंपनी अपने रोमिंग करार के एक भाग के रूप में विदेशी कंपनी से रोमिंग उपभोक्ता की ढूंढ़ पाने योग्य पहचान प्राप्त करने का प्रयास करेगी।

(10) लाइसेंसदाता अथवा लाइसेंसदाता द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी के अनुरोध पर दूरसंचार सेवा प्रदाता किसी उपभोक्ता की भौगोलिक स्थान-अवस्थिति (बीटीएस अवस्थिति) निश्चित समय में प्रदान करने में सक्षम हो।

(11) नेटवर्क के दूरस्थ अधिगम (आरए) केवल अनुमोदित विदेशी स्थानों को भारत में अनुमोदित स्थानों के माध्यम से प्रदान करना होगा। स्थानों के संबंध में अनुमोदन सुरक्षा एजेंसी (आसूचना ब्यूरो) के परामर्श से लाइसेंसदाता (दूरसंचार विभाग) द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(12) किसी भी परिस्थिति में, विधिसम्मत अवरोधन प्रणाली (एलआईएस), विधिसम्मत अवरोधन मानीटरिंग (एलआईएम), परियात की काल संबंधी विषय-वस्तु तथा ऐसे किसी संवेदनशील क्षेत्र/डाटा जिसे समय-समय पर लाइसेंसदाता ने अधिसूचित किया हो, पर आपूर्तिकर्त्ताओं/विनिर्माताओं तथा सहयोगी (सहयोगियों) को किसी भी दूरस्थ अभिगम के अभिगमन में समर्थ नहीं होना चाहिए।

(13) लाइसेंसधारक कंपनी को विषय-वस्तु की निगरानी के लिए दूरस्थ अभिगम सुविधा का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

(14) नामित सुरक्षा एजेंसी/लाइसेंसदाता के भारतीय परिसर पर उपयुक्त तकनीकी तंत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसमें दूरस्थ अभिगम सूचना की एक वास्तविक छाया प्रति निगरानी के प्रयोजनार्थ आन लाईन उपलब्ध हो।

(15) भारत में प्रचलित नेटवर्क संबंधी दूरस्थ अभिगम कार्यकलापों के पूर्ण लेखा-रिकार्ड का छह महीने की अवधि के लिए रख-रखाव किया जाना चाहिए तथा इसकी प्रति लाइसेंसदाता या लाइसेंसदाता द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी के अनुरोध पर दी जाए।

(16) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केन्द्रीकृत स्थल से विधिसम्मत अवरोधन तथा मानिटरिंग करने के लिए उनके उपस्कर में आवश्यक व्यवस्था (हार्डवेयर/साफ्टवेयर) उपलब्ध हो।

(17) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अपनी प्रणालियों के संबंधित प्रचालनों/विशेषताओं के बारे में सतर्कता तकनीकी मानीटरिंग (वीटीएम)/सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों/कर्मचारियों को परिचित कराना/प्रशिक्षण देना चाहिए।

(18) राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी संवेदनशील क्षेत्र में प्रचालन करने से लाइसेंसधारक कंपनी पर रोक लगाना लाइसेंसदाता पर निर्भर करेगा।

(19) वाइस एवं डाटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, मानीटरिंग करने हेतु केवल संघ सरकार के गृह सचिव अथवा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के गृह सचिवों द्वारा ही प्राधिकार प्रदान किया जाएगा।

(20) परियात की मानीटरिंग करने के लिए, लाइसेंसधारक कंपनी सुरक्षा एजेंसियों को अपने नेटवर्क तथा अन्य सुविधाओं के साथ-साथ बही खातों को भी उपलब्ध कराएगी।

(21) उपर्युक्त सुरक्षा शर्तें, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्तर का ध्यान रखे बिना, इस प्रेस नोट के अंतर्गत कवर की गई दूरसंचार सेवाएं प्रचालित करने वाली सभी लाइसेंसधारक कंपनियों पर लागू होंगी।

(22) अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) जो काल सेन्टर, बिजनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिंग (बीपीओ), टेलीमार्केटिंग, टेली-एजुकेशन इत्यादि जैसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा ओएसपी के रूप में दूरसंचार विभाग में पंजीकृत हैं। ऐसे ओएसपी लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई दूरसंचार अवसंरचना का इस्तेमाल करते हुए सेवा का प्रचालन करते हैं तथा ओएसपी के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। चूंकि सुरक्षा शर्तें सभी लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर लागू होती हैं, अत: उपर्युक्त वर्णित सुरक्षा शर्तें ओएसपी पर अलग से लागू नहीं की जाएगी।

3. उपर्युक्त पैरा 2 में दी गई शर्तें दूरसंचार सेवा (सेवाएं) प्रचालित करने वाली मौजूदा कंपनियों पर भी लागू होंगी जिनकी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा 49% है।

4. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी दिनांक 11.2.2000 के प्रेस नोट 2 (2000 सीरीज) में उल्लिखित "निवेश कंपनियों" हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के सुसंगत उपबंध, दूरसंचार क्षेत्र में आगे लागू नहीं होंगे।

5. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट 15 (1998 सिरीज) और प्रेस नोट 2 (2000 श्रृंखला) उपर्युक्त सीमा तक संशोधित कर दिया गया है।

6. इस प्रेस नोट के जारी होने के 3 माह के भीतर लाइसेंसदाता को मौजूदा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा उपर्युक्त शर्तों का बिना शर्त अनुपालन करना होगा तथा तत्पश्चात छमाही आधार पर जुलाई और जनवरी की पहली तारीख को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

7. दिनांक 3.11.2005 के प्रेस नोट 5 (2005 सिरीज) को इस प्रेस नोट द्वारा अधिक्रमित समझा जाए।

ह./-

(गोपाल कृष्ण)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में संशोधन

4683. श्री कैलाश मेघवाल:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र संगठनों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) की नियुक्ति के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में निजी क्षेत्र की कम्पनियों को कौन से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जाने की संभावना है; और

(घ) इसमें कब तक संशोधन किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक दिनांक 15.12.2006 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावित संशोधनों में देश के महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों के संरक्षण के लिए प्रावधान शामिल हैं।

महत्वपूर्ण मूलसंरचना के संरक्षण की नीति लागू है। इस नीति के अनुसार, प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठन द्वारा मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) पदनामित करने की आवश्यकता है।

(घ) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रस्तावित संशोधनों को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी संसदीय समिति के पास भेजा गया है।

युगाण्डा में भारतीय व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसा

4684. श्री एस. अजय कुमार:
डा. टोकचोम मैन्या:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या युगाण्डा में हाल ही में हुए दंगों के दौरान भारतीय मूल के अनेक व्यक्तियों को अपनी जान-माल को नुकसान उठाना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारतीय मूल के कुल कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) क्या भारत सरकार ने वहां रहने वाले भारतीय व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए युगाण्डा के प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) 12 अप्रैल, 2007 को हिंसा के दौरान एक भारतीय नागरिक मारा गया और दो भारतीय मूल के लोगों को चोटें आयी थीं। कम्पाला में भारतीय दूतावास से प्राप्त सूचना के अनुसार बैंक आफ बड़ौदा (युगाण्डा) लिमिटेड की बिल्डिंग की खिड़कियों के शीशों को क्षति, श्री स्वामी नारायण मंदिर, कम्पाला की चारदीवारी पर बने खम्बों और बिजली के खम्बों तथा खिड़कियों के शीशों को क्षति, गुरुद्वारा सिंह सभा, कम्पाला के एक साईनबोर्ड के शीशे की क्षति और कई वाहनों को क्षति की सूचना मिली थी।

(ग) से (ङ) मामले को युगांडा सरकार के साथ कठोरता के साथ उठाया गया था। युगाण्डा सरकार से भारतीय मूल के युगांडाइयों और युगाण्डा में भारतीय नागरिकों को तत्काल संरक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा की चिंता के बारे में इस विषय को युगाण्डा के विदेश मंत्री और सुरक्षा मंत्री के साथ भी उठाया गया था और उनसे यह अनुरोध किया गया था कि भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों के जीवन और सम्पत्ति को संरक्षण प्रदान किया जाए। युगाण्डा सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए सभी संभव उपाय किये गये हैं। सरकार युगाण्डा सरकार के साथ निरंतर सम्पर्क बनाए हुए हैं और बराबर स्थिति की निगरानी कर रही है।

[हिन्दी]

कजाखस्तान में भारतीय निवेश की संभावनाएं

4685. श्री बापू हरी चौरे:
श्री संजय धोत्रे:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य एशियाई देश कजाखस्तान ने भारतीय कंपनियों को अपने देश में टेक्सटाइल्स, दवा तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कजाखस्तान सरकार ने भारत के साथ विद्युत क्षेत्र सहयोग करने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) कजाखस्तान अपनी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीतियों के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेशों के लिए खुला है। भारत को निवेश के लिए कोई विशिष्ट निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ है।

नई दिल्ली में अक्तूबर 2006 में व्यापार, अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक सहयोग पर आयोजित छठें भारत-कजाखस्तान अंतर सरकारी आयोग की बैठक में दोनों पक्षों ने टेक्सटाइल्स, पेट्रोकेमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्रों सहित संयुक्त उपक्रमों में रूचि व्यक्त की।

(ग) और (घ) जहां तक ऊर्जा के क्षेत्र का प्रश्न है भारत और कजाखस्तान तेल और गैस के क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। मैसर्स ओएनजीसी विदेश लि. (ओवीएम) ने कजाखस्तान राज्य के स्वामित्व वाली तेल एवं गैस कंपनी काजमुनायगाज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और विचार-विमर्श प्रगति पर है।

[अनुवाद]

एन.आर.एच.एम. का क्रियान्वयन

4686. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से औषधियों की विभिन्न प्रणालियों के अंतर्गत विद्यमान स्वास्थ्य प्रदाताओं की पहचान करने तथा उन्हें प्रत्यायित नेटवर्क के अंतर्गत लाने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्यमान स्वास्थ्य प्रदाताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) सरकार ने देश भर में विशेषतौर से गरीबों और जनसंख्या के संवेदनशील/असुरक्षित वर्गों को पहुंच के अन्दर, वहनीय जवाबदेह, प्रभावकारी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में सभी स्तरों पर जनशक्ति को बढ़ाने की योजना है। इस संबंध में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रदायकों सहित महत्वपूर्ण जनशक्ति के संसाधनों की व्यवस्था करने का कार्य एकीकृत जिला स्वास्थ्य कार्य योजना के भाग के रूप में शुरू किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्य को तेज करने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य प्रदायकों की पहचान, प्रशिक्षण और प्रत्यायन के लिए ढांचे को तैयार करने के लिए इस मिशन के अंतर्गत एक कार्यदल का भी गठन किया गया है। दाईयों समेत मौजूदा स्वास्थ्य प्रदायकों का प्रशिक्षण जिले द्वारा एकीकृत जिला स्वास्थ्य कार्य योजना के भाग के रूप में तैयार किये गये समग्र प्रशिक्षण का भाग है।

जापान से उदार ऋण

4687. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान ने शहरी परिवहन तथा पत्तन क्षेत्रों के लिए उदार ऋण की पेशकश की है जैसाकि दिनांक 31 मार्च, 2007 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ पहचान की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां। शहरी विकास मंत्रालय और पोत परिवहन विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार।

(ख) शहरी परिवहन: जापान ने दिल्ली मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम परियोजना, चरण-II (ट्रेंच-II) के लिए 13583 मिलियन जापानी येन (लगभग 503 करोड़ रु. के बराबर) के आसान ऋण का प्रस्ताव किया है। जापान सरकार ने पहले मार्च, 2006 में इस परियोजना के ट्रेंच-I के लिए 14,900 मिलियन जापानी येन (590 करोड़ रु. के बराबर) स्वीकृत किये थे। जेबीआईसी सहायता प्राप्त करने वाली अन्य परियोजनाओं तथा सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित (रोलिंग योजना में) परियोजनाओं से संबंधित ब्यौरे इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य/केन्द्रीय पीआईए का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	कार्यान्वयन की अवधि	जेबीआईसी सहायता	केन्द्रीय अथवा राज्य क्षेत्र
1.	कोलकाता पूर्व-पश्चिम मेट्रो परियोजना	अभी निश्चित नहीं	4195	5 वर्ष	ज्ञात नहीं*	अभी निश्चित नहीं
2.	बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना	बीएमआरसी	6396	5 वर्ष	1796	30.3.2006 को समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।

*भारत-जापान विचार-विमर्श दिनांक 26.4.2007 को हुआ। कार्यवृत्त अभी प्राप्त होना है।

पत्तन क्षेत्र: जापान से वित्त वर्ष 2006 ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस (ओडीए) ऋण पैकेज के लिए विशाखापत्तनम पत्तन विस्तार परियोजना का चयन किया गया है। यह परियोजना विशाखापत्तन पत्तन के बाहरी बंदरगाह में लौह अयस्क हैंडलिंग सुविधाओं के उन्नयन के लिए आंध्र प्रदेश में स्थित केन्द्र सरकार के अधीन एक महापत्तन, विशाखापत्तनम पत्तन द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।

(ग) दिल्ली मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के चरण-II के विभिन्न कारीडोरों को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध समय इस प्रकार है:

	कारीडोर	लंबाई (कि.मी.)	लक्ष्य तारीख
1.	विश्वविद्यालय-जहांगीरपुरी	6.36	अक्तूबर, 2009
2.	केन्द्रीय सचिवालय-कुतुबमीनार	12.525	जून, 2010
3.	शाहदरा-दिलशाद गार्डन	3.09	दिसंबर, 2008
4.	इन्द्रप्रस्थ-न्यू अशोक नगर	8.07	जून, 2009
5.	यमुना तट-आनंद विहार आईएसबीटी	6.16	दिसंबर, 2009
6.	कीर्ति नगर-मुंडका (इंद्रलोक के लिए प्रचालक लिंक सहित)	18.47	मार्च, 2010

जहां तक कोलकाता और बंगलौर के लिए अन्य परियोजनाओं का संबंध है, कार्यान्वयन अवधि 5 वर्ष है जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है।

पत्तन क्षेत्र की परियोजना जनवरी, 2011 तक पूरी की जानी है।

म्यांमार से भारत को गैस पाइपलाइन

4688. डा. टोकचोम मैन्या: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या म्यांमार से भारत तक गैस पाइपलाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दे दिये जाने या उस पर हस्ताक्षर हो जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) भारतीय गैस प्राधिकरण लि. ने म्यांमार से भारत तक प्रस्तावित गैस पाइपलाइन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दे दिया है। इसके अनुसार प्रस्तावित गैस पाइपलाइन हमारे पूर्वोत्तर राज्यों से होते हुए पश्चिम बंगाल और बिहार होकर गुजरेंगी। म्यामां की सरकार को भारत को गैस बेचने का निर्णय अभी लेने हैं। इसके पश्चात ही प्रस्तावित गैस पाइपलाइन को अंतिम रूप देने का प्रश्न उठेगा।

भारतीय भाषाओं के लिए वेबसाइट

4689. श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भाषाओं के प्रौद्योगिकीय विकास के लिए किसी वेबसाइट का सृजन किया गया है;

(ख) इस कार्यक्रम में कौन-कौन सी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं;

(ग) क्या इस कार्यक्रम में गुजराती भाषा को शामिल किये जाने हेतु गुजरात सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। वेबसाइट का नाम है (http://tdilmit.gov.in)

(ख) संविधान द्वारा स्वीकृत सभी 22 भारतीय भाषाओं को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

(ग) जी, नहीं। गुजराती भाषा शामिल है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

फिसाइल मटेरियल कट आफ ट्रीटी

4690. डा. चिंता मोहन:
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने जिनेवा में आयोजित हुए आपदा प्रबंधन सम्मेलन में फिसाइल मटेरियल कट आफ ट्रीटी के संबंध में एक मसौदा पेश किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त मसौदे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने भी इस पर अपनी राय व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त समझौते की वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जी हां। संयुक्त राज्य अमरीका ने 18 मई, 2006 को जेनेवा में आयोजित नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन में विखंडनीय पदार्थ नियंत्रण संधि (एफएमसीटी) का एक प्रारूप प्रस्तुत किया। अमरीकी प्रारूप में प्रस्ताव किया गया है कि उक्त संधि के लागू हो जाने के पश्चात इस संधि का कोई भी पक्षकार नाभिकीय हथियारों के लिए विखण्डनीय पदार्थों का उत्पादन नहीं करेगा अथवा इसके पश्चात उत्पादित किसी प्रकार के विखंडनीय पदार्थ का उपयोग नाभिकीय हथियारों अथवा नाभिकीय विस्फोटक हथियारों के लिए नहीं करेगा। चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमरीका द्वारा अनुसमर्थित किये जाने के पश्चात लागू होने के फलस्वरूप इस संधि की अवधि 15 वर्षों की होगी।

(ग) से (ङ) अमरीका द्वारा प्रस्तावित प्रारूप एफएमसीटी पर सदस्य राज्यों द्वारा नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन में प्रस्तुत अनके प्रस्तावों में से एक है। एफएमसीटी पर वार्ता अभी आरंभ नहीं हुई है। सरकार भेदभाव रहित, बहुपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय तथा सत्यापनीय संधि को महत्वपूर्ण मानती है जिससे कि भविष्य में नाभिकीय हथियारों और अन्य विस्फोटक शस्त्रों के लिए विखंडनीय पदार्थों के भावी उत्पादन पर रोक लग सकेगी।

[अनुवाद]

जनसंख्या नियंत्रण

4691. श्री उदय सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में जनसंख्या नियंत्रण पर भारत के प्रयासों की प्रशंसा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि ने गत कुछ वर्षों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत में कई मिलियन डालर खर्च किये हैं;

(घ) यदि हां, तो बहुत अधिक धनराशि खर्च किये जाने के बावजूद भी जनसंख्या नियंत्रण के परिणाम संतोषजनक नहीं रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने इंडिया कंट्री रिपोर्ट, जनसंख्या एवं विकास: अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन के 10 वर्ष बाद तथा सरकार द्वारा प्रकाशित अन्य आंकड़े में किये गये उल्लेख के अनुसार प्रजननता में कमी की दिशा में देश द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों पर गौर किया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इस बात से भी सहमत है कि ये उपलब्धियां अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन में सहमति प्राप्त कार्य योजना के अनुरूप हैं जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किये हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष वर्ष 1974 से ही अपने पंचवर्षीय कंट्री कार्यक्रमों के जरिये भारत सरकार को जनसंख्या के बारे में उनके राष्ट्रीय प्रयासों को सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ष 2003-07 के लिए मौजूदा छठे कंट्री कार्यक्रम के तहत संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन के जरिये जनसंख्या स्थिरीकरण में सरकार के प्रयासों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है जिसमें मुख्य रूप से अन्य प्रजनन स्वास्थ्य जरूरतों सहित गुणवत्तायुक्त सेवाएं प्रदान करके गर्भनिरोधकों की अपूरित आवश्यकता को पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

(ङ) सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए स्वास्थ्य के महत्व को स्वीकार करते हुए तथा जीवन की गुणवत्ता तथा गुणवत्तायुक्त गर्भनिरोधक सेवाओं की आउटरीच बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। विशेषकर निर्धन एवं कमजोर लोगों को सुगम, वहनीय, जवाबदेह, प्रभावी तथा भरोसेमंद प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करना, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकार्यकर्ताओं (आशा) का संवर्ग बनाकर एवं उन्नत अस्पताल परिचर्या, विकेन्द्रित नियोजन, अंतर्क्षेत्रीय सम्मलेन के जरिये ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की कमी को दूर करना, लिंग संतुलन बनाए रखना तथा जनसंख्या स्थिरीकरण सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की प्रमुख विशेषताएं हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का दूसरा चरण भी शामिल है जिसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु रूग्णता एवं मृत्यु तथा अनचाहे गर्भधारण को कम करने के लिए परिवार कल्याण के कार्यनिष्पादन में सुधार लाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के प्रजनन जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से लाभार्थियों को आवश्यकता आधारित, उपभोक्ता केन्द्रित, मांग आधारित उच्च गुणवत्तायुक्त सेवाएं प्रदान करना है ताकि देश राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य को प्राप्त कर सके।

[हिन्दी]

ईरान को परमाणु प्रौद्योगिकी का निर्यात

4692. श्रीमती नीता पटैरिया:
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने ईरान को परमाणु प्रौद्योगिकी का निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत ने इस संबंध में ईरान से चर्चा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) विदेश व्यापार महानिदेशक ने 20 फरवरी, 2007 को विदेश व्यापार (विकास और विनियमन), अधिनियम 1992 के अंतर्गत एक अधिसूचना [अधिसूचना सं. 47 (आरई-2006)/2004-2005] जारी की जिसके द्वारा ऐसी सभी मदों, सामग्रियां, सामानों और प्रौद्योगिकी के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यात और आयात पर रोक लगा दिया गया है जिनसे संवर्द्धन, पुनर्संसाधन और भारी जल संबंधी ईरान की गतिविधियों अथवा नाभिकीय हथियार डिलीवरी प्रणालियों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। यह 23 दिसम्बर, 2006 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1739 के अंतर्गत भारत की बाध्यताओं के अनुसरण में है जिसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय-7 के अनुच्छेद-41 के अंतर्गत संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था।

(ग) और (घ) ईरान के साथ हुए क्रियाकलापों में ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम के मुद्दे पर चर्चा की गयी है जिसमें सरकार ने अपने इस स्थायी दृष्टिकोण से अवगत कराया कि शांतिपूर्ण तरीकों, बातचीत और वार्ताओं के जरिए इस मुद्दे को समाधान करने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग को इन अनसुलझे मुद्दों का समाधान करने में केन्द्रीय भूमिका निभानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1937 में अनसुलझे मुद्दों का समाधान करने के लिए आईएईए के साथ और सक्रिय एवं पारदर्शी सहयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

निजी दूरसंचार आपरेटर्स

4693. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी बेसिक दूरसंचार आपरेटर्स ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने की बाध्यता को पूरा करने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार समझौतों के प्रावधानों को और अधिक कठोर करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) वे सभी बुनियादी निजी सेवा प्रदाता (बीपीएसओ), जिनका पुराने लाइसेंसों के आधार पर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान करने का रोल-आउट दायित्व था, नवम्बर 2003 में एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यूएएसएल) में माइग्रेट कर गए हैं। यूएएसएल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाइसेंसधारकों द्वारा अनिवार्यत: ग्रामीण क्षेत्रों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभिगम्यता की आवश्यकता को अब सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) द्वारा पूरा किया जाता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी), वायस मेल तथा ई-मेल इत्यादि जैसे मूल्यवर्द्धित सेवा प्रदाताओं को छोड़कर सभी दूरसंचार सेवा-प्रदाता सार्वभौमिक सेवा दायित्व पूरे करने के लिए 5% समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का अंशदान कर रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग "ग" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त भाग "क" और "ख" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सुनामी से पत्तनों को नुकसान

4694. श्री रामदास आठवले: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 26 दिसम्बर, 2004 को हिन्द महासागर में आए सुनामी से देश के पत्तनों को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन पत्तनों के पुनर्निर्माण के लिए एक योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, 56 घाट-ढांचों को 26 दिसंबर, 2004 को आई सुनामी के दौरान नुकसान हुआ था। अब तक, 49 घाट-ढांचों को काम करने योग्य बना दिया गया है। इन ढांचों के शेष निर्माण कार्य के साथ-साथ बाकी के घाट-ढांचों को फिर से बहाल करने का कार्य भी प्रगति पर है। चेन्नै, विशाखापट्टनम और तुतीकोरिन महापत्तन तथा राष्ट्रीय पत्तन प्रबंधन संस्थान के कार्यालय (नया नाम राष्ट्रीय समुद्रीय अकादमी चेन्नै) ने भी अपने ढांचों को हुई कतिपय क्षति की सूचना दी। केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु राज्यों में अवस्थित पत्तनों/जेट्टियों, जो कि संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं, को हुई क्षति की भी सूचना प्राप्त हुई।

(ग) और (घ) पत्तनों और जेट्टियों के पुनर्निर्माण के साथ-साथ एक सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम तैयार किया गया है। जहां तक अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में निर्माण कार्यों का संबंध है, सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर, 2005 में पत्तन संरचनाओं के पुनर्वास/पुनर्निर्माण और उन्हें अद्यतन बनाए जाने के साथ साथ अतिरिक्त सुविधाओं का सृजन करने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा 897.31 करोड़ रु. की राशि अनुमोदित की गई थी। इसके अलावा, पोत परिवहन विभाग के अंतर्गत अन्य संगठनों में जैसे कि चेन्नै, तूतीकोरिन, विशाखापट्नम महापत्तनों, लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन और राष्ट्रीय पत्तन प्रबंधन संस्थान (नया नाम राष्ट्रीय समुद्रीय अकादमी), में मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 31.02 करोड़ रु. की राशि अनुमोदित की गई थी। जहां तक राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पत्तनों और जेट्टियों का संबंध है, सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु के लिए 74.70 करोड़ रु., केरल के लिए 44.02 करोड़ रु. और पुडुचेरी के लिए 75.00 करोड़ रु. अनुमोदित किये गये थे।

कोयले का उत्पादन

4695. श्री श्रीचन्द कृपलानी:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
डा. के. धनराजू:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोयले का उत्पादन बढ़ाने तथा इसके लिए आवश्यक मानदंड भी निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तथा वर्ष 2007-08 के लिए भी कोयले के उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (घ) जी, हां। 2006-07 में उत्पादन तथा 2007-08 (11वीं योजना के प्रथम वर्ष) तथा 11वीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 2011-12 के दौरान कोयला उत्पादन का लक्ष्य निम्नवत है:

(आंकड़े मि. टन में)

	2006-07 (अनंतिम)	2007-08	2011-12
कोल इंडिया लिमिटेड	361.04	384.51	520.50
सिंगरेनी कोलियरीज कं. लि. (एससीसीएल)	37.71	38.04	40.80
अन्य	26.36	37.95	118.70
कुल	425.11	460.50	680.00

कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

1. केप्टिव अन्त्य उपयोगों/वाणिज्यिक खनन के लिए निजी/सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रचालित किये जाने वाले विभिन्न उपभोक्ताओं को 130 कोयला ब्लाकों का आवंटन किया गया है।

2. कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को पाटने के लिए 11वीं योजना में कोल इंडिया लि की 119 खनन परियोजनाएं और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि. की 25 खनन परियोजनाएं शुरू करने का विचार किया गया है।

3. उपकरण के उपयोग तथा मौजूदा खानों के यंत्रीकरण/आधुनिकीकरण में सुधार।

4. कोल इंडिया लि. ने "आपातकालीन कोयला उत्पादन योजना" के अंतर्गत 16 ओपनकास्ट परियोजनाओं/खानों की पहचान की है जिससे मौजूदा खानों/परियोजनाओं के उत्पादन में उच्चतर स्तर तक 71.3 मि. टन अतिरिक्त उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी।

[अनुवाद]

भारत-ईरान गैस पाइप लाइन परियोजना

4696. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका के विद्युत सचिव ने हाल ही में भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने भारत ईरान गैस पाइप लाइन से भारत को कदम हटाने की सलाह दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत-ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इस संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) अमरीकी ऊर्जा मंत्री श्री सैमुअल बोडमैन ने 20-22 मार्च, 2007 के बीच भारत की यात्रा की।

(ख) और (ग) 20 मार्च, 2007 को मंत्री सैमुअल की मंत्री (पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस) के साथ हाल ही की बैठक में जब ईरान-पाकिस्तान-भारत पाइपलाइन परियोजना के मुद्दे पर चर्चा हुई तो उन्हें सूचित किया गया कि भारत किसी भी देश के साथ अपना ऊर्जा विकल्प ढूंढने के लिए स्वतंत्र है और वह अपने हितों की पूर्ति के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा।

(घ) और (ङ) जनवरी, 2005 में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय किफायत, सुरक्षा हितों सुनिश्चित आपूर्तियों को ध्यान में रखते हुए ईरान से पाकिस्तान होकर गुजरने वाली ओवरलैण्ड पाइपलाइन हेतु बातचीत करने के लिए प्राधिकृत था। अब तक भारत और ईरान के बीच तीन विशेष संयुक्त कार्यदल की बैठकें तथा भारत और पाकिस्तान के बीच चार संयुक्त कार्यदल की बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। 14-15 मार्च, 2006 को तेहरान में, 22-24 मई, 2006 को इस्लामाबाद में, 3-4 अगस्त, 2006 को दिल्ली में और 24-25 जनवरी, 2007 को तेहरान में सचिव स्तरीय त्रिपक्षीय वार्ताएं आयोजित हुई। भाग लेने वाले देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा जारी है। जिन मुद्दों पर चर्चा जारी है उनका समाधान प्राप्त हो जाने के उपरांत करार पर हस्ताक्षर हो सकते हैं।

सीएसओ/एनएसएसओ द्वारा असंतोषजनक आंकड़े

4697. श्री ए. साईं प्रताप: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा, विशेषकर कृषि, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के संबंध में एकत्रित किये गये आंकड़े बहुत अधिक असंतोषजनक हैं जैसाकि 11 अप्रैल, 2007 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन विश्व के अग्रणी प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठनों में से एक है तथा इसकी गुणवत्ता को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। दूसरी ओर, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन कोई भी

प्रारंभिक आंकड़ा स्वयं एकत्रित नहीं करता। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े तैयार करने के लिए राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि जैसे विविध स्रोतों से आंकड़े एकत्र करना है। सभी प्रारंभिक आंकड़ा संग्रहण में कतिपय गलतियां होती हैं तथा आंकड़ों की गुणवत्ता में आगे सुधार करने के लिए सतत प्रयास किये जाते हैं।

(ग) सरकारी सांख्यिकी की गुणवत्ता सहित सांख्यिकीय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. प्रारंभिक सांख्यिकी के बेहतर संग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 में संशोधन किया जा रहा है।

2. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग को कोर सांख्यिकी के संग्रहण, सारणीयन तथा प्रसार हेतु राष्ट्रीय रणनीतियां तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।

3. मंत्रालय ने भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना (आईएसएसपी) के भाग के रूप में राज्य सांख्यिकीय प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक परियोजना शुरू की है।

4. चूंकि केन्द्रीय एवं राज्य अभिकरणों के बीच अधिकाधिक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक आंकड़े अधिकांशत: राज्यों से प्राप्त किये जाते हैं, अत: केन्द्र एवं राज्य सांख्यिकीय संगठन का सम्मेलन शुरू किया गया है तथा वरिष्ठ स्तर के भरातीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस) अधिकारियों को राज्यों में तैनात किया गया है।

सीजीएचएस औषधालयों में दो पालियां

4698. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सीजीएचएस औषधालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रमुख शहरों में सीजीएचएस औषधालयों को दो पालियों में चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह निर्णय कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) सभी पद्धतियों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सभी पद्धतियों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का ब्यौरा इस प्रकार है:

शहर	एलोपैथी	आयुर्वेदिक	होमियोपैथी	यूनानी	सिद्ध	योग
1	2	3	4	5	6	7
अहमदाबाद	5	1	1	0	0	0
इलाहाबाद	7	1	1	0	0	0
बैंगलोर	10	2	1	1	0	0
भोपाल	1	0	0	0	0	0
भुवनेश्वर	2	1	0	0	0	0
चंडीगढ़	1	0	0	0	0	0
चेन्नई	14	1	1	0	1	0

1	2	3	4	5	6	7
देहरादून	1	0	0	0	0	0
गुवाहाटी	3	0	1	0	0	0
हैदराबाद	13	2	2	2	0	0
जबलपुर	3	0	0	0	0	0
जयपुर	5	1	1	0	0	0
कानपुर	9	1	2	0	0	0
कोलकाता	17	1	2	1	0	0
लखनऊ	6	1	1	1	0	0
मेरठ	6	1	1	0	0	0
मुम्बई	26	2	3	0	0	0
नागपुर	10	2	1	0	0	0
पटना	5	1	1	0	0	0
पुणे	7	1	2	0	0	0
रांची	2	0	0	0	0	0
शिलांग	1	0	0	0	0	0
त्रिवेन्द्रम	3	1	1	0	0	0
दिल्ली	87	13	13	5	2	4

अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी के दूरसंचार आपरेटर्स

4699. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ट्राई ने अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी की दूरसंचार कंपनियों के लिए अधिक बैंडविड्थ खरीदने के लिए आपरेटरों को अनुमति देने के लिए कुछ धनराशि का प्रवेश शुल्क तथा बैंक गारंटी लगाए जाने का प्रस्ताव किया है जैसाकि 24 मार्च, 2007 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या ट्राई ने इस व्यवसाय में नई कंपनियों को प्रोत्साहित करने तथा खुदरा उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम करने के लिए इस क्षेत्र में प्रचालकों की संख्या की कोई सीमा निर्धारित नहीं करने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 23 मार्च, 2007 को अंतर्राष्ट्रीय निजी लीज्ड सर्किट (आईपीएलसी) खंड में, पुनर्विक्रय हेतु निबंधन और शर्तों पर सिफारिशें जारी की हैं। ट्राई ने प्रस्तावित श्रेणी में प्रचालकों की संख्या की कोई सीमा निर्धारित नहीं करते हुए 1-1 करोड़ रु. के प्रवेश शुल्क और वित्तीय बैंक गारंटी की सिफारिश की है। इस समय विभाग द्वारा इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

मृदु पेयों में कार्बोनेटेड जल

4700. डा. अरविन्द शर्मा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मृदु पेयों में कार्बोनेटेड जल में मानकों के उल्लंघन का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे मृदु पेयों के उपयोग से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) कार्बोनेटेड जल के मानक खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत निर्धारित किये गये हैं।

राज्य/संघ क्षेत्र सरकारें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं नियम, 1955 का कार्यान्वयन करती हैं जो खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के किसी उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करती हैं।

इस मंत्रालय में कार्बोनेटेड जल के मानकों के अनुरूप शीतल पेयों के मामलों का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

नए मैंगलोर पत्तन का विकास

4701. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष 2005-06 की तुलना में वित्तीय वर्ष, 2006-07 के पहले नौ महीनों के दौरान नए मैंगलोर पत्तन में केटनर कार्गो तथा रेल आधारित यातायात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मई, 2006 में माल-भाड़े यातायात के लिए हासन-मंगलोर रेल लाइन के शुरू होने से भी पत्तन के लिए रेल आधारित यातायात में वृद्धि होने में सहायता मिली है;

(घ) यदि हां तो क्या पानम्बूर में रेलवे मारशिलिंग यार्ड में पुरानी रेल लाइन का सुदृढ़ीकरण किया गया है; और

(ङ) यदि हां तो नए मंगलौर पत्तन में स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ङ) वर्ष, 2006-07 के पहले नौ महीनों के दौरान, नवमंगलूर-पत्तन न्यास ने जहाजी माल से युक्त 13,320 बीस फीट समान इकाइयों के कंटेनर और का रेल से ले जाया जाने वाला 21,45,218 टन जहाजी माल संभाला, जिसमें हसन-मंगलूर रेल लाइन के माध्यम से 8,26,882 टन का जहाजी माल का संचलन शामिल है। इसकी तुलना में, वर्ष 2005-06 की समरूप अवधि के दौरान, उपर्युक्त पत्तन ने जहाजी माल से युक्त 9,646 बीस फीट समान इकाइयों के कंटेनर और का रेल से ले जाना जाने वाला 8,99,500 टन जहाजी माल संभाला। मार्शलिंग यार्ड में मौजूदा रेल लाइन को सशक्त बना दिया गया है।

यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से अवसंरचनात्मक सुविधाओं, उपस्करों और संचालनात्मक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाया जाना, एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। नवमंगलूर-पत्तन के संबंध में, इनमें पत्तन से सड़क संपर्क कायम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 को और चौड़ा किया जाना तथा लौह अयस्क संभालने की मशीनीकृत सुविधाएं और एक कोयला जेटी विकसित किया जाना शामिल है।

सीजीएचएस द्वारा मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों की सद्य: प्रसूताओं को रेफर किया जाना

4702. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीजीएचएस द्वारा मान्यता प्राप्त/पैनल वाले निजी अस्पतालों में सद्य: प्रसूताओं को रेफर करने के लिए सीजीएचएस के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या सीजीएचएस लाभान्वित गर्भवती औरत को अपनी इच्छानुसार सीजीएचएस मान्यता प्राप्त अस्पताल में रेफर नहीं करने के संबंध में सीजीएचएस में कोई नीति विद्यमान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) क्या सरकार ने सीजीएचएस औषधालयों में उपचार करवाते समय सद्य: प्रसूताओं के समक्ष आ रही समस्याओं के मद्देनजर सीजीएचएस के चिकित्सकों के कार्यनिष्पादन का आकलन लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) गर्भवती औरतों का सीजीएचएस अस्पतालों में उपचार करने में चिकित्सकों की अनदेखी के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) औषधालय स्तर पर कार्य कर रहे चिकित्सा अधिकारी समेत सरकारी/केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (के.स.स्वा.यो.) के डाक्टरों द्वारा गर्भावस्था के निदान/पुष्टि के आधार पर लाभार्थी अपनी पसन्द के अनुसार के.स.स्वा.यो. के अंतर्गत मान्यता-प्राप्त निजी अस्पतालों में प्रसव हेतु अपने विभाग/मंत्रालय से अनुमति प्राप्त कर सकता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) से (छ) औषधालयों में कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन का पुनरीक्षण और मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करते हैं और इसके लिए बैठकें की जाती हैं। इस प्रयोजन के लिए औषधालय के स्तर पर परामर्शी समितियों की बैठकें नियमित रूप से की जा रही हैं।

इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित किया जाना

4703. श्री हरिन पाठक:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार, स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) भुवनेश्वर में इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार; मोहाली में इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार तथा अहमदाबाद में इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, लखनऊ तथा मोहाली में इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित करने के लिए पहली किस्त के रूप में भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई)को 2.5 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान जारी किया गया है।

भारतीय मछुआरों पर हमला

4704. श्री एम. राजामोहन रेड्डी:
श्री परसुराम माझी:
श्री ए.वी. वेल्लारमिन:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंका की नौ सेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर हमले की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी घटनाओं में कितने मछुआरे मारे गए;

(ग) क्या सरकार ने सार्क सम्मेलन के दौरान इस मुद्दे को श्रीलंका सरकार के समक्ष उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार ने मारे गये मछुआरों के निकटतम संबधी को मुआवजा दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार घटना में मारे गये या घायल हुए व्यक्तियों के निकटतम संबधी को मुआवजा देने का भी है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) हाल के दिनों में श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर गोलीबोरी करने की घटनाएं सामने आई हैं। जनवरी-अप्रैल 2007 के दौरान ऐसी सात घटनाएं हुई हैं जिनमें तीन मछुआरे मारे गए हैं।

(ग) और (घ) जी हां। सरकार ने श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर गोली-बारी करने के मामले को श्रीलंका की सरकार के समक्ष पुरजोर ढंग से उठाया है। उन्हें जोर देते हुए बार-बार यह बात कही गई है कि श्रीलंका की नौसेना द्वारा नियंत्रण बरतने और हमारे मछुआरों के साथ मानवीय व्यवहार करने की आवश्यकता है। इसके प्रत्युत्तर में श्रीलंका की सरकार ने इस बात से इंकार किया है कि उनकी नौसेना कभी भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करती है और यह दावा किया कि उनकी नौसेना के जलयान घटनास्थल पर तैनात नहीं थे।

(ङ) से (ज) तमिलनाडु सरकार की ओर से मुख्यमंत्री जन राहत कोष से मृतक के विधिक उत्तराधिकारी को 1.00 लाख रु. की नकद राहत का भुगतान तत्काल किया जा रहा है। इसके अलावा, मृतक मछुआरे के परिवार को मछुआरा दुर्घटना सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत 50,000 रु. की राशि का भुगतान किया जा रहा है, यदि मृतक मछुआरा को-आपरेटिव सोसायटी का सदस्य रहा हो।

मुद्रास्फीति तथा किसानों की आत्महत्याएं

4705. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूल्य वृद्धि तथा किसानों की आत्महत्याओं आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए योजना आयोग ने हाल ही में एक बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक के क्या परिणाम निकले; और

(ग) मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा किसानों की दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र के मसौदे पर विचार करने के लिए पूर्ण योजना आयोग की पिछली बैठक दिनांक 18 अक्तूबर, 2006 को हुई थी। उपरोक्त विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हाल ही में पूर्ण योजना आयोग की कोई बैठक नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अस्पतालों में चिकित्सकों द्वारा हड़ताल

4706. श्री पारसनाथ यादव:
श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों ने कितनी बार हड़ताल की;

(ख) उक्त अस्पतालों में चिकित्सकों द्वारा हड़ताल किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) चिकित्सकों द्वारा हड़ताल किये जाने से आम आदमी को होने वाली समस्याओं के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) हड़ताल पर जाने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) भविष्य में ऐसी हड़ताल को रोकने तथा ऐसी आपात स्थितियों में रोगियों की उपचार प्रक्रिया को दुरुस्त बनाने के लिए सरकार की क्या योजना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अस्पतालों के डाक्टर केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के कार्यान्वयन के विरोध में 14.5.2006 से 31.5.2006 की अवधि के दौरान हड़ताल पर थे। हड़ताल के कारण आम लोगों को आ रही कठिनाइयों को कम से कम करने के लिए छुट्टी/अवकाश पर चल रहे संकाय सदस्यों को ड्यूटी के लिए बुलाया गया। हड़ताल में भाग लेने वाले चिकित्सकों के वेतन को "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धांत पर काट लिया गया। तथापि, उसे उच्चतम न्यायालय के दिनांक 30.5.2006 के आदेश को ध्यान में रखते हुए मई, 2006 के दौरान हड़ताल पर जाने वाले चिकित्सकों के वेतन को लौटा दिया गया जिसमें कहा गया था कि उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

तथापि, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक के कार्यकाल को समाप्त करने के लिए संस्थान निकाय के संकल्प के विरोध में 5.7.2006 से 7.7.2006 तक की अवधि तक हड़ताल पर थे। सेवाओं को केवल दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 7.7.2006 के

आदेशों पर संस्थान निकाय के संकल्प को रोकने के लिए पुन: बहाल किया गया था। संस्थान निकाय ने दिनांक 18.10.2006 को आयोजित अपनी बैठक में की गई कार्रवाई पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक से यह सुनिश्चित करने के लिए जवाब मांगा था कि हड़ताल के समय रोगी परिचर्या सेवाएं प्रभावित नहीं हुई थी। उनके उत्तर पर संस्थान निकाय द्वारा अभी विचार किया जाना है।

मशीनों की खरीद में अनियमितताएं

4707. श्री रशीद मसूद: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम्स में मशीनों की खरीद हेतु टेंडर जारी करने में अनियमितताएं सामने आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम्स की भंडार एवं खरीद समिति ने आटो एनलाइजर की खरीद के मामले को सतर्कता समिति को सौंपने की सिफारिश की थी; और

(घ) यदि हां, तो उक्त सतर्कता समिति द्वारा इस संबंध में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मशीनों की खरीद के लिए निविदा जारी करने में अनियमितताओं का ऐसा कोई भी मामला ध्यान में नहीं आया है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की भण्डार क्रय समिति ने आटो एनलाइजर की खरीद के लिए सतर्कता समिति से कोई सिफारिश नहीं की है।

[अनुवाद]

डाक नेटवर्क का विस्तार

4708. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा डाक नेटवर्क के विस्तार के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना अवधि के दौरान उस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई तथा उसका क्या परिणाम प्राप्त हुआ; और

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) दसवीं योजना में पंचायत संचार सेवा केन्द्र (पीएसएसके), ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर एवं विभागीय उपडाकघर खोलने के लिए 'डाक तंत्र का विस्तार' योजना स्कीम के अंतर्गत प्रावधान किया गया था।

(ख) स्कीम के तहत वर्षवार व्यय एवं खोले गए डाक केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) चूंकि योजना आयोग ने विभाग के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य तय नहीं किये हैं; अतएव उन्हें निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाकघर तथा पंचायत संचार सेवा केन्द्र (पीएसएसके) खोलने के संबंध में वास्तविक उपलब्धि एवं निर्धारित व्यय

वर्ष	वास्तविक उपलब्धि (डाकघर खोलने के लिए)	निर्धारित व्यय	वास्तविक उपलब्धि (पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने के लिए)	निर्धारित व्यय
1	2	3	4	5
2002-2003	266	649737.85	1482	9353940.39
2003-2004	219	3140327.55	889	18062213.70

1	2	3	4	5
2004-2005	शून्य	2802354.00	शून्य	17732772.74*
2005-2006	शून्य	शून्य	शून्य	16312642.30*
2006-2007	10	1449092.00	शून्य	14564468.42*
कुल	495	8041511.40	2371	76026037.55

*इसमें पंचायत संचार सेवा केन्द्रों के लिए निर्धारित मासिक भत्ता एवं डाक टिकट और डाक वस्तुओं की बिक्री, पंजीकृत पत्रों के बुकिंग आदि के लिए कमीशन देने हेतु खर्च की गई आवर्ती व्यय राशि शामिल है।

[हिन्दी]

भारत तथा बांग्लादेश के बीच व्यापार असंतुलन

4709. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री संतोष गंगवार:
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्क शिखर सम्मेलन में भारत तथा बांग्लादेश के बीच व्यापार असंतुलन के संबंध में चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बांग्लादेश ने पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सीधे व्यापार करने की अनुमति मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या सरकार ने बांग्लादेश की भूमि से भारत विरोधी गतिविधियों से संबंधित मुद्दा भी उठाया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जी हां। 14वें शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश की कामचलाऊ सरकार के मुख्य सलाहकार तथा विदेशी मामलों के सलाहकार ने क्रमश: प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री से भेंट की। बांग्लादेश के नेताओं के साथ हुई चर्चाएं द्विपक्षीय संबंधों एवं सार्क शिखर सम्मेलन पर केन्द्रित थी, जिसमें भारत के साथ घटते व्यापार पर बांग्लादेश की चिंताओं का समाधान ढूंढ़ना भी शामिल था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी हां। सरकार ने, बांग्लादेश की सरकार के साथ बांग्लादेश की जमीन से होने वाले भारत-विरोधी क्रियाकलापों के मुद्दे को उठाया है। बांग्लादेश की सरकार ने शीर्षस्थ स्तर पर हमें आश्वस्त किया है कि वह अपने भूभाग को भारत विरोधी कार्यकलापों के लिए उपयोग किये जाने की अनुमति नहीं देगा। भारत सरकार ने उन्हें इस आश्वासन को पूरा करने के लिए ठोस तथा दीर्घकालिक कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

[अनुवाद]

सीआईएल द्वारा वन भूमि का उपयोग

4710. श्री निखिल कुमार: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा इसकी अनुषंगी कंपनियां विद्यमान नीतियों/दिशानिर्देशों के उल्लंघन में वन भूमि का उपयोग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को छत्तीसगढ़ में वन भूमि का उपयोग करने के लिए मुआवजे के रूप में 300 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे मामलों में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल) ने छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में भूमिगत खनन के लिए निवल मौजूदा मूल्य (एनपीवी) के भुगतान से छूट देने हेतु भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में इस आधार पर एक रिट याचिका दायर की है कि भूमिगत खनन की वजह से सतही वन से छेड़छाड़ नहीं की जाती है। उच्चतम न्यायालय ने आवेदक एसईसीएल द्वारा एनपीवी के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि को जमा करने और शेष राशि केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के पास जमा करने की वचनबद्धता की शर्त पर खान के प्रचालन की अनुमति दी है। तदनुसार एसईसीएल ने आदेश का अनुपालन किया।

एसईसीएल ने छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश राज्यों में एसईसीएल के वन संबंधी भूमि के पट्टों के नवीकरण की अनुमति देते समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा लगाई गई पेनल अनुकम्पा वानिकी की शर्त को समाप्त करने के लिए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में इस आधार पर एक अन्य याचिका दायर की थी कि इस मामले में एसईसीएल द्वारा एफसी अधिनियम, 1980 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि एसईसीएल ने वन संबंधी भूमि के पट्टों की समाप्ति से काफी पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों के राज्य वन विभागों को वन संबंधी भूमि के पट्टों के नवीकरण के लिए आवेदन दिया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर एसईसीएल ने एनपीवी और वन संबंधी भूमि के पट्टों के नवीकरण के लिए पेनल अनुकम्पा वनीकरण हेतु निर्धारित समय-सीमा के भीतर 300 करोड़ रु. जमा कर दिये हैं।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते क्योंकि इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का अंतिम अधिनिर्णय अभी आना है।

तमिलनाडु में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

4711. डा. के. धनराजू: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए विभिन्न पक्षों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने के बारे में क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) वे अन्य स्थान कौन-कौन से है जहां वर्ष 2007-08 के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना, 2006-07 से 178 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव किया गया था।

(ग) तमिलनाडु राज्य में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1173 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता की तुलना में सितम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार इस राज्य में 1380 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं अर्थात् पहले से ही वहां पर 207 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अधिक हैं। तथापि, इस राज्य से किराए के स्थलों पर कार्य कर रहे 40 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए अनुरोध किया गया था जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सिविल निर्माण कार्यों पर 25% उच्चतम सीमा के अध्यधीन हो।

(घ) जनस्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने की आवश्यकता को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में शामिल किया जाता है।

एनईआईजीआरआईएमएस की कार्यशीलता दर्जा

4712. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआरआईएमएस) को पूर्ण कार्यशीलता का दर्जा देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार योग्यता प्राप्त और अनुभवी संकाय को आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का है;

(घ) क्या एनआईईजीआरआईएमएस को राष्ट्रीय संस्थान घोषित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारत सरकार ने शिलांग में 422.60 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी

क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान परियोजना का अनुमोदन किया है जिसमें 500 बिस्तर वाले रेफरल अस्पताल और नर्सिंग कालेज में 35 स्पेशलिटीज/सुपर स्पेशलिटीज में स्नातकोत्तर स्तर के शिक्षण की व्यवस्था रखी गई है। इस संस्थान का सिविल निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया चल रही है। अभी इस संस्थान के अस्पताल ने बालरोग विज्ञान, हृदयरोग विज्ञान, जनरल मेडिसन, जठरान्त्र रोग विज्ञान एवं विकिरण अर्बुदविज्ञान के 5 क्लिनिकल विभागों, मूत्ररोग विज्ञान, विकलांग विज्ञान, सीटीवीएस, प्रसूति विज्ञान और स्त्रीरोग विज्ञान, जीआई सर्जरी के 5 सर्जिकल विभागों और रेडियो नैदानिक, विकृति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान और संवेदनाहरण विज्ञान के 4 सहयोगी विभागों में 315 बिस्तरों की सुविधा से कार्य करना शुरू कर दिया है। नर्सिंग स्कूल ने शैक्षणिक वर्ष 2006-07 से कार्य करना शुरू कर दिया है। संकाय सदस्यों एवं अन्य पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। संकाय सदस्य और अन्य स्टाफ की नियुक्ति और उपकरणों को लगाने के बाद यह संस्थान अपनी पूरी क्षमता से कार्य करना शुरू कर देगा।

(ग) इस संस्थान ने अपने संकाय सदस्यों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव पर विचार करने के बाद संस्थान को इस विषय पर भारत सरकार के आदेशों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रस्तावित प्रोत्साहन के लिए इस प्रस्ताव को संशोधित करने की सलाह दी गई है।

(घ) से (च) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान को राष्ट्रीय संस्थान घोषित करने संबंधी प्रस्ताव इस संस्थान से प्राप्त हुआ था। जांच के बाद संस्थान को सलाह दी गई कि वह अस्पताल एवं संस्थान को पूरी तरह प्रचालित करने के बाद यह प्रस्ताव लाए।

हज राजसहायता पर अधिस्थगन

4713. श्री के.जी.एस.पी. रेड्डी:
श्रीमती मनोरमा माधवराज:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हज यात्रियों को केन्द्र द्वारा दी जा रही राजसहायता पर न्यायालयों द्वारा अगले वर्ष से लगाए जाने वाले अधिस्थगन के मद्देनजर सरकार ने हज यात्रियों की सहायता के लिए कोई दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सच्चर समिति ने भी हज यात्रियों को राजसहायता/सहायता जारी रखने की वकालत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार हजयात्रियों की आवश्यकताओं का आकलन करने के पश्चात धनराशि के रूप में सहायता प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 25.8.2006 को दिए गए अपने अंतरिम आदेश के द्वारा सरकार पर हज यात्रा अथवा किसी समुदाय की तीर्थयात्रा के लिए वित्तीय राजसहायता देने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 18.9.2006 को दिए गए निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के निर्णय पर इस सीमा तक रोक लगा दी कि वह हज के लिए निधियां उपलब्ध कराने अथवा वित्तीय राजसहायता पर प्रतिबंध नहीं लगाए। इसने उच्च न्यायालय से रिट याचिका की सुनवाई करने और शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया। मामला लखनऊ पीठ में चल रहा है और सुनवाई की अगली तारीख 9.5.2007 निर्धारित की गयी है। इस बीच भारत सरकार ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 25 अप्रैल, 2007 को एक एसएलपी दायर करके सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि दिनांक 18.9.2006 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का लाभ हज 2007 को भी दिया जाए। इसकी सुनवाई 7 मई को हो गई। सरकार के पक्ष में अंतरिम आदेश दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) मामला न्यायाधीन है। न्यायालय के निर्णय की जानकारी मिलने के बाद ही इस मामले में उपर्युक्त कार्रवाई की जा सकती है।

पूर्वोत्तर के छात्रों को विशेष सुविधाएं

4714. श्री नकुल दास राई: क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के छात्रों को सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में स्पर्धा योग्य बनाने के लिए उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इस क्षेत्र के युवा वर्गों को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की नौकरियों में स्पर्धा योग्य बनाने के उद्देश्य से शैक्षिक और तकनीकी शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। इस संबंध में किये गये प्रमुख प्रयास निम्न प्रकार हैं:

(1) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय उत्तर पूर्वी राज्यों में 22 नए आईआईटी की स्थापना और वर्तमान 35 आईआईटी के स्तरोन्नयन पर 100 करोड़ रुपये की लागत से प्रधान मंत्री के पैकेज को क्रियान्वित कर रहा है। योजना आयोग ने सिक्किम और असम में एक एक ऐसे दो नए आईआईटीज 13.7 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन से स्थापित करने के लिए अनुमोदित किया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पांच आईआईटीज को उत्कृष्ट केन्द्र (सीओई) के रूप में स्तरोन्नयन किया जा रहा है।

(2) अरुणाचल प्रदेश में राजीव गांधी स्टेट विश्वविद्यालय को और त्रिपुरा विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्व विद्यालयों में परिवर्तित करने के लिए तथा एक नया सिक्किम विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधान बनाए गए हैं।

(3) द नार्दन ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड टैक्नोलोजी (एनईआरआईएसटी), ईटानगर, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी (आईआईटी), गुवाहाटी, तथा नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी (एनआईटीज) सिल्चर और अगरतला, उत्तर पूर्व में तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा की जरूरतों की देखरेख कर रहे हैं।

(4) सरकार ने शिलांग में भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

(5) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अनु. जाति/अनु. जनजाति/अल्पसंख्यक छात्रों के कल्याण के लिए उन्हें निम्नलिखित स्कीमों (1) राष्ट्रीय योग्यता जांच (एनईटी) की तैयारी के लिए प्रशिक्षण की योजना और (2) सेवा में भर्ती के लिए प्रशिक्षण कक्षाओं के माध्यम से सरकारी सेवाओं में प्रतियोगिता के योग्य बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

(6) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा उत्तर पूर्वी परियोजना शुरू की गई है और प्रधान मंत्री की अव्यपगत निधि से वित्त पोषण किया जाता है, यह व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देते हुए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है जिसका उद्देश्य संगत कौशल का स्तर बढ़ाना है।

(7) डोनर मंत्रालय अपनी क्षमता निर्माण की योजना के अंतर्गत और पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्र के युवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों और संगठनों के माध्यम से कौशल विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की है।

[हिन्दी]

मजदूरों की झूठी अनुपस्थिति और बर्खास्तगी

4715. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की अनुषंगी कंपनी वेकोलि की कई कोयला खान परियोजनाओं में मजदूरों की झूठी अनुपस्थिति तथा उनकी बर्खास्तगी के आश्चर्यजनक मामलों के बारे में कामगार संगठनों तथा जन प्रतिनिधियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इन मजदूरों को कोई अवसर देने पर विचार कर रही है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (घ) झूठी अनुपस्थिति के कारण कामगारों की सेवाएं समाप्त करने का कोई मामला वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के प्रबंधन के ध्यान में नहीं लाया गया है। आदतन तथा लम्बी अवधि की अनुपस्थिति के मामले में वेस्टर्न कोलफील्ड लि. के प्रमाणित स्थायी आदेशों में उल्लिखित क्रियाविधियों के उचित अनुपालन के बाद कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

दृष्टिहीनता का उन्मूलन

4716. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों को दृष्टिहीनता के उन्मूलन के कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान करने के अधिकार दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दृष्टिहीनता उन्मूलन हेतु इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान जारी करने की योजना वर्ष 2005-06 से राज्यों को विकेन्द्रीकृत कर दी गई है। विकेन्द्रीकृत योजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(1) अल्पसेवित लोगों के लिए नेत्र परिचर्या एककों के विस्तार/उन्नयन हेतु अनावर्ती सहायता-अनुदान।

(2) नेत्र बैंकों तथा नेत्र दान केन्द्रों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए अनावर्ती सहायता-अनुदान।

(3) दृष्टि केन्द्रों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए अनावर्ती सहायता अनुदान।

(4) अस्पतालों में मोतियाबिंद की मुफ्त शल्य चिकित्सा करने के लिए आवर्ती सहायता-अनुदान।

(5) नेत्र बैंकों तथा नेत्र दान केन्द्रों को आवर्ती सहायता-अनुदान।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न नेत्र परिचर्या कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों को निधियां आवश्यकतानुसार जारी की जाती हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान दृष्टिहीनता के उन्मूलन के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों को निधियों का आबंटन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान निधियों का राज्यवार आवंटन

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
	प्रमुख राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	325.86	278.10	642.60
2.	बिहार	72.00	101.28	422.42
3.	छत्तीसगढ़	277.52	317.84	152.14
4.	गोवा	21.29	29.69	43.60
5.	गुजरात	464.23	487.98	489.20
6.	हरियाणा	160.12	137.22	230.75
7.	हिमाचल प्रदेश	103.00	97.21	122.84
8.	जम्मू और कश्मीर	188.21	112.48	15.00
9.	झारखंड	169.78	111.20	269.80

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	499.47	598.38	740.50
11.	केरल	194.09	260.47	114.80
12.	मध्य प्रदेश	879.49	524.91	762.57
13.	महाराष्ट्र	351.53	646.92	637.00
14.	उड़ीसा	344.05	280.01	250.00
15.	पंजाब	23.06	97.29	140.60
16.	राजस्थान	602.58	755.20	688.10
17.	तमिलनाडु	1310.18	1310.90	1393.60
18.	उत्तर प्रदेश	1003.74	949.17	1134.40
19.	उत्तरांचल	110.24	194.66	108.00
20.	पश्चिम बंगाल	122.60	475.31	423.80
	योग	7223.04	7766.22	8781.72
	पूर्वोत्तर राज्य			
1.	अरुणाचल प्रेदश	45.87	90.22	141.00
2.	असम	48.02	298.15	330.00
3.	मणिपुर	12.54	31.00	124.41
4.	मेघालय	39.49	76.00	159.73
5.	मिजोरम	11.16	45.37	107.00
6.	नागालैड	13.25	35.95	62.67
7.	सिक्किम	6.19	22.75	17.00
8.	त्रिपुरा	24.34	101.34	210.00
	योग	200.86	700.78	1160.81
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंड. और नि. द्वीपसमूह	6.22	11.16	3.00
2.	चंडीगढ़	11.96	28.57	16.00
3.	दादरा और नगर हवेली	1.05	3.00	0.00
4.	दमन और दीव	6.24	10.61	11.00

1	2	3	4	5
5.	दिल्ली	48.07	147.42	166.60
6.	लक्षद्वीप	4.47	4.47	0.00
7.	पांडिचेरी	8.03	9.98	62.00
	योग	86.04	215.21	258.60
	कुल योग	7509.94	8682.21	10201.13

ऐतिहासिक पुल का पुनरुद्धार

4717. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रामेश्वरम के निकट कोई पुल पाया गया है जिसे रामायण के समय का माना जाता है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस ऐतिहासिक पुल के पुनरुद्धार हेतु कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) सेतुसमुद्रम जहाजी नहर-परियोजना की प्रस्तावित मार्ग रेखा में किसी प्राचीन मानव निर्मित ढांचे की मौजूदगी का कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

प्रोग्राम आउटकम एंड रेस्पोस मानिटरिंग डिवीजन

4718. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2005 में "प्रोग्राम आउटकम एंड रेस्पोंस मानिटरिंग डिवीजन" की स्थापना की थी;

(ख) यदि हां, तो इस पर हुए कुल व्यय की तुलना में डिवीजन द्वारा कितना कार्य किया गया है; और

(ग) विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, हां।

(ख) कार्यक्रम परिणाम और अनुक्रिया निगरानी प्रभाग ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त आउटकम बजट 2005-06 संबंधी प्रक्रियाओं का संकलन किया था। तथापि, फ्लैगशिप कार्यक्रमों के लिए आउटकम बजट की तैयारी हेतु इस प्रभाग को दिये गये अधिदेश में संशोधन किया गया है और 9 नवम्बर, 2005 से अब इसे व्यय विभाग द्वारा देखा जा रहा है। इस प्रभाग पर किया गया व्यय निम्नानुसार है:

(1) 30.3.2005 से 30.9.2005 तक परामर्शदाताओं को दी गई फीस-185,010 रु.।

(2) कर्मचारियों/प्रभाग के स्टाफ को दिया गया वेतन-8,85,825 रु.।

(ग) विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से, योजना आयोग इसे एक अनिवार्य शर्त बनाने पर विचार कर रहा है कि इसको प्रस्तुत किये जाने वाले सभी प्रस्तावों की अनुमति से पूर्व उनके लिए पर्याप्त बेंच मार्किंग अपेक्षित हो। इसकी योजना अनुसंधान संस्थानों और कड़े प्रमाण आधारित मूल्यांकन शुरू करने की क्षमता रखने वाले सिविल समाज को शामिल करके मूल्यांकन क्षमता को सुदृढ़ करने की भी है। राज्य सरकारों को भी योजना कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ऐसे कदम उठाने का परामर्श दिया जाएगा।

[हिन्दी]

कर्मचारियों की भर्ती

4719. श्री गणेश सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न कोयला कंपनियों में कंपनीवार, श्रेणीवार कितने मजदूर तथा अन्य कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) कितने वर्षों से कर्मचारियों की भर्ती बंद कर दी गई है;

(ग) क्या इससे कोयला कंपनियों के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कर्मचारियों की भर्ती पर विचार करने का है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार देश में विभिन्न कोयला कंपनियों में जनशक्ति का श्रेणीवार और कंपनीवार संगठन संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ख) मई, 1999 से 2005 तक कार्यपालक संवर्ग में कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा कोई बाहरी भर्ती नहीं की गई है।

(ग) और (घ) इस समय, सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में अतिरिक्त जनशक्ति है, हालांकि कार्यकारी और कुशल श्रेणियों में कुछ कमी है। पिछले दो वर्षों के दौरान सीआईएल ने प्रबंधन प्रशिक्षुओं, चिकित्सा अधिकारियों, लेखा अधिकारियों आदि की भर्ती की है तथा सीआईएल की सहायक कंपनियों ने बैकलाग रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान के तहत कार्यकारी तथा अन्य आवश्यक कार्मिकों (गैर-कार्यपालक) की भर्ती की है, सीआईएल में कार्यपालक संवर्ग में सामान्य भर्ती चल रही है। सीआईएल की सहायक कंपनियों में गैर-कार्यपालक संवर्गों में कार्यकारी तथा अनिवार्य श्रेणियों में रिक्त पदों को भरने के लिए भी कार्रवाई आरंभ की गई है।

विवरण

श्रेणी	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	भारत कोकिंग कोल लि.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	महानदी कोलफील्ड्स लि.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीच्यूट लि.	कोल इंडिया (लि. (मुख्या.) दानकुनी कोयला काम्प्लेक्स सहित	कुल कोल इंडिया लि.
कार्यपालक	2334	2318	2486	2303	2718	1215	1371	101	774	366	15986
मासिक आधार पर	19866	17238	13510	13899	14729	4582	3778	875	1390	1207	91074
दैनिक आधार पर	54160	44992	34741	43492	62854	14484	11577	2069	963	181	269513
कार्य आधार पर	21064	18033	10478	5429	3645	291	0	165	0	0	59105
नैमित्तिक	1	120	172	3	0	0	0	0	0	0	296
बदली	10	141	0	21	0	0	0	0	0	0	182
कंपनी प्रशिक्षु	1345	726	223	452	422	19	0	0	0	0	3187
कुल	98780	83578	61610	65599	84368	20591	16726	3210	3127	1754	439343

मैकमोहन रेखा पर विवाद

4720. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा निर्धारित करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ स्थानों पर मैकमोहन रेखा पर कोई विवाद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) पूर्वी क्षेत्र में भारत-चीन सीमा का निर्धारण मार्च, 1914 के भारत-तिब्बत करार द्वारा किया गया है। इस करार पर सर हेनरी मैक मोहन, सचिव, भारत सरकार, विदेश और राजनीतिक विभाग और तिब्बत के पूर्णाधिकारी लोनचेन शात्र ने हस्ताक्षर किये थे। चीन पूर्वी क्षेत्र में भारत के अरुणाचल प्रदेश में 90,000 वर्ग कि.मी. भारतीय क्षेत्र का अवैध दावा करता है।

[अनुवाद]

एनईडीएफसी द्वारा किसानों को लघु ऋण

4721. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एनईडीएफसी) लघु ऋण के माध्यम से किसानों की सहायता कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एनईडीएफसी द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान किसानों को कितनी धनराशि आवंटित की गई?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) माइक्रो वित्त स्कीम के तहत उत्तर-पूर्वी विकास वित्त निगम (नेडफी) किसानों को सीधे तौर पर ऋण नहीं देता है किंतु उन गैर-सरकारी संगठनों का वित्तपोषण करता है जो विभिन्न कृषि संबंधी कार्यों जैसे कृषि, सुअर पालन, डेयरी वर्मीकम्पोस्ट औषधीय और एरोमेटिक पादपों की खेती और मत्स्य पालन आदि के लिए किसानों को ऋण देते हैं। 31.3.2007 के अनुसार नेडफी द्वारा किसानों को माइक्रो क्रेडिट की सावधिक स्थिति निम्न प्रकार दी जाती है:

सहायता दी गई एनजीओ की संख्या	सहायता दिये गये किसानों की कुल संख्या	कुल संवितरित की गई राशि (रु. लाख में)
120	5713	475.00

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के लिए माइक्रो क्रेडिट के तहत कोई विशिष्ट धनराशि का आवंटन नहीं है। तथापि, परंपरागत आधार पर वर्ष, 2007-08 के दौरान इस स्कीम के माध्यम से किसानों को 1.00 करोड़ रुपये तक एनजीओ के माध्यम से नेडफी को मंजूरी मिलने की आशा है।

[हिन्दी]

क्रिकेट मैचों पर सट्टेबाजी

4722. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और वेस्टइंडीज के बीच हाल ही में संपन्न एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के कुछ मैचों में सट्टेबाजी के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला तथा दोषी लोगों के विरुद्ध की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सट्टेबाजों और अंडरवर्ल्ड के बीच सांठ-गांठ का भी पर्दाफाश हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (छ) मंत्रालय को भारत और वेस्टइंडीज के बीच हाल ही में संपन्न एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में सट्टेबाजी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यह भी बताया है कि नागपुर में वेस्ट इंडीज खिलाड़ियों के बारे में कुछ मीडिया रिपोर्टों को छोड़कर, उनके नोटिस में कुछ भी नहीं आया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा यह भी रिपोर्ट किया गया है कि महाराष्ट्र राज्य पुलिस ने इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद भ्रष्टाचार निरोधी एकक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इस मामले पर कार्रवाई कर रही है।

[अनुवाद]

सिविल सेवा परीक्षा में प्रयास

4723. श्री चाडिगा रामकृष्णा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) में सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणियों के उम्मीदवारों को कितने प्रयास करने की अनुमति दी जाती है;

(ख) क्या सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के विकलांग उम्मीदवारों की तुलना में कम अवसर दिये जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सिविल सेवा परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्गों तथा शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणियों के सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को संवर्ग के आवंटन में कोई भेदभाव सरकार की जानकारी में आया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ङ) वर्तमान में सामान्य श्रेणी से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को चार, अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को सात और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को असीमित प्रयास करने की अनुमति दी जाती है। शारीरिक रूप से विकलांग किसी उम्मीदवार को उतने ही प्रयास करने के अवसर दिये जाते हैं जितने कि उसके समुदाय के उन अन्य उम्मीदवारों, जो शारीरिक रूप से विकलांग नहीं हैं, को उपलब्ध कराए जाते हैं। तथापि, हाल ही में एक ऐसा नीति निर्णय लिया गया है कि सामान्य श्रेणी से संबंध रखने वाले शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को सात अवसर दिये जाएंगे। इसको भविष्यलक्षी प्रभाव से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(च) जी, नहीं श्रीमान।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ज) प्रश्न ही नहीं उठता है।

मुम्बई गोदी को विघटित करना

4724. श्री मिलिन्द देवरा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई की दो सबसे पुरानी गोदियों—विक्टोरिया और प्रिंसेज को एक अपतटीय टर्मिनल का पार्किंग स्थल बनाने के लिए जल्द ही गिरा दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन गोदियों द्वारा कितनी मात्रा में कार्गो की संभलाई की गई;

(घ) उन्हें विघटित करने के पश्चात् क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट का क्या प्रस्ताव है;

(ङ) क्या वर्ष, 2005-06 के दौरान पोर्ट द्वारा कार्गो की संभलाई में सुधार आया था;

(च) यदि हां, तो इन दोनों गोदियों को विघटित करना कितना व्यवहार्य है; और

(छ) इन्हें विघटित करने की अवधि में कार्गो की संभलाई किस प्रकार से की जाएगी?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) 1880 के दशक में निर्मित प्रिंसिज और विक्टोरिया डॉक बहुत पुराने, छोटे और उथले होने के नाते तकरीबन अप्रयुक्त हो गए हैं क्योंकि मौजूदा जलयान आकार में बड़े और डुबाव की दृष्टि से गहरे हैं। मुंबई पत्तन ने प्रिंसिज और विक्टोरिया डॉक बेसिनों को भरने और उसे प्रस्तावित अपतटीय कंटेनर टर्मिनल में संभाले जाने वाले कंटेनरों की स्टैकिंग के लिए कंटेनर यार्ड के रूप में विकसित किये जाने का प्रस्ताव किया है, न कि पार्किंग लाट के रूप में।

(ग) वर्ष, 2004-05 से प्रिंसिज और विक्टोरिया डाक्स में संभाले गए जहाजी माल की मात्रा निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रिंसिज और विक्टोरिया डॉक्स पर संभाला गया जहाजी माल	
	(टनों में)	मुंबई पत्तन न्यास में संभाले गए कुल जहाजी माल का प्रतिशत
2004-05	9,04,667	2.57
2005-06	10,57,013	2.39
2006-07	10,91,216	2.08

(घ) मुंबई पत्तन का, अपतटीय कंटेनर टर्मिनल पर संभाले जाने वाले तकरीबन 1.00 मिलियन कंटेनर प्रतिवर्ष स्टैक करने के लिए इस क्षेत्र का एक कंटेनर यार्ड के रूप में उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) से (छ) वर्ष 2006-07 के दौरान मुंबई पत्तन पर संभाले गए कुल कार्गो का लगभग 98.1% प्रिंसिज और विक्टोरिया डॉक्स के बाहर संभाला गया। चूंकि, प्रिंसिज और विक्टोरिया डॉक्स पर बहुत कम मात्रा में जहाजी माल संभाला जा रहा है, अत: इस माल को इंदिरा डॉक और बंदर क्षेत्रों में संभाला जाएगा। इसलिए, इन डॉक्स को तोड़े जाने के कार्य के दौरान मुंबई पत्तन पर होने वाला जहाजी माल का संचालन प्रभावित नहीं होगा।

कुशल जनशक्ति हेतु कृतिक बल

4725. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुशल जनशक्ति संबंधी कृतिक बल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो कृतिक बल द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) कौशल विकास संबंधी कार्यदल ने अपनी मसौदा रिपोर्ट तैयार कर ली है। कार्य दल की अंतिम रिपोर्ट को मई, 2007 तक योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

पूर्वोत्तर राज्यों हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का परिव्यय

4726. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर में असम और अन्य राज्यों के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु योजना परिव्यय निर्धारित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्षेत्र में अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों हेतु परिव्यय तथा लक्ष्यों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में दसवीं तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना में तुलनात्मक परिव्यय तथा लक्ष्य क्या थे; और

(घ) योजना के क्रियान्वयन हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) पूर्वोत्तर में असम और अन्य राज्यों के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु परिव्यय निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, वार्षिक योजना 2007-08 के लिए परिव्यय अनुमोदित कर दिया गया है और राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

ग्यारहवीं योजना के दृष्टिकोण-पत्र में पूर्वोत्तर की विशेष समस्याओं की पहचान की गई है, जैसे इसकी भौगोलिक अवस्थिति, वास्तविक आधार संरचना की अपर्याप्तता, उद्यमशीलता का न्यून स्तर इत्यादि, इसमें परिवहन आधार संरचना में सुधार, प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने और पर्यटन, बागवानी, कृषि और वानिकी को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दी गई है। ग्यारहवीं योजना के दौरान संसाधन उपलब्धता पर विचार करते हुए, तदनुसार केन्द्र और राज्य दोनों के परिव्यय और प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएंगी।

नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना 2007-08 के तुलनात्मक परिव्यय संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। नौवीं योजना के लिए कोई राज्य-वार विकास लक्ष्य नहीं थे। 10वीं योजना के लिए नियत राज्य-वार विकास लक्ष्य संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। 11वीं योजना के लिए राज्य-वार विकास लक्ष्यों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

वार्षिक योजना 2007-08 के लिए सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों का योजना परिव्यय

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	वार्षिक योजना 2007-08 प्रस्तावित परिव्यय	वार्षिक योजना 2007-08 सहमत परिव्यय
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	1320.00	1320.00
2.	असम	7523.70	3799.99

1	2	3	4
3.	मणिपुर	1374.30	1374.30
4.	मेघालय	1360.00	1120.00
5.	मिजोरम	895.00	850.00
6.	नागालैंड	058.94	900.00
7.	सिक्किम	864.32	691.14
8.	त्रिपुरा	1275.08	1219.76

विवरण II

नौवीं तथा दसवीं योजना के दौरान अनुमोदित परिव्यय एवं वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान सहमत परिव्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	नौवीं योजना (1997-2002) अनुमोदित परिव्यय	दसवीं योजना (2002-07) अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना 2007-08 सहमत परिव्यय
1.	अरुणाचल प्रदेश	3,191.00	4150.35	1320.00
2.	असम	8,140.28	12212.00	3799.99
3.	मणिपुर	2,281.00	4073.09	1374.31
4.	मेघालय	2,214.00	3516.34	1120.00
5.	मिजोरम	1,794.26	2969.52	850.00
6.	नागालैंड	1,637.00	2842.79	900.00
7.	सिक्किम	1,257.22	2296.07	691.14
8.	त्रिपुरा	2,399.91	3729.27	1219.76
	कुल	22,914.67	35,789.43	11,275.20

विवरण III

राज्य-वार एवं क्षेत्र-वार विकास लक्ष्य—दसवीं पंचवर्षीय योजना

क्र.सं.	राज्यों के नाम	कृषि	उद्योग	सेवाएं	जीएसडीपी विकास
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	4.00	8.90	10.50	8.05
2.	असम	3.82	5.00	9.00	6.17
3.	मणिपुर	3.59	8.33	7.39	6.46

1	2	3	4	5	6
4.	मेघालय	4.00	6.87	7.05	6.30
5.	मिजोरम	2.00	4.16	6.84	5.29
6.	नागालैंड	4.00	7.29	5.78	5.56
7.	सिक्किम	5.00	5.21	10.36	7.87
8.	त्रिपुरा	3.90	9.37	8.43	7.31
	अखिल भारत	4.00	8.86	9.35	8.00

आईटीआई को वित्तीय सहायता

4727. श्री ए.वी. वेल्लारमिन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान लगभग 4000 करोड़ रुपये के मूल्य के उपकरणों के उत्पादन के लिए समर्थ बनाने हेतु इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) वर्ष 2007-08 के लिए कंपनी के समझौता ज्ञापन के अनुसार, 4,770 करोड़ रु. के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है। सरकार आईटीआई का उत्पादन बढ़ाने के उसके प्रयास में सहायता कर रही है। बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा आईटीआई को दिए गए क्रय आदेशों के लिए उसे 75 प्रतिशत अग्रिम राशि के भुगतान के माध्यम से मैसर्स आईटीआई लिमिटेड को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है, जिससे आईटीआई चालू वर्ष के कुल बिक्री लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएगी।

प्राथमिक/समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र

4728. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने प्राथमिक और समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र स्थित हैं;

(ख) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और समुदाय स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषकर तमिलनाडु में उक्त केन्द्रों में पर्याप्त चिकित्सक नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) देश में मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) तमिलनाडु राज्य में मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 2537 डाक्टर कार्यरत थे जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 3089 है और 1253 डाक्टरों की आवश्यकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सितम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार 48 विशेषज्ञ अर्थात् सर्जन, प्रसूति/स्त्री रोग विज्ञानी, फिजीशियन और बाल चिकित्सक कार्यरत हैं जबकि 48 पद स्वीकृत हैं और 140 विशेषज्ञों की आवश्यकता है।

विवरण

चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

(मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रा.स्वा. केन्द्र	सा.स्वा. केन्द्र
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1570	167
2.	अरुणाचल प्रदेश	85	31
3.	असम	610	100
4.	बिहार	1641	70
5.	छत्तीसगढ़	518	118

1	2	3	4
6.	गोवा	19	5
7.	गुजरात	1072	273
8.	हरियाणा	408	82
9.	हिमाचल प्रदेश	439	66
10.	जम्मू-कश्मीर	374	80
11.	झारखंड	330	194
12.	कर्नाटक	1679	254
13.	केरल	909	107
14.	मध्य प्रदेश	1192	229
15.	महाराष्ट्र	1800	407
16.	मणिपुर	72	16
17.	मेघालय	101	25
18.	मिजोरम	57	9
19.	नागालैंड	84	21
20.	उड़ीसा	1279	231
21.	पंजाब	484	126
22.	राजस्थान	1713	325
23.	सिक्किम	24	4
24.	तमिलनाडु	1252	165
25.	त्रिपुरा	73	10
26.	उत्तरांचल	222	49
27.	उत्तर प्रदेश	3660	386
28.	पश्चिम बंगाल	922	346
29.	अं. व निको. द्वीपसमूह	20	4
30.	चंडीगढ़	0	1
31.	दादरा और नगर हवेली	6	1
32.	दमण और दीव	3	1
33.	दिल्ली	8	0
34.	लक्षद्वीप	4	3
35.	पांडिचेरी	39	4
	अखिल भारत	22669	3910

कोयला और कोल बेड मिथेन का दोहन

4729. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले और कोल बेड मिथेन के दोहन के संबंध में कोयला मंत्रालय और तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की कोई बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं;

(ग) क्या ऐसे क्षेत्रों में जहां पर संबंधित ब्लाकों में अतिव्यापन है वहां पर कोयले और कोल बेड मिथेन के सद्भावनापूर्ण दोहन हेतु रूपरेखा तैयार करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (घ) एक ही क्षेत्र में कोयले के उपयोग के साथ-साथ कोल बेड मीथेन (सीबीएम) से संबंधित मामले की कोला मंत्रालय एवं पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय सहित अन्य संबंधित अधिकरणों के साथ चर्चा की गई है।

कोयला खनन के साथ-साथ सीबीएम प्रचालनों के मामलों का समाधान निकालने के उद्देश्य से मार्च, 2007 में सलाहकार (परियोजना), कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जिसमें हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच), तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), सेंट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीच्यूट (सीएमपीडीआई), खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के प्रतिनिधि शामिल हैं तथा आमंत्रिती के रूप में कोयला नियंत्रण एवं पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उप सचिव सदस्य सचिव के रूप में हैं। विशेषज्ञ समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

(1) सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकीय समस्याओं की अनदेखी किये बिना कोयला खनन के साथ सीबीएम के उत्पादन की तकनीकी व्यवहार्यता।

(2) सीबीएम तथा कोयला खनन प्रचालक के बीच समन्वय व्यवस्थाएं, शेयरिंग व्यवस्थाएं और परामर्श एवं सूचना आदान-प्रदान तंत्र।

(3) विधिक, वित्तीय तथा प्रौद्योगिकीय पहलुओं के संबंध में इन दो विभिन्न क्रियाकलापों के बीच अंतरापृष्ठ की पद्धति।

(4) कोयले तथा सीबीएम के साथ-साथ उत्पादन के लिए पर्यावरणीय मामलों हेतु नियामक रूपरेखा।

(5) साथ-साथ प्रचालनों को करने के दौरान विवादों से बचने/उन्हें कम करने के लिए कोयला खान प्रचालकों एवं सीबीएम प्रचालकों के अधिकारों तथा बाध्यताओं का सुस्पष्ट निर्धारण।

(6) अन्य कोई मामला जिसे समिति उचित समझे।

समिति ने अब तक हुई तीन बैठकों में इन मामलों पर विचार-विमर्श किया तथा समिति को अपनी रिपोर्ट साठ दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी है।

जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम

4730. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए सहायता/प्रोत्साहन दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने दो बच्चों के मानदंड वाली नीति क्रियान्वित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पूर्व जनगणना अनुपात को ध्यान में रखते हुए देश में ऐसे राज्यों के क्या नाम हैं जहां पर सबसे कम और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार देश में जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए विभिन्न परिवार कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दूसरे चरण के अंतर्गत राज्यों/संघ क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता दे रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान राज्यवार/संघ क्षेत्र वार जारी निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में बाध्यकारी नीति न अपनाने तथा स्वैच्छिक भावना परिकल्पित होने के बावजूद कुछ राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा तथा दिल्ली ने स्थानीय स्व-निकायों के निर्वाचित सदस्यों के लिए दो बच्चों के मानक को अपनाया है। हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों ने अपने-अपने सभ्यों में दो बच्चों के मानक से संबंधित विधान को वापिस ले लिया है।

(ङ) 2001 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार, उच्चतम दशकीय वृद्धि दर नागालैंड (64.53%), दादरा और नगर हवेली (59.22%) तथा दमण व दीव (55.73%) में दर्ज की गई है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर केरल (9.43%), तमिलनाडु (11.72%) तथा आंध्र प्रदेश (14.59%) में दर्ज की गई है।

विवरण

वर्ष 2006-2007 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी की गई निधियां

क्र.सं.	राज्य का नाम	एनआरएचएम के अंतर्गत जारी निधियां	आरसीएच के अंतर्गत जारी निधियां
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	119.19	134.39
2.	बिहार	125.79	113.14
3.	गोवा	1.12	0.46
4.	गुजरात	93.63	49.35
5.	हरियाणा	34.32	30.13
6.	हिमाचल प्रदेश	30.29	6.18
7.	कर्नाटक	84.38	73.20
8.	केरल	44.60	31.20
9.	मध्य प्रदेश	136.62	114.35
10.	महाराष्ट्र	113.94	119.25
11.	उड़ीसा	66.91	60.01
12.	पंजाब	42.41	23.72
13.	राजस्थान	133.06	105.22
14.	तमिलनाडु	97.93	74.80

1	2	3	4
15.	उत्तर प्रदेश	241.77	156.00
16.	पश्चिम बंगाल	115.71	65.82
17.	जम्मू-कश्मीर	31.39	10.53
18.	छत्तीसगढ़	61.75	43.96
19.	झारखण्ड	46.53	21.41
20.	उत्तरांचल	15.92	12.91
21.	अरुणाचल प्रदेश	31.07	6.74
22.	असम	245.41	55.76
23.	मणिपुर	20.48	4.32
24.	मेघालय	19.51	6.12
25.	मिजोरम	32.43	1.44
26.	नागालैण्ड	22.62	3.73
27.	त्रिपुरा	12.97	7.69
28.	सिक्किम	18.22	2.18
29.	दिल्ली	4.54	13.38
30.	पांडिचेरी	1.64	1.38
31.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.63	0.48
32.	चंडीगढ़	0.47	0.82
33.	दमण और दीव	0.67	0.59
34.	दादरा व नगर हवेली	0.54	0.48
35.	लक्षद्वीप	0.28	0.58
	कुल	2053.74	1351.72

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास

4731. श्री महावीर भगोरा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अन्य देशों की तुलना में पीछे है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) नैसकॉम (राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनी संघ) के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से कुल राजस्व नीचे दिए अनुसार है:

वित्तीय वर्ष 2004-05	22.6 बिलियन अमरीकी डालर
वित्तीय वर्ष 2005-06	30.3 बिलियन अमरीकी डालर
वित्तीय वर्ष 2006-07*	39.7 बिलियन अमरीकी डालर

*अनुमानित

नैसकॉम के अनुसार, यह अनुमान है कि वर्ष 2010 तक सूचना प्रौद्योगिकी एवं सम्बद्ध सेवा से राजस्व (देशीय बाजार सहित) 75 बिलियन अमरीकी डालर होगा।

(ख) नैसकॉम के अनुसार, ऐसी कोई प्रतिपुष्टि अथवा सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, नहीं। नैसकॉम के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी-सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा क्षेत्र ने वर्ष 2006-07 के दौरान 31% के विकास की दर दर्ज की है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर एवं सेवा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. व्यवसाय से उपभोक्ता (B2C) ई-वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के प्रस्तावों को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमोदन।

2. सीमा शुल्क की उच्चतम दर को घटाकर 10% कर दिया गया है। आईटीए-1 (217 वस्तुएं) पर सीमा शुल्क को 1.3.2005 से समाप्त कर दिया गया है। आईटीए-1 की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन सीमा शुल्क से छूट की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

3. कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क 12% है। माइक्रोप्रोसेरों, हार्ड डिस्क ड्राइवों, फ्लोपी डिस्क ड्राइवों, सीडी रोम ड्राइवों डीवीडी ड्राइवों, यूएसबी फ्लैश मेमोरी तथा कॉबो ड्राइवों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

4. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों/निर्यात उन्मुखी इकाईयों/विशेष आर्थित क्षेत्र इकाइयों द्वारा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) वस्तुओं तथा अधिसूचित शून्य शुल्क दूर संचार/इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं की आपूर्तियों को धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय (एनएफई) को पूरा करने के प्रयोजन से गिना जाएगा।

5. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना की जा रही है। घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से एसईजेड को बिक्री वास्तविक निर्यात माना जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप देशीय आपूर्तिकर्ताओं को शुल्क वापसी/ डीईपीबी के लाभ, केन्द्रीय बिक्री कर से छूट तथा सेवा कर से छूट के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। निर्यात लाभ पर 100% आयकर से छूट एसईजेड इकाइयों को 5 वर्षों तक उपलब्ध है, अगले 5 वर्षों तक 50% और उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए फ्लाफ बैंक लाभ का 50% है।

6. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) में 5% के सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं की अनुमति है। ईसीपीजी योजना के अंतर्गत निर्यात की बाध्यता को डीटीए में सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) की वस्तुओं की आपूर्ति के जरिए भी पूरा किया जा सकता है, बशर्ते इसकी प्राप्ति विदेशी मुद्रा से मुक्त है।

7. निर्यात उन्मुखी इकाईयों (ईओयू)/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी)/ईएचटीपी/विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) योजनाओं के अंतर्गत कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर मूल्यह्रास 5 वर्ष की अवधि में 100% उपलब्ध है।

8. पुरानी पूंजीगत का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है।

9. इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों, कम्प्यूटरों तथा दूरसंचार उपस्करों का व्यवसाय करने वाली कंपनी के मामले में कंपनी में किए जाने वाले अनुसंधान एवं विकास कार्य पर हुए व्यय पर 150% की कटौती आयकर अधिनियम की धारा 35 के उपधारा (2एबी) के खण्ड (1) के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है।

10. किसी उद्यम पूंजी निधि के लाभांश अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के रूप में आय अथवा किसी उद्यम पूंजी उपक्रम में इक्विटी शेयर के रूप में किए गए पूंजीनिवेश से उद्यम पूंजी कंपनी की आय, जिसके कार्य क्षेत्र में विस्तार करके सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को शामिल किया गया है, को अब कुल आय की गुणना में शामिल नहीं किया जाएगा। उद्यम पूंजी वित्त को महत्व देने के लिए सेबी को देशीय एवं विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधि के पंजीकरण एवं विनियमन के लिए एकल बिन्दु मुख्य एजेंसी बनाया गया है।

11. साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और सूचना सुरक्षा से संबंधित विधिक पहलुओं के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 उपलब्ध है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से ई-वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहन दिया गया है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग

4732. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों के क्या नाम हैं जहां पर पिछले तीन वर्षों के दौरान सड़कों को चौड़ा करने, विस्तार करने और उनकी मरम्मत करने संबंधी कार्य शुरू किया गया है;

(ख) इस संबंध में आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और ऐसे कार्यों के क्या नाम हैं जिनका कार्य पूरा हो चुका है;

(ग) लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सभी लंबित कार्यों के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, अनुरक्षण और मरम्मत एक सतत प्रक्रिया है और गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों अर्थात् राजमार्ग सं. 4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 45सी, 46, 47, 47बी, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219, 220, 226 और 227 पर ये कार्य किए गए हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु सरकार को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए कुल 369.15 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं का संबंध है, धनराशि का राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता। गत तीन वर्षों के दौरान पूरे किए गए कार्यों में 2 लेन/4 लेन बनाना, सुदृढ़ीकरण, सड़क गुणता सुधार, पुलों/पुलियों का निर्माण, भूमि अधिग्रहण, सर्वेक्षण और जांच, विभिन्न प्रकार के सड़क सुरक्षा कार्य, साध्यता अध्ययन और सूची बनाना, आवधिक नवीकरण, विशेष मरम्मत, सामान्य मरम्मत, बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत, सुनामी से हुई क्षति की मरम्मत आदि कार्य शामिल हैं।

(ग) और (घ) चूंकि राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण कार्य एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए ये परियोजनाएं धनराशि की उपलब्धता तथा कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के अनुसार शुरू की जाती हैं। इसलिए लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

माध्यस्थम बोर्ड में लंबित मामले

4733. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) माध्यस्थम बोर्ड को वर्ष 2006 तक कितने मामले भेजे गए;

(ख) क्या भेजे गए मामलों का निपटारा कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो कितने मामले निपटारे हेतु लंबित हैं; और

(ङ) सभी लंबित मामलों के निपटारे हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ङ) वर्ष 2006 तक कुल 259 मामले माध्यस्थम बोर्ड को भेजे गए हैं। इनमें से माध्यस्थम बोर्ड द्वारा 257 मामलों का निपटान कर लिया गया है। केवल 2 मामलों का निपटान किया जाना लंबित हैं। माध्यस्थम बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगतिशील अवस्था में है।

[हिन्दी]

निर्धन लोगों के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े

4734. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनाराथण पाण्डेय:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में निर्धन लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के माध्यम से कराया गया राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सर्वेक्षण के अनुसार देश में निर्धन लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो सर्वेक्षण में दिए गए अन्य संकेतों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में निर्धनता और भुखमरी को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम निकले?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) ने देश में निर्धन लोगों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) गरीबी हटाने के लिए विभिन्न योजनाएं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना आदि विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा गरीबी हटाने के लिए कार्यान्वित की जा रही हैं।

मुरैना और ग्वालियर के बीच के राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाना

4735. श्री अशोक अर्गल: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुरैना और ग्वालियर के बीच के प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाने का विस्तार कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्वालियर में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बाई-पास भी मंजूर किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बाईपास के निर्माण में विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस कार्य का विस्तार किए जाने की संभावना है; और

(च) इन दोनों परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-3 का मुरैना-ग्वालियर खंड पहले से ही चार लेन का है। मुरैना-ग्वालियर खंड को छह लेन का बनाने के विस्तार कार्य को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के आगरा-ग्वालियर खंड के एक भाग के तौर पर अभिनिर्धारित कर लिया गया है। छह लेन बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य अभी शुरू किया जाना है। राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के ग्वालियर-देवास खंड को बीओटी (पथकर) आधार पर चार लेन का बनाने और निविदाएं आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर विचार-विमर्श चल रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) ग्वालियर बाइपास का निर्माण कार्य बीओटी (वार्षिकी) आधार पर अप्रैल, 2007 में प्रारंभ हो चुका है। निर्माण कार्य के नियत समय में अभी कोई विलंब नहीं है।

(ङ) जी नहीं।

(च) ग्वालियर बाइपास के निर्माण कार्य को अक्टूबर, 2009 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के मुरैना-ग्वालियर खंड को छह लेन और ग्वालियर-देवास खंड को चार लेन का बनाने का कार्य पूरा करने की समय-सीमा के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विदेश रोजगार परिषद

4736. श्री नवीन जिन्दल: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में रोजगार को बढ़ाना देने के लिए एक केन्द्रीय परिषद की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह परिषद विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परिषद का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ङ) जी हां। प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद की स्थापना का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का द्वितीय चरण

4737. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मातृ और शिशु रुग्णता तथा मृत्यु दर के साथ-साथ अनचाहे गर्भधारण मामलों को कम करने के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वितीय चरण की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान चालू वर्ष सहित प्रजनन और बाल स्वास्थ्य के द्वितीय चरण के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दिनांक 1.4.2005 से पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.सी.एच.-2) का दूसरा चरण शुरू किया है।

इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश में कुल प्रजनन दर, नवजात शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु अनुपात में कमी लाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को आवश्यकता आधारित कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाएं तैयार करने के लिए छूट दी गई है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं (1) गर्भ निरोधन की जरूरत पर ध्यान देना; (2) प्रसव के दौरान कौशलयुक्त परिचर्या को बढ़ावा देना; (3) रोग प्रतिरक्षण की कवरेज को बढ़ावा; (4) नवजात शिशुओं तथा बच्चों को होने वाली बीमारियों का समेकित उपचार करना; (5) संस्थागत प्रसवों तथा आपाती प्रसूति परिचर्या के लिए सुविधाओं की उपलब्धता को बढ़ावा; (6) समुदाय स्तर पर गर्भवती महिलाओं को दक्ष परिचर्या प्रदान करना; (7) प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर परिचर्या की कवरेज को बढ़ाना; तथा (8) अपने-अपने राज्य के लोगों की प्रजनन, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी अन्य आवश्यकताओं पर ध्यान देना।

(ग) 20005-06 में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम-2 की शुरूआत के बाद इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आबंटित निधियों तथा वर्तमान वर्ष के लिए प्रस्तावित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के लिए अनुमोदित आबंटत

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2005-06 मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पीआईपी	2006-07 मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पीआईपी	2007-08 वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य के लिए वित्तीय आबंटन
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	90.50	135.48	101.43
2.	गोवा	1.50	1.92	1.80
3.	गुजरात	60.50	81.41	67.77
4.	हरियाणा	25.00	33.44	28.24
5.	हिमाचल प्रदेश	7.50	10.62	8.14
6.	जम्मू-कश्मीर	12.00	15.34	13.49
7.	कर्नाटक	63.00	88.37	70.64
8.	केरल	38.00	49.61	42.65
9.	महाराष्ट्र	115.50	1154.40	129.60
10.	पंजाब	29.00	36.12	32.53
11.	तमिलनाडु	74.00	106.56	83.20
12.	पश्चिम बंगाल	95.50	117.33	107.45
13.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.50	0.80	0.48
14.	चंडीगढ़	1.00	1.23	1.21

1	2	3	4	5
15.	दादरा एवं नगर हवेली	0.50	0.72	0.21
16.	दमन और दीव	0.50	0.72	0.21
17.	दिल्ली	16.50	19.34	0.08
18.	लक्षद्वीप	0.50	0.62	18.46
19.	पांडिचेरी	1.00	1.93	1.30
	उप योग	632.50	855.94	708.98
ईएजी राज्य				
20.	बिहार	128.50	140.99	144.32
21.	झारखंड	42.00	49.09	46.86
22.	मध्य प्रदेश	93.50	121.86	105.15
23.	छत्तीसगढ़	32.50	42.53	36.21
24.	उड़ीसा	57.00	71.4	63.92
25.	राजस्थान	87.50	107.99	98.34
26.	उत्तर प्रदेश	257.50	299.73	289.15
27.	उत्तरांचल	13.00	16.39	14.77
	उप योग	711.50	849.98	798.720
पूर्वोत्तर राज्य				
28.	अरुणाचल प्रदेश	7.35	5.25	4.68
29.	असम	116.05	110.7	114.18
30.	मणिपुर	11.93	10.46	9.88
31.	मेघालय	9.00	9.98	10.24
32.	मिजोरम	13.57	4.66	3.82
33.	नागालैंड	10.36	8.68	8.52
34.	सिक्किम	1.82	2.46	2.32
35.	त्रिपुरा	6.97	13.56	13.68
	उप योग	179.75	165.75	167.32
	अन्य		0.86	0.00
	महा योग	1523.75	1872.53	1675.02

भूतल परिवहन नेटवर्क की विस्तार योजनाएं

4738. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूतल परिवहन नेटवर्क का विस्तार करने और ग्यारहवीं पांचवर्षीय योजना में 9 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने के लिए कोई विशिष्ट योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरे देश में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु आबंटित की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) और 9% आर्थिक संवृद्धि प्राप्त करने के लिए स्कीमें तैयार नहीं की गई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्वर्णिम चतुर्भुज सहित सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धनराशि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रदान की जाती है क्योंकि ये परियोजनाएं उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़कों के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं किया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज सहित सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न शीर्षों से वर्ष 2007-08 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए निर्धारित धनराशि इस प्रकार है:

उप कर :	6541.06 करोड़ रु.
विदेशी सहायता :	2236.00 करोड़ रु.
आंतरिक और बाह्य बजट संसाधन :	2090.00 करोड़ रु.
जोड़	10,867.06 करोड़ रु.

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की रिपोर्ट

4739. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने कृषि, रोजगार, भूमिधारिता पद्धति, ऋणग्रस्तता, उत्पादकता, कृषि को जारी रखने संबंधी किसानों की इच्छा इत्यादि से संबंधित अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने अपने 59वें दौर के सर्वेक्षण परिणामों के आधार पर "भारत में भूमिधारित के कुछ पहलू", किसान परिवारों की ऋणग्रस्तता" और "कृषि के कुछ पहलू 2003" पर रिपोर्ट जारी कर दी हैं। कृषीय उत्पादकता को इस सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था।

(ख) ऊपर उल्लिखित रिपोर्टों की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) भारत सरकार ने किसानों की स्थिति में सुधार लाने और कृषि क्षेत्र को शामिल करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान को उच्चतम प्राथमिकता दी है। इस उद्देश्य के लिए, विभिन्न राज्यों में अनेक योजनाएं आरंभ की गयी हैं और किसानों को विभिन्न घटकों के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है। अधिकतर योजनाओं को राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। नीति निर्णय ये हैं, (1) अगले तीन वर्षों में कृषि ऋण दुगना करना और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए ऋण राहत की व्यवस्था करना, (2) किसानों के पक्ष में ब्याज की दर का पुनर्निर्धारण, (3) सहकारी क्रेडिट संरचना का नवीकरण, (4) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन ए आई एस) और (5) अभिज्ञात राज्यों नामत: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में किसान आत्महत्या की अधिक घटनाओं वाले जिलों में किसानों की परेशानी कम करने के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन।

विवरण

भारत में भूमि-जोतें

मुख्य-मुख्य बातें:

* 2002-03 के खरीफ मौसम के दौरान 101.3 मिलियन जोतें कर्षित की गई और उसी कृषि वर्ष के रबी मौसम के दौरान 95.7 मिलियन जोतें कर्षित की गईं।
* 1981-82 में 1.67 हेक्टेयर तथा 1991-92 के दौरान 1.34 हेक्टेयर की तुलना में वर्ष 2002-03 में प्रति जोत औसत कर्षित क्षेत्र 1.06 हेक्टेयर था।

* 2002-03 में सभी स्वकर्षित जोतों में से 70 प्रतिशत सीमान्त जोतें (1 हेक्टेयर अथवा उससे कम आकार की), 16 प्रतिशत लघु जोतें (1 से 2 हेक्टेयर आकार की), 9 प्रतिशत अर्ध मध्यम जोतें (2 से 4 हेक्टेयर की), 4 प्रतिशत मध्यम जोतें (4 से 10 हेक्टेयर की) और 1 प्रतिशत से कम बड़ी जोतें (10 हेक्टेयर से अधिक आकार की) थी।

* 1991-92 से कुल कर्षित क्षेत्र में सीमांत जोतों का हिस्सा 6-7 प्रतिशत प्वांइट बढ़कर 22-23 प्रतिशत हो गया और अर्ध मध्यम और मध्य जोतों के हिस्सों के बराबर हो गया, जिसका 1991-92 में अधिकतम हिस्सा था।

* पट्टेधारी जोतें अर्थात् अंशत: अथवा पूर्णत: पट्टे पर दी गई भूमि जोतें वर्ष 1991-92 में 11 प्रतिशत की तुलना में 2002-03 के दौरान स्वकर्षित जोतों का लगभग 10 प्रतिशत थीं। औसतन, वर्ष 2002-03 में एक काश्तकार-जोत ने पट्टा-धृति भूमि के 0.7 हेक्टेयर को कर्षित किया।

* कुल कर्षित भूमि में पट्टे पर दी गई भूमि का हिस्सा, जो 1960-61 में रहे 10.7 प्रतिशत से कमोबेश निरंतर घटता रहा है, वर्ष 2002-03 के खरीफ मौसम के संबंध में 6.5 प्रतिशत था।

* अखिल भारतीय स्तर पर, स्वकर्षित भूमि जोतों के आकार-वितरण ने कमोवेश सांद्रण की वही डिग्री (गिनी के सांद्रण-गुणांक द्वारा मापी गई) दर्शायी है जो 1991-92 में थी।

* पश्चिम बंगाल, बिहार (झारखंड सहित) और उड़ीसा में, 2002-03 में स्वकर्षित भूमि जोतों के आकार-वितरण की सांद्रण-डिग्री, 1991-92 की डिग्री से काफी कम थी। केरल में, 2002-03 से पूर्व, तीनों दशकों में से प्रत्येक में सांद्रण-डिग्री में गिरावट दर्ज की गई।

* बटाईफसल (शेयर क्रॉपिंग), पट्टा संविदा की अत्याधिक प्रचलित रीति रही, जिसने समस्त पट्टेधारी भूमि का 41 प्रतिशत कवर किया। तथापि, ''निर्धारित धन'' और ''निर्धारित उपज'' की हिस्सेदारी का चलन बढ़ रहा प्रतीत होता है; दोनों हिस्सेदारियों के अंतर्गत 2002-03 में पट्टे पर दी गई भूमि 50 प्रतिशत से अधिक थी।

* खरीफ मौसम के दौरान निवल बुआई क्षेत्र, कर्षित भूमि का 87 प्रतिशत और रबी मौसम के दौरान 57 प्रतिशत रहा।

* खरीफ मौसम के दौरान सिंचित भूमि, निवल बुआई क्षेत्र का 42 प्रतिशत और रबी मौसम के दौरान 67 प्रतिशत थी।

* कृषि वर्ष के दोनों मौसमों में निवल बुआई क्षेत्र का लगभग 64 प्रतिशत खाद्यान्न जुताई के अंतर्गत था।

कृषि के कुछ पहलू, 2003

मुख्य-मुख्य बातें

* अनुमानित 27 प्रतिशत किसान खेती करना पसंद नहीं करते थे क्योंकि यह लाभप्रद नहीं थी। कुल मिलाकर 40 प्रतिशत ने यह महसूस किया कि यदि उन्हें विकल्प दिया जाए तो वे दूसरे कैरियर का चुनाव करेंगे।

* शैक्षणिक स्तर के अनुसार किसान परिवारों के सदस्यों का ब्यौरा संपूर्ण ग्रामीण जनसंख्या के जैसा ही था।

* लगभग 5 प्रतिशत किसान परिवारों का एक ऐसा सदस्य था जो स्वयं सहायता समूह से संबंधित था। केवल 2 प्रतिशत के पास एक ऐसा सदस्य था जो एक पंजीकृत किसान संगठन से संबंधित था।

* लगभग 18 प्रतिशत किसान परिवार यह जानते थे कि जैव-उर्वरक क्या थे और 29 प्रतिशत समझते थे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या अर्थ था। केवल 8 प्रतिशत ने विश्व व्यापार संगठन के बारे में सुन रखा था।

* केवल 4 प्रतिशत किसान परिवारों ने अपनी फसलों का बीमा कराया था और 57 प्रतिशत नहीं जानते थे कि फसलों का बीमा कराया जा सकता था।

* लगभग 29 प्रतिशत किसान परिवार का एक सदस्य सहकारी समिति में शामिल था। केवल 19 प्रतिशत ने सहकारिता से सेवाएं प्राप्त की थी। इन परिवारों में अधिकतर ने उधार सुविधाओं, या बीजों या उर्वरकों से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाया था।

* लगभग 48 प्रतिशत किसान परिवारों ने अपने बीज खरीदे और 47 प्रतिशत ने फार्मसेव्ड बीजों का प्रयोग किया। जबकि 30 प्रतिशत किसानों ने प्रतिवर्ष बीजों की किस्में बदल दी, अन्य 32 प्रतिशत ने प्रत्येक दूसरे वर्ष बदल दी।

* खरीफ के दौरान 76 प्रतिशत किसान परिवारों ने तथा रबी मौसम के दौरान 54 प्रतिशत ने उर्वरकों का प्रयोग

किया था और 27 प्रतिशत परिवारों ने गांव में ही उपलब्ध उर्वरकों का प्रयोग किया।

* रबी मौसम के दौरान 38 प्रतिशत तथा खरीफ के दौरान 56 प्रतिशत किसान परिवारों ने ओरगेनिक खाद का प्रयोग किया था। रबी मौसम के दौरान 75 प्रतिशत परिवारों तथा खरीफ के दौरान 68 प्रतिशत परिवारों ने गांव के भीतर ही उपलब्ध खाद का प्रयोग किया था।

* रबी मौसम के दौरान 34 प्रतिशत तथा खरीफ के दौरान 46 प्रतिशत किसान परिवारों ने कीटनाशकों का प्रयोग किया था। रबी के दौरान 22 प्रतिशत तथा खरीफ के दौरान 30 प्रतिशत ने पशुचिकित्सा सेवाओं का प्रयोग किया था। उर्वरकों और कीटनाशकों के परीक्षण के लिए उक्त सुविधाएं केवल 1.5-2 प्रतिशत किसान परिवारों को उपलब्ध थी।

* सर्वेक्षण में कवर की गई विविध कृषि संबंधी गतिविधियों में खरीफ की फसल के दौरान खेती हेतु प्रयुक्त समस्त भूमि का 96.2 प्रतिशत भाग और रबी मौसम के दौरान 96.1 प्रतिशत भाग कृषि उत्पादन के लिए समर्पित था जिसमें बागवानी, रेशम-उत्पादन और कृमि पालन शामिल है। पट्टे पर दी गयी भूमि के मामले में, रबी मौसम के दौरान 97 प्रतिशत तथा खरीफ के दौरान 98.2 प्रतिशत भूमि में खेती की गई थी।

* कुल कृषित भूमि में फलोद्यान और पौधारोपण का हिस्सा खरीफ के दौरान 3 प्रतिशत तथा रबी मौसम के दौरान 4 प्रतिशत था। अनुसूचित जाति परिवारों द्वारा कृषित भूमि में फलोद्यान और पौधारोपण का हिस्सा 1-2 प्रतिशत था।

* 0.01 हेक्टेयर भूमि से कम भूमि वाले किसान परिवार-जिन्होंने खेती के लिए केवल 14 प्रतिशत कृषि भूमि प्रयुक्त की है—बताया गया है कि उन्होंने 69 प्रतिशत कृषि भूमि का प्रयोग डेरी उद्योग के लिए किया है, जबकि सभी किसान परिवारों का यह प्रतिशत 0.35 प्रतिशत है।

* खरीफ मौसम के दौरान सिंचित समस्त भूमि का लगभग 50 प्रतिशत तथा रबी मौसम के दौरान 60 प्रतिशत की सिंचाई ट्यूब-वैलों द्वारा हुई थी। खरीफ के दौरान 19 प्रतिशत भूमि तथा रबी के दौरान 16 प्रतिशत भूमि सिंचाई के लिए कुओं का प्रयोग किया गया था। खरीफ के दौरान 18 प्रतिशत भूमि तथा रबी के दौरान 14 प्रतिशत भूमि की सिंचाई नहरों द्वारा की गयी थी।

* रबी के दौरान 69 प्रतिशत तथा खरीफ के दौरान नेट सिंचित क्षेत्र का अनुमानित 62 प्रतिशत अनाज फसलों के उत्पादन के लिए थी।

* खरीफ मौसम के दौरान सकल सिंचित क्षेत्र, जुताई के क्षेत्र का 42 प्रतिशत तथा रबी मौसम के दौरान 56 प्रतिशत था।

* खरीफ के दौरान सकल सिंचित क्षेत्र का लगभग 79 प्रतिशत था रबी मौसम के दौरान 83 प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई बिना किसी साधन के प्रयोग के हुई थी। लगभग 5 प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई डीजल पम्पों तथा 4 प्रतिशत की बिजली के पम्पों की सहायता से हुई थी।

* खेत जोतने के लिए गैर-मानव ऊर्जा का प्रयोग करने वाले किसान परिवारों में से लगभग 47 प्रतिशत ने डीजल ट्रेक्टरों का प्रयोग किया जबकि 52 प्रतिशत ने पशु शक्ति पर भरोसा किया। फसल कटाई के लिए गैर-मानव ऊर्जा का प्रयोग करने वालों में 56 प्रतिशत ने डीजल चालित मशीनों का प्रयोग किया। गैर-मानव ऊर्जा के प्रयोग की रिपोर्ट करने वालों में से 66 प्रतिशत ने डीजल पम्पों तथा 33 प्रतिशत ने बिजली के पम्पों का प्रयोग किया।

किसान परिवारों की ऋणग्रस्तता

मुख्य-मुख्य बातें

* अखिल भारतीय स्तर पर, ग्रामीण परिवारों की अनुमानित संख्या 147.90 मिलियन थी जिनमें से 60.4 प्रतिशत किसान परिवार थे।

* 89.35 मिलियन किसान परिवारों में से 43.42 मिलियन (48.6 प्रतिशत) ऋणग्रस्त बताए गए अर्थात नकद या वस्तु रूप में उनकी देयता लेनदेन के समय 300 रुपए अथवा उससे अधिक मूल्य की थी।

* किसान परिवारों में ऋणग्रस्तता का अनुमानित प्रचलन आंध्र प्रदेश में अधिकतम (82.0 प्रतिशत), उसके बाद तमिलनाडु में (74.5 प्रतिशत) तथा पंजाब में (65.4 प्रतिशत) था।

* ऋणग्रस्त किसान परिवारों की अनुमानित संख्या उत्तर प्रदेश में उच्चतम (6.9 मिलियन), उसके उपरान्त आंध्र प्रदेश में (4.9 मिलियन) और महाराष्ट्र में (3.6 मिलियन) थी।

* आय के मुख्य स्रोत के अनुसार, 57 प्रतिशत किसान परिवार खेतिहर थे। उन में से 45 प्रतिशत ऋणग्रस्त थे।

* 1 हेक्टेयर अथवा इससे कम भूमि वाले परिवार, सभी किसान परिवार के 66 प्रतिशत थे। उनमें से 45 प्रतिशत ऋणग्रस्त थे।

* ऋणग्रस्त किसान परिवार में से 50 प्रतिशत से अधिक ने कृषि व्यवसाय में, पूंजीगत अथवा चालू व्यय के प्रयोजनार्थ ऋण ले रखा था। प्रत्येक 1000 रुपए के बकाया ऋण में से ऐसे ऋण 584 रु. के थे।

* किसान परिवारों के प्रत्येक 1000 रुपए के बकाया ऋण में से 111 रुपए शादियों एवं समारोहों के लिए थे। राज्यों में यह समानुपात बिहार में अधिकतम (प्रत्येक 1000 रु. में से 229 रु.) था, उसके बाद राजस्थान में (प्रत्येक 1000 रुपए में से 176 रुपए) था।

* बकाया ऋण धनराशि की प्रतिशतता के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण ऋण स्रोत बैंक (36 प्रतिशत) था, उसके बाद साहूकार (26 प्रतिशत) थे।

* प्रति किसान परिवार औसत बकाया ऋण पंजाब में अधिकतम था, उसके बाद केरल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में था।

[हिन्दी]

एमटीएनएल और बीएसएनएल पर बकाया धनराशि

4740. श्री गिरधारी लाल भार्गव:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दूरसंचार की दो कंपनियों यथा भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के बीच भुगतान संबंधी किसी विवाद के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो एमटीएनाल और बीएसएनएल पर वर्ष-वार कितनी धनराशि बकाया है;

(ग) यह भुगतान कब से बकाया है;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इन दोनों कंपनियों पर नेटवर्क का उपयोग करने संबंधी प्रभार (नेटवर्क यूसेज चार्ज) का भुगतान बकाया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट

4741. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने 'उपभोक्ता व्यय का स्तर और पद्धति, 2004-05', शीर्षक वाली कोई रिपोर्ट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक तीसरा व्यक्ति का निर्वाह स्तर 12 रुपए प्रतिदिन है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या उक्त रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 10 प्रतिशत लोगों का निर्वाह स्तर तेरह रुपये प्रतिमाह है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार ने "लेवल एवं पैटर्न आफ कन्ज्यूमर एक्सपेंडिचर, 2004-05, एनएसएस 61वां दौर (जुलाई 2004-जून 2005)" शीर्षक की रिपोर्ट सं. 508(61/1.0/1) प्रकाशित की है, जो परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी किए गए एएसएस वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 61वां दौर पर आधारित है।

(ग) उपरोक्त रिपोर्ट के पृष्ठ सं. 13 की तालिका पी-3 में यह उल्लेख है कि लगभग 30 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या का मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) 365 रुपये से कम है (= 12 रुपये प्रतिदिन)

(घ) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए त्रि-आयामी कार्यनीति अपनाई है: (1) रोजगार गहन क्षेत्रकों में फोकस करने के साथ आर्थिक विकास को तीव्र करना, (2) बुनियादी न्यूनतम सेवाओं को उपलब्ध कराने के माध्यम से मानव एवं सामाजिक विकास; तथा (3) लक्षित गरीबी-रोधी कार्यक्रम।

(ङ) उपरोक्त रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 13 की तालिका पी-3 में यह उल्लेख है कि 10 प्रतिशत शहरी (ग्रामीण नहीं) जनसंख्या का प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) 395 रुपये से कम है (= 13 रुपये प्रतिदिन)

(च) उपर्युक्त (ङ) के दृष्टिगत, प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा शिक्षा

4742. डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चिकित्सा शिक्षा हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार चिकित्सा शिक्षा को हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) चिकित्सा शिक्षा का मानक बनाए रखना भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की प्रमुख जिम्मेवारी है। चिकित्सा शिक्षा में हिन्दी माध्यम आरंभ करने का मामला भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की टिप्पणियों के लिए उनके साथ उठाया गया। परिषद का विचार था कि अनेक भाषाओं वाले इस देश में यह अनिवार्य है कि छात्रों, शिक्षकों, डाक्टरों तथा परीक्षकों इत्यादि की गतिशीलता के लिए चिकित्सा शिक्षा किसी सामान्य भाषा में दी जानी चाहिए। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की यह भी राय है कि चूंकि इस समय हिन्दी माध्यम में चिकित्सीय पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए फिलहाल हिन्दी माध्यम में चिकित्सा शिक्षा प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

बीएसएनएल और एमटीएनएल के कार्यों में परस्पर तालमेल

4743. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के कार्यों में परस्पर तालमेल बैठाने के लिए किसी सलाहकार की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सलाहकार ने कोई सलाह दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो सलाहकार द्वारा रिपोर्ट सौंपने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार को यह रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सलाहकारों ने एमटीएनएल और बीएसएनएल की पुनर्संरचना हेतु कुछ विकल्प सुझाए हैं। पुनर्संरचना की प्रक्रिया में मानव संसाधन, दोनों सार्वजनिक उद्यमों में भिन्न वेतन ढांचा, स्टांप ड्यूटी मामले आदि जैसे कुछ जटिल मुद्दे शामिल हैं। सरकार विभिन्न विकल्पों के फायदों की तुलना में इन पर आने वाली लागतों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के पश्चात ही अपनी राय को अंतिम रूप देगी।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कोयला खनन उद्योग को अवसंरचना का दर्जा

4744. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोयला खान उद्योग को अवसंरचना का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) खनन क्षेत्र को यह दर्जा कब तक दिया जाएगा?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (घ) यह मामला विचाराधीन है। इसके लिए अंतर-मंत्रालीय परामर्श अपेक्षित है और इसलिए इस स्तर पर एक निश्चित समय सीमा का सुझाव देना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

आदिवासियों और दलित लोगों की छंटनी

*4745. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला उद्योग में झारखंड के आदिवासियों, दलितों और पिछड़े वर्गों के लोगों का सबसे ज्यादा शोषण किया जाता है और उनके अनुपस्थित रहने के कारण उनकी छंटनी की जाती है तथा उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए कहा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पांच वर्ष पूर्व कोल इंडिया लिमिटेड (सी आई एल) की जनशक्ति 7 लाख से घटकर 4 लाख हो गई है जबकि कुछ वर्षों में सी.आई.एल. और अनुषंगी कंपनियों के लाभ में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

(ङ) क्या कोयला कंपनियों के पास पुनर्वास की भिन्न-भिन्न नीतियां हैं जबकि कोयला एक राष्ट्रीयकृत उद्योग है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ज) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(झ) सरकार द्वारा कोयला उद्योग में आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों के शोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उसकी सहायक कंपनियों में कामगारों की कोई छंटनी नहीं की गई है। तथापि, स्थायी आदेशों के प्रावधानों के अनुसार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित कामगारों के मामलों को निपटाया जाता है और सुधार के लिए ऐसे कामगारों को पर्याप्त अवसर दिया जाता है। सुधार न होने तथा केवल लंबी अवधि तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के मामले में कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही ऐसे कामगारों की सेवाएं समाप्त की जाती हैं। आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी कामगारों के साथ उनकी जाति, समुदाय, पंथ अथवा धर्म का लिहाज किए बिना और भेदभाव के बगैर एक ही पद्धति से निपटाया जाता है। सीआईएल की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना वैकल्पिक है। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित उपस्थिति से कम उपस्थित वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति मंजूर नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) पिछले वर्षों की जनशक्ति एवं कर पूर्व लाभ तथा लाभांश का ब्यौरा नीचे दिये गये हैं:

वर्ष	कार्यपालक	गैर-कार्यपालक	कुल	लाभ (करोड़ रु. में)
2002-03	18013	483406	501419	2865.50
2003-04	17461	467242	484703	4889.16
2004-05	16862	451588	468450	4801.52
2005-06	16343	435944	452287	8676.72
2006-07	15986	423357	439343	8212.69 (अनं.)

*21.11.2007 को सभा में दिए गए शुद्धि करने वाले वक्तव्य के माध्यम से उत्तर में तदनन्तर शुद्धि की गयी और इसे एल.टी. संख्या 7231/2007 के अधीन ग्रंथालय में भी रखा गया। इसलिए भाग (छ) और (ज) के उत्तर को निम्न रूप से सही कर दिया गया है:-

(छ) और (ज) सरकार को इस संबंध में प्राप्त ज्ञापन में सी.आई.एल. द्वारा इसकी सहायक कंपनियों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास (आर. एण्ड आर.) नीति के उल्लंघन का आरोप नहीं था। तथापि, राज्य सरकारों की विभिन्न आर. एण्ड आर. नीतियों के कारण विसंगतियों का उल्लेख किया गया था। यह भी सुझाव दिया गया था कि सी.आई.एल. तथा इसकी सहायक कंपनियों को एक समान आर. एण्ड आर. नीति का अनुपालन करना चाहिए। राष्ट्रीय आर. एण्ड आर. नीति अर्थात एन.पी.आर.आर. 2003 में फिलहाल संशोधन किया जा रहा है। संशोधित एन.पी.आर.आर. के लागू किए जाने के बाद कोल इंडिया लिमिटेड भी उसका पालन करेगा।

(ङ) और (च) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर. एंड आर.) नीति सभी कोयला कंपनियों में समान रूप से लागू की जाती है। तथापि, भू-वंचितों को रोजगार के प्रावधान के संबंध में सीआईएल की पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति में यह निर्धारित है कि सहायक कंपनियां संबंधित राज्य सरकार द्वारा घोषित मानकों के अनुसार भू-वंचितों को रोजगार की पेशकश करेंगी। यदि रोजगार की पेशकश के लिए राज्य सरकार का कोई मानक नहीं है तो यह सीआईएल की पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति में निर्धारित दिशा-निर्देशों द्वारा विनियमित होगा।

(छ) और (ज) जी, नहीं। कोयला कंपनियों द्वारा विभिन्न पुनर्स्थापन नीतियों का अनुपालन करके बारे में सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(झ) जैसा कि (क तथा ख) में स्पष्ट किया गया है, सभी कर्मचारी स्थायी आदेशों द्वारा प्रशासित होते हैं। सीआईएल तथा उसकी सहायक कंपनियों में आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों का शोषण नहीं किया जाता है।

कोयले का पाटन करने वाले श्रमिकों को रोजगार

4746. श्री टेक लाल महतो: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विस्थापित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चलायी गई रोहिणी परियोजना के अंतर्गत बलथरवा कोल पाटन से श्रमिकों को रोजगार नहीं उपलब्ध हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सी.आई.एल. की विभिन्न सहायक कंपनियों अर्थात बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल., एमसीएल, डब्ल्यूसीएल, एनसीएल के कोयला पाटन में श्रमिकों को एक महीने में 15 दिन से कम के लिए रोजगार मिल रहा है जो उनके परिवारों की जीविका चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(घ) क्या उक्त संस्थाओं में कोयला पाटन से जुड़े श्रमिकों को प्रर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) पर्याप्त मैडिकल सुविधाएं प्रदान करने और श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(छ) इन्हें चिकित्सा सुविधाएं और मजदूरी को कब तक उपलब्ध कराए जाने/बढ़ाए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

लेट्रोजोल का दुरूपयोग

4747. डॉ. मुनव्वर हसन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लेट्रोजोल दवाई विशेष रूप से स्तन कैंसर के उपचार के लिए है और इसका दुरूपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ औषधि कंपनियां इसको गैर-कैंसर विशेषज्ञों के माध्यम से बढ़ावा दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) स्तन कैंसर के लिए लेट्रोजोल पहली बार 12.3.98 को अनुमोदित की गई थी। विशेषज्ञों की सिफारिशों और सुरक्षा एवं प्रभावकारिता के बारे में भारतीय लोगों में तैयार आंकड़ों के आधार पर डिम्ब संबंधी अप्रजननता के मामले में डिम्ब में प्रविष्ट करने के लिए भी लेट्रोजल को 10.4.2007 को अनुमोदित किया गया है, बशर्ते कि इसे केवल स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा लिखे जाने पर खुदरा मूल्य पर बेचा जाए।

(घ) उपरोक्त भाग (क) से (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एस.ई.सी.एल. में धरने और प्रदर्शन की घटनाएं

4748. श्री चन्द्र शेखर दूबे: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस.ई.सी.एल. के गेवरा, दीपिका और बिलासपुर स्थित कार्यालयों में धरने और प्रदर्शन की घटनाएं हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ये धरने/प्रदर्शन कितने दिनों तक जारी रहे;

(घ) क्या एस.ई.सी.एल. को इसके फलस्वरूप भारी हानि उठानी पड़ी है;

(ङ) यदि हां, तो एस.ई.सी.एल. द्वारा उठाई गई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय, गेवरा क्षेत्र में 12.2.2007 से 15.2.2007 तक तथा एसईसीएल मुख्यालय में 14 और 15 फरवरी, 2007 को धरना/प्रदर्शन की घटना हुई और इससे एसईसीएल मुख्यालय और सीजीएम कार्यालय, गेवरा में काम बाधित हुआ। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकर्ता 19-सूत्री चार्टर मांगों के लिए जोर डाल रहे थे।

(घ) उक्त धरने से उत्पादन में कोई हानि नहीं हुई।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) में दिये गये उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कोयला राज्य मंत्री द्वारा मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ से हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध किया गया। सचिव, कोयला मंत्रालय द्वारा मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार को एक पत्र भी भेजा गया जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जिला अधिकारियों को निर्देश देने हेतु अनुरोध किया गया कि कम्पनी का कामकाज ऐसे प्रदर्शन के कारण बाधित न हो।

कोयले के आबंटन हेतु विवेकाधीन कोटा

4749. श्री गिरधारी यादव:
श्री एम. अंजन कुमार यादव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला मंत्रालय के पास कोल इंडिया लि. के अंतर्गत विभिन्न खानों से विभिन्न फर्मों/व्यक्तियों/अति विशिष्ट व्यक्तियों/संसद सदस्यों को कोयला जारी करने का विवेकाधीन कोटा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उक्त कोटे के अंतर्गत भारी मात्रा में कोयला जारी किया गया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन फर्मों/व्यक्तियों/अति विशिष्ट व्यक्तियों को कोयला आबंटित किया गया और इसके अंतर्गत प्रत्येक को कितनी मात्रा में कोयला आबंटित किया गया; और

(ङ) इनमें से प्रत्येक को किस प्रयोजनार्थ कोयला जारी किया गया था?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपस्कर पहचान (आईएमईआई)

4751. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपस्कर पहचान (आईएमईआई) प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपस्कर पहचान (आईएमईआई) प्रदान नहीं की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपस्कर पहचान का आबंटन जीएसएमए (मोबाइल संघ हेतु वैश्विक प्रणाली) द्वारा नियुक्त एजेंटों द्वारा मोबाइल हैंडसेट विनिर्माता को किया जाता है। उपभोक्ता आईएमईआई को हैंडसेट से ही पुन: प्राप्त कर सकता है। यह सामान्यत: फोन पर बैटरी के नीचे लिखी हुई भी मिल जाती है।

भारत में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

4752. श्री पी.सी. थामस: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में बसे भारतीयों की इच्छा भारत में निवेश करने की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्यमों का समन्वय करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) किन-किन देशों में अधिकतम अनिवासी भारतीय हैं;

(घ) क्या सरकार की ऐसे भारतीयों को भारत में निवेश करने हेतु आकर्षित करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी हां।

(ख), (घ) और (ङ) अप्रवासी भारतीयों के लिए सुविधाओं, निवेश को आकर्षित करने के लिए ऐसे अवसरों और योजनाओं को समन्वित करने के लिए उठाए गए अन्य कदमों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी भारतीय खाड़ी देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और मलेशिया में हैं।

विवरण

सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसमें अप्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश शामिल है, के लिए एक उदार और पारदर्शी नीति बनाई है जिसमें अधिकांश क्षेत्र स्वत: माध्यम के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खुले हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अंतर्गत केवल अप्रवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध अतिरिक्त सुविधाएं निम्नलिखित हैं:

(1) अप्रवासी भारतीय आवास और वास्तविक सम्पदा विकास में स्वत: माध्यम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों के लिए 100 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं:

(क) सेवा भूखण्डों का विकास और तैयार आवासीय परिसरों का निर्माण;

(ख) व्यवसाय केन्द्रों और कार्यालयों सहित आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों वाली वास्तविक सम्पदा में निवेश;

(ग) नगर विकास;

(घ) शहर और क्षेत्रीय स्तर पर शहरी संरचना सुविधाएं, जिनमें सड़कें और पुल शामिल हैं;

(ङ) उपर्युक्त गतिविधियों में भागीदारीपूर्ण उद्यमों में निवेश;

(च) आवास वित्त संस्थाओं में निवेश;

(छ) प्रेस विज्ञाप्ति-2 (2005) अप्रवासी भारतीयों के लिए लागू नहीं होती है।

(2) अप्रवासी भारतीय विमान टैक्सी संचालन में लगी भारतीय कंपनियों में 100 प्रतिशत निवेश कर सकते हैं। (विदेशी कंपनियों के लिए केवल 49 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है)

अप्रवासी भारतीयों को अन्य सुविधाएं:

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अंतर्गत निवेशों के अतिरिक्त अप्रवासी भारतीय निम्नलिखित गतिविधियों/क्षेत्रों में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम विनियमों की विभिन्न अन्य योजनाओं के अंतर्गत भी निवेश कर सकते हैं:

(क) म्यूचुअल फंड;

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांड में निवेश;

(ग) कृषि/बागान गतिविधि अथवा वास्तविक सम्पदा व्यवसाय को छोड़कर स्वामित्व/भागीदारी मामलों में 100 प्रतिशत इक्विटी तक निवेश (विदेशी कंपनियों को भागीदारी फर्मों/स्वामित्व वाले मामलों में निवेश की अनुमति नहीं है)

(घ) पोर्टफोलियों निवेश योजनाएं: अप्रवासी भारतीयों को पोर्टफोलियो योजना के अंतर्गत शेयर बाजारों से माध्यमिक बाजार खरीदारियों की मार्फत शेयरों और डिबेंचरों में निवेश करने की अनुमति है। निवेश की सीमाएं क्रमश: 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत है। ये सीमाएं विदेशी संस्थागत निवेशकों के पोर्टफोलियो निवेश के अतिरिक्त हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अप्रवासी भारतीयों के निवेशों की भरमार न हो जाए। भारत रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पोर्टफोलियो योजनाओं के अंतर्गत 2000 से जुलाई, 2005 तक निवेश 614.71 करोड़ रुपये हुआ है।

(ङ) अप्रवासी भारतीय कृषि भूमि/बागान सम्पत्ति/फार्म हाउस के अलावा अचल सम्पत्ति प्राप्त कर सकते हैं और ऐसी सम्पत्तियों को अन्य अप्रवासी भारतीय निवासी को हस्तांतरित कर सकते हैं।

(3) उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित पहल भी की गई हैं:

(क) सरकार ने भारतीय उद्योग परिसंघ की साझेदारी में एक अलाभकारी ट्रस्ट के रूप एक केन्द्र की स्थापना और भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अंतर्गत इसे 'प्रवासी भारतीय सरलीकरण केन्द्र' शीर्षक के अंतर्गत पंजीकृत करने को अनुमोदित कर दिया है।

प्रवासी भारतीय सरलीकरण केन्द्र भारतीय डायस्पोरा के लिए 'एक स्थान पर सभी सुविधाएं' के रूप में कार्य करेगा। ट्रस्ट का कार्यालय दिल्ली में होगा। ट्रस्ट एक अलाभकारी निकाय के रूप में कार्य करेगा और इसका उद्देश्य भारत में प्रवासी भारतीय निवेश को बढ़ाना, भारतीय व्यावसाय और प्रवासी भारतीयों के बीच व्यवसाय से व्यवसाय की भागीदारियां स्थापित करना और भारतीय मूल के लोगों तथा अप्रवासी भारतीयों को परामर्शी सेवाएं प्रदान करना होगा।

(ख) संभावित प्रवासी भारतीयों को निवेश, कराधान और वास्तविक सम्पदा के बारे में ऑनलाइन परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए 'प्रवासी भारतीय सेवा' नामक एक इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय परामर्श सेवा शुरू की गई है।

(ग) 'प्रवासी भारतीयों के लिए नीतियां, प्रोत्साहन और निवेश के अवसरों के संबंध में संग्रह' प्रकाशित किया गया है जिसे एक तत्काल जानकारी पुस्तिका के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

(घ) प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान निवेश से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए प्रत्येक वर्ष एक अलग सत्र का आयोजन किया जाता है।

(ङ) प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान ऐसे अवसरों के बारे में राज्य सरकार के साथ आपसी चर्चा सत्र आयोजित किया जाता है।

वैश्विक तकनीकी विनियम

4753. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार पहिए वाले वाहनों, उपस्कर और कलपुर्जों के लिए वैश्विक तकनीकी विनियमों को निर्धारित और लागू कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) भारत, डब्ल्यूपी 29 (वर्किंग पार्टी 29), जो वाहन विनियमों के ग्लोबल हार्मोनाइजेशन के लिए संयुक्त राष्ट्र-ईसीई का एक निकाय है, 1998 के समझौते में शामिल हो गया है। डब्ल्यूपी 29 के 1998 के समझौते के अंतर्गत पहिए वाले वाहनों, उपकरणों और कलपुर्जों के लिए विश्व तकनीकी विनियम (जीटीआर), उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की सर्वसम्मति से स्थापित किए जाते हैं। अब तक 5 जीटीआर स्थापित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं:

1. ऑटोमोटिव वाहनों के लैचेज और हिंग्स से संबंधित जीटीआर।
2. दुपहिया वाहनों के उत्सर्जन माप संबंधी जीटीआर।
3. मोटरसाइकिल ब्रेक प्रणाली संबंधी जीटीआर।
4. वाणिज्यिक वाहन ऑन-बोर्ड डायग्नॉस्टिक संबंधी जीटीआर।
5. भारी वाहनों के लिए उत्सर्जन माप संबंधी जीटीआर।

इन जीटीआर को राष्ट्रीय विनियमों अर्थात् केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में शामिल कर लिए जाने के पश्चात इन जीटीआर का प्रवर्तन किया जाएगा।

सीमेंट उद्योग को कोयले की आपूर्ति

4754. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार कोयला कंपनियां 1 अप्रैल 2006 से सीमेंट उद्योग को स्वीकृत दीर्घकालिक लिंकेज मात्रा का 80 प्रतिशत तक कोयले की आपूर्ति करने पर सहमत होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयले की 20 प्रतिशत तक की कमी को सीमेंट उद्योग द्वारा प्रमुख तौर पर ई-नीलामी अथवा आयात के जरिए पूरा किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश ने केन्द्र सरकार से आंध्र

प्रदेश की सीमेंट इकाइयों को दीर्घकालिक लिंकेज मात्रा के संबंध में 100 प्रतिशत एससीएल की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। वर्तमान में कोयला कंपनियों द्वारा सीमेंट उद्योगों के लिए उनके दीर्घावधि कोयला लिंकेज के 80% की कोयले की आपूर्ति करने हेतु ईंधन आपूर्ति करार किए जाते हैं।

(ग) सीमेंट कंपनियां अपनी प्राथमिकता, लागत महत्व/संसाधन आदि के आधार पर ई-बुकिंग अथवा आयात के माध्यम से कोयले की कम मात्रा की खरीद करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) से (च) जी, हां। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने, अन्य बातों के साथ-साथ, शत-प्रतिशत दीर्घावधि कोयला लिंकेज की मात्रा की आपूर्ति के लिए एससीसीएल को अनुमति देने के लिए पूर्व केन्द्रीय कोयला मंत्री को पत्र लिखा था। तथापि, आंध्र प्रदेश सरकार को सूचित किया गया कि सीमेंट उत्पादक संघ के परामर्श से लिए गए निर्णय के आधार पर, आपूर्ति के स्रोत के बावजूद सीमेंट संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति दीर्घावधि कोयला लिंकेज के 80% तक प्रतिबंधित है। इसके अलावा, एसीसीएल ने सूचना दी है कि फरवरी/मार्च, 2007 के दौरान सीमेंट उद्योगों को उनकी मांग को पूरा करने के लिए ई-बुकिंग मूल्य पर शेष 20% कोयले की आपूर्ति की गई। तथापि, मंत्रालय ने एससीसीएल को जानकारी दी है कि 80% की मौजूदा सीमा, लिंकेज के निम्नस्तर पर सीमेंट उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति के लिए प्रदान की गई है ताकि दीर्घावधिक कोयला लिंकेज की प्रतीक्षा कर रहे उपभोक्ताओं को कोयला लिंकेज प्रदान किया जा सके।

[हिन्दी]

सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

4755. श्री तूफानी सरोज: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछेक वर्षों के दौरान सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के टेलीफोन बूथों की तुलना में निजी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनियों के टेलीफोन बूथों की संख्या ज्यादा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सीआईएल के अधिकारियों के खिलाफ जांच

4756. श्री रवेन बर्मन:
श्री सुव्रत बोस:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल में कार्यरत अधिकारियों के खिलाफ बड़ी संख्या में आपराधिक मामले और विभागीय जांच लंबित है;

(ख) यदि हां, तो कंपनीवार और श्रेणीवार तत्संबंधी मामला क्या है;

(ग) निलंबित अधिकारियों की कंपनी-वार कुल संख्या कितनी है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कुल कितने अधिकारियों की पदोन्नति की गई, जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किए गए और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की सहायक कंपनियों में सीबीआई जांच से उत्पन्न आपराधिक मामलों की संख्या नीचे दी गई है। इसमें जांचाधीन नियमित मामले और सक्षम प्राधिकारी से मुकदमे की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् जांच न्यायालय में मुकदमाधीन मामले शामिल हैं।

कंपनी	मामलों की संख्या	कार्यपालक	गैर कार्यपालक	कुल अधिकारियों की संख्या
ईसीएल	19	09	24	33
बीसीसीएल	92	82	65	147
सीसीएल	52	108	65	173
डब्ल्यूसीएल	18	09	09	18
एनसीएल	00	00	00	00
एसईसीएल	09	14	04	18
एमसीएल	07	01	07	08
सीएमपीडीआईएल	08	07	07	14
सीआईएल	00	00	00	00
योग	205	230	181	411

सीआईएल तथा उसकी सहायक कंपनियों में सतर्कता मामलों के साथ-साथ सीबीआई मामलों से उत्पन्न विभागीय जांचों की संख्या नीचे दी गई हैं:

कंपनी	मामलों की संख्या	कार्यपालक	गैर कार्यपालक	कुल अधिकारियों की संख्या
ईसीएल	18	22	17	39
बीसीसीएल	30	46	12	58
सीसीएल	57	38	66	104
डब्ल्यूसीएल	12	09	03	12
एनसीएल	20	20	00	20
एसईसीएल	12	29	07	36
एमसीएल	15	17	19	36
सीएमपीडीआईएल	00	00	00	00
सीआईएल	07	07	00	07
योग	171	188	124	312

(ग) सीबीआई जांच/आपराधिक मामलों/सतर्कता मामलों में निलम्बित अधिकारियों की कंपनीवार संख्या नीचे दी गई है:

कंपनी	निलम्बित अधिकारियों की संख्या
ईसीएल	11
बीसीसीएल	19
सीसीएल	17
डब्ल्यूसीएल	01
एनसीएल	00
एसईसीएल	03
एमसीएल	03
सीएमपीडीआईएल	00
सीआईएल	00
योग	54

कई मामलों में अधिकारियों के निलम्बन को रद्द कर दिया गया है। तथापि, उनके विरुद्ध जांच चल रही है। उपर्युक्त आंकड़ों में ऊपर बताए गए आधारों के अलावा अन्य आधारों पर सीआईएल एवं उसकी सहायक कंपनियों के प्रबंधन द्वारा निलम्बित किए गए अधिकारियों की संख्या शामिल नहीं है।

(घ) एक आरोपित अधिकारी को उसके विरुद्ध लंबित जांच के दौरान पदोन्नत नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों से पत्रों की पावती

4757. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ससंद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की पावती पन्द्रह दिनों की अवधि के अंदर भी नहीं भेजी जा रही है और तीन महीने की अवधि बीत जाने पर भी कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का विचार किया है, जो पत्रों की पावती नहीं भिजवाने के लिए जिम्मेदार हैं और जो संसद सदस्यों को अंतिम उत्तर भी नहीं भिजवा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) संसद सदस्यों से प्राप्त सदंर्भों को देखेने संबंधी दिशा-निर्देश केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका (सीएसएमओपी) में निहित हैं। ये दिशा-निर्देश केवल भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों पर लागू हैं। केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका में निहित प्रक्रिया में संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की समयबद्ध रूप से और वरिष्ठ स्तर पर मॉनिटरिंग एवं निपटान की व्यवस्था है। अधिकांश मामलों में, संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के उत्तर निर्धारित समय में दिए जाते हैं। तथापि, कतिपय मामलों जिनमें सूचना बहुविध स्रोतों और प्राधिकरणों से एकत्र की जानी होती है, में कभी-कभार उत्तर देने में निर्धारित समय से ज्यादा देरी हो जाती है। ऐसे मामलों में, संसद सदस्य को एक अंतरिम उत्तर भेज दिया जाता है। जब किसी मामले में अनुचित देरी होती है तो मामलों को तुरंत उत्तर देने को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों के सचिवों/मुख्य सचिवों, भारत सरकार के सचिवों, संबंधित राज्य सरकार के मुख्य सचिवों अथवा केन्द्रीय मंत्रियों के साथ उठाया जाता है। भारत सरकार इन दिशा-निर्देशों के सख्ती से अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर निर्देश जारी करती है। केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका के प्रावधान राज्य सरकारों को उनके अपने दिशा-निर्देश बनाने हेतु भी परिचालित किए जाते हैं।

(ग) से (ङ) सरकार संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के उत्तर देने में मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों की ओर से होने वाली किसी भी देरी के लिए चिंतित है और दिशा-निर्देशों के सख्ती से अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु वरिष्ठ स्तर पर समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं। इन दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के किसी भी विशिष्ट दृष्टांत के सरकार के ध्यान में आने पर गम्भीरता से विचार किया जाता है।

सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं पर बल दिया जाना

4758. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2007-08 के लिए राज्य सरकारों के योजना परिव्यय की स्वीकृति देने से पहले उन्हें सामाजिक क्षेत्र

की परियोजनाओं विशेषकर बीच में अध्ययन छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या को कम करने और महिलाओं के विकास संबंधी विशिष्ट योजनाओं पर अधिक बल देने की सलाह दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2007-08 के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन न कर पाने वाले राज्यों के योजना परिव्यय में कटौती करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान प्रत्येक राज्य को राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) राज्यों की वार्षिक योजना, जिसमें मुख्यत: राज्यों के निजी संसाधन तथा केन्द्रीय सहायता शामिल हैं, के आकार को योजना आयोग, राज्य सरकारों के साथ विस्तार से चर्चा करने तथा संसाधन की उपलब्धता को निर्धारित करने के बाद तय करता है। वार्षिक योजना परिव्यय के क्षेत्रकीय वितरण को, राज्य सरकार, योजना आयोग के विभिन्न विषय संबंधी प्रभागों के साथ कार्यदलों की चर्चा के बाद, निर्धारित करती है। कार्य दल की चर्चा के दौरान, राज्यों को सामाजिक क्षेत्रकों के लिए उपयुक्त स्कीमों को शुरू करने का सुझाव दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सामाजिक क्षेत्रकों के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान स्वीकृत राज्य-वार परिव्यय को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। वर्ष 2007-08 के लिए राज्यों हेतु स्वीकृत किए गए क्षेत्र-वार परिव्यय को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	वार्षिक योजना 2006-07 के दौरान सामाजिक क्षेत्रकों के लिए परिव्यय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5,710.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	221.31
3.	असम	963.13
4.	बिहार	2510.59
5.	छत्तीसगढ़	2,216.00
6.	गोवा	530.18
7.	गुजरात	4,530.34
8.	हरियाणा	1573.82
9.	हिमाचल प्रदेश	890.14
10.	जम्मू-कश्मीर	964.14
11.	झारखंड	1894.61
12.	कर्नाटक	5236.66
13.	केरल	1644.91
14.	मध्य प्रदेश	2681.96
15.	महाराष्ट्र	5850.65
16.	मणिपुर	432.66
17.	मेघालय	276.59
18.	मिजोरम	287.24
19.	नागालैण्ड	252.15
20.	उड़ीसा	920.32
21.	पंजाब	609.80
22.	राजस्थान	3160.98
23.	सिक्किम	197.60
24.	तमिलनाडु	5446.72
25.	त्रिपुरा	374.10
26.	उत्तर प्रदेश	7549.59
27.	उत्तराखण्ड	1691.19
28.	पश्चिम बंगाल	2930.38
	कुल (राज्य)	61,548.01

[अनुवाद]

कोयले की आपूर्ति

4759. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात और सीमेंट आदि जैसे कुछेक क्षेत्रों को कोयले की आपूर्ति के प्रयोजनार्थ प्रमुख क्षेत्रों से बाहर रखने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके फलस्वरूप क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सरकार ने कोयला वितरण नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इसलिए उक्त नीति के अनुमोदन के बाद ही इस्पात, सीमेंट आदि से संबंधित उपभोक्ताओं की स्थिति का पता चल पाएगा।

भारतीय दवाइयों की गुणवत्ता

4760. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलिया ने जड़ी-बूटियों आदि से तैयार की गई भारतीय दवाईयों की गुणवत्ता के संबंध में आशंका जताई है, जैसाकि दिनांक 1 अप्रैल 2007 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इन दवाईयों के उत्पादन को नियंत्रित करने और इनकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) उपचारात्मक सामग्री प्रशासन, आस्ट्रेलिया की ओर से 1 अप्रैल, 2007 को व्यापार मानक प्रतिवेदन में किए गए उल्लेख के अनुसार उनके द्वारा जारी स्वास्थ्य सतर्कता के संबंध में कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, कुछ समय पूर्व बोस्टन क्षेत्र में अवस्थित किराना स्टोरों से अनुसंधानकर्ताओं द्वारा एकत्रित कुछ आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध योगों में अनुमत सीमा से अधिक भारी धातुओं की मौजूदगी का उल्लेख करते हुए जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन (जामा) में एक अनुसंधान लेख प्रकाशित होने पर कुछ आयुर्वेद और यूनानी औषध योगों में अनुमति सीमा से अधिक भारी धातुओं की मौजूदगी के संबंध में कुछ विनियामक प्राधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य सतर्कताएं जारी की गई हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) सरकार ने दिनांक 1.1.2006 से निर्यात की जाने वाली विशुद्धत: जड़ी-बूटीय-आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों में भारी धातुओं के अनिवार्य परीक्षण का कार्य प्रारंभ किया है। यह कार्य आयातक देशों की विनियामक संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु किया गया है।

(2) राज्य औषध लाईसेंस प्राधिकारियों को निदेश दिए गए हैं कि वे सभी आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषध विनिर्माताओं द्वारा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधि के डिब्बे के लेबल पर अथवा उसमें डाली जाने वाली पर्ची में औषध संपाक के विनिर्माण में प्रयुक्त सभी अवयवों की सही सूची और इसमें शामिल प्रत्येक अवयव की मात्रा को प्रदर्शित करने के संबंध में नियम 161(1) और (2) के उपबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

(3) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 29 राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया है तथा 26 निजी औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं एवं अन्य एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं को देश में आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी औषधों के परीक्षण हेतु अनुमोदित किया गया है।

(4) स्वर्णिम त्रिभुज भागीदारी परियोजना के अंतर्गत 8 सर्वाधिक प्रयुक्त भस्मों की भौतिक-रासायनिक विशेषताओं और उनसे संबंधित विषाक्तता अध्ययन निष्पादित करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) की विभिन्न प्रयोगशालाओं हेतु एक अनुसंधान परियोजना संस्वीकृत की गई है।

(5) देश में सभी आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषध विनिर्माण एकांशों के लिए अच्छी विनिर्माण पद्धतियों को अनिवार्य बनाया गया है।

देश में ग्राम विकास का मानचित्रण

4761. श्री अनंत कुमार हेगड़े: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में ग्राम विकास का मानचित्रण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने गांव के ऐसे मानचित्रण की उपयोगिता के बारे में इस विषय के विशेषज्ञों से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) योजना आयोग ने 25 अगस्त, 2006 को जारी की गई 11वीं पंचवर्षीय योजना में जिला योजनाओं को तैयार करने के लिये अपने दिशानिर्देशों में जिला-आयोजना की परिभाषा इस प्रकार दी है "उपलब्ध संसाधनों (प्राकृतिक, मानवीय एवं वित्तीय) को हिसाब में लेते हुये एक जिले में स्थानीय सरकारी क्षेत्र के लिये समन्वित प्लान को तैयार करने की प्रक्रिया और जिला स्तर पर एवं उससे नीचे सौंपी गयी सेक्टोरल गतिविधियों और स्कीमों को शामिल करते हुए तथा जो राज्य में स्थानीय सरकार के माध्यम से कार्यान्वित किये जायेंगे।" यह जिला योजना जिला संकल्पना के जरिये उभर कर आयेगी जो ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं, पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से उद्भूत सामूहिक संकल्पना होगी। जिले में स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज जिसमें मानवीय स्थिति के मूल्यांकन को शामिल करने के साथ-साथ प्राकृतिक, सामाजिक और वित्तीय संसाधनों एवं अवसंरचना की उपलब्धता भी शामिल है, के लिये विकास के पहलुओं से संबंधित आंकड़े भी आवश्यक हैं।

जनगणना-2001 डाटाबेस में विकास की योजना के लिये संगत विभिन्न सामाजिक आर्थिक पैरामीटरों पर पहले से आंकड़े शामिल हैं। तथापि, ये आंकड़े प्रत्येक पंचायत के पास मौजूद परिस्थितियों के साथ आसानी से मेल नहीं खाते हैं। अत: पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने संबंधित ग्राम पंचायतों के साथ ग्रामीण जनगणना को अभिज्ञात और संबद्ध करने का कार्य आरम्भ किया। यह कार्य राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी) और राज्य सरकारों के सहयोग से किया जा रहा है। भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) मंच पर उपलब्ध परिणामी मानचित्र से गांव सीमाएं और ग्राम पंचायत की सीमाओं पर सूचना मिलती है और ग्राम पंचायत पर लागू जनगणना आंकड़ों में उपलब्ध ब्यौरे विशेष गांवों और ग्राम पंचायतों पर लागू होते हैं। यह कार्य 250 जिलों में पहले से शुरू कर दिया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा योजना को सुसाध्य बनाने के अलावा विकास मानचित्र सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में भी उपलब्ध होंगे और आयोजना के प्रभाव के प्लान और मापदण्ड दोनों के लिए कोई एक भी केन्द्र और राज्य सरकार के विभाग इसका उपयोग कर सकते हैं।

राष्ट्रीय खसरा टीकाकरण कार्यक्रम

4762. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पचास प्रतिशत बच्चों और बिहार में एक-तिहाई बच्चों को राष्ट्रीय खसरा टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत टीका नहीं लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो टीकाकरण, निगरानी और अन्य पद्धतियों द्वारा विषाणु को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में खसरे की वैक्सीन की कवरेज 37.5% है और बिहार में यह 40.4% है।

(ख) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 9-12 माह के आयु वर्ग के बीच के बच्चों को खसरे की वैक्सीन दी जाती है। खसरा वैक्सीन की कवरेज को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. खसरे की वैक्सीन की कवरेज को बढ़ाने के लिए वैक्सीन से वंचित रह गए 9-12 माह की आयु वाले बच्चों के लिए खसरे की वैक्सीन की प्रथम खुराक देने की आयु बढ़ाकर 60 माह कर दी गई है।

2. सरकार ने खसरे की समस्या की व्यापकता का मूल्यांकन करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्रवाई हेतु उच्च स्तरीय आंकड़े उपलब्ध हों, देश में निगरानी प्रणालियां स्थापित करनी शुरू कर दी है। इस समय तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम

बंगाल राज्यों में खसरे की निगरानी की जा रही है। देश के शेष भागों में निगरानी का विस्तार चरणबद्ध ढंग से किए जाने की योजना है।

पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में राष्ट्रीय राजमार्ग का उन्नयन और निर्माण

4763. **श्री हितेन बर्मन:**
श्री जोवाकिम बखला:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल और सिक्किम में राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुरू किए गए निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चौड़ा करने संबंधी कार्य, नए निर्माण कार्य तथा सुधार पर वार्षिक रूप से वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित तथा खर्च की गई तथा प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2007-08 में इन राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए संस्वीकृत कार्य तथा धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आबंटन, व्यय तथा ठेकेदारों को किए गए भुगतान का ब्यौरा क्या है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-78 के निर्माण हेतु उनके द्वारा क्या कार्य शुरू किए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-1 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, 6, 60, 41 और 31 की 498 किमी. लंबाई और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-2 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 और 31सी की 83 किमी. लंबाई में 4 लेन बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3 के अंतर्गत, राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर 5.5 किमी. लंबे डलखोला बाइपास का निर्माण शुरू किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत सिक्किम में कोई परियोजना नहीं है।

(ख) ये कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राज्यवार कोई धनराशि आबंटित नहीं की जाती। तथापि, पश्चिम बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान इन परियोजनाओं पर क्रमश: 990.77 करोड़ रु., 576.01 करोड़ रु. और 201.57 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान पश्चिम बंगाल में प्राप्त उपलब्धि क्रमश: 254.71 किमी., 43.45 किमी. और 1.34 किमी. है।

(ग) वर्ष 2007-08 के दौरान पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पर 245.00 करोड़ रु. का अनुमानित व्यय करने का प्रस्ताव है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 78, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों से गुजरता है। धनराशि का आबंटन राज्यवार किया जाता है न कि राष्ट्रीय राजमार्गवार अथवा ठेकेवार। पिछले तीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-78 के विभिन्न सुधार कार्यों पर 63.08 करोड़ रु. खर्च किए गए।

हत्फ-7 बाबर मिसाइल का परीक्षण

4764. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने 700 कि.मी. की दूरी तक मारक क्षमता वाली हत्फ-7 बाबर मिसाइल का परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त मिसाइल से भारतीय शहरों के लिए खतरा पैदा होने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जी हां। पाकिस्तान ने 22 मार्च, 2007 को बाबर नामक हत्फ-7 मिसाइल का परीक्षण किया है। ऐसा दावा किया गया है कि इस क्रूज मिसाइल की रेंज 700 कि.मी. है।

(ग) और (घ) सरकार भारत के पड़ोसी देशों में सुरक्षा परिदृश्य में होने वाले दीर्घावधि रुझानों और अल्पावधि गतिविधियों पर सावधानीपूर्वक निगरानी करती है और सुरक्षा स्थिति के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा की संरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कृतसंकल्प है।

एनआरएचएम के अंतर्गत धनराशि का आबंटन

4765. **श्री दुष्यंत सिंह:**
श्री राम कृपाल यादव:
श्री विजय कृष्ण:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2006-07 के दौरान संबद्ध सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एएसएचए) के चयन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य की तुलना में चौबीस घंटे सेवाएं प्रदान करने के लिए ब्लाक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान मिशन के अंतर्गत उपयोग में लाई गई और आबंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कुछ राज्यों ने मिशन के अंतर्गत आबंटित धनराशि का पूरी तरह उपयोग नहीं किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने अधिक ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले 18 राज्यों और अन्य राज्यों के जनजातीय तथा अल्पसेवित क्षेत्रों में प्रत्येक 1000 जनसंख्या/बड़ी बिखरी हुई बस्तियों के लिए एक आशा का चयन करने का प्रस्ताव किया है। यह अनुमान लगाया गया था कि मिशन की अवधि में 4 लाख से अधिक आशा का चयन किया जाएगा। मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार राज्यों ने पहले ही 4.58 लाख आशा का चयन कर लिया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) चौबीसों घंटे सेवाएं प्रदान करने के लिए ब्लाक स्तरीय समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भारतीय जन स्वास्थ्य मानक भी बनाए गए हैं। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का मिशन की अवधि में भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप उन्नयन करने की परिकल्पना की गई है। आज की तारीख के अनुसार 3332 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और राज्यों ने उन्नयन के लिए 2914 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चयन किया है।

(ङ) से (छ) वर्ष 2005-06 और 06 के दौरान (दिसम्बर, 2006 तक) मिशन फ्लेक्सिबल पूल के अंतर्गत जारी की गई और उपयोग में लाई गई राज्यवार निधियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं। राज्य तिमाही वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों के जरिए निधियों के उपयोग की सूचना दे रहे हैं। कुछ राज्यों ने उपयोग की निम्नतर क्षमता को देखते हुए निधियों के धीमी गति से उपयोग होने की सूचना दी है।

विवरण I

आशा के चयन की स्थिति

राज्य	चयन की गई आशा की संख्या		आज तक चयन की गई आशा की कुल संख्या	आज तक प्रशिक्षित की गई आशा की संख्या
	2005-06	2006-07		
1	2	3	4	5
अधिक ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले गैर-पूर्वोत्तर राज्य				
1. बिहार	36488	20868	57356	41910
2. छत्तीसगढ़	5030	24407	29437	29437
3. झारखंड	2096	12327	14423	3446
4. जम्मू-कश्मीर	2773	6565	9338	5093
5. मध्य प्रदेश	16090	14214	31690	14019
6. उड़ीसा	12730	18090	30820	12729

	1	2	3	4	5
7.	राजस्थान	20785	12417	33202	30437
8.	उत्तर प्रदेश	19887	99231	119118	95371
9.	उत्तरांचल	4104	3783	7887	7591
10.	हिमाचल प्रदेश				
	कुल गैर-पूर्वोत्तर राज्य	119983	211902	333271	240033
	अधिक ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले पूर्वोत्तर राज्य				
1.	असम	9058	16342	25400	14030
2.	अरुणाचल प्रदेश		2027	2027	
3.	मणिपुर		2840	2840	
4.	मेघालय				
5.	मिजोरम		674	674	
6.	नागालैंड		1309	1309	1135
7.	त्रिपुरा		1229	1229	
8.	सिक्किम		450	450	
	कुल पूर्वोत्तर	9058	24871	33929	15165
	कुल योग	129041	236773	367200	255198

विवरण I

2005-06 से 2006-07 (दिस., 06) तक के दौरान राज्यवार निर्मुक्तियां और व्यय

लाख रुपए में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2005-06 में जारी की गई निधियां	2005-06 में उपयोग की गई निधियां	2006-07 में जारी की गई निधियां	दिस., 06 तक उपयोग में लाई गई निधियां
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	148.70		63.00	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	4620.20	483.45	11918.78	2746.18
3.	अरुणाचल प्रदेश	1005.30	168.12	3106.98	345.82
4.	असम	3602	11.05	24540.70	829.80

1	2	3	4	5	6
5.	बिहार	6837	58.51	12578.70	1026.00
6.	चंडीगढ़	44	.0.67	46.66	9.81
7.	छत्तीसगढ़	2910	489.17	6175.19	4443.19
8.	दादरा एवं नगर हवेली	46.80		54.00	0.09
9.	दमन और दीव	59.10		67.00	0.94
10.	दिल्ली	137.20		454.21	16.70
11.	गोवा	186.20		111.57	0.00
12.	गुजरात	4638.40	35.06	9362.80	2417.06
13.	हरियाणा	2350.30	112.18	3431.87	208.06
14.	हिमाचल प्रदेश	1614.70	39.36	3029.21	379.91
15.	जम्मू-कश्मीर	1867.79	11.12	3138.50	158.21
16.	झारखंड	3247.54	95.22	4652.97	377.20
17.	कर्नाटक	4884.30		8437.97	47.68
18.	केरल	2526.40		4460.22	85.42
19.	लक्षद्वीप	94.40		28.00	0.04
20.	मध्य प्रदेश	8223.35	68.09	13661.60	1056.38
21.	महाराष्ट्र	6532.70		11394.00	299.83
22.	मणिपुर	752.00		2048.39	14.31
23.	मेघालय	722.10	1.58	1951.20	53.61
24.	मिजोरम	600.60	17.30	3242.80	73.94
25.	नागालैंड	782.50	86.60	2261.56	532.61
26.	उड़ीसा	5931.78	698.26	6690.57	406.78
27.	पांडिचेरी	175.50	3.16	164.02	36.37
28.	पंजाब	2437.80	195.41	4241.00	209.34
29.	राजस्थान	7055.64	104.72	13806.23	2904.80
30.	सिक्किम	308.70		1821.51	66.42
31.	तमिलनाडु	3163.20		9793.25	0.00

1	2	3	4	5	6
32.	त्रिपुरा	391.90	29.78	1296.69	11.71
33.	उत्तर प्रदेश	12952.34	109.61	24176.84	3054.42
34.	उत्तरांचल	1754.00	32.61	1592.11	49.01
35.	पश्चिम बंगाल	3609.60	416.94	11570.87	157.26
	कुल	96214.18	3267.98	205371.01	22019.18

[हिन्दी]

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए व्यय

4766. श्री रामजीलाल सुमन:
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2010 राष्ट्रमंडल खेलों पर अनुमानत: कितना व्यय किया जाना है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खिलाड़ियों की व्यक्तिगत कुशलताओं के विकास पर खेल-वार कितनी धनाशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि किस प्रकार खर्च की जाएगी?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) वर्तमान प्रॉक्कलन से यह पता चलता है कि राष्ट्रमंडल खेल, 2010 पर व्यय लगभग 3566 ± 300 करोड़ होगा। ब्यौरा निम्नलिखित है:

रुपये करोड़ में

(1)	भाखेप्रा को खेल अवस्थापना के लिए	1000.00 रु. ±	10%
(2)	दि वि प्रा को अंतर्राष्ट्रीय जोन आदि खेल ग्राम तथा खेल अवस्थापना के लिए	325.00 रु. ±	25%
(3)	टेनिस के लिए आयोजन स्थल	30.00 रु. ±	15%
(4)	राष्ट्रमंडल युवा खेल, 2008 के लिए खेल अवस्थापना	110.00 रु.	
(5)	खेलों के संचालन के लिए ओ सी	767.00 रु. ±	15%
(6)	टीमों की तैयारी	300.00 रु.	
(7)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को शहरी अवस्थापना के लिए	770.00 रु.	
(8)	गृह मंत्रालय के द्वारा सुरक्षा	264.00 रु.	
	योग	3566.00 करोड़ रु. ± 300 करोड़ रु.	

इसके अलावा, सरकार/योजना आयोग शहरी अवस्थापना तथा दिल्ली मेट्रो से जुड़ी परियोजनाओं के लिए भी धन उपलब्ध कराएगा।

(ग) वर्तमान प्रॉक्कलन से स्पष्ट है कि लगभग 300.00 करोड़ रु. का व्यय अलग-अलग खिलाड़ियों के कौशल तथा प्रदर्शन के स्तर पर विकास के लिए है। निधियां खेल-वार परियोजित नहीं की गई हैं किंतु उन्हें राष्ट्रमंडल खेलों में सम्मिलित की गई 17 खेल विधाओं पर खर्च किया जाएगा।

(घ) ये निधियां विशिष्ट प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन, खेल उपकरण, वैज्ञानिक सहायता व समर्थन तथा आहार संबंधी अनुपूरकों पर खर्च की जाएगी।

[अनुवाद]

दसवीं योजना के दौरान कोयले का उत्पादन

4767. श्री अनन्त नायक: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजना के दौरान कंपनी-वार कोयले के उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं;

(ख) इस अवधि के दौरान कोयले की वास्तविक घरेलू मांग कितनी रही;

(ग) क्या सरकार को इस अवधि के दौरान कोयले का आयात करना पड़ा था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) दसवीं योजना के दौरान कंपनीवार कोयले के उत्पादन के लक्ष्य और कोयले का वास्तविक उत्पादन नीचे दिए अनुसार हैं:

(मिलियन टन में)

कंपनी	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
	लक्ष्य	वास्त.	लक्ष्य	वास्त.	लक्ष्य	वास्त.	लक्ष्य	वास्त.	लक्ष्य	वास्त.
ईसीएल	28.00	27.18	28.00	28.00	27.30	27.25	32.44	31.11	33.00	30.47
बीसीसीएल	25.50	24.15	24.00	22.68	22.40	22.31	24.22	23.31	24.20	24.25
सीसीएल	34.25	36.98	38.50	37.33	37.40	37.39	40.40	40.51	42.00	41.40
एनसीएल	45.00	45.10	46.50	47.03	49.68	49.95	50.80	51.52	52.00	52.16
डब्ल्यूसीएल	37.20	37.82	37.85	39.53	41.00	41.41	41.90	43.20	42.00	43.21
इसईसीएल	66.50	66.60	69.00	71.01	78.40	78.55	83.00	83.02	88.50	88.50
एमसीएल	49.20	52.23	55.00	60.05	66.40	66.08	72.00	69.60	80.50	80.00
एनईसी	0.65	0.63	0.65	0.73	0.60	0.63	1.05	1.10	1.60	1.05
सीआईएल-कुल	286.30	290.69	299.50	306.36	323.18	323.58	345.81	343.39	363.80	361.04
एससीसीएल	32.50	33.16	33.50	33.85	35.00	35.30	36.00	36.14	37.50	37.71
अन्य	17.00	17.38	19.30	20.83	22.91	23.74	26.36	27.48	31.20	26.36
अखिल भारतीय	335.80	341.23	352.30	361.04	381.09	382.62	408.17	407.01	432.50	425.11

इस्को, डीवीसी, जेएसएमडीसीएल, जेकेएमएल, टिस्को, केप्टिव खनन और मेघालय शामिल है।

(ख) दसवीं योजना के दौरान कोयले की वास्तविक स्वदेशी मांग निम्नवत है:

(मिलियन टन में)

वर्ष	अखिल भारतीय मांग
2002-03	363.35
2003-04	380.91
2004-05	408.79
2005-06	433.51
2006-07 (अनं.)	464.00

(ग) और (घ) सरकार कोयले का आयात नहीं करती है। सरकार की आयात नीति के अनुसार, खुले सामान्य लाइसेंस के तहत देश में कोयले का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है। तथापि, पिछले पांच वर्षों के दौरान आयातित कोयले की कुल मात्रा निम्नलिखित है:

(मिलियन टन में)

वर्ष	आयातित कोयला
2001-02	20.548
2002-03	23.260
2003-04	21.683
2004-05	28.950
2005-06	38.586

पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में तीर्थ-स्थल

4768. श्री कैलाश मेघवाल:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में तीर्थ-स्थलों और मंदिरों आदि की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इन देशों में मंदिरों और तीर्थ-स्थलों की स्थिति क्या है;

(घ) क्या पाकिस्तान में हिंगलव्य सहित सभी स्थलों को तीर्थयात्रा के लिए खोल दिया गया है; और

(ङ) तीर्थ यात्रियों की इन स्थलों की तीर्थयात्रा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) इस समय पाकिस्तान में 15 तीर्थस्थल हैं, जो धार्मिक, तीर्थस्थलों की यात्रा संबंधी द्विपक्षीय प्रोतोकोल के अंतर्गत आते हैं। (सूची संलग्न विवरण में दी गई है) ऐसे किसी तीर्थस्थल अथवा धार्मिक स्थल की पहचान अफगानिस्तान और ईरान में नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) सरकार ने पाकिस्तान की सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा है कि धार्मिक स्थलों की यात्रा संबंधी वर्तमान द्विपक्षीय प्रोतोकोल का विस्तार करके तीर्थ यात्रियों और धार्मिक स्थलों की संख्या बढ़ाई जाए।

विवरण

द्विपक्षीय प्रोतोकोल के अंतर्गत पाकिस्तान में धार्मिक स्थलों की सूची

1. गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब (रावलपिंडी)
2. गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब (रावलपिंडी)
3. महाराजा रंजीत सिंह की समाधि (लाहौर)
4. गुरुद्वारा श्री डेरा साहिब (लाहौर)
5. गुरुद्वारा जन्म स्थान (लाहौर)
6. गुरुद्वारा दीवान खाना (लाहौर)
7. गुरुद्वारा शहीद गंज, सिंघानिया (लाहौर)
8. गुरुद्वारा भाई तारा सिंह (लाहौर)
9. छठे गुरु का गुरुद्वारा, मोजांग (लाहौर)
10. श्री गुरु राम दास का जन्मस्थान (लाहौर)
11. गुरुद्वारा चेवीन पादशाही, मोजांग (लाहौर)
12. श्री कटासराज तीर्थस्थल
13. शादानी दरबार, हायात पिताफी
14. साधु बेला, खानपुर और मीरपुर माथेलो
15. हजरत दातागंज बख्श का तीर्थस्थल (लाहौर)

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खेल

4769. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन खेलों तथा खेल स्पर्धाओं को राष्ट्रीय खेल कहा जाता है;

(ख) एक खेल अथवा खेल स्पर्धा को राष्ट्रीय खेल का दर्जा देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या जूडो और कराटे को भारत के राष्ट्रीय खेल माना जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) विभिन्न खेल विधाओं के लिए "राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता" की योजना के तहत निर्धारित मंत्रालय राष्ट्रीय खेल परिसंघों/संघों को, जो स्वीकार्य मानदण्ड को पूरा करते हैं, मान्यता प्रदान करता है। केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को स्वीकार्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जूडो और कराटे के लिए, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई और योजना के तरह स्वीकार्य वित्तीय सहायता उनको प्रदान की जाती है। सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों को उनके संबंधित खेल विधाओं में सीनियर, जूनियर और सब-जूनियरों के लिए वार्षिक राष्ट्रीय स्तर के चैम्पियनशिपों के आयोजन के लिए सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

वीजा नीति में बदलाव

4770. श्री अधीर चौधरी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान वीजा नीति में बदलाव लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई नीति के कब तक कार्यान्वित हो जाने की संभावना है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ मिलने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (घ) वीजा नीति में परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है और स्थितियों/परिस्थितियों की मांग के अनुसार सरकार के संबंधित अभिकरणों/विभागों के साथ यथोचित विचार-विमर्श करके किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं

4771. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकारी सहायता वापस लिए जाने के कारण भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के राजस्व में कम वृद्धि के आसार हैं;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाओं के लिए सरकारी सहायता वापस लिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या निजी सेवा प्रदाताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में टेलीफोन सुविधाओं के संबंध में अपने दायित्व पूरे किए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सरकार भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को उसकी स्थापना के समय से ही लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभारों की प्रतिपूर्ति कर रही थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीएसएनएल द्वारा सरकार के आदेश पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं, जो अलाभकारी होती हैं, परंतु सामाजिक दृष्टि से वांछनीय होती हैं, के कारण बीएसएनएल के अस्तित्व को नुकसान न पहुंचे।

तथापि, 1.4.2002 से इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी), वायस मेल तथा ई-मेल आदि जैसी मूल्यवर्धित सेवाओं के सेवा प्रदाताओं को छोड़कर सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर 5% समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की लेवी लगा दी गई थी। तदनुसार ये दूरसंचार सेवा प्रदाता सार्वभौमिक सेवा दायित्वों की पूर्ति हेतु सार्वभौमिक सेवा की लेवी (यूएसएल) में योगदान दे रहे हैं। इस लेवी से प्राप्त हुई आय को बजटीय आबंटन के जरिए

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) को अंतरित कर दिया जाता है। यूएसओएफ की आय से ग्रामीण, दूरवर्ती तथा वाणिज्यिक दृष्टि से अव्यवहार्य क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की अपेक्षा पूरी करने की दृष्टि से यूएसएओएफ के प्रशासक के कार्यालय का सृजन किया गया था। इसके मद्देनजर, बीएसएनएल को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभारों की प्रतिपूर्ति को क्रमश: समाप्त कर देने का निर्णय किया गया था। तदनुसार यह सहायता क्रमश: समाप्त कर दी गई और वर्ष 2006-07 में इसे पूर्णत: बंद कर दिया गया था।

(ग) मौजूदा लाइसेंस करार के अनुसार, निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने का कोई दायित्व नहीं है। तथापि, मूल्यवर्धित सेवाओं के सेवा प्रदाताओं जैसे इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी), वायस मेल तथा ई-मेल आदि को छोड़कर सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता सार्वभौमिक सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 5% की दर से सार्वभौमिक सेवा लेवी (यूएसएल) का योगदान दे रहे हैं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

वायरलैस ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन

4772. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वायरलैस ब्रॉडबैण्ड कनेक्शनों के लिए अपनी नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) ब्रॉण्डबैंड नीति 2004 में वायरलैस ब्रॉडबैंड जैसी भावी प्रौद्योगिकियों की शुरूआत की व्यवस्था की गई है। इस प्रयोजनार्थ स्पेक्ट्रम आबंटन योजना सरकार के विचाराधीन है।

दूरसंचार क्षेत्र की पहुंच सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक बनाना

4773. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र की पहुंच सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक बनाने के लिए मानदण्डों में छूट दी है जैसाकि दिनांक 3 मार्च, 2007 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ शकील अहमद): (क) और (ख) दूरसंचार क्षेत्र में तथा साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, जो दूरसंचार पर निर्भर है, निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी नीति की समीक्षा की है और दिनांक 19.4.2007 के प्रेस नोट सं. 3 (2007 सीरीज) द्वारा संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रेस नोट सं. 3 (2007) की पैरा 2ख(xi) से (xv) में दूरस्थ अभिगम का उल्लेख किया गया है। प्रेस नोट की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सरकार ने ग्रामीण टेलीफोनी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

* 100 से कम आबादी वाले, घने वन क्षेत्रों/नक्सली प्रभावित क्षेत्रों आदि में स्थित गांवों को छोड़कर शेष सुविधारहित पात्र गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध कराना।
* 2000 से अधिक जनसंख्या वाले और जहां कोई सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र (पीसीओ) नहीं हैं, ऐसे गांवों में ग्रामीण सामुदायिक फोन (आरसीपी) उपलब्ध कराना।
* मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) वीपीटी बदला जाना।
* सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि से आर्थिक सहायता के माध्यम से 1685 वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) में मांग पर ग्रामीण व्यक्तिगत फोन कनेक्शन (आरडीईएल) उपलब्ध कराना।
* बीएसएनएल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) नेटवर्क की व्यापक पैमाने पर संस्थापना।

* दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिए ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सामान्य अवसंरचना का सृजन।

* बीएसएनएल द्वारा लैंडलाइन एक्सजेंचों के लिए आउटडोर केबल बिछाने के लिए 2.5 किमी के पुराने मानदंड में छूट देकर उसे 5 किमी करना।

* ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों, जहां इस समय मोबाइल सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, में मोबाइल सेवाओं के लिए 7871 साझा अवसंरचना स्थल स्थापित करने के लिए यूएसओएफ से सहायता प्रदान करने हेतु एक योजना शुरू की गई है। 2008 तक उत्तरोत्तर रूप से स्थल स्थापित किए जाएंगे।

विवरण

भारत सरकार
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
एसआईए (एफसी प्रभाग)
प्रेस नोट सं. 3 (2007 सीरीज)

विषय: दूरसंचार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करना—संशोधित दिशा-निर्देश।

सरकार ने कतिपय दूरसंचार सेवाओं के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने हेतु दिनांक 3.11.2005 के प्रेस नोट सं. 5 (2005 सीरीज) के द्वारा विशिष्ट शर्तों के अध्यधीन अधिसूचना जारी की थी।

2. सरकार ने इस संबंध में नीति की पुनरीक्षा करने पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन दूरसंचार सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का निर्णय लिया है:

(क) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

(i) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा में वृद्धि, बुनियादी, सेल्युलर, एकीकृत अभिगम सेवाओं, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी, वी सैट, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सेवाओं (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन्स सर्विसेज (जीएमपीसीएस) तथा अन्य मूल्य वर्द्धित सेवाओं के संबंध में लागू होगी।

(ii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा के प्रयोजनार्थ लाइसेंसधारक कंपनी में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गणना की जाएगी। विदेशी निवेश में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई), अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉंड (एफसीसीबी), अमरीकन डिपोजिटरी रिसीट्स (एडीआर), ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (जीडीआर) तथा विदेशी संस्थाओं द्वारा धारित कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर शामिल हैं। अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश का तात्पर्य होगा, लाइसेंसधारक कंपनी के शेयर धारित करने वाली कंपनी/कंपनियों में विदेशी निवेश और उनकी नियंत्रक कंपनी/कंपनियों अथवा आनुपातिक आधार पर कानूनी संस्था (जैसे म्यूचुअल फण्ड, ट्रस्ट)। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित लाइसेंसधारक कंपनी के शेयरों को भारतीय होल्डिंग माना जाएगा। किसी भी तरह "भारतीय" शेयर होल्डिंग 26 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(iii) 49 प्रतिशत तक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग पर जारी रहेगा। यदि लाइसेंसधारक कंपनी/भारतीय प्रवर्तक कंपनियों/निवेशी कंपनियां और उनकी नियंत्रक कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 74 प्रतिशत की समग्र सीमा को प्रभावित करता है तो उसके लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा। निवेश प्रस्तावों को अनुमोदित करते समय एफआईपीबी इस बात का ध्यान रखेगा कि निवेश केवल मित्र देशों की कंपनियों द्वारा ही किया जाए।

(iv) एफआईपीबी द्वारा निवेश के लिए अनुमोदन इस शर्त पर किया जाएगा कि कंपनी लाइसेंस करार का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

(v) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत के कानूनों के अध्यधीन होगा, न कि विदेशी देश/देशों के कानूनों के अध्यधीन।

ख. सुरक्षा संबंधी शर्तें

(i) तकनीकी नेटवर्क प्रचालनों के प्रभारी मुख्य अधिकारी और मुख्य सुरक्षा अधिकारी निवासी भारतीय नागरिक होने चाहिए।

(ii) अवसंरचना/नेटवर्क डायग्राम का ब्यौरा (नेटवर्क का तकनीकी ब्यौरा) केवल दूरसंचार उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं तथा लाइसेंसधारक कंपनी की संबद्ध/मूल कंपनी को आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध कराया जा सकता है। यदि इस प्रकार की जानकारी किसी

और को उपलब्ध करायी जानी हो तो लाइसेंसदाता (दूरसंचार विभाग, भारत सरकार) से अनुमति लेनी अपेक्षित होगी।

(iii) सुरक्षा कारणों से लाइसेंसदाता द्वारा यथा अभिज्ञात/विनिर्दिष्ट ऐसे निकायों के घरेलू परियात का भारत के बाहर किसी स्थान को संवहन/रूट नहीं किया जाएगा।

(iv) लाइसेंसधारक कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समय पर आवश्यक उपाय करेगी कि उपभोक्ताओं द्वारा नेटवर्क के माध्यम से सम्पादित सूचना संरक्षित और सुरक्षित हो।

(v) संदेशों का कानूनन अवरोधन कार्य करने वाली लाइसेंसधारक कंपनियों के अधिकारी/पदाधिकारी निवासी भारतीय नागरिक होंगे।

(vi) कंपनी के निदेशक मण्डल के अधिसंख्य निदेश भारतीय नागरिक होंगे।

(vii) यदि अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और/अथवा मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के पद विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा धारित हों तो उनकी सुरक्षा जांच गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा अपेक्षित होगी। सुरक्षा जांच आवधिक रूप से वार्षिक आधार पर अपेक्षित होगी। यदि सुरक्षा जांच के दौरान कुछ प्रतिकूल पाया जाता है तो गृह मंत्रालय का निर्देश लाइसेंसधारक कंपनियों पर बाध्यकारी होगा।

(viii) कंपनी निम्नलिखित को भारत के बाहर किसी व्यक्ति/स्थान को अंतरित नहीं करेगी:

(क) उपभोक्ता से संबंधित कोई लेखा संबंधी सूचना (अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग/बिलिंग को छोड़कर) (टिप्पणी: यह प्रतिबंध सांविधिक रूप से वित्तीय स्वरूप के अपेक्षित प्रकटन पर लागू नहीं होता); और

(ख) प्रयोक्ता संबंधी सूचना (रोमिंग के समय भारतीय प्रचालक के नेटवर्क का प्रयोग करने वाले विदेशी उपभोक्ताओं से संबंधित सूचना को छोड़कर)।

(ix) कंपनी के अपने उपभोक्ताओं को ढूंढ पाने योग्य पहचान अवश्य देनी चाहिए। तथापि, विदेशी कंपनियों के रोमिंग उपभोक्ता को सेवा प्रदान करने की स्थिति में भारतीय कंपनी अपने रोमिंग करार के एक भाग के रूप में विदेशी कंपनी से रोमिंग उपभोक्ता की ढूंढ पाने योग्य पहचान प्राप्त करने का प्रयास करेगी।

(x) लाइसेंसदाता अथवा लाइसेंसदाता द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी के अनुरोध पर दूरसंचार सेवा प्रदाता किसी उपभोक्ता की भौगोलिक स्थान-अवस्थिति (बीटीएस अवस्थिति) निश्चित समय में प्रदान करने में सक्षम हो।

(xi) नेटवर्क के दूरस्थ अभिगम (आर ए) केवल अनुमोदित विदेशी स्थानों को भारत में अनुमोदित स्थानों के माध्यम से प्रदान करना होगा। स्थानों के संबंध में अनुमोदन सुरक्षा एजेंसी (आसूचना ब्यूरो) के परामर्श से लाइसेंसदाता (दूरसंचार विभाग) द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(xii) किसी भी परिस्थिति में, विधिसम्मत अवरोधन प्रणाली (एलआईएस), विधिसम्मत अवरोधन मानीटरिंग (एलआईएम), परियात की कॉल संबंधी विषय-वस्तु तथा ऐसे किसी संवेदनशील क्षेत्र/डाटा जिसे समय-समय पर लाइसेंसदाता ने अधिसूचित किया हो, पर आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं तथा सहयोगी (सहयोगियों) को किसी भी दूरस्थ अभिगम के अभिगमन में समर्थ नहीं होना चाहिए।

(xiii) लाइसेंसधारक कंपनी को विषय-वस्तु की निगरानी के लिए दूरस्थ अभिगम सुविधा का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

(xiv) नामित सुरक्षा एजेंसी/लाइसेंसदाता के भारतीय परिसर पर उपयुक्त तकनीकी तंत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसमें दूरस्थ अभिगम सूचना की एक वास्तविक छाया प्रति निगरानी के प्रयोजनार्थ ऑन लाईन उपलब्ध हो।

(xv) भारत में प्रचालित नेटवर्क संबंधी दूरस्थ अभिगम कार्यकलापों के पूर्ण लेखा-रिकार्ड का छह महीने की अवधि के लिए रख-रखाव किया जाना चाहिए तथा इसकी प्रति लाइसेंसदाता या लाइसेंसदाता द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी के अनुरोध पर दी जाए।

(xvi) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केन्द्रीयकृत स्थल से विधिसम्मत अवरोधन तथा मानिटरिंग करने के लिए उनके उपस्कर में आवश्यक व्यवस्था (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर) उपलब्ध हो।

(xvii) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अपने प्रणालियों के संबंधित प्रचालनों/विशेषताओं के बारे में सतर्कता तकनीकी मानीटरिंग (वीटीएम)/सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों/कर्मचारियों को परिचित कराना/प्रशिक्षण देना चाहिए।

(xviii) राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी संवेदनशील क्षेत्र में प्रचालन करने से लाइसेंसधारक कंपनी पर रोक लगाना लाइसेंसदाता पर निर्भर करेगा।

(xix) *वॉइस एवं डाटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, मॉनीटरिंग करने हेतु केवल संघ सरकार के गृह सचिव अथवा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के गृह सचिवों द्वारा ही प्राधिकार प्रदान किया जाएगा।*

(xx) परियात की मानीटरिंग करने के लिए, लाइसेंसधारक कंपनी सुरक्षा एजेंसियों को अपने नेटवर्क तथा अन्य सुविधाओं के साथ-साथ बही खातों को भी उपलब्ध कराएगी।

(xxi) उपर्युक्त सुरक्षा शर्तें, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्तर पर ध्यान रखे बिना, इस प्रेस नोट के अंतर्गत कवर की गई दूरसंचार सेवाएं प्रचालित करने वाली सभी लाइसेंसधारक कंपनियों पर लागू होगी।

(xxii) अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) जो कॉल सेन्टर, बिजनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिंग (बीपीओ), टेलीमॉर्किटिंग, टेली-एजुकेशन इत्यादि जैसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा ओएसपी के रूप में दूरसंचार विभाग में पंजीकृत हैं। ऐसे ओएसपी लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई दूरसंचार अवसंरचना का इस्तेमाल करते हुए सेवा का प्रचालन करते हैं तथा ओएसपी के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। चूंकि सुरक्षा शर्तें सभी लाइसेंस-प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर लागू होती हैं, अत: उपर्युक्त वर्णित सुरक्षा शर्तें ओएसपी पर अलग से लागू नहीं की जाएंगी।

3. उपर्युक्त पैरा 2 में दी गई शर्तें दूरसंचार सेवा (सेवाएं) प्रचालित करने वाली मौजूदा कंपनियों पर भी लागू होगी जिनकी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा 49% है।

4. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी दिनांक 11.2.2000 के प्रेस नोट-2 (2000 सीरीज) में उल्लिखित "निवेश कंपनियों" हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के सुसंगत उपबंध, दूरसंचार क्षेत्र में आगे लागू नहीं होंगे।

5. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट-15 (1998 सीरीज) और प्रेस नोट-2 (2000 श्रृंखला) उपर्युक्त सीमा तक संशोधित कर दिया गया है।

6. इस प्रेस नोट के जारी होने के 3 माह के भीतर लाइसेंसदाता को मौजूदा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा उपर्युक्त शर्तों का बिना शर्त अनुपालन करना होगा तथा तत्पश्चात छमाही आधार पर जुलाई और जनवरी की पहली तारीख को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

7. दिनांक 3.11.2005 के प्रेस नोट-5 (2005 श्रृंखला) को इस प्रेस नोट द्वारा अधिक्रमित समझा जाए।

ह./-
गोपाल कृष्ण
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

[हिन्दी]

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3

4774. श्रीमती गीता पटैरिया:
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 कराया था;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) यह सर्वेक्षण किन-किन राज्यों में किया गया था तथा इसके मुख्य विषय क्या थे;

(घ) क्या इस सर्वेक्षण में स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास की आवश्यकता पर संकेत दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। देश के सभी 29 राज्यों में वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 किया गया है। इस सर्वेक्षण में मृत्यु-दर, विवाह और प्रजननता, परिवार नियोजन, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, बच्चों का रोग प्रतिरक्षण, संक्रमण उपचार, शिशु आहार पद्धतियों, बच्चों और वयस्कों की पौषणिक स्थिति, बच्चों और वयस्कों के बीच रक्ताल्पता की व्याप्तता, पुरुषों और महिलाओं में मोटापा, एचआईवी/एड्स तथा इसकी व्याप्तता के संबंध में जानकारी, रूझान और व्यवहार और क्षय रोग तथा मलेरिया के उपचार व्यवहार के संबंध में सूचना एकत्र की गई है। सर्वेक्षण में 15-49 वर्ष के आयु समूह की अब तक विवाहित, अविवाहित और विधवा हुई सभी महिलाओं तथा 15-54 वर्ष आयु समूह के सभी पुरुषों को कवर किया गया है।

सर्वेक्षण के कुछ प्रमुख निष्कर्षों में भारत में स्वास्थ्य की मिली-जुली तस्वीर दर्शाई गई है। एक तरफ सांस्थानिक प्रसव और प्रसूति परिचर्या में सुधार हुआ है, परिवार नियोजन की अपूरित जरूरत में कमी हुई है, महिलाओं के कम बच्चे हैं, नवजात मृत्यु दर में गिरावट आई है; बच्चों की समग्र प्रतिरक्षण कवरेज में सुधार हुआ है और विगत राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (1998-99) से सात वर्ष की अवधि में एचआईवी/एड्स के बारे में जानकारी में सुधार हुआ है। दूसरी ओर बच्चों और वयस्कों के बीच रक्ताल्पता और कुपोषण अभी भी व्यापक है और असंगत रूप से अधिक वयस्क लोग विशेष रूप से शहरी महिलाएं अधिक वजन वाली अथवा मोटी हैं। प्रमुख निष्कर्षों से संबंधित सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) सरकार ने मातृ और बाल स्वास्थ्य का उन्नयन करने की दृष्टि से 1997-98 से पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, चरण-1 (आरसीएच-1) कार्यान्वित किया। इस कार्यक्रम को 2004-05 से और पांच वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया है। बाद में आरसीएच कार्यक्रम को अप्रैल, 2005 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत एकीकृत किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में ग्रामीण लोगों विशेष रूप से कमजोर वर्गों को सुलभ, वहनीय और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने का प्रयास है। इसमें 2012 में समाप्त होने वाली मिशन की सात वर्ष की अवधि में मातृ मृत्यु दर अनुपात को 301 के वर्तमान स्तर (भारत के महापंजीयक की एसआरएस रिपोर्ट 2001-03 के अनुसार) से कम करके प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर 100 करने और नवजात मृत्यु दर को 58 के वर्तमान स्तर (भारत के महापंजीयक की एसआरएस रिपोर्ट-2005 के अनुसार) से कम करके प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 करने और कुल प्रजननता स्तर को 2.9 (भारत के महापंजीयक की एसआरएस रिपोर्ट-2005 के अनुसार) से कम करके 2.1 करने का प्रयास है। एनआरएचएम में गरीबों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और इसमें सभी अकेले कार्यक्रमों को एक सम्मिश्रित कार्यक्रम में एकीकृत किया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 के अनंतिम परिणाम

	एनएचएफएस-3 से भारत के लिए मुख्य संकेतक	एनएचएफएस-3 2005-06	एनएचएफएस-3 1998-99
	1	2	3
विवाह और प्रजननता			
1.	18 वर्ष की आयु में विवाहित 20-24 वर्ष की महिलाएं (%)	44.5	50.0
2.	21 वर्ष की आयु में विवाहित 25-29 वर्ष के पुरुष (%)	29.3	अनुपलब्ध
3.	कुल प्रजनन दर (बच्चे प्रति महिला)	2.68	2.85
4.	15-19 वर्ष की आयु महिलाएं जो पहले ही मां बन गई थी अथवा सर्वेक्षण के समय गर्भवती थी (%)	16.0	अनुपलब्ध
5.	25-49 वर्ष की आयु की महिलाओं की प्रथम जन्म के समय औसत आयु	19.8	19.3
6.	दो जीवित बच्चों और आगे और बच्चे न चाहने वाली विवाहित महिलाएं (%)	83.2	72.4
	6क. दो पुत्र	89.9	82.7
	6ख. एक पुत्र एक पुत्री	88.1	76.4
	6ग. दो पुत्रियां	62.1	47.0

1		2	3
परिवार नियोजन (15-49 वर्ष की विवाहित महिलाएं)			
वर्तमान में इस्तेमाल			
7.	कोई भी विधि (%)	56.3	48.2
8.	कोई भी आधुनिक विधि (%)	48.5	42.8
	8क. महिला नलबंदी (%)	37.3	34.1
	8ख. पुरुष नसबंदी (%)	1.0	1.9
	8ग. आईयूडी (%)	1.8	1.6
	8घ. गोली (%)	3.1	2.1
	8ङ. कंडोम (%)	5.3	3.1
परिवार नियोजन की पूरी नहीं हुई जरूरत			
9.	पूरी नहीं हुई कुल जरूरत (%)	13.2	15.8
	9क. जन्म अंतराल के लिए (%)	6.3	8.3
	9ख. सीमित करने के लिए (%)	6.8	7.5
मातृ एवं बाल स्वास्थ्य			
प्रसूति परिचर्या (पिछले तीन वर्षों में जन्मों के लिए)			
10.	ऐसी माताएं जिन्होंने पिछले जन्म के लिए कम-से-कम तीन प्रसव पूर्व परिचर्या दौरे किए (%)	50.7	44.2
11.	ऐसी माताएं जिन्होंने अपने पिछले बच्चे के साथ गर्भवती होने के दौरान 90 दिन अथवा इससे अधिक अवधि के लिए आईएफए का उपभोग किया (%)	22.3	अनुपलब्ध
12.	ऐसे जन्म जिन्में डाक्टर/नर्स/एलएचबी/एएनएम/अन्य स्वास्थ्य कार्मिक द्वारा सहायता की गई (%)	48.3	42.4
13.	सांस्थानिक जन्म (%)	40.7	33.6
14.	ऐसी माताएं जिन्होंने अपने पिछले बच्चों के जन्म के लिए प्रसव के दो दिन के भीतर डाक्टर/नर्स/एलएचबी/एएनएम/अन्य स्वास्थ्य कार्मिक से प्रसवोत्तर परिचर्या प्राप्त की (%)	36.34	अनुपलब्ध
शिशु प्रतिरक्षण और विटामिन-ए अनुपूरण*			
15क.	पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित 12-23 माह के बच्चे (बीसीजी, खसरा और पोलियो डीपीटी की तीन-तीन खुराकें (%)	43.5	42.0
15ख.	12-13 माह के बच्चे जिन्होंने बीसीजी ली (%)	78.2	71.6

	1	2	3
15ग.	12-23 माह के बच्चे जिन्होंने पोलियो वैक्सीन की तीन खुराकें ली (%)	78.2	62.8
15घ.	12-23 माह के बच्चे जिन्होंने डीपीटी वैक्सीन की तीन खुराकें ली (%)	55.3	55.1
15ङ	12-13 माह के बच्चे जिन्होंने खसरा वैक्सीन की तीन खुराकें ली (%)	58.8	50.7
16.	12-35 माह की आयु के बच्चे जिन्होंने पिछले 6 माह में विटामिन-ए खुराक ली (%)	21.0	अनुपलब्ध
बचपन के रोगों का उपचार (3 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चे)*			
17.	पिछले दो सप्ताह में अतिसार से पीड़ित बच्चे जिन्होंने ओआरएस लिया (%)	26.2	26.9
18.	पिछले दो सप्ताह में अतिसार से पीड़ित बच्चे जिन्हें स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र में ले जाया गया (%)	58.0	65.3
19.	पिछले दो सप्ताह में तीव्र श्वसनी संक्रमण अथवा ज्वर से पीड़ित बच्चे जिन्हें स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र में ले जाया गया (%)	64.2	अनुपलब्ध
शिशु आहार पद्धतियां और बच्चों की पौषणिक स्थिति*			
20.	जन्म के पहले घंटे में स्तनपान कराए गए तीन वर्ष से कम आयु के बच्चे (%)	23.4	16.0
21.	विशेष रूप से स्तनपान कराए गए 0.5 माह की आयु के बच्चे (%)	46.3	अनुपलब्ध
22.	ठोस अथवा अर्ध ठोस आहार तथा स्तनपान प्राप्त करने वाले 6-9 माह की आयु के बच्चे (%)	55.8	अनुपलब्ध
23.	अवरुद्ध विकास वाले 3 वर्ष की आयु के बच्चे (%)	38.4	45.5
24.	कमजोर रहे 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे (%)	19.1	15.5
25.	कम वजन वाले 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे (%)	45.9	47.0
अब तक विवाहित वयस्कों की पौषणिक स्थिति (15-49 वर्ष की आयु वाले)			
26.	ऐसी महिलाएं जिनका शारीरिक भार इंडेक्स सामान्य से नीचे है (%)	33.0	36.2
27.	ऐसे पुरुष जिनका शारीरिक भार इंडेक्स सामान्य से नीचे है (%)	28.1	अनुपलब्ध
28.	ऐसी महिलाएं जो कम वजन वाली हैं अथवा मोटी हैं (%)	14.8	10.6
29.	ऐसे पुरुष जो कम वजन वाले हैं अथवा मोटे हैं (%)	12.1	अनुपलब्ध
बच्चों और वयस्कों के बीच रक्ताल्पता			
30.	रक्ताल्पता से ग्रस्त 6-35 माह आयु के बच्चे (%)	79.2	74.2
31.	रक्ताल्पता से ग्रस्त 15-49 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाएं (%)	56.2	51.8
32.	रक्ताल्पता से ग्रस्त 15-49 वर्ष की आयु की गर्भवती महिलाएं (%)	57.9	49.7
33.	रक्ताल्पता से ग्रस्त 15-49 वर्ष की आयु के विवाहित पुरुष (%)	24.3	अनुपलब्ध

	1	2	3
विवाहित वयस्कों (15-49 वर्ष की आयु वाले) में एचआईवी/एड्स की जानकारी			
34.	ऐसी महिलाएं जिन्होंने एड्स के बारे में सुना है (%)	57.0	40.3
35.	ऐसे पुरुष जिन्होंने एड्स के बारे में सुना है (%)	80.0	अनुपलब्ध
36.	ऐसी महिलाएं जो यह जानकारी रखती हैं कि लगातार कंडोम का इस्तेमाल करने से एचआईवी/एड्स से ग्रस्त होने के आसारों में कमी हो सकती है (%)	34.7	अनुपलब्ध
37.	ऐसे पुरुष जो यह जानकारी रखते हैं कि लगातार कंडोम का इस्तेमाल करने से एचआईवी/एड्स से ग्रस्त होने के आसारों में कमी हो सकती है (%)	68.1	अनुपलब्ध
महिला सशक्तिकरण			
38.	वर्तमान में विवाहित महिलाएं जो प्राय: घर में लिए जाने वाले निर्णयों में भागीदार होती हैं (%)	52.5	अनुपलब्ध
39.	विवाहित महिलाएं जिन्होंने अपने पति द्वारा की जाने वाली हिंसा की अनुभूति की है (%)	37.2	अनुपलब्ध

* सर्वेक्षण से पूर्व 3 वर्षों में अंतिम दो जन्मों में आधारित। बच्चों के लिए शिक्षा का अभिप्राय: मां की शिक्षा से है। मां की शिक्षा से अनभिज्ञ बच्चे शिक्षा के कालम में शामिल नहीं हैं।

क्षेत्रीय असंतुलन

4775. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश के प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय असंतुलन की पहचान करने के लिए एक अध्ययन सर्वेक्षण कराया है अथवा कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद राज्यों विशेष रूप से महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में क्षेत्रीय असंतुलन विद्यमान है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश के पिछड़े जिलों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत धनराशि का आबंटन बढ़ाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में संशोधित दीर्घावधि कार्य योजना का मूल्यांकन किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में इस धारणा को मुख्यत: उजागर किया गया है कि विशेष रूप से विगत 15 वर्षों में क्षेत्रीय असंतुलन वास्तव में प्रबल हो गए थे और अंतर्राज्यीय असमानताओं संबंधी समस्या का भी पर्याप्त रूप से समाधान नहीं किया गया, सभी राज्यों में क्षेत्रीय असमानताएं सतत् रूप से बनी रहती, इसमें आपेक्षिक रूप से समृद्ध राज्य भी शामिल हैं, जहां पर यह अधिक अथवा कम मात्रा में थी।

(घ) और (ङ) क्षेत्रीय असंतुलन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए वर्ष 2006-07 में पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) तैयार की गई और इसका अनुमोदन किया गया। बीआरजीएफ के दो घटक हैं नामत: तत्कालीन राष्ट्रीय समविकास योजना द्वारा कवर किए गए 147 जिलों सहित 250 जिलों को कवर करते हुए जिला घटक और बिहार तथा उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजनाएं। वर्ष 2006-07 के लिए बीआरजीएफ हेतु 5000 करोड़ रु. का आबंटन किया गया था। वर्ष 2007-08 के दौरान यह आबंटन बढ़ाकर 5800 करोड़ रु. कर दिया गया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति

4776. श्री रामदास आठवले: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक प्रमाणीकरण हेतु सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल रिकार्ड विभाग में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कितने आवेदन लम्बित हैं;

(ख) क्या इन आवेदनों को प्रमाणित करने के बाद एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर रोगियों को वापस लौटा दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) लम्बित आवेदनों के निपटान में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) चिकित्सा अभिलेख, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के 41 मामले अधिप्रमाणन की प्रक्रिया में हैं। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के 22 दावे आपत्तियों को दूर करने के लिए आवेदकों को लौटा दिए गए थे। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों को यदि पूरा और ठीक पाया जाता है तो 10 कार्य दिवसों में उनका निपटान कर दिया जाता है।

[अनुवाद]

पंचायती राज के अंतर्गत सफाई अभियान

4777. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंचायती राज के अंतर्गत सफाई अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अभियान राज्य-वार कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है;

(घ) ऐसे जिलों के नाम क्या हैं जिनके लिए संबंधित राज्य सरकारों ने इस अभियान के अंतर्गत केन्द्र के अंशदान की अगली किस्त जारी करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी एस सी) देश के 572 ग्रामीण जिलों में कार्यान्वयनाधीन हैं। जिले को कार्यान्वयन की इकाई मानते हुये इसे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत निधियां लोगों में जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ अलग-अलग घरेलू टायलेट्स, स्कूल टायलेट्स, महिलाओं के लिये कम्यूनिटी कम्पलेक्स, आंगनवाड़ियों और बालवाड़ियों के लिये टायलेट्स उत्पादन केन्द्रों और रूरल सैनेटरिटी मार्ट्स के प्रयोजनार्थ रखी गयी हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2012 तक खुलेआम मल त्याग को खत्म करना है।

(ग) टी एस सी के अंतर्गत शामिल किये गये जिलों की राज्यवार संख्या की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) और (ङ) जिलों द्वारा किये गये उपयोग के अनुसार टी एस सी के अधीन निधियां रिलीज किया जाना एक निरंतर प्रक्रिया है। विभिन्न जिलों से अनुवर्ती किस्तें रिलीज करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन्हें नियमित रूप से अनुदान जारी करने की प्रक्रिया की जा रही है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	22
2.	अरुणाचल प्रदेश	14
3.	असम	22
4.	बिहार	38
5.	छत्तीसगढ़	16
6.	दादरा एवं नगर हवेली	1
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	25
9.	हरियाणा	20
10.	हिमाचल प्रदेश	12

1	2	3
11.	जम्मू-कश्मीर	14
12.	झारखंड	22
13.	कर्नाटक	27
14.	केरल	14
15.	मध्य प्रदेश	45
16.	महाराष्ट्र	33
17.	मणिपुर	5
18.	मेघालय	6
19.	मिजोरम	8
20.	नागालैंड	9
21.	उड़ीसा	30
22.	पुडुचेरी	1
23.	पंजाब	16
24.	राजस्थान	32
25.	सिक्किम	4
26.	तमिलनाडु	29
27.	त्रिपुरा	4
28.	उत्तर प्रदेश	70
29.	उत्तराखंड	13
30.	पश्चिम बंगाल	19
	कुल	572

प्रमुख पत्तनों पर ट्रैफिक

4778. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006-07 के दौरान देश के प्रमुख पत्तनों पर ट्रैफिक धीमा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में इन पत्तनों द्वारा संभाले गए ट्रैफिक का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अनुमानित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी नहीं। वास्तव में, 12 महापत्तनों में वर्ष, 2005-06 में संभाले गए यातायात की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान यातायात में 9.51% की वृद्धि दर्ज की है।

(ग) वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य की तुलना में संभाले गए पत्तन-वार जहाजी माल का यातायात नीचे दिया गया है:

(हजार टन में)

पत्तन का नाम	वर्ष 2006-07 के लिए लक्ष्य	वर्ष 2006-07 के दौरान संभाला गया वास्तविक यातायात
कोलकाता (कोलकाता डॉक सिस्टम/हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स)	51.800	55.050
पारादीप	40.800	38.517
विशाखापट्टनम	61.590	56.386
इन्नौर	9.860	10.714
चेन्नई	52.200	53.414
तूतीकोरिन	18.200	18.001
कोचीन	15.690	15.314
नव मंगलूर	37.250	32.042
मुरगांव	35.300	34.241
जवाहरलाल नेहरू	43.220	44.818
मुम्बई	49.000	52.364
कांडला	50.790	52.982
सभी पत्तन	465.700	463.843

(घ) देश में यातायात संभालने के संदर्भ में महापत्तनों के कार्यकरण में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है। पत्तनों को अनुमानित

लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने हेतु राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कई कदम उठाए गए हैं, जैसे (1) बर्थ का विकास/निर्माण (2) जलमार्गों को गहरा करना (3) उपस्कर उन्नयन, और (4) रेल और सड़क संपर्क आदि में सुधार करना।

भारत में आतंकवादियों को सहायता

4779. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **विदेशी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''अमेरिकन सिक्योरिटी'' के एक विशेषज्ञ समूह ने यह पता लगाया है कि भारत में आतंकवादियों को कराची के मदरसों से सहायता मिलती है जैसाकि दिनांक 31 मार्च, 2007 के ''दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मुद्दे पर अमरीकी तथा पाकिस्तानी प्राधिकारियों से वार्ता की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में इन प्राधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) सरकार को ''इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप'' नामक संगठन द्वारा ''पाकिस्तान: कराचीस मदरसाज एण्ड वायलेंट एक्सट्रीमिस्म'' शीर्षक की रिपोर्ट की जानकारी है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि करॉची के मदरसों द्वारा जिहादी लड़ाकुओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है और भारत तथा अन्य देशों में भेजा जा रहा है।

(ख) से (घ) भारत सरकार आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर अमरीका और पाकिस्तान दोनों के साथ सरकार की वार्ता जारी है। अमरीका के साथ, संबंधित मुद्दों का हल ढूंढने तथा आतंकवाद के खतरों का मुकाबला करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए आतंकवाद-प्रतिरोध पर एक संयुक्त कार्य दल स्थापित किया गया है। पाकिस्तान के साथ आतंकवाद-रोधी पहल एवं जांच-पड़ताल के क्षेत्र की पहचान करने और कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त आतंकवाद रोधी तंत्र की स्थापना की गई है। सरकार पाकिस्तान के साथ विभिन्न स्तरों पर द्विपक्षीय बैठकों में सीमा-पार आतंकवाद के मुद्दे को निरंतर उठा रही है और राष्ट्रपति मुशर्रफ द्वारा 6.1.04 को संयुक्त प्रैस वक्तव्य में व्यक्त की गई अपनी प्रतिबद्धताओं का निरंतर स्मरण करा रही है, जिसमें उन्होंने अपने नियंत्रण वाले भूभाग को किसी प्रकार के आतंकवाद का समर्थन देने के लिए उपयोग करने देने की अनुमति न देने की बात कही थी।

नेशनल डाटा सेंटर

4780. **डा. एम. जगन्नाथ:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एक 'नेशनल डाटा सेंटर' की स्थापना करने का निर्णय लिया है जो देश के लगभग 1300 प्रमुख डाकघरों को जोड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित परियोजना के लिए अनुमानत: कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र (एनआईसी) द्वारा वर्ष 2006-07 में एनआईसी मुख्यालय, नई दिल्ली में डाक विभाग के नेशनल डाटा सेंटर की स्थापना की गई है। एनआईसी के आपदा निवृत्ति केन्द्र, हैदराबाद में शीघ्र ही एक आपदा निवृत्ति केन्द्र की स्थापना भी की जाएगी। डाक विभाग के सभी कम्प्यूटरीकृत डाकघरों, प्रमुख प्रशासनिक एवं लेखा कार्यालयों, मेल डाकघरों, स्पीड पोस्ट केन्द्रों आदि को चरणबद्ध तरीके से डाटा केन्द्र से जोड़ा जाएगा। 819 प्रधान डाकघरों, 366 मेल डाकघरों एवं स्पीड पोस्ट केन्द्रों, 72 प्रमुख प्रशासनिक एवं लेखा कार्यालयों सहित लगभग 1300 कम्प्यूटरीकृत कार्यालयों को चालू वर्ष के दौरान जोड़े जाने की आशा है।

(ग) नेशनल डाटा सेन्टर की स्थापना एवं 1300 प्रमुख कम्प्यूटरीकृत कार्यालयों की नेटवर्किंग के लिए 58.53 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित धन की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

कोयले की अतिरिक्त मात्रा का निष्कर्षण

4781. **श्री अजीत जोगी:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वार्षिक रूप से विभिन्न राज्यों में कोयला खानों से कोयले की अतिरिक्त मात्रा के निष्कर्षण की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कायेला खानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) निकाले गए अथवा निकाले जाने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त कोयले की कुल मात्रा की कीमत कितनी है;

(घ) इस दर पर अनुमानत: कितना व्यय किए जाने की संभावना है?

(ङ) क्या कोयले की अतिरिक्त मात्रा से प्राप्त होने वाली आय के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। 10वीं योजना के अंतिम वर्ष (2006-07) की तुलना में 11वीं योजना के अंतिम वर्ष (2011-12) में कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के अधीन कोयला कंपनियों तथा सिंगरेनी कोलियरी कंपनी लि. (एससीसीएल) में कोयले के अतिरिक्त उत्पादन के कंपनीवार तथा राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

राज्य	कोयला कंपनी	2006-07 (10वीं योजना के अंतिम वर्ष) में अनंतिम कोयला उत्पादन	2011-12 (11वीं योजना के अंतिम वर्ष) में अनुमानित कोयला उत्पादन	2006-07 की तुलना में 2011-12 में अतिरिक्त उत्पादन
1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल	ईसीएल	17.15	22.44	5.29
	बीसीसीएल	0.17	1.18	1.01
	उप योग	17.32	23.62	6.30
झारखंड	ईसीएल	13.30	23.56	10.26
	बीसीसीएल	24.03	28.82	4.79
	सीसीएल	41.34	78.00	36.66
	उप योग	78.67	130.38	51.71
उड़ीसा	एनसीएल	80.00	137.00	57.00
	उप योग	80.00	137.00	57.00
उत्तर प्रदेश	एनसीएल	12.23	17.00	4.77
	उप योग	12.23	17.00	4.77
मध्य प्रदेश	एनसीएल	39.93	53.00	13.07
	डब्ल्यूसीएल	7.00	6.51	-0.49
	एसईसीएल	12.58	11.71	-0.87
	उप योग	59.51	71.22	11.71
छत्तीसगढ़	इसईसीएल	75.92	99.29	23.37
	उप योग	75.92	99.29	23.37
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	36.22	38.49	2.27
	उप योग	36.22	38.49	2.27

1	2	3	4	5
असम	एनईसी	1.05	3.50	2.45
	उप योग	1.05	3.50	2.45
	कुल (सीआईएल)	360.92	520.50	159.58
आंध्र प्रदेश	एसीसीएल	37.71	40.8	3.09
	उप योग	37.71	40.8	3.09
	कुल योग (सीआईएल + एससीसीएल)	398.63	561.30	162.67

(ग) वर्ष 2011-12 में सीआईएल की प्रस्तावित निष्कर्षणीय कोयले की अतिरिक्त मात्रा की कीमत 12248 करोड़ रु. (बजट अनुमान 2007-08 में 767.50 रु. प्रति टन के अनुमानित बिक्री मूल्य पर) तथा एससीसीएल को 319.80 करोड़ रु. (बजट अनुमान 2007-08 में 1035.06 रुपए प्रति टन के अनुमानित बिक्री मूल्य पर) है।

(घ) 10वीं योजना की तुलना में समग्र रूप से 11वीं योजना में अतिरिक्त कोयला उत्पादन को प्राप्त करने के लिए सीआईएल का अनुमानित पूंजी निवेश 9821.53 करोड़ रुपए तथा एससीसीएल का 1761.25 करोड़ रुपए है।

(ङ) और (च) जी, हां। वर्ष 2011-12 में प्रस्ताव निष्कर्षणीय कोयले की अतिरिक्त मात्रा से सीआईएल की मूल्यांकित आय/राजस्व 12248 करोड़ रु. तथा एससीसीएल की 319.80 करोड़ रु. है।

[अनुवाद]

मॉडल अस्पतालों की स्थापना

4782. श्री अबु अयीश मंडल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मॉडल अस्पतालों की स्थापना के लिए कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अथवा विदेशी सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर) से इस संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) केन्द्र सरकार का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अथवा विदेशी सहायता के जरिए वित्त पोषित मॉडल अस्पतालों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों के लिए परिव्यय

4783. सुश्री इन्ग्रिड मैकलोड: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यों हेतु परिव्यय को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए राज्यों को अंतिम रूप से आबंटन की राज्य-वार आबंटित धनराशि कितनी है;

(घ) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए आबंटन की तुलना में आबंटित धनराशि में बढ़ोत्तरी देखी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) ग्यारहवीं योजना के दौरान अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(छ) निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथा-अनुमोदित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-08 से 2011-12) के लिए 9% प्रतिवर्ष का विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समग्र विकास के साथ सामंजस्य सहित, कृषि क्षेत्रक की वृद्धि दर का लक्ष्य 4.1%, उद्योग का 10.5% और सेवाओं का 9.9% है। संलग्न विवरण रूप में दृष्टिकोण-पत्र में सभी उत्पादक क्षेत्रकों, कृषि, उद्योग और सेवाओं में योजना अवधि के दौरान नीति, आधारिक संरचना और प्रौद्योगिकी में उपयुक्त हस्तक्षेपों सहित तीव्र वृद्धि लक्षित है।

दृष्टिकोण-पत्र में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अर्थव्यवस्था में सामाजिक विकास के विभिन्न पहलुओं के संबंध में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:

आय और गरीबी

* जीडीपी की वृद्धि दर को तीव्र करते हुए 8% से 10% करना और तत्पश्चात वर्ष 2016-17 तक प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने के उद्देश्य से 12वीं योजना में इसे 10% बनाए रखना।
* लाभों के व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए कृषि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर में 4% प्रतिवर्ष की वृद्धि करना।
* 70 मिलियन नये कार्य अवसरों का सृजन करना।
* शिक्षित बेरोजगारी को घटा कर 5% से कम करना।
* अकुशल कामगारों की वास्तविक मजदूरी दर में 20 प्रतिशत की वृद्धि करना।
* उपयोग गरीबी के व्यक्ति अनुपात (हैडकाउन्ट) को 10 प्रतिशत बिंदुओं तक कम करना।

शिक्षा

* प्राथमिक स्कूलों से बच्चों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की दर (ड्राप आउट रेट) को 2003-04 के 52.2% से 2011-12 में 20% तक लाना।
* प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्ति के न्यूनतम मानक विकसित करना और नियमित परीक्षण द्वारा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा की प्रभाविता को मानीटर करना।
* 7 वर्ष अथवा इससे अधिक के लिए साक्षरता दर को 85 प्रतिशत तक करना।
* साक्षरता में लिंग अंतर को 10 प्रतिशत बिंदुओं तक कम करना।
* ग्यारहवीं योजना के अंत तक उच्चतम शिक्षा के लिए जाने वाले प्रत्येक सहगण (कोहोर्ट) के वर्तमान 10 प्रतिशत को 15 प्रतिशत तक करना।

स्वास्थ्य

शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) को 28 और मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 तक कम करना।

* कुल प्रजनकता दर को 2.1 तक कम करना।
* वर्ष 2009 तक सभी को साफ पेय जल उपलब्ध कराना और यह सुनिश्चित करना कि ग्यारहवीं योजना के अंत तक कोई वंचित न रहे।
* आयु वर्ग 0-3 के बच्चों में कुपोषण को इसके वर्तमान स्तर से कम करके आधा करना।
* ग्यारहवीं योजना के अंत तक महिलाओं और बालिकाओं में एनीमिया को 50 प्रतिशत तक कम करना।

महिलाएं और बच्चे

* आयु वर्ग 0-6 के लिए 2011-12 तक लिंग अनुपात को 935 तक और 2016-17 तक 950 तक बढ़ाना।
* यह सुनिश्चित करना कि सभी सरकारी स्कीमों में कम से कम 33 प्रतिशत लाभभोगी महिलाएं और बालिकाएं हों;
* यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे कार्य की बाध्यता के बिना सुरक्षित बचपन बितायें।

अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के विभिन्न क्षेत्रकों के संबंध में इन लक्ष्यों की उपलब्धि का व्यापक दृष्टिकोण ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र में दिया गया है, जिनकी प्रति संसद के ग्रंथागार में रखी दी गई है।

[हिन्दी]

कश्मीर पर यूरोपीय संघ की रिपोर्ट

4784. डा. राजेश मिश्रा:
श्री जे.एन. आरून रशीद:
श्री राकेश सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ ने ''कश्मीर: प्रेजेंट सिचुएशन एण्ड फ्यूचर प्रोस्पेक्टस'' शीर्षक वाली अपनी मसौदा रिपोर्ट में पाकिस्तान की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट का अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) यूरोपीय संसद की विदेशी मामलों की समिति ने ''कश्मीर: दी प्रेजेन्ट सिचुएशन एण्ड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स'' पर ''ओन इनिसिएटिव'' पर विचार-विमर्श पूरा कर लिया है। अभी तक रिपोर्ट को यूरोपीय संसद द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, जहां कि इसमें और बदलाव लाया जा सकता है। अत: अंतिम रिपोर्ट के संबंध में अभी कोई स्पष्टता नहीं है।

अनचाही काल्स का आना बंद किया जाना

4785. श्री संतोष गंगवार:
श्रीमती मनोरमा माधवराज:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने डू नॉट काल रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन पर अनचाही काल्स और एसएमएस आना बंद करना अनिवार्य करते हुए टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए मानदंड जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मानदंडों को कब तक अधिसूचित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा चुनी गई एजेंसी का नाम क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ऐसे उपभोक्ताओं के लिए जो अवांछित कॉल नहीं चाहते, अवांछित वाणिज्यिक सम्प्रेषण पर प्रतिबंध लगाने का समाधान ढूंढ़ने संबंधी परामर्श प्रक्रिया पर स्टेकहोल्डरों की प्रतिक्रिया, आंतरिक विचार-विमर्श और अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के आधार पर अवांछित टेलिमार्केटिंग कॉलों पर प्रतिबंध लगाने के आशय से ''नेशनल डू नॉट काल रजिस्ट्री (एनडीएनसी) नामक एक तंत्र स्थापित करने हेतु दिनांक 23 अप्रैल, 2007 को एक मसौदा विनियम जारी किया है।

अपने उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मोबाइल सेवा प्रदाताओं ने ऐसे उपभोक्ताओं के लिए ''डू नॉट डिस्टर्ब'' सुविधा शुरू कर रखी है जो अपने मोबाइल सेवा प्रदाताओं से उत्पादों और सेवाओं संबंधी सूचना प्राप्त नहीं करना चाहते। ट्राई ने अग्रणी समाचार-पत्रों में भी विज्ञापन के जरिए मोबाइल उपभोक्ताओं को इस सुविधा का उपयोग करने की सलाह दी है।

ट्राई ने राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के माध्यम से एनडीएनसी को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखा है।

[अनुवाद]

सीजीएचएस लाभार्थियों हेतु सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना

4786. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीजीएचएस लाभार्थियों हेतु सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इनकी स्थापना किन-किन स्थानों पर की जाएगी तथा इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न 'क' भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को उनके घरों के नजदीक विशिष्टता और अति विशिष्टता सेवाएं प्रदान करने हेतु पहले ही काफी बड़ी संख्या में प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को पैनल में शामिल किया है। प्राइवेट अस्पतालों को पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया अब एक सतत प्रक्रिया है और जब और अधिक संख्या में अस्पताल सीजीएचएस के अधीन पैनल में शामिल किए जाने हेतु आवेदन करेंगे तो यह सूची समय के साथ-साथ बड़ी हो जाएगी।

चिकित्सा महाविद्यालय

4787. डा. के. धनराजू: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी और निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे चिकित्सा महाविद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र के इन चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) देश में कुल 262 मेडिकल कालेज हैं। इसमें से 135 सरकारी मेडिकल कालेज हैं और 127 प्राइवेट मेडिकल कालेज हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

केन्द्र सरकार उत्तीर्ण होकर निकले छात्रों से संबंधित आंकड़े नहीं रखती है। तथापि, 262 (भारत में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कालेज दोनों) की प्रवेश क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 29,872 छात्र है।

विवरण

30.9.06 की स्थिति के अनुसार देश में मेडिकल कालेजों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य का नाम	मेडिकल कालेजों की संख्या		कुल	सीटों की कुल संख्या
		सरकारी	प्राइवेट		
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	11	21	32	4175
2.	असम	3	–	3	391
3.	बिहार	6	2	8	510
4.	चंडीगढ़	1	–	1	50
5.	छत्तीसगढ़	3	–	3	250
6.	दिल्ली	5	–	5	560
7.	गोवा	1	–	1	100
8.	गुजरात	8	5	13	1755
9.	हरियाणा	1	2	3	350
10.	हिमाचल प्रदेश	2	–	2	115
11.	जम्मू-कश्मीर	3	1	4	350
12.	झारखण्ड	3	–	3	190
13.	कर्नाटक	7	29	36	4455

1	2	3	4	5	6
14.	केरल	6	12	18	2050
15.	मध्य प्रदेश	5	3	8	970
16.	महाराष्ट्र	19	20	39	4460
17.	मणिपुर	1	–	1	100
18.	उड़ीसा	3	1	4	464
19.	पांडिचेरी	1	6	7	775
20.	पंजाब	3	4	7	670
21.	राजस्थान	6	2	8	850
22.	सिक्किम	1	–	1	100
23.	तमिलनाडु	15	10	25	2865
24.	त्रिपुरा	1	1	2	200
25.	उत्तर प्रदेश	10	6	16	1712
26.	उत्तरांचल	1	2	3	300
27.	पश्चिम बंगाल	9	–	9	1105
	कुल	135	127	262	29872

सरकारी कालेज	–	135
प्राइवेट कालेज	–	127
कुल	–	262

भुज और कराची के बीच बस सेवा

4788. श्री पी.एस. गड़वी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के व्यक्तियों की ओर से खवाडा-मीठी के रास्ते भुज और कराची के बीच बस सेवा शुरू करने की कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात के व्यक्ति इस समय दिल्ली-पंजाब मार्ग से होकर कराची जाते हैं जोकि एक लंबा मार्ग है;

(घ) क्या इस मामले को पाकिस्तान सरकार के समक्ष उठाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) सरकार को गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच संपर्क सेवा बढ़ाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) पाकिस्तान में मीरपुरखास और कराची तक पहुंचने वाला मुनाबाओ-खोखरापार रेल मार्ग, गुजरात के यात्रियों के लिए उपलब्ध है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पासपोर्ट का नवीकरण करने संबंधी भारतीय दूतावासों का अधिकार

4789. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों के पास भारतीय नागरिकों के पासपोर्ट का नवीकरण करने का अधिकार है;

(ख) यदि हां, तो पासपोर्ट का नवीकरण करने में कितना समय लिया जाता है;

(ग) क्या भारतीय नागरिकों को अपने पासपोर्ट की मियाद समाप्त हो जाने के बाद पासपोर्ट का नवीकरण नहीं किए जाने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां।

(ख) पासपोर्ट के नवीकरण में सामान्यत: एक से तीन दिन का समय लगता है बशर्ते कि आवेदक के पास लैंडिंग अधिकार (उक्त देश में आवासी परमिट) हो और उसने अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी कर ली हों।

(ग) और (घ) जी नहीं। तथापि, विलंब के कुछ मामले हो सकते हैं जिसमें सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होता है, जिसमें समय लगता है।

[अनुवाद]

असम में सड़कों को दो लेन वाला बनाया जाना

4790. श्री मणि कुमार सुब्बा: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम की राज्य सरकार ने केन्द्रीय मंत्री की हाल की असम यात्रा के दौरान विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिला मुख्यालयों को दो लेन वाली सड़कों से जोड़ने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य में कितनी लागत आएगी;

(ग) असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में कितने जिला मुख्यालय अभी तक दो लेन वाली सड़कों से नहीं जोड़े गए हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस प्रकार दो लेन वाली सड़कों से जोड़ने की योजनाएं क्या हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी, हां। असम के मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में असम की उन सड़कों को जो 9 जिला मुख्यालयों को जोड़ती हैं, को 2 लेन का बनाए जाने संबंधी कार्य को पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण-क के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

(ग) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम के 13 जिला मुख्यालयों और अन्य राज्यों के 48 जिला मुख्यालयों को अभी 2 लेन की सड़कों से जोड़ा जाना है।

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना और अगली योजनाओं के दौरान कार्यान्वित किए जाने वाले केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत शेष सभी 61 जिला मुख्यालयों को कम से कम दो लेन वाली सड़क से जोड़ने की योजना बनाई गई है।

डिस्पोजेबल सिरिंजों का दुरूपयोग

4791. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कतिपय सरकारी अस्पतालों में डिस्पोजेबल सिरिंजों का अब भी पुन: उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इंजेक्शन से संबंधित संक्रमणों के जोखिम को कम करने के लिए ऑटो-डिस्पोजेबल सिरिंजों का उपयोग शुरू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में केवल डिस्पोजेबल सिरिंजें इस्तेमाल की जाती हैं। एक बार उपयोग करने के बाद इन सिरिंजों को जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन एवं संचालन नियमावली, 1998 के उपबंधों के अनुसार

नष्ट कर दिया जाता है तथा इन्हें दुबारा प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है।

उत्प्रवासी कल्याण कोष

4792. श्री के.सी. पल्लानी शामी:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उत्प्रवासी कल्याण कोष स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कोष का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा;

(घ) इस कोष को कब तक स्थापित किया जाएगा;

(ङ) क्या प्रवासी सुविधा केन्द्रों/प्रवासी भारतीय केन्द्र स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है तथा इसके कार्यों की रूपरेखा क्या है; और

(छ) ऐसे केन्द्रों को कब तक स्थापित किया जाएगा?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (घ) प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) से (छ) सरकार ने विविध भारतीय डायस्पोरा की दुख-तकलीफ की सुनवाई और साथ ही उसके बाद उनके विकास और उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए एक उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'प्रवासी भारतीय केन्द्र' स्थापित करने का निर्णय लिया है। केन्द्र के तीन वर्ष की अवधि में तैयार हो जाने की संभावना है।

सरकार ने भारतीय उद्योग परिसंघ की साझेदारी में एक अलाभकारी ट्रस्ट के रूप में एक केन्द्र की स्थापना और भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अंतर्गत इसे 'प्रवासी भारतीय सरलीकरण केन्द्र' शीर्षक के अंतर्गत पंजीकृत करने को अनुमोदित कर दिया है। प्रवासी भारतीय सरलीकरण केन्द्र भारतीय डायस्पोरा के लिए 'एक स्थान पर सभी सुविधाएं' के रूप में कार्य करेगा। सरलीकरण केन्द्र के वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान स्थापित कर लिये जाने की संभावना है।

आयुष के औषधालयों में औषधियों की आपूर्ति

4793. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक ने राज्य में आयुष के औषधालयों को आवश्यक औषधियों की आपूर्ति हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से 207.25 लाख रु. का सहायता अनुदान प्राप्त करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की है;

(ङ) यदि हां, तो विलंब के मुख्य कारण क्या हैं; और

(च) यह धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सितंबर, 2006 में कर्नाटक राज्य सरकार से 632 आयुष औषधालयों और 197 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) को आवश्यक औषधियों की आपूर्ति हेतु 207.25 लाख रु. की वित्तीय सहायता का अनुदान संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(घ) से (च) आयुष विभाग द्वारा 29 दिसंबर, 2006 को 632 आयुष औषधालयों को स्कीम के स्वीकार्य मानदंडों के अनुसार प्रत्येक औषधालय के लिए 25,000 रु. की दर से कर्नाटक सरकार को 158.00 लाख रु. की वित्तीय सहायता दी गई थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आवश्यक औषधियों की आपूर्ति हेतु कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दी गई थी क्योंकि ये स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

[हिन्दी]

अंतरिक्ष दूरबीनों का कार्यकरण

4794. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतरिक्ष के बारे में गहन सूचना देश में संस्थापित अंतरिक्ष दूरबीनों से एकत्रित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दूरबीनों द्वारा एकत्रित आंकड़ों के उपयोग के माध्यम से प्राप्त विशिष्ट उपलब्धियों का केन्द्र-वार ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय दूरबीन परियोजनाओं का भागीदार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां। देश में सूर्य और तारकीय पिंडों के अध्ययन हेतु विविध संस्थाओं और प्रयोगशालाओं द्वारा अनेक भू-आधारित प्रकाशिकी, निकट अवरक्त और रेडियो दूरबीनों को संस्थापित किया गया है। अंतरिक्ष वाहित पर्यवेक्षण के भाग के रूप में ओ्रस-सी2 पर गामा किरण स्फोट (जी आर बी), आई आर एस-पी-3 पर भारतीय एक्स-किरण खगोलिकी परीक्षण-आई एक्स ऐ ई और जी-सैट-2 पर सौर एक्स-किरण स्पेक्ट्रममापी-एस ओ एक्स एस नामक तीन परीक्षणों को क्रमशः आई एस ए सी, टी आई एफ आर और पी आर एल के वैज्ञानिकों द्वारा प्रारंभ किया गया है।

(ख) भू-आधारित प्रकाशिकी निकट-अवरक्त दूरबीनें भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आई आई ए) के अंतर्गत वेणु बापू वेधशाला, कावालूर और भारतीय खगोलिकी वेधशाला, हेनले-लद्दाख, आई यू सी ए ए (खगोलिकी एवं खगोल भौतिकी अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र) के अंतर्गत गिरावली प्रकाशिकी वेधशाला, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी आर एल) के अंतर्गत माउंट आबू अवरक्त वेधशाला, नैनीताल में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (ए आर आई ई एस) के अंतर्गत संपूर्णानंद दूरबीनें अवस्थित हैं। पी आर एल के अंतर्गत उदयपुर, आई आई ए के अंतर्गत कोडइकनाल और ए आर आई ई एस के अंतर्गत नैनीताल में भी कुछ सौर वेधशालाएं प्रचालन में हैं। इसी प्रकार, नारायनगांव (पुणे) के समीप बृहत् मीटरवेव रेडियो दूरबीन (जी एम आर टी) तथा राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी (एन सी आर ए,), टी आई एफ आर के अंतर्गत ऊटी रेडियो दूरबीन जैसे बृहत् पैमाना रेडियो दूरबीन प्रचालित हैं।

(ग) अलग-अलग केन्द्रों की विशिष्ट उपलब्धियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

ए आर आई ई एस वेधशाला से नेपचुन के चारों ओर वलय, नए उत्तरी गोलार्ध में तेजी से दोलन करने वाले एपी (रोप) तारक, 3 डेल्टा-लघु पुच्छ तारकों और उच्च द्रव्यवमान एक्स-किरण द्विआधारी स्पंद तारा में अर्ध-आवधिक दोलनों का पता चला है।

एन सी आर ए ऊटी रेडियो दूरबीन और जी एम आर टी का उपयोग करते हुए गोलाकार तारागुच्छ में एक द्विआधारी मिलीसेकेंड तारक, अति लघु मंदाकिनी में दासीन परमाण्विक हाइड्रोजन के सर्वाधिक विस्तृत गैसीय डिस्क, पुनरावर्ती आण्विक सक्रियता के प्रमाण के साथ सक्रिय मंदाकिनियों सहित विविध तारकों का पता चला है।

आई आई ए दूरबीन सुविधाओं का उपयोग करते हुए नीले सुसंहत मंदाकिनियों के तारक निर्माण क्षेत्रों में कुछ धातु-दुर्बल तारकों और अनेक नए टी-वृषभीय तारकों की पहचान की गई है।

उदयपुर सौर वेधशाला का उपोग करते हुए सी एम ई तथा इससे संबंधित परिघटना की शुरूआत करने में सक्रिय क्षेत्रों की चुबकीय ऊर्जा की भूमिका की जांच की गई है।

एस ओ एक्स एस ने सौर किरीटीय क्षेत्र में तापमान के आकलन के लिए Fi-Ni सम्मिश्र रेखाओं का पता लगाया गया है।

आई एक्स ए ई ने कृष्ण द्रव्य स्रोत जी आर एस 1915 + 105 से अनोखे उत्थान और पतन काल सहित अर्ध-आवधिक एक्स-किरण स्फोटों का पता लगाया जोकि एक्स-किरण स्रोत की कृष्ण द्रव्य प्रकृति का समर्थन करते हैं।

(घ) उपर्युक्त में से कुछ क्रियाकलापों में उनके अंतर्राष्ट्रीय सहभागियों के साथ व्यक्तिगत रूप से वैज्ञानिकों और केन्द्रों/संस्थानों के बीच अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी विद्यमान है।

(ङ) आई यू सी ए ए दक्षिण अफ्रीकी बृहत् दूरबीन (एस ए एल टी) परियोजना में शामिल नौ देशों के अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला परिसंघ का एक सदस्य है।

पी आर एल ने अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल दोलन नेटवर्क समूह (जी ओ एन जी) परियोजना में भाग लिया।

एन सी आर ए बहुदेशीय ''अंतर्राष्ट्रीय वर्ग किलोमीटर व्यूह'' (एस के ए) रेडियो दूरबीन परियोजना में भाग ले रहा है। इसका लक्ष्य है विश्व के किसी वर्तमान रेडियो दूरबीन की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक शक्तिशाली नई पीढ़ी के रेडियो दूरबीन का निर्माण करना।

इसके अलावा, भारतीय वैज्ञानिकों ने हब्बाल अंतरिक्ष दूरबीन, चन्द्रा एक्स-किरण दूरबीन, न्यूटन एक्स एम एम दूरबीन जैसे नासा/ई एस ए के अंतरिक्ष दूरबीनों का व्यवहार करते हुए इनसे प्राप्त आंकड़ों का भी उपयोग किया है और संयुक्त अन्वेषण किए हैं।

सी-डैक के अंतर्गत परियोजनाएं

4795. श्री महावीर भगोरा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्प्यूटिंग (सी-डैक) के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार केन्द्र द्वारा प्रायोजित कितनी परियोजनाएं पूरी की गई हैं;

(ग) लंबित परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है;

(घ) क्या इन परियोजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों और नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए अलग से कोई विशेष प्रावधान किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित अनुसूचित जातियों और जनजातियों के व्यक्तियों और नेत्रहीन व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) इस समय सी-डैक के पास 133 परियोजनाएं हैं।

सी-डैक द्वारा पूरी की गई अथवा लंबित कोई परियोजना केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अंतर्गत नहीं है।

(घ) से (च) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन

4796. श्री एस.के. खारवेलधन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में इस समय कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने तथा इन केन्द्रों का अपेक्षित मानकों के अनुरूप उन्नयन करने की मांग है;

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) तमिलनाडु राज्य में मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार 165 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे थे।

(ख) से (घ) 2001 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु राज्य में 293 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता है। इस प्रकार मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार वहां पर 128 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन 2001 की जनसंख्या के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन के लिए राज्य को 2005-06 के दौरान 12.00 करोड़ रुपए और 2006-07 के दौरान 21.00 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

कोयला खानों को बंद किया जाना

4797. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई कोयला खानें पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के कारण बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कोयला खानों के नाम क्या हैं;

(ग) ऐसी खानों के बंद होने से अथवा बंद होने के कगार पर खड़ी खानों के कारण कुल कितने कामगार बेरोजगार हो गए हैं और कुल कितनी सम्पत्ति अप्रयुक्त पड़ी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने संबद्ध प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य पर्यावरणीय अनुमति प्रदान करने में विलंब अथवा कोयला कंपनियों द्वारा कतिपय शर्तों को पूरा न किए जाने के संबंध में कोई जांच कराई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जी, नहीं।

(च) से (छ) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

शूटिंग रेजों की सुविधाएं

4798. श्री नवीन जिन्दल: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कितनी शूटिंग रेंज हैं और ये किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में और शूटिंग रेंजों को स्थापित करने और शूटिंग रेंजों से संबंधित मौजूदा सुविधाओं में सुधार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) देश में लगभग 32 शूटिंग रेंज हैं। तथापि, केवल 8 रेंज अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पूर्ण विकसित हैं। देश में उपलब्ध शूटिंग रेंजों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) जी हां। वर्तमान में, राष्ट्रीय खेलों के लिए रांची में और दूसरा राष्ट्रमंडल युवा खेल, 2008 के लिए पुणे में शूटिंग रेंज का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा, दिल्ली में शूटिंग रेंज को राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए भी उन्नतशील बनाया जा रहा है।

विवरण

अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुविधाओं के साथ रेंज

1. दिल्ली—डा. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज (भाखेप्रा)
2. हैदराबाद—आंध्र प्रदेश खेल प्राधिकरण
3. महो—आर्मी रेंज
4. बंगलौर—भाखेप्रा
5. चेन्नई—राज्य सरकार
6. गोवाहाटी—राज्य सरकार
7. मोहाली—राज्य सरकार
8. इन्दौर—बीएसएफ रेंज

अन्य रेंज

1. अहमदाबाद
2. आसनसोल, पश्चिम बंगाल
3. बादल, पंजाब
4. फिल्लौर, पंजाब,
5. इम्फाल
6. कानपुर
7. मुम्बई
8. जयपुर
9. आगरा
10. गाजियाबाद
11. कोयम्बटूर
12. इड्डुकी, केरल
13. पालघाट, केरल
14. मेरठ
15. नोएडा
16. देहरादून
17. सिरी फोर्ट, दिल्ली
18. आई.जी. स्टेडियम, भाखेप्रा
19. जालंधर
20. पटियाला
21. रायगढ़
22. शिमला
23. चण्डीगढ़
24. तलचर, उड़ीसा।

बायोमीट्रिक पासपोर्ट

4799. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने साधारण पासपोर्ट को भी बायोमीट्रिक पासपोर्टों में बदलने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं;

(ग) पासपोर्टों को बदलने में कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(घ) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में और पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने एक प्रायोगिक परियोजना के तौर पर वर्ष 2007 के अंत तक आरंभ में राजनयिकों और अधिकारियों के लिए ई-पासपोर्ट आरंभ करने का निर्णय लिया है जिसे बायोमीट्रिक पासपोर्ट भी कहा जाता है। इस प्रयोगिक परियोजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर वर्ष 2008 के अंत तक सामान्य श्रेणी के लिए ई-पासपोर्ट जारी करने का प्रस्ताव है। ई-पासपोर्टों की तकनीकी विशिष्टताओं को अंतिम रूप देने के लिए एक तकनीकी समिति गठित की गयी है।

(ग) सामान्य पासपोर्टों को बायोमीट्रिक में बदलने में आने वाली लागत का परिकलन, तकनीकी विशिष्टताओं के आधार पर किया जाएगा जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) सरकार पासपोर्ट कार्यालयों में और पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर अनेक उपाय कर रही है। इसमें सभी पासपोर्ट कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण, ऑन-लाइन पंजीकरण की शुरूआत, टेली-पूछताछ, पासपोर्ट अदालतें, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाना इत्यादि शामिल हैं। नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट (एन आई एस जी), हैदराबाद ने पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली पर एक व्यापक अध्ययन तैयार किया है। इस रिपोर्ट के क्रियान्वयन से अन्य बातों के साथ-साथ पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यकरण में और पारदर्शिता आएगी।

एड्स के रोगियों की संख्या में वृद्धि

4800. श्री प्रहलाद जोशी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिपोर्ट दी है कि वर्ष 2010 तक भारत में एड्स के सबसे अधिक रोगी हो जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस कार्य में और अधिक गैर-सरकारी संगठनों की सेवाओं को सम्मिलित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन से उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है' जिनसे यह पता चलता हो कि 2010 तक देश में अधिकतम एड्स रोगी हो जाएंगे।

(ग) भारत सरकार उच्च जोखिम वाले समूहों के बीच लक्षित कार्यकलापों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के बीच बेहतर जागरूकता के लिए व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण को बढ़ाकर, लग जाने वाले संक्रमणों के उपचार सहित एच आई वी से संक्रमित व्यक्तियों की निवारक परिचर्या, रक्त निरापदता, सहायता और उपचार में वृद्धि करके और मुफ्त रिट्रोवायरल रोधी औषधें प्रदान करके तथा एच आई वी कार्यकलाप कार्यनीतियों को मुख्य धारा में शामिल करके एच आई वी/एड्स को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।

(घ) और (ङ) उच्च जोखिम वाले समूहों के लिए लक्षित कार्यकलापों और सामुदायिक परिचर्या केन्द्र की स्थापना सहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन विभिन्न कार्यकलापों को कार्यान्वित करके कार्य में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

नई स्पेक्ट्रम पॉलिसी

4801. श्री मिलिन्द देवरा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई स्पेक्ट्रम पॉलिसी को शीघ्र ही लागू किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर पुणे जिले में वायरलेस इंटरनेट नेटवर्क संबंधी परियोजना शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(छ) इससे क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) ट्राई की सिफारिशों सहित सभी न्यायसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक ''स्पैक्ट्रम नीति'' बनाने पर विचार किया जा रहा है।

(घ) से (छ) जी हां। बीएसएनएल ने पुणे जिले सहित देश भर में बेतार इंटरनेट अभिगम संबंधी परियोजना शुरू की है। बेतार इंटरनेट अभिगम प्रणाली वाई-फाई (अल्प दूरी के लिए) और वाई-मैक्स (लंबी दूरी के लिए) जैसी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से लगायी जा रही है। पुणे में होटल, मॉलों और शैक्षणिक संस्थाओं जैसे स्थानों पर 18 वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए गए हैं। वाई-मैक्स को चालू वर्ष के दौरान पुणे सहित 10 शहरों को कवर करते हुए एक प्रायोगिक परियोजना के माध्यम से लगाया जा रहा है।

प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टें

4802. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:**
श्री ए. साई प्रताप:
श्री रघुबीर सिंह कौशल:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री मित्रसेन यादव:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रशासनिक सुधार आयोग (ए आर सी) द्वारा सरकार को कितनी रिपोर्टें प्रस्तुत की गई और प्रत्येक रिपोर्ट किस तारीख को प्रस्तुत की गई;

(ख) प्रत्येक रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या एआरसी के अनुसार ऐसे अधिकारी और कार्यालय हैं जिन्हें भ्रष्ट कहा जा सकता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अधिकारियों/कार्यालयों की सूची क्या है;

(च) एआरसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (ए.आर.सी.) ने अभी तक निम्नलिखित चार रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं:

(1) *सूचना का अधिकार :* सुशासन की मास्टर कुंजी (9 जून, 2006 को प्रस्तुत की गई)। इस रिपोर्ट में मुख्य सिफारिशों (1) सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 के वर्तमान स्वरूप को निरस्त करने और राष्ट्रीय गोपनीयता अधिनियम में आवश्यक प्रावधानों को शामिल करना, तथा (2) सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये उपाय करना।

(2) *मानव पूंजी को खोलना :* पात्रताएं और गावर्नेंस-एक मामला अध्ययन (31 जुलाई, 2006 को प्रस्तुत की गई)। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित है।

(3) *आपदा प्रबंधन :* निराशा से आशा तक (31 अक्टूबर, 2006 को प्रस्तुत की गई)। इस रिपोर्ट में प्रणालीगत तैयारी, प्रारंभिक चेतावनी, लोगों और संरचनाओं को प्राकृतिक एवं अपरिहार्य आपदाओं से बचाने के लिये शीघ्र प्रतिक्रिया तथा समुत्थान की प्रभावकारिता में वृद्धि' के माध्यम से प्रभावी ढंग से निपटने के बारे में सिफारिशें की गई हैं।

(4) *गवर्नेंस में नीतिशास्त्र* (12 फरवरी, 2007 को प्रस्तुत की गई)। इस रिपोर्ट में आयोग ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को शामिल करके विभिन्न कानूनी, संस्थागत और प्रक्रियात्मक उपायों से संबंधित सिफारिशें की हैं।

(ग) सभी चारों रिपोर्टें को कार्य आवंटन नियमों के अनुसार उन्हें आवंटित विषयों के अनुसार संबंधित मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) यह निर्णय किया गया है कि सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की मासिक अंतराल पर मंत्रिमंडल सचिव के स्तर पर समीक्षा की जाएगी। सरकार ने कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने तथा इन निर्णयों के कार्यान्वयन में संबंधित मंत्रालयों/विभागों को दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए श्री प्रणब मुखर्जी, विदेश मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह भी गठित किया है।

[हिन्दी]

मोबाइल हैंडसेटों का विनिर्माण

4803. श्री गणेश सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में मोबाइल हैंडसेटों की बढ़ती मांग के मद्देनजर स्थानीय स्तर पर और रियायतें प्रदान करके मोबाइल हैंडसेटों के विनिर्माण को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त योजना का लाभ ग्राम स्तर पर प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सरकार स्वेदशी दूरसंचार उपस्कार विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। इसके परिणामस्वरूप नोकिया, एल जी, सैमसंग, सोनी एरिक्सन तथा मोटोरौला जैसी ख्यातिप्राप्ति कंपनियों द्वारा विनिर्माण यूनिटों की स्थापना की गई है।

(ग) और (घ) विनिर्माता ग्रामीण उपभोक्ताओं को वहनीय मूल्य पर हैण्डसेट उपलब्ध कराने के आशय से इनका सतत रूप से विकास कर रहे हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर नवीकरण कार्यों हेतु निधियां

4804. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के प्रत्येक राज्य विशेषकर झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों पर मूलभूत कार्यों 2006-07 हेतु स्वीकृति अनुपात और राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवधिक नवीकरण कार्यों 2006-07 हेतु स्वीकृति अनुपात में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन हेतु वर्ष 2006-07 की प्रारूप वार्षिक योजना प्राप्त की गई है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2006-07 के लिए देश के प्रत्येक राज्य को परियोजना हेतु स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) उपलब्ध धनराशि के उपयोग के लिए स्वीकृति अनुपात (स्वीकृति अनुपात की मात्रा) इस विभाग की आंतरिक व्यवस्था है। वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान राजमार्ग (मूल) कार्यों के लिए स्वीकृति अनुपात की मात्रा कुछ समय के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बढ़ा दी गई थी। आवधिक नवीकरण कार्यों के लिए स्वीकृति अनुपात की मात्रा वित्त वर्ष 2006-07 में नहीं बढ़ाई गई थी। ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) वर्ष 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए परियोजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए आबंटित धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2006-07 में स्वीकृति अनुपात की मात्रा, परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि और राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत आबंटित धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	स्वीकृति अनुपात की मात्रा मूल	स्वीकृति अनुपात की मात्रा बढ़ी हुई	स्वीकृति परियोजनाओं की धनराशि (करोड़ रु.)	रारा (मूल) आबंटन (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2.50	4.0	127.71	58.41
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.50	5.0	0.00	8.30

1	2	3	4	5	6
3.	असम	3.50	4.0	151.99	77.25
4.	बिहार	4.50	5.5	112.29	97.20
5.	चंडीगढ़	2.50	3.5	0.00	1.00
6.	छत्तीसगढ़	3.00	4.0	91.40	37.00
7.	दिल्ली	2.50	3.0	13.29	3.00
8.	गोवा	4.00	4.0	15.04	2.95
9.	गुजरात	2.50	4.0	96.52	60.00
10.	हरियाणा	2.50	4.0	130.24	64.00
11.	हिमाचल प्रदेश	3.50	5.0	126.53	39.50
12.	झारखंड	3.50	5.0	91.44	34.86
13.	कर्नाटक	3.50	4.0	145.67	85.00
14.	केरल	2.50	4.0	60.28	55.00
15.	मध्य प्रदेश	3.00	3.5	128.99	84.09
16.	महाराष्ट्र	3.50	4.5	206.02	148.75
17.	मणिपुर	3.50	5.0	18.17	14.65
18.	मेघालय	3.50	5.0	43.20	24.50
19.	मिजोरम	3.50	4.0	9.61	15.53
20.	नागालैण्ड	3.50	3.5	0.00	11.82
21.	उड़ीसा	3.50	4.5	234.08	72.00
22.	पांडिचेरी	2.50	3.5	4.61	5.00
23.	पंजाब	2.50	4.0	80.06	72.00
24.	राजस्थान	2.50	4.0	124.67	75.00
25.	तमिलनाडु	2.50	3.5	94.08	82.00
26.	उत्तर प्रदेश	2.50	3.0	66.60	91.40
27.	झारखंड	3.50	3.5	46.92	52.75
28.	पश्चिम बंगाल	2.50	3.5	104.12	47.00

इंटरकनेक्ट यूसेज चार्जिज पर कर

4805. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इंटरकनेक्ट यूसेज चार्जिज पर कर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके बाद मोबाइल चार्जिज में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। वित्त विधेयक, 2007 में वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 के खंड (104) के तहत ''दूरसंचार सेवा'' की एक नई परिभाषा सम्मिलित की गई तथा इसे कर योग्य सेवा बनाने के लिए ''दूरसंचार सेवा'' की परिभाषा में इंटरकनेक्ट उपयोग प्रभारों को विशेष रूप से सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा, ''दूरसंचार सेवा'' के संबंध में तार प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई अथवा कराई जाने वाली किसी भी सेवा को करयोग्य बनाया गया है। यह संशोधन सरकार द्वारा वित्त विधेयक, 2007 के अधिनियम के बाद अधिसूचित की जाने वाली तिथि से प्रभावी होगा। इसलिए, इस संशोधन के प्रभावी हो जाने पर, इंटरकनेक्ट उपयोग प्रभारों पर सेवा कर लागू हो जाएगा।

(ग) आईयूसी पर प्रस्तावित सेवा कर लगाए जाने के परिणामस्वरूप अंतर-प्रचालक कॉलों की व्यवस्था की समग्र लागत में बढ़ोत्तरी हो जाएगी।

नारियल तेल के उपयोग के प्रभाव संबंधी अध्ययन

4806. श्री पी.सी. थामस: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मानव शरीर पर नारियल तेल के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय अध्ययन की ऐसी रिपोर्टें हैं कि नारियल तेल मानव शरीर में कोलेस्ट्रोल घटाने में सहायक होता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार नारियल विकास बोर्ड (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा किए गए अध्ययन सहित कुछ अध्ययनों के परिणामों से पता चलता है कि नारियल तेल का मनाव शरीर पर कोई लाभकारी अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

4807. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में नई दिल्ली में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो शिक्षा पर अतिरिक्त खर्च की भागीदारी के संबंध में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्मेलन में अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय निगरानी समिति की सिफारिशों को लागू करने पर भी चर्चा की गई और सुझाव दिए गए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश की शैक्षिक आवश्यकताओं के विभिन्न पहलुओं को लागू करने के लिए क्या रणनीति तैयार की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सर्व सम्मत मुद्दों का रिकार्ड

1. सामान्य

(1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य शिक्षा विभाग केन्द्र और राज्य स्तर पर अन्य संबंधित प्राधिकरणों और

विभागों के साथ गहन रूप से कार्य करेंगे, ताकि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को ग्यारहवीं योजना के अंत तक जीडीपी के 6 प्रतिशत के स्तर तक बढ़ाया जा सके। राष्ट्रीय विकास परिषद को भी इस संबंध में यह लक्ष्य उपलब्ध करने के तरीके पर सर्वसम्मति बनाने का अनुरोध किया गया है।

(2) केन्द्रीय शिक्षा संस्थान अधिनियम (दाखिले में आरक्षण) जो जनवरी 2007 में अधिनियमित और अधिसूचित किया गया था; माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश द्वारा आस्थगित रखा गया है, सम्मेलन में यह उल्लेख किया गया कि केन्द्र सरकार शीघ्रता से इस मुद्दे के समाधान के लिए सभी कानूनी विकल्पों की जांच कर रही है।

(3) राज्य 93वें संवैधानिक संशोधन को लागू करने के लिए, जो शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण उपलब्ध कराया है, के अधिनियम को शीघ्रता से लागू करने के लिए सहमत हुए थे। राज्य सरकारों ने, केन्द्र सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था कि केन्द्रीय शिक्षा संस्थानो में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण इस वर्ष ही आने वाले शैक्षणिक सत्र से कार्यान्वित किया जाएगा।

(4) राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्रियों का यह मत था कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) की सिफारिशों उच्चतर और तकनीकी शिक्षा में पहुंच और समानता को बढ़ाने के मद्देनजर आवास्तविक अथवा अवांछनीय थी। यह प्रस्ताव किया गया कि एनकेसी की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार द्वारा कोई राय बना लिए जाने के पश्चात् ही राज्यों द्वारा इन पर विचार किया जाए।

(5) केन्द्रीय विनियामक निकायों जैसी यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को राज्य सरकारों के विचारों और चिंताओं को उपयुक्त महत्व देना चाहिए। इन निकायों से संबंधित नीतियों और जहां आवश्यक है संवैधानिक प्रावधानों की इस प्रयोजन के लिए समीक्षा भी की जानी चाहिए।

(6) जिन राज्यों में शिक्षकों/नियमित शिक्षकों की भर्ती पर रोक है, वहां के शिक्षा मंत्री नियमित आधार पर खाली पदों को शीघ्रता से भरने के लिए इस रोक को हटाने हेतु मनोयोग से प्रयत्न करने के लिए सहमत हुए थे।

(7) सभी मौजूदा शिक्षा संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के भवनों को अवरोध मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक ग्यारहवीं योजना के अंत तक अपंग छात्रों को पूर्ण पहुंच आसानी से हो सके। इसके अतिरिक्त सभी नये भवनों का इस प्रकार निर्माण कराया जाएगा कि वे अवरोध मुक्त भिन्न रूप से योग्य के अनुकूल पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जामय हों।

(8) राज्यों ने यह नोट किया कि शिक्षा प्रमाण-पत्रों के प्रमाणीकरण का कार्य 30.6.2007 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्तर पर पूरा हो जाएगा। वे राज्य जिन्होंने यह कार्य शुरू करने के लिए अभी तक आवश्यक मैकेनिज्म स्थापित नहीं किए हैं। अधिकाधिक उस तारीख तक उसे तैयार करने के लिए सहमत हो गए थे।

2. प्राथमिक शिक्षा

(1) सम्मेलन में इस विचार का समर्थन किया गया कि एसएसए में केन्द्र-राज्य वित्तपोषण पैटर्न पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90 : 10 के अनुपात में और अन्य राज्यों के लिए 75 : 25 के अनुपात में जारी रखे जाने की भारत सरकार द्वारा उपयुक्त रूप से जांच की जाए।

(2) बैठक में एसएसएए कार्यक्रम के कार्यान्वयन को उत्साह एवं प्रतिबद्धता, समानता मुद्दों पर पूर्ण ध्यान सहित विद्यार्थियों के शिक्षा-प्राप्ति परिणामों के सुधार पूर्व के प्राथमिक ग्रेडों में भाषा और गणित आधार स्तरों में सुधार के लिए संकेन्द्रित कार्यक्रम कार्यान्वित करने और प्रारम्भिक स्तरों पर छात्रों और अध्यापकों की उपस्थिति दर का पता लगाने सहित कार्यान्वित करने को जारी रखने के लिए सहमति बनी थी।

(3) राज्य मंत्री पिछले $2^{1}/_{2}$ वर्षों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के संबंध में की गई पहलों के समेकन की आवश्यकता और गर्म पके हुए भोजन को परोसने के लिए बेहतर प्रबंधन और खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए डिलीवरी प्रणाली को सुकर बनाने के लिए भी सहमत हुए थे। राज्यों द्वारा ऐसे मैकेनिज्म शुरू किए जाने की अपेक्षा है, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल इस कार्यक्रम को चलाने के लिए दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के संबंध में समयोचित वित्तीय सहायता से वंचित न रहें।

(4) राज्य मंत्रियों ने यह आशंका व्यक्त की कि शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में उच्च प्राथमिक स्तर पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के विस्तार में ऐसे ब्लाकों की पहचान के वर्तमान पैरामीटर देश में अति निर्धन और पिछड़े ब्लाकों को छोड़ सकते हैं। भारत सरकार इस प्रकार से पैरामीटर पुन: तैयार करेगी कि ग्यारहवीं योजना के अंत तक समूचे उच्च प्राथमिक स्तर को कवर कर लिया जाए।

3. प्रौढ़ शिक्षा

(1) ग्यारहवीं योजना के अंत तक 85 प्रतिशत साक्षरता की उपलब्धि और वर्ष 1990 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा प्राप्त महत्व को पुन: प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में कार्य करने के लिए सहमति हुई थी। राज्य सरकारों से उनके साक्षरता कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का अनुरोध किया गया था ताकि जिले यथा शीघ्र अनुवर्ती शिक्षा चरण में जा सके। उनसे अनुवर्ती शिक्षा और अन्य प्रमुख कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के बीच अभिसरण लाने का भी अनुरोध किया गया था।

(2) कुछेक राज्यों ने स्वयं सेवियों के लिए उपयुक्त पारिश्रमिक के मुद्दे को भी उठाया। केन्द्र सरकार इस मुद्दे की जांच कर रही है।

4. माध्यमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण के लगभग पूर्ण होने के साथ ही माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण स्कीम की एक मिशन के रूप में कार्यान्वित करने की अनिवार्यता की सभी के द्वारा सराहना की गई। तथापि, यह मसूस किया गया कि स्कीम की रूपरेखा को अंतिम रूप तभी दिया जाएगा जब ग्याहवीं योजना का कार्य पूरा हो जाए। इसे लम्बित देखते हुए, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से एक कार्य बल तैयार करने को कहा गया जिससे कि माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रक विशेषकर पहुंच और अवसंरचना के मामले में अंतरालों की पहचान की जा सके।

5. उच्चतर शिक्षा

(1) संगोष्ठी में ग्यारहवीं योजना के अंत तक लिंग और सामाजिक वर्गों के अंतराल को कम करते हुए उच्चतर शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को वर्तमान में 10 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 15 प्रतिशत तक करने के लक्ष्य का अनुमोदन किया गया। जीईआर के मामले में जो राज्य वर्तमान में राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे हैं, वे तृतीयक शिक्षा में क्षेत्रीय असंतुलन को सुधार करने में केन्द्रीय सरकार की उपयुक्त सहायता से राष्ट्रीय औसत प्राप्त करने से विशेष प्रयास करने को सहमत हो गये हैं।

(2) प्रत्येक राज्य में, जहां वर्तमान में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, कम से कम एक राज्य विश्वविद्यालय को यूजीसी के माध्यम से केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्तर का निधिकरण किया जाए।

(3) राज्य सरकार महिलाओं के लिए हॉस्टल सहित यूजीसी सहायता के विभिन्न स्कीमों का लाभ लेने के लिए तत्काल उपाय किए जाएंगे जिससे कि यूजीसी के पास राज्य विश्वविद्यालय के लिए उपलब्ध बढ़ी हुई आबंटिन राशि का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे।

* राज्य विश्वविद्यालयों, जिन्होंने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12बी के अंतर्गत मान्यता हेतु अभी तक आवेदन नहीं किया है उन्हें आवेदन करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना जिससे कि उन्हें यूजीसी द्वारा निधिकरण हेतु पात्र बनाया जा सके। यूजीसी एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म तैयार करेगी जिससे कि ऐसे विश्वविद्यालयों से प्राप्त आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

* चूंकि विश्वविद्यालयों द्वारा अस्थायी रूप से संबद्ध कालेज यूजीसी सहायता के लिए अपात्र हैं, अत: सभी राज्य सरकारें अधिकतम कॉलेजों को स्थायी रूप से संबद्ध करने हेतु विशेष प्रयास करेंगे—विशेष रूप से उन कॉलेजों को जो ग्रामीण, अनुसूचित एवं अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्थित हैं जिससे कि वे यूजीसी से उपलब्ध विकास सहायता का लाभ ले सकें।

(4) ग्यारहवीं योजना में रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी को अपने स्कीम का नवीकरण करना चाहिए जिससे कि इसके दायरे और कवरेज को बढ़ाया जा सके तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

(5) राज्य सरकारें अपने सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को एनएएसी तथा तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों के संबंध में एनबीए द्वारा मान्यता लेने को भी प्रोत्साहित करेंगी।

इस संबंध में यह सहमति बनी थी कि राष्ट्रीय मान्यता (एक्रेडेशन) बोर्ड से मान्यता हेतु आवेदन करने वाले तकनीकी शिक्षा संस्थाओं से निर्धारित एक्रेडेशन शुल्क छोड़कर किसी और लागत का वहन करने की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए तथा एनबीए टीम के निरीक्षण दौरों से संबंधित सभी व्ययों का एनबीए/एआईसीटीई द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

(6) सभी उच्चतर और तकनीकी शिक्षा संस्थानों का नेटवर्क बनाने के प्रयास किए जाएंगे जिससे कि सहयोगी अनुसंधान एवं आपसी अनुभवों से तृतीयक शिक्षा को सुदृढ़ किया जा सके।

(7) राज्य सरकारें यूजीसी अनुमोदित पाठ्यक्रमों को अपनाने/अनुकूल बनाने तथा दो वर्षों के अंदर सेमेस्टर और क्रेडिट प्रणाली अपनाने में अपने विश्वविद्यालयों को सलाह भी देगी।

(8) राज्य अपने विश्वविद्यालयों/कॉलेजों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों को क्रमशः आईएनएफएलआईबीएनईटी पुस्तकालय नेटवर्क सूचना और आईएनडीईएसटी (इंडियन नेशनल डिजीटल लाईब्रेरी फार इंजीनियरिंग साइंसेज एण्ड टेक्नालाजी) सहकारिता का सदस्य बनने में प्रोत्साहित करने पर सहमत है जिससे कि उन्हें ई-जर्नल्स तथा इन सहकारिता की केन्द्रीय अंशदान प्रक्रिया के माध्यम से अन्य आन-लाईन शैक्षिक संस्थानों तक पहुंच जो सके।

(9) यह सहमति हुई थी कि पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संस्थानों को अथवा अल्पसंख्यक, महिला अथवा अन्य लाभ से वंचित वर्गों के लिए वरीयता आधार पर यूजीसी को विकास में सहायता देने चाहिए। यह भी सहमति बनी थी की यूजीसी विभिन्न संस्थानों की विषमता अभिसूची में उच्च स्कोर करने वाले संस्थानों को भर्ती और नामांकन को देखते हुए, उनकी विकासात्मक और अन्य अनुदानों में वृद्धि करके पुरस्कृत करेगा।

6. तकनीकी शिक्षा

(1) जिन राज्यों की तकनीकी क्षमता में प्रति लाख आबादी इंटेक क्षमता राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, वे ग्यारहवीं योजना में आवश्यक नीति और कार्यक्रम शुरू करने पर सहमत हो गए हैं जिससे कि राष्ट्रीय औसत के स्तर पर पहुंचा जा सके।

(2) ग्यारहवीं योजना की समाप्ति तक राज्य उन जिलों में एक पालीटेक्निक स्थापित करने पर सहमत हैं जहां आवश्यक होते हुए भी वर्तमान में कोई पालीटेक्निक नहीं हैं। राज्य ऐसे विशेष रूप से पहचान किए गए जिलों में महिला पालीटेक्निक की स्थापना पर विचार करने पर भी सहमत हैं जहां वर्तमान में कोई अलग से महिला पालीटेक्निक नहीं है। मंत्रालय इस प्रयोजन हेतु अनावर्ती प्रकृति की वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार करेगा।

(3) राज्य सरकारें अपने विश्वविद्यालयों की तकनीकी शिक्षा में एआईसीटीई के परामर्श से अपने पाठ्यक्रमों को अद्यतन/संशोधित करने तथा सेमेस्टर और क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग प्रणाली अपनाने की भी सलाह देगी।

(4) एआईसीटीई से पालीटेक्निकों के लिए निर्धारित मानकों की समीक्षा तथा नए विषयों को शामिल करने को भी कहा जाना चाहिए जिससे कि निजी-सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा मिल सके।

(5) एआईसीटीई से राज्य सरकारों के साथ सार्थक एवं प्रभावी विचार-विमर्श हेतु उपयुक्त मैकेनिज्म विकसित करने को कहा जाना चाहिए।

(6) राज्य सरकारों द्वारा तकनीकी संस्थानों में प्रवेश हेतु अर्हक परीक्षा में प्राप्त किए गए न्यूनतम प्रतिशत अंक संबंधी मुद्दा उठाया गया था। यह उल्लेख किया गया कि इस संबंध में एआईसीटीई विनियम इस तरह के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट नहीं करते हैं और अर्हक परीक्षा को पास करने वाली सभी, विभिन्न तकनीकी संस्थानों में प्रवेश हेतु आयोजित कराई गई प्रवेश परीक्षा में, बैठने के पात्र हैं। इस पर सहमति हुई कि एआईसीटीई तकनीकी संस्थानों में प्रवेश हेतु अर्हक परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करने की शर्त लगाने की संभाव्यता की जांच करेगी।

7. व्यावसायिक शिक्षा

शिक्षा के सभी क्षेत्रकों में दक्षताओं/प्रशिक्षण को प्रभावित करने वाली सुविधाओं के सृजन/उन्नयन को तीव्रगति से जारी रखने की आवश्यकता है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, पाठ्यक्रम डिजाइन में व्यापार/उद्योग/नियोक्ता संगठनों की भागीदारी और प्रमाणन शामिल होगा। दक्षता प्रशिक्षण के लिए योग्यता का एक राष्ट्रीय ढांचा बनाया जाएगा।

8. दूरवर्ती शिक्षा

(1) इग्नू के अध्ययन केन्द्रों/क्षेत्रीय केन्द्रों के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए अपने संस्थानों के परिसर और अन्य अवसंरचना उपलब्ध कराने, इग्नू अध्ययन केन्द्रों में सौंपे गए कार्य को करने के लिए उच्चतर अधिगम के संस्थानों में अध्यापकों को अनुमति देने, बशर्ते कि इससे उनका सामान्य कार्य प्रभावित न हो और इग्नू द्वारा अध्यापकों को अतिरिक्त कार्य करने हेतु पारिश्रमिक देने के अतिरिक्त से कम परिवर्तनीय लागतों की सीमा तक संस्थानों को प्रतिपूर्ति देने, पर राज्यों की उदार रूप से सहमति बनी है।

(2) राज्यों ने ईडीयूएसएटी के उपयुक्त उपयोग हेतु आईएसआरओ और एमएचआरडी के साथ शीघ्र ही एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन किए जाने की आवश्यकता महसूस की है। सभी राज्यों, जिनके द्वारा अभी यह समझौता ज्ञापन किए जाने हैं, ने अगले दो महीनों में इसे करने पर सहमति व्यक्त की है। जिन राज्यों ने पहले ही समझौता ज्ञापन कर लिए हैं, ने सेटेलाइट इंन्टेरेक्टिव टर्मिनल्स (एसआईटीज) और रिसीव ऑनली टर्मिनल्स (आरओटीज) को स्थापित करने और उनके रख-रखाव के लिए अवसंरचनात्मक और प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, संबंधी प्रयासों को तेज करने पर सहमति जताई है।

(3) राज्यों ने मंत्रालयों द्वारा "सक्षत" शिक्षा पोर्टल की स्थापना का स्वागत किया और इसे राज्य स्तरीय सर्वर पर डालने और राज्य विशिष्ट संदर्भ के अनुकूल अपनी संबंधित भाषाओं में अधिगम माड्यूल इस पोर्टल पर पोस्ट करने और उन्हें विकसित करने पर भी सहमति जताई है।

9. अल्पसंख्यक शिक्षा

मदरसा संस्थानों में, मांग-चालित स्कीम पर, आधुनिक विषयों को शुरू करने की स्कीम का, राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी से व्यापक रूप में प्रचार किए जाने की आवश्यकता है। इस स्कीम के अंतर्गत सहायता के लिए आगे आने वाले इच्छुक मदरसों हेतु राज्य सरकारों के सहयोग से एमएचआरडी द्वारा विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय ओपन स्कूलिंग संस्थान (एनआईओएस) ओपन और दूरवर्ती अधिगम मोड के माध्यम से आधुनिक विषयों और व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए इच्छुक मदरसा संस्थानों के साथ एक सम्पर्क कार्यक्रम शुरू करेगा, जिससे एनआईओएस द्वारा पात्र और सफल मदरसा विद्यार्थियों का उपयुक्त प्रमाणन होगा।

[हिन्दी]

पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका एवं कार्य

4808. श्री बापू हरी चौरः क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंचायती राज प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर कामगारों के कर्त्तव्यों का सुस्पष्ट बंटवारा है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें सौंपे गए कर्त्तव्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गांवों में पंचायती राज संस्थाओं की क्या भूमिका तथा कार्यकरण है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 243जी में यह प्रावधान है कि राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों को ऐसे शक्तियों और अधिकारों से सम्पन्न बना सकती है जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लायक बनाने के लिए आवश्यक हो और ऐसे कानून में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर शक्तियों और जिम्मेदारियों की सुपुर्दगी के प्रावधान भी मौजूदा हों जो उनमें निम्न के संबंध में यथावर्णिनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होंगे।

(1) आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना;

(2) संविधान की ग्यारहवीं सूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित उनको सौंपे गये विषयों को शामिल करते हुए सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन।

तदनुसार पंचायतों को राज्य विधानमंडल द्वारा हस्तांतरित कोई भी मामला एवं 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी कार्य की जिम्मेवारियां सौंपी जा सकती है। संबंधित राज्य पंचायती राज विधान में जैसा कि प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका एवं कार्य पंचायतों को सौंपी गयी शक्तियों एवं जिम्मेवारियों पर आधारित हैं। राज्य विधान के अनुसार पंचायतों को हस्तांतरिक शक्तियों पर एक राष्ट्रीय मतैक्य प्राप्त करने के लिए पंचायती राज के राज्य मंत्रियों का पहला गोलमेज सम्मेलन कोलकाता में जुलाई, 2004 में आयोजित किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि सर्वप्रथम राज्य पंचायतों से संबंधित प्रत्येक स्तर पर पंचायतों को सौंपें जा सकने वाले कार्यों को अभिज्ञात करें। इस कार्य को "गतिविधि मानचित्रण"

कहा गया एवं इसको प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडिएरिटी द्वारा गाइड किया जाना है यानि निचले स्तर पर की जा सकने वाली कोई भी गतिविधि अकेले उसी स्तर पर की जानी चाहिए न कि उच्च स्तर पर।

पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं का हस्तांतरण पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर सौंपी गयी गतिविधियों पर आधारित है। वर्तमान में राज्यों ने पंचायतों को विभिन्न सीमाओं में भिन्न श्रेणियों में कार्यों एवं कार्यकर्ताओं का अंतरण किया है। राज्यों से प्राप्त किये गये विवरण संलग्न विवरण में दिये गये हैं। पंचायती राज मंत्रालय का यह सतत प्रयास है कि वह गतिविधि मानचित्रण के कार्य को पूरा करने के लिए वह राज्यों को राजी करे और शुरू किये गए गतिविधि मानचित्रण को अनुरूप बनाने के लिये पंचायतों को वित्त एवं कार्यकर्त्ताओं के हस्तांतरण को सार्थक बनाने का कार्य पूरा करे।

विवरण

पंचायती राज संस्थाओं को निधियों, कार्यों एवं कार्यकर्त्ताओं के हस्तांतरण की स्थिति

विधानमंडल के द्वारा विषयों का हस्तांतरण	फंक्शनल अंतरण गतिविधि मानचित्रण के तहत शामिल किए गए विषय	टिप्पणियां	राजकोषीय अंतरण	कार्यकर्त्ताओं का हस्तांतरण
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
17	9	गतिविधि मानचित्रण को अंतिम रूप दिया जाना है।	बजट में पंचायत सेक्टर विण्डो नहीं है। पंचायत केवल एन आर ई जी ए/एस जी आर वाई एवं सी एफ सी अनुदान, कुछ राजस्व आवंटन, एस एफ सी अनुदान पाते हैं।	केवल सामान्य कर्मचारी दिए गए, विभागीय कर्मचारी विभाग को उत्तर दें।
असम				
29	29	केवल कागज पर गतिविधि मानचित्रण 2002 में जारी की गई। केवल 6 विभाग अगला आदेश जारी किया		
अरुणाचल प्रदेश				
	3	गतिविधि मानचित्रण नहीं की गई	राजस्व आवंटन नहीं, निधियों के स्रोत केवल सी एफ सी अनुदान, एन आर ए जी ए, एस जी आर वाई है।	केवल स्केलटन कर्मचारी दिया गया।

1	2	3	4	5
बिहार				
25	25	समिति गतिविधि मानचित्रण को देख रहा है।	सी एफ सी अनुदान, एन आर इ जी ए, एस जी आर वाई।	केवल सामान्य कर्मचारी दिये गए। विभागीय कर्मचारी विभाग को उत्तर दें।
छत्तीसगढ़				
29	27	गतिविधि मानचित्रण तैयार किया जा रहा है। अभी अधिसूचित किया जाना है।	पंचायत सेक्टर बजट विण्डो अस्तित्व में है 2006-07 में 12 विभागों से संबंधित 803 करोड़ रुपये पंचायतों को आबंटित की गई।	सहायक ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, लिपिक एवं वर्ग-IV संवर्ग के शिक्षित जनजातीय स्वास्थ्य एवं 7-8 अन्य विभागों को डाईंग कॉडर घोषित किया जा चुका है और इन कॉडरों में नई नियुक्तियां सीधी पंचायत के द्वारा की जाती है। छत्तीसगढ़ जनपद पंचायत स्तर पर शिक्षा कार्मिक की नई नियुक्तियों में विशेष सफलता प्राप्त की है। स्थानीय स्तर कॉडर में 30,000 से अधिक शिक्षक भर्ती किए जा चुके हैं।
गोवा				
21	18	पंचायतों को दी गई शक्तियों की विस्तृत सूची नियम में है। इस प्रकार वह अपने आप गतिविधि मानचित्रण गठित करता है, यद्यपि एक अलग कार्य भी चल रहा है।	कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व से करारोपण शक्तियां अंतरित की गई	ग्राम पंचायतें पंचायत फंड को उपयोग करने के लिए ग्राम सेवक या सचिव के अलावे कर्मचारी नियुक्त कर सकती है। जिला पंचायतों में जिला पंचायत कर्मचारियों के ऊपर, सीइओ एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष पूर्ण नियंत्रण रखते हैं।
गुजरात				
15	14	गतिविधि मानचित्रण का कार्य किया गया लेकिन अधिसूचित एवं पूरा नहीं किया गया।	डाटा (2004-05) पंचायतों को करीब 3600 करोड़ रुपये विकासात्मक व्यय के लिए अंतरित किए गए।	2.2 लाख कर्मचारी पंचायतों को अंतरित किए गए, 11 विभागों को शामिल करके पंचायत स्तरीय पद राज्य सरकार से मुख्यत: प्रतिनियुक्ति पर हैं।

1	2	3	4	5
हरियाणा				
29	10	16 विभागों के संबंध में अंतरण के लिए 1995 में विस्तृत कार्यकारी आदेश जारी किए गए थे लेकिन शेष कागजों पर हैं। फरवरी 2006 में 10 विभागों के लिए नई गतिविधि मानचित्रण जारी की गयी।	कुछ विभागों जैसे, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य सिंचाई, कृषि, वन सामाजिक न्याय एवं बाल विकास और पशुपालन के लिए निधियां फरवरी, 2006 के गतिविधि मानचित्रण के लिए दी गई। सभी ग्राम पंचायतों को औसतन कुल 4.38 लाख रुपये (12वां वित्त आयोग सहित) अंतरित किए गए।	3 विभागों के संबंध में डीम्ड प्रतिनियुक्ति द्वारा फरवरी, 2006 को गतिविधि मानचित्रण के लिए कर्मचारी हस्तांतरित किए गए।
हिमाचल प्रदेश				
26	15	जुलाई, 2006 में 15 विभागों के लिए कार्यों के अंतरण पर सामान्य अधिसूचना जारी की गई। तथापि, इनमें से केवल 8 ने अधिसूचना जारी की है।		वर्ग 'ग' एवं 'घ' संवर्ग के 6 प्रकार के कर्मचारियों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी राज्य सरकार के पंचायत है। इसके अतिरिक्त 2 कैटेगरी के लोगों के संबंध में वास्तविक उपस्थिति की रिपोर्ट पंचायत कर सकता है।
झारखंड				
			पंचायत के चुनाव नहीं हुए।	
कर्नाटक				
29	29	अगस्त, 2003 में भारत सरकार के कृतक बल की सिफारिशों के अनुसार गतिविधि मानचित्रण पूर्ण किया गया।	फंक्शन अंतरण को अक्टूबर, 2004 में सही करके निधियों का अंतरण किया गया। 3561 करोड़ की योजना निधि एवं 4000 करोड़ रुपये की गैर-योजना निधि प्रति वर्ष पंचायतों को अंतरित की गयी एवं उनके बैंक तथा ट्रेजरी लेखों में रखी गयी।	सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए जिनका कार्यकारी अंतरण किया गया पंचायतों को प्रतिनियुक्ति पर अंतरित किया गया। ग्राम पंचायतें, पंचायत सचिव के अलावे पंचायत कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती हैं। जिले के अंदर सभी स्थानांतरण जिला पंचायत के सी ओ द्वारा समिति प्रमुख द्वारा किया गया।

1	2	3	4	5
केरल				
26	26	जिम्मेदारी मानचित्रण अभी रिविजिटेड किया जाना है, 18 विभाग शामिल है।	पंचायतों को तीन प्रकार की निधियां हस्तातरित की गयी थी, नामत: (क): अनटायड प्लान आबंटन। (ख) एल एस जी आई को स्थानांतरित की गई विभिन्न विषयों के लिए आबंटन सहित विशेष स्कीमों को योजना एवं गैर-योजना निधि। (ग) रखरखाव अनुदान एवं सामान्य अनुदान। 2005-2006 में पंचायतों को 1375 करोड़ रुपये हस्तांरित किए गए थे।	14 विभागों के कर्मचारी पंचायतों को हस्तांतरित किए गए, अनुशासनात्मक कंट्रोल एवं कैरियर समीक्षा (सी आर द्वारा) के साथ उनको हस्तांरित की गई।
मध्य प्रदेश				
23	23	एक एन जी ओ द्वारा पूर्ण किया गया फ्रेश गतिविधि मानचित्रण सरकार के पास विचाराधीन है।	20 विभागों ने बताया है कि उनकी निधियां पंचायतों को जा चुकी हैं। सभी ग्राम पंचायत अबद्ध अनुदान निधि के रूप में करीब 1 लाख पाती हैं।	ग्राम स्तर के सभी वर्ग-III के पद को ड्राइंग कॉडर में बदल दिया गया एवं नई नियुक्तियां पंचायतों द्वारा की गयी। इनमें पंचायत सचिव, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक आगंनवाड़ी कार्यकर्त्ता आदि शामिल है।
महाराष्ट्र				
18	18	पंचायतों को सुपुर्द कार्य उनके ऐक्ट में सूचीबद्ध है।	पंचायतों को राज्य योजना अनुदानों के अंतरण के लिए अलग बजट विण्डो।	जिला पंचायत द्वारा पंचायत स्तर पर सभी वर्ग-III एवं IV कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति की जाती है। 2003 के नये संशोधन से ग्राम स्तर के सभी कर्मचारी ग्राम पंचायत के तहत लाए गए।
मणिपुर				
22	22	अभी तक केवल ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सी एवं आई मत्स्य तथा कला और सांस्कृतिक विभागों ने पंचायतों को निधियों एवं कार्यकर्त्ताओं के हस्तांतरण के लिए विभागीय अधिसूचना जारी की है।	2005-2006 में पंचायतों को 2.85 करोड़ रुपये गैर योजना मद में तथा 63.07 लाख रुपये योजना मद में अंतरित किए गए।	सरकार के कर्मचारी पंचायतों में पदस्थापित किए गए एवं सरकार के नियंत्रण एवं अधीक्षक के तहत चल रहे हैं।

1	2	3	4	5
उड़ीसा				
25	9	अक्टूबर, 2005 में 9 विभागों के लिए गतिविधि मानचित्रण पर आदेश जारी किए गए थे। अब यह रिपोर्ट किया गया है कि 10 इंडिब्यूजल सरकारी विभाग ने इसी तरह के आगे आदेश जारी किए हैं	कुछ विभागों मुख्यत: आर डी, पी आर के संबंध में योजना एवं गैर-योजना निधि पंचायतें पाती हैं।	हस्तांरित स्कीमों के संबंध में पंचायतों को रिपोर्ट विभाग के कर्मचारी करते हैं पंचायत अपने लिए कोई नियुक्ति नहीं करती।
पंजाब				
7	6	अक्टूबर, 2003 में 6 विभागों के संबंध में हस्तांतरण आदेश जारी किए गए थे। अब 29 मामलों के लिए गतिविधि मानचित्रण पूर्ण किए जा चुके हैं एवं सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा में है।	एस जी आर वाई जैसे नये स्कीमों के संबंध में सी एस एस निधियों के अलावे पंचायतों को निधियां अंतरित नहीं की गयी।	सात विभाग पंचायतों को पर्यवेक्षण की शक्ति प्रत्यायोजित करने का प्रस्ताव किया है। स्वास्थ्य विभाग में पी एच सी के चालू बाहरी स्रोत की शक्तियां पंचायतों को अंतरित की गयी। हाल में शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती का अधिकार पंचायतों को दी गयी।
राजस्थान				
29	12	गतिविधि मानचित्रण के आधार पर पंचायतों को स्वीकृत शक्तियां कानून के तहत तैयार है, सरकार के अनुमोदन के लिए लंबित है।	वित्त आयोग अनुदान के तहत पंचायतों को करीब 135 करोड़ की राशि दी गयी।	सरकार से प्रतिनियुक्ति पर प्रत्येक पंचायत को 8 विभागों के कर्मचारी दिए गए।
सिक्किम				
28	28	गतिविधि मानचित्रण पूर्ण किया गया एवं नवम्बर, 2006 में	जिला पंचायतों को 50 लाख एवं ग्राम पंचायतों को 10 लाख	सरकार से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी। पंचायत सचिव सदस्यों द्वारा चुने गए। पंचायती राज सेवा प्रारूप राज्य द्वारा

1	2	3	4	5
		सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया	वार्षिक अबद्ध खंड अनुदान दिया गया स्कीम के लिए चेक द्वारा पंचायतों के 6 विभागों को उनकी निधियां दी गयी	तैयार किया गया एवं लाइन विभागों द्वारा जांच की जा रही है।
तमिलनाडु				
29	–	गतिविधि मानचित्रण की जानी है। स्थानीय शासन एवं ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत समिति गठित की गयी।	केवल एस एफ सी अनुदान पंचायतों को दी गई। 2005-06 के दौरान करीब 195 करोड़ रुपये ग्राम पंचायतों को दी गयी।	ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत प्रेसीडेंट द्वारा अंशकालिक लिपिक भर्ती किए जा सकते हैं। लाइन विभागीय कर्मचारियों पर जिला पंचायतों एवं खंड पंचायतों का कोई नियंत्रण नहीं है।
त्रिपुरा				
29	21	12 विभागों के लिए कार्यों के हस्तांतरण का सरकारी आदेश तैयार है।	ग्रामोदय स्कीम के तहत पंचायतों को निधियां दी गयी। एस एफ सी की सिफारिशों के अनुसार, ग्राम पंचायतें 100 रुपये पर कैपिटा, पी एस आई 60 रुपये एवं जिला पंचायतें 40 रुपये पाने के हकदार हैं। तथापि, कुल राशि जारी नहीं की गयी एवं वे केवल 25 प्रतिशत ही पा सकी।	सरकार से पंचायतों को 21 विभागों से संबंधित कर्मचारी प्रतिनियुक्त किए गए। अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सी आर लिखना, छुट्टियों की स्वीकृति, वेतन भुगतान की शक्ति पंचायतों के पास है।
उत्तर प्रदेश				
12	–	12 विभागों से संबंधित कार्य पंचायतों को स्थानांतरित की गयी, गतिविधि मानचित्रण अभी भी सरकार के विचाराधीन है।	गरीबी उन्मूलन स्कीम मध्याह्न भोजन, ग्रामीण बाजार, एस जी आर वाई एवं अन्य सी एस एस जैसे कुछ स्कीमों के संबंध में निधियां पंचायतों को	सभी ग्राम स्तर के कार्यकर्त्ताओं की उपस्थिति के सत्यापन का अधिकार ग्राम पंचायतों के पास है। 1999 में ग्राम पंचायतों को कुछ विभागों के ग्राम स्तर कार्यकर्त्ता स्थानांतरित किए गए थे। लेकिन तत्पश्चात् उन सबने अपने नाम वापस ले लिए थे।

1	2	3	4	5
			हस्तांतरित की गयी। इसके अतिरिक्त, एस एफ सी सिफारिशों के तहत पंचायतों को करीब 1174 करोड़ रुपये दी गयी।	
उत्तरांचल				
14	9	सितम्बर, 2006 में गतिविधि मानचित्रण जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक विभागों ने अपनी अधिसूचना जारी नहीं की है।	पंचायतों को कुछ सी एस एस से संबंधित निधियां हस्तांतरित की गयी हैं।	जनवरी, 2005 में सूचना लेने की शक्ति के कार्यकारी आदेश जारी किए गए थे एवं पंचायतों को 14 विभागों के कर्मचारियों पर पर्यवेक्षण की शक्ति हस्तांतरित की गई थी।
पश्चिम बंगाल				
29	15	गतिविधि मानचित्रण नवम्बर, 2005 में पूरा कर लिया गया।	बजट अनुदान के रूप में 2005-06 में पंचायतों को 278 करोड़ रुपये राज्य निधि से अंतरित की गई यह रिपोर्ट किया गया है कि 2005-06 में पंचायतों को कुल 1066 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए थे।	ग्राम पंचायत स्तर के वर्ग 'घ' पद को छोड़कर सभी पदों के लिए नियुक्त प्राधिकारी जिला पंचायत के ई.ओ. नियुक्ति प्राधिकारी है। यह पश्चिम बंगल के संशोधन नियम, 2006 द्वारा किया गया। सभी ग्राम पंचायत के पास 6 स्वीकृत पद हैं।

आर टी आई के अंतर्गत आवेदन

4809. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 2006 से 31 दिसम्बर, 2006 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ग) उक्त आवेदनों में से कितने आवेदनों पर अब तक जानकारी दे दी गई है;

(घ) क्या प्रदान की गई जानकारी में विसंगतियों के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत एक वर्ष में राज्य-वार कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में 1 जनवरी, 2006 से 31 दिसम्बर, 2006 की अवधि के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 5626 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) उपर्युक्त आवेदनों में से 5321 आवेदनों से संबंधित अपेक्षित सूचना उपलब्ध करा दी गई है।

(घ) अपूर्ण सूचना संबंधी शिकायतें संबंधित विभाग के अपील प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की जाती है तथा तत्संबंधी द्वितीय अपील केन्द्रीय सूचना आयोग को की जाती है। इन अपीलों का निपटान संबंधित अपील प्राधिकरणों द्वारा उनके न्यायाधिकार तथा सूचना का अधिकार अधिनियम की मूल अवधारणा के अनुसार किया जाता है।

(ङ) किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि आवेदनों को सूचना का अधिकार अधिनियम में यथा परिकल्पित उपलब्ध सूचना प्रदान कर दी गई है।

[अनुवाद]

आर टी आई अधिनियम

4810. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना का अधिकार अधिनियम अप्रभावी सिद्ध हुआ है क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत राज्यों में इसके लिए कोई भी प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य-वार सूचना प्रदान करने के लिए अपनाई जा रही पद्धति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों को पर्याप्त सूचना उपलब्ध करवाई जाती है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या अर्ध-सरकारी, गैर-सरकारी संगठन और सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या सूचना का अधिकार अधिनियम (आर टी आई) के दायरे में 'संचिका टिप्पण' भी आता है;

(झ) यदि हां, तो क्या डी ओ पी टी ने अपनी वेबसाईट पर यह सूचना दर्शाई हुई है कि 'संचिका टिप्पण' आर टी आई अधिनियम के दायरे में नहीं आती है; और

(ञ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। जम्मू तथा कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्य, सूचना का अधिकार, अधिनियम, 2005 को कार्यान्वित करने के लिए सांविधिक रूप से बाध्य हैं। इन सभी राज्यों ने राज्य सूचना आयोग गठित किए हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के अधीन सभी लोक प्राधिकारियों से अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सूचना मुहैया करवाना अपेक्षित है। यह सूचना केन्द्रीय/राज्य लोक सूचना अधिकारियों के माध्यम से मुहैया करवाई जाती है।

(च) और (छ) अर्द्ध-सरकारी संगठनों और सरकार द्वारा स्थापित अथवा गठित अथवा सरकार के स्वामित्व वाले अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान, तथा सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित गैर-सरकारी संगठनों सहित सभी संगठन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में आते हैं।

(ज) से (ञ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपनी वेबसाइट पर यह उल्लेख किया है कि सूचना का अधिकार, अधिनियम की धारा 2(च) में यथापरिभाषित 'सूचना' शब्द में फाइल-टिप्पणियां शामिल नहीं हैं।

विदेश मंत्री की अफगानिस्तान यात्रा

4811. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपनी अफगानिस्तान यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान को 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की अतिरिक्त भारतीय सहायता का प्रस्ताव करते हुए संकेत दिया था कि भारत ने अफगानिस्तान को यह सहायता पहुंचाने के लिए बरास्ता पाकिस्तान ट्रांजिट मार्ग की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र के माध्यम से अफगानिस्तान को यह सहायता पहुंचाने के भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए पाकिस्तान द्वारा रखी गई निबंधन एवं शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(घ) अफगानिस्तान को भारतीय सहायता किस प्रकार से दी जाएगी;

(ङ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या अफगानिस्तान ने वहां कार्य कर रहे भारतीयों को सुरक्षा देने की गारंटी दी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) अफगानिस्तान में विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए पाकिस्तानी भूभाग होकर पारगमन की सुविधा के मुद्दे को पाकिस्तान की सरकार के साथ निरंतर उठाया जा रहा है। पाकिस्तान, करांची बंदरगाह होकर अफगानिस्तान के लिए पारगमन की अनुमति प्रदान करता है न कि भारत से जमीनी मार्ग होकर। वर्ष 2006 में आपवादिक रूप में पाकिस्तान ने वाघा सीमा होकर अपने भूभाग से होकर मिनी-बसों को पारगमन की अनुमति दी थी। पाकिस्तान जमीनी मार्ग होकर परगमन की सुविधा भारत को न देने का बाहरी राजनीतिक कारण बताता है।

(घ) और (ङ) लघु विकास परियोजनाओं जिसे कि प्रचालनात्मक होने में समय बहुत कम लगता है और सामुदायिक जीवन पर जिसका सीधा प्रभाव होता है सहित भिन्न-भिन्न सेक्टरों के लिए अफगानिस्तान की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर की संवर्धित सहायता का उपयोग किया जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा और समुदाय विकास से संबंधित क्षेत्रों की ऐसी 45 परियोजनाओं की पहचान अफगानिस्तान की सरकार के साथ विधिवत परामर्श कर किया जा चुका है।

(च) और (छ) भारत सरकार निरंतर अफगानिस्तान सरकार के संपर्क में है और उसने यह आश्वस्त किया है कि वह अफगानिस्तान में भारतीयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर

4812. श्री दुष्यंत सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बड़ी संख्या में ग्रामीणों के महानगरों में पलायन को रोकने के मद्देनजर ग्यारहवीं योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कौन-कौन सी केन्द्रीय योजनाओं को प्रायोजित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितना धन नियत किया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में 70 मिलियन कार्य अवसरों के सृजन की परिकल्पना की गई है। भविष्य में अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन, मुख्यत: सेवाओं तथा विनिर्माण क्षेत्रक में, विशेषकर, श्रम गहन क्षेत्रक जैसे खाद्य संसाधन, चमड़े के उत्पाद, फुटवियर, वस्त्र, पर्यटन एवं निर्माण, आदि में किया जाएगा।

(ग) और (घ) रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एनआरईजीएस), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीवी), प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजीएसआरवाई) जैसी विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत नियत धनराशि संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

प्रत्येक स्कीम के लिए वार्षिक योजना 2007-08 हेतु उद्दिष्ट निधियां निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रुपये में)

	स्कीमें	परिव्यय	कार्यान्वयन क्षेत्र
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एनआरईजीएस)	12000.00	ग्रामीण क्षेत्र
2.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)	1800.00	ग्रामीण क्षेत्र
3.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई)	2800.00	ग्रामीण क्षेत्र
4.	ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी)	445.00	ग्रामीण क्षेत्र
5.	प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)	320.00	ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र
6.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)	344.00	शहरी क्षेत्र

[हिन्दी]

सी आई एल के लाभ मार्जिन में गिरावट

4813. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2006-07 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के लाभ मार्जिन में गिरावट का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कंपनी का सकल लाभ कितना है एवं कितना प्रतिशत लाभ पूंजी निवेश में लगाया जाता है;

(ग) क्या कंपनी के लाभ मार्जिन में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कंपनी के लाभ मार्जिन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों ने 2006-07 में 7014 करोड़ रु. के बजटीय लाभ की तुलना में 8213 करोड़ रु. का लाभ (अनंतिम) अर्जित किया है।

तथापि, 2006-07 के अनंतिम लाभ का आंकड़ा पूर्ववर्ती वर्ष (2005-06) के दौरान 8677 करोड़ रु. के लाभ की तुलना में 464 करोड़ रु. तक कम हो गया है।

पिछले वर्ष (2005-06) की तुलना में लाभ में गिरावट के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:

(1) मुद्रास्फीति, वेतन अवार्ड आदि जैसे कारकों के कारण उत्पादन की लागत में 2.28% तक वृद्धि और बिक्री मूल्य में आगे कोई संशोधन न करना।

(2) दिसम्बर 2006 से कोयले के ई.-विपणन को समाप्त करना।

(ख) सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में कर-पूर्व लाभ तथा लगाई पूंजी के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	(रुपए करोड़ में)		लगाई गई पूंजी का
	लाभ	लगाई गई पूंजी	लाभ प्रतिशत में
2005-06	8677	13667	63.49%
2006-07 (अनंतिम)	8213	16673	49.26%

(ग) 384.51 मी. टन के उत्पादन लक्ष्य के साथ वर्ष 2006-08 के लिए सीआईएल का लाभ 8462 करोड़ रु. अनुमानित किया गया है। उत्पादन और लाभ में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 6.49% तथा 3.04% परिकल्पित की गई है।

(घ) प्रत्येक कंपनी के 2007-08 के लाभ का लक्ष्य नीचे दिया गया है:

(रु. करोड़ में)

कंपनी	2007-08 के लिए लाभ का लक्ष्य
ईसीएल	184.07
बीसीसीएल	48.24
सीसीएल	1191.61
एनसीएल	2131.69
डब्ल्यूसीएल	676.22
एसईसीएल	2001.27
एमसीएल	1901.36
एनईसी/सीआईएल/सीएमपीडीआईएल	2367.01
योग	10501.01
लाभांश घटाएं	2039.16
कुल लाभ	8462.31

(ङ) कंपनी के लाभ मार्जिन में वृद्धि करने के लिए कोल इंडिया लि. द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

(1) अधिक संख्या में साइड डिस्चार्ज लोडर/लोड हॉल डम्पर (एसडीएम/एलएचडी) का उपयोग करके और जहां भी व्यवहार्य हो, व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकी को लागू करने भूमिगत खानों के उत्पादन में वृद्धि करना।

(2) हाथ और मशीनों की उत्पादकता में वृद्धि करना।

(3) नियंत्रण योग्य लागतों का विनियमन

(4) कोयले की गुणवत्ता में सुधार करना

(5) तकनीकी और आर्थिक रूप से अव्यवहार्य खानों को बंद करके जनशक्ति का यौक्तिकीकरण

(6) लाभ/हानि शेयरिंग आधार पर उपकरण आपूर्तिकर्ता के साथ करार।

[अनुवाद]

इराक के पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका

4814. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत इराक के पुनर्निर्माण में सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके फलस्वरूप भारत को क्या लाभ होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) इराक में पुनर्वास और पुनर्निर्माण में योगदान के लिए भारत ने अनेक कदम उठाए हैं। अप्रैल, 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की अपील के प्रत्युत्तर में भारत ने इराकी जनता के लिए 20 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता दी थी। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक द्वारा समन्वित किए जा रहे दो इराकी न्यास कोषों में भी 10 मिलियन अमरीकी डालकर की राशि का अंशदान दिया है। भारत ने इराकी अधिकारियों और छात्रों को भारत में व्यापक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर उसके क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास के लिए इराक को सहायता देने की पेशकश की है। मानवीय सहायता के एक भाग के रूप में, भारत सरकार ने इराक के बच्चों को दूध पाउडर की आपूर्ति की है और इस समय संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से इराक के स्कूली बच्चों को पौष्टिक बिस्कुट देने का सहायता कार्यक्रम भी जारी है।

मुम्बई-पत्तन-न्यास की भूमि का विकास

4815. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री मोहन रावले:
श्री सुरेश कलमाड़ी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मुम्बई शहर (मुम्बई-पत्तन-न्यास की भूमि) के पूर्वी तटीय हिस्से की भूमि विकास योजना की तैयारी के संबंध में महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने विकास योजना की तैयारी में मुम्बई पत्तन-न्यास के प्राधिकारियों को राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर मुम्बई-पत्तन-न्यास की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने, मुंबई नगर के पूर्व-तटीय हिस्से की भूमि के विकास की योजना के लिए उक्त सरकार के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए मुंबई-पत्तन-न्यास को सलाह देने का अनुरोध पोत परिवहन विभाग से किया है। पोत परिवहन विभाग ने मुंबई-पत्तन-न्यास के पास भूमि की उपलब्धता और इसके उपयोग के बारे में स्थिति से राज्य-सरकार को अवगत करवाया है।

(ग) से (ङ) मुंबई-पत्तन-न्यास को महाराष्ट्र-सरकार से जून, 2005 में, पूर्वी जल-तट के संबंध में उक्त सरकार द्वारा नियुक्त अभिकरण, अर्बन डिजाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट (यू डी आर आई) द्वारा तैयार एक रिपोर्ट का प्रारूप मिला था। यू डी आर आई द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट का प्रारूप, पुराने आंकड़ों और गलत कल्पनाओं पर आधारित था, जिसे अद्यतन किए जाने की आवश्यकता थी। रिपोर्ट के प्रारूप पर टिप्पणियां 9.9.2005 को महाराष्ट्र सरकार को भेजी गई थी। बाद में, इस रिपोर्ट के प्रारूप पर महाराष्ट्र-सरकार के प्रतिनिधियों सहित संबंधित संगठनों के साथ परामर्श करते हुए मुंबई-पत्तन-न्यास में पत्तन की कार्य व्यापार योजना को ध्यान में रखे जाने के लिए कई क्रमिक बैठकों में विचार-विमर्श किया गया। अद्यतन की गई/संशोधित रिपोर्ट अभी यू डी आर आई/महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त होनी है।

पारादीप पत्तन का प्रोन्नयन

4816. श्री अनन्त नायक: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारादीप ने बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित (बी ओ टी) के आधार पर नये बर्थों और टर्मिनलों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने बर्थों और टर्मिनलों का निर्माण किया गया;

(ग) इन बर्थों और टर्मिनलों का उपयोग किस प्रयोजनार्थ किया जाएगा;

(घ) क्या दसवीं योजना के दौरान और ग्यारहवीं योजना के दौरान भी पारादीप पत्तन में अन्य प्रोन्नयन कार्य किए जाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) महापत्तनों में विकास/उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है पारादीप पत्तन-न्यास के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई 222.70 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 11 परियोजनाओं में से दो परियोजनाएं, नामत: 'लौह अयस्क बर्थ का विस्तार' और 2 बीस टन सचल क्रेनों की स्थापना, पूर्ण हो गई हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित करने के लिए पारादीप पत्तन-न्यास में 2601.07 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से कुल 23 परियोजनाओं का पता लगाया गया है। इनमें घाटों का निर्माण, जलमार्ग को गहरा करना, जहाजी माल संभलाई उपस्करों का आधुनिकीकरण/उन्नयन, रेल/सड़क संपर्क तथा अन्य संबद्ध परियोजनाएं शामिल हैं।

स्थानीय शासन में सुधार

4817. श्री जी.एम. सिद्धीश्वर: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी प्रक्रिया को दुरूस्त करके एवं आधुनिकीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी जैसी प्रौद्योगिकियों का प्रभावी उपयोग करके स्थानीय शासन में सुधार की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बेहतर स्थानीय शासन के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गए हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) दिसम्बर, 2004 में जयपुर में आयोजित पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों के सातवें गोलमेज सम्मेलन में पारित संकल्प में पंचायती राज संस्थाओं के सामर्थ्य एवं क्षमता निर्माण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार) को एक महत्वपूर्ण क्षमता के रूप में पहचाना गया था। इस पर भी विचार किया गया था कि सूचना प्रौद्योगिकी की मुख्य रूप से आवश्यकता है जैसे:

* स्वयं पंचायतों के लिए निर्णय लेने के सहायक प्रणाली के रूप में,
* पारदर्शिता, नागरिक सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए जानकारी उपलब्ध कराने के सहायक के रूप में,
* नागरिकों को सेवाओं की बेहतर उपलब्धता प्रदान करने के एक साधन के रूप में,
* पंचायतों के आंतरिक प्रबंधन तथा कार्यक्षमता में सुधार के साधन के रूप में,
* पंचायतों के प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों की क्षमता निर्माण के साधन के रूप में,
* ई-खरीद का एक माध्यम।

सातवें गोलमेज सम्मेलन के संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने आई टी इनेवल्ड ई-गर्वनेंस के लिए राष्ट्रीय-ई-गर्वनेंस के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर ई पी आर आई पर एक मिशन मोड प्रोजेक्ट तैयार किया है।

(ग) मंत्रालय के सामने सबसे पहला कार्य केन्द्र और राज्यों के बीच आपसी विचार-विमर्श के जरिये पंचायती राज के लिए रोड मैप के संबंध में एक राष्ट्रीय सहमति बनाना था। पंचायती राज मंत्रालय ने जुलाई और दिसम्बर, 2004 के बीच राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों और पंचायती राज के केन्द्रीय मंत्री के साथ सात गोलमेज सम्मेलन आयोजित किये। इनमें किये गये विचार-विमर्श पंचायती राज के 18 अभिज्ञात पहलुओं जिनसे जिला आयोजना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और आई टी इनेवल्ड ई-गर्वनेंस के लिये कार्य, वित्त और कार्यकर्त्ताओं को प्रभावी हस्तांतरण शामिल था, केन्द्रित थे। प्रत्येक गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति पर कम्पेंडियम में शामिल लगभग 150 कार्यबिन्दुओं को सभी पंचायती राज मंत्रियों ने सर्वसम्मति से अंगीकार कर लिया था। यह प्रभावी पंचायती राज के लिए एक राष्ट्रीय रोडमैप बन गया है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री द्वारा पंचायती राज दौरों की समाप्ति पर संबंधित संघ शासित क्षेत्रों में राज्यों के मुख्य मंत्रियों और प्राधिकारियों के बीच निष्कर्षों के संयुक्त वक्तव्यों अथवा समझौता ज्ञापन पर आधारित राज्य-विशिष्ट रोडमैप को राष्ट्रीय रोडमैप द्वारा रिइन्फोर्स्ड किया जा रहा है। अब 21 ऐसे संयुक्त हस्ताक्षरित वक्तव्य जारी किए गए हैं। संयुक्त वक्तव्यों टेक्सट नवम्बर, 2006 के पहले पूरे कर लिये गये थे और इसे 'पंचायतों की स्थिति-मध्यावधि समीक्षा एवं मूल्यांकन' की रिपोर्ट में शामिल करके 23 नवम्बर, 2006 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया था।

इन 150 कार्य बिन्दुओं की प्रगति और कार्यान्वयन के अनुवीक्षण के लिए सचिव, पंचायती राज की अध्यक्षता में पंचायती राज सचिवों की एक समिति गठित की गई। यह समिति पंचायती राज मंत्रियों की परिषद् को भी सेवाएं देती है। सचिवों की समिति की आठ बैठकें हुई हैं। मंत्रिपरिषद की दो बैठकें क्रमश: अगस्त, 2005 में कोच्चि, केरल में और जून, 2006 में भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित की गई। परिषद की तीसरी बैठक शीघ्र ही आयोजित की जाएगी।

राष्ट्रीय विकास परिषद की शक्तिसंपन्न उप समिति की अध्यक्षता केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री द्वारा की जाती है। इसकी सिफारिशें राज्य सरकारों पर मानी जानी अनिवार्य हैं। इस उप समिति ने हस्तांतरण के विभिन्न पहलुओं पर काम किया है और यह सब संबंध में सूक्ष्मता से विकास का अनुवीक्षण करती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा बल

4818. श्री कैलाश मेघवाल:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा बल (एन एच एस एफ) के गठन पर विचार कर रही है जैसाकि दिनांक 8 मार्च, 2007 के 'द इकनोमिक टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा बल की भूमिका क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आर टी ओ) से भिन्न होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा एन एच एस एफ का प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

लैण्डलाईन प्रशुल्क में कटौती

4819. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लैण्डलाइन कनेक्शनों को वापस करने के बढ़ते मामलों की वजह से राजस्व आय में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपभोक्ताओं द्वारा लैण्डलाइन कनेक्शनों को वापस करने पर अंकुश लगाने के लिए लैण्डलाइन कनेक्शन के मासिक किराये में कटौती करके इसे निजी कंपनियों के बराबर करने का प्रस्ताव है; और

(ग) लैण्डलाइन फोन के उपभोक्ता आधार को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) लैंडलाइन कनेक्शनों को वापस करने तथा अन्य कारणों नामत: टेलीफोन प्रशुल्कों में काफी कमी होने एवं ग्राहकों के अनुकूल योजनाएं लागू होने के कारण राजस्व संबंधी आय में कमी आई है।

(ख) फिलहाल, मासिक किरायों की राशि में और कमी लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह पहले ही काफी प्रतिस्पर्धात्मक है।

(ग) सरकार द्वारा लैंडलाइन फोनों के उपभोक्ताओं की संख्या को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं:

* "वन इंडिया प्लान" सहित कई प्रशुल्क योजनाएं लागू की गई हैं ताकि उपभोक्ताओं की संख्या में कमी न हो।
* लैंडलाइन के उपभोक्ताओं की संख्या में कमी नहीं होने देने के प्रयोजनार्थ प्रतिस्पर्द्धात्मक प्रशुल्क पर स्थिर लाइनों पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं।
* सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सभी एक्सचेंजों को डिजिटल बना दिया गया है।
* लैंडलाइन फोनों के "मेन टाइम रिपेयर" (एमटीआर) तथा दोष दर में कमी लाने हेतु, बाह्य नेटवर्क की पुनर्संस्थापना सतत रूप से की जा रही है।
* लैंडलाइनों के दोषों में कमी लाने के लिए नए रिमोट स्टेशन यूनिटों (आरएसयू)/डिजिटल लूप कैरियर सिस्टम (डीएलसीएस) की व्यवस्था की जा रही है।
* लैंडलाइन फोनों के उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड, इंटेलिजेंट नेटवर्क आधारित सेवाएं, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) इत्यादि नई मूल्यवर्द्धित सेवाएं वहनीय दरों पर उपलब्ध करायी जा रही हैं।
* प्रीपेड सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों (पीसीओ) की संस्थापना की जा रही है।
* लैंडलाइन फोन के उपभोक्ताओं के लिए संचार हाट, तीव्र ग्राहक सेवा केन्द्र (क्यूसीएससी) खोलन, डीलरों एवं एजेंटों की नियुक्ति तथा बिल भुगतान के विभिन्न तरीकों जैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
* लैंडलाइन के उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न सेवाओं एवं उत्पादनों के प्रशुल्क की समीक्षा करना ताकि उन्हें ग्राहकोनुकूल, प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाया जा सके जिससे वे समाज के सभी वर्गों के लिए सुविधाजनक बन जाएं।

ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को बढ़ावा देना

4820. श्री अधीर चौधरी:
श्री जुएल ओराम:
श्री निखिल कुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्टेकहोल्डरों के बीच प्रभावी बातचीत पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु एक विस्तृत योजना तैयार की है, जैसाकि दिनांक 19 मार्च, 2007 के "द हिन्दु" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किन्हीं खामियों का पता चला है; और

(घ) सरकार द्वारा खामियों को ठीक करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी, हां, सरकार ने अधिक ध्यान दिए जाने वाले 18 राज्यों अर्थात् 8 अधिकार प्राप्त कार्य दल (ई ए जी) राज्यों, 8 पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को देशभर में कार्यान्वित किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में संसाधनों के प्रभावी ढंग से उपयोग के लिए अस्पताल परिचर्या के दायरे तथा गुणवत्ता, नियोजन के विकेन्द्रीकरण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में समग्र सुधार तथा बेहतर अंत: एवं अंतर क्षेत्रीय सम्मिलन की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मौजूदा राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संरक्षण प्रदान करता है। इसमें अच्छे स्वास्थ्य के बुनियादी निर्धारकों, सफाई एवं स्वच्छता, पोषण एवं सुरक्षित पेय जल के मुद्दों पर ध्यान देते हुए स्वास्थ्य पर क्षेत्रव्यापी ढंग से ध्यान दिया जाता है।

विगत दो वर्षों के दौरान राज्यों ने निचले स्तर पर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कार्यनीतियां प्रचालित की हैं तथा अनेक नई पहलें शुरू की हैं। विभिन्न कार्यनीतियों के लिए राज्यों को विस्तृत दिशानिर्देश दे दिए गए हैं तथा बैठकों एवं क्षेत्र दौरों के जरिए प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। प्रचालनात्मक स्पष्टीकरण समय-समय पर दिए जाते हैं तथा जब भी अपेक्षित होता है, तकनीकी सहायता दी जाती है जिससे कि कमियां, यदि कोई हों, दूर हो जाएं और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की प्रगति होती रहे।

राष्ट्रीय राजमार्ग-208 पर विकास कार्य

4821. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-208 के विकास कार्यों के संबंध में कोई प्रस्ताव स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य के लिए वर्ष 2007-08 हेतु बजट में कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) धनराशि की उपलब्धता के आधार पर वर्ष 2006-07 के दौरान केरल और तमिलनाडु से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-208 के विकास के लिए 22.68 करोड़ रु. की धनराशि के 11 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इस मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ग) वर्ष 2007-08 के दौरान केरल और तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए क्रमश: 60 करोड़ रु. और 90 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग-208 के कार्य भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

शिवानी नगर में बाई-पास सड़क

4822. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 पर शिवानी नगर के लिए बाई-पास सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) उक्त बाई पास सड़क का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) शिवानी शहर (शिवानी नगर) के लिए बाइपास राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के सिवानी से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र खंड को बीओटी (वार्षिकी) आधार पर चार लेन का बनाने के कार्य का एक भाग है। स्वीकृति-पत्र दिनांक 8.1.2007 को पहले ही जारी किया जा चुका है, लेकिन करार पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। इस परियोजना को प्रारंभ होने की तारीख से 30 महीनों के अंदर पूरा करने का लक्ष्य है।

चीन और श्रीलंका के बीच समुद्री बंदरगाह समझौता

4823. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने श्रीलंका के साथ हमघनटोटा में समुद्री बंदरगाह विकसित करने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन के उक्त कदम से भारतीय प्रादेशिक जल क्षेत्र में चीन की दखलअंदाजी बढ़ जाएगी;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं। ऐसी खबर है कि श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी और कंसोर्टियम ऑफ चायना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड/सिनो हाइड्रो कार्पोरेशन लिमिटेड ने हंबानटोटा हार्बर के विकास के लिए कोलंबो में 12 मार्च, 2007 को संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) से (ङ) जी नहीं। अपने जल क्षेत्र पर भारत की पूर्ण संप्रभुता है।

अंतर्राज्यीय सड़क संबंधी लंबित प्रस्ताव

4824. श्री निहाल चन्द:
श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास अंतर्राज्यीय सड़क के अंतर्गत राजस्थान के 28.85 करोड़ रुपए की धनराशि के प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की मांग के अनुसार अभी धनराशि जारी की जानी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन प्रस्तावों का अनुमोदन कब तक किए जाने की संभावना है और उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि जारी की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। वर्ष 2006-07 के लिए अंतर्राज्यीय संपर्क स्कीम (आईएससी) के अंतर्गत 'सैद्धांतिक' अनुमोदन हेतु 28.85 करोड़ रु. के 12 प्रस्तावों की एक सूची मंत्रालय में प्राप्त हुई है। इनमें से कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2006-07 के लिए 15.08 करोड़ रु. के केवल छह प्रस्तावों को 'सैद्धांतिक' सहमति प्रदान की जा सकी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। वर्ष 2006-07 के दौरान स्वीकृत कार्यों की प्रगति के आधार पर 6.67 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस समय किसी धनराशि को जारी करने/प्रस्तावों को स्वीकृत करने संबंधी कोई मामला मंत्रालय में लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

एड्स परामर्श केन्द्रों की स्थापना

4825. श्री एल. राजगोपाल:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य-वार कितने एड्स केन्द्र चल रहे हैं जो एड्स रोगियों को नि:शुल्क परीक्षण, परामर्श और उपचार की सुविधा प्रदान कर रहे हैं;

(ख) क्या एनएसीओ (नाको) का विचार देश में 4900 समेकित परामर्श एवं परीक्षण केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो देश में आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार कितने एड्स परामर्श केन्द्रों की स्थापना की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आईसीटीसी द्वारा उच्च व्यापित वाले राज्यों की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) 4132 परामर्श और जांच केन्द्र तथा 126 ए आर टी केंद्र मुफ्त जांच, परामर्श और उपचार प्रदान कर रहे हैं। केन्द्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-3 के अधीन अगले पांच वर्ष की अवधि के दौरान अतिरिक्त संविदात्मक स्टाफ प्रदान करके 4955 परामर्श और जांच केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। वार्षिक कार्ययोजना 2007-08 के अनुसार स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित केन्द्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अलावा, जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में मौजूदा अवसंरचना और कार्मिक शक्ति का उपयोग, जहां कहीं व्यवहार्य होगा, परामर्श और प्रयोगशाला तकनीकों में प्रशिक्षित करके किया जाएगा।

(ङ) से (च) उच्च व्यापतता वाले राज्यों में एकीकृत परामर्श और जांच केन्द्र स्थापित करने हेतु प्राथमिकता प्रदान की गई है जहां कुल 4132 केन्द्रों में से 2715 ऐसे केन्द्र हैं। इस प्रयोजन के लिए एड्स, क्षयरोग और मलेरिया संबंधी ग्लोबल निधि के जरिए अतिरिक्त धन जुटाया गया है।

विवरण

अप्रैल, 2007 की स्थिति के अनुसार देश में आईसीटीसी और ए आर टी केन्द्र और 2007-2008 के लक्ष्य

क्रम सं.	राज्य	आईसीटीसी की संख्या मौजूदा	एआरटी केन्द्रों की संख्या		
			2007-08 के लिए प्रस्तावित	मौजूदा	2007-08 के लिए प्रस्तावित
1	2	3	4	5	6
1.	अहमदाबाद एमएसीएस	8	4	0	0
2.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	9	4	0	0
3.	आंध्र प्रदेश	600	0	18	8
4.	अरुणाचल प्रदेश	25	5	1	0
5.	असम	51	12	2	0
6.	बिहार	207	0	2	2
7.	चण्डीगढ़	9	1	1	0
8.	चेन्नई एमएसीएस	42	0	0	0
9.	छत्तीसगढ़	52	48	1	2
10.	दादरा और नगर हवेली	1	1	0	0
11.	दमन और दीव	2	1	0	0
12.	दिल्ली	62	34	9	0
13.	गोवा	11	5	1	0
14.	गुजरात	221	0	2	3
15.	हरियाणा	60	0	1	0
16.	हिमाचल प्रदेश	15	17	1	1
17.	जम्मू-कश्मीर	11	19	2	0
18.	झारखण्ड	17	29	2	0

1	2	3	4	5	6
19.	कर्नाटक	561	0	15	12
20.	केरल	58	48	5	0
21.	लक्षद्वीप	0	1	0	0
22.	मध्य प्रदेश	55	48	2	2
23.	महाराष्ट्र	604	0	18	14
24.	मणिपुर	54	0	5	2
25.	मेघालय	12	4	1	0
26.	मिजोरम	21	12	1	0
27.	मुम्बई एमएसीएस	76	0	0	0
28.	नागालैण्ड	60	0	4	2
29.	उड़ीसा	93	47	1	2
30.	पांडिचेरी	10	4	1	0
31.	पंजाब	33	24	2	0
32.	राजस्थान	72	84	2	2
33.	सिक्किम	13	4	1	0
34.	तमिलनाडु	718	0	18	8
35.	त्रिपुरा	6	9	1	0
36.	उत्तर प्रदेश	182	0	3	3
37.	उत्तरांचल	29	10	1	1
38.	पश्चिम बंगाल	72	84	2	2
	कुल	4132	559	129	66

भारत में तलकर्षण परियोजनाएं

4826. श्री मनोरंजन भक्त: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में विदेशी तथा भारतीय कंपनियों की भागीदारी से तलकर्षण बाजार का अनुमानित आकार कितना होगा;

(ख) पोत परिवहन क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा वर्तमान में अंतिम रूप दी जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तलकर्षण परियोजना में अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को शामिल करने का कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए

पत्तनों के बारे में कार्य-दल की रिपोर्ट में सभी पत्तनों, सेतुसमुद्रम शिपिंग कॉर्पोरेशन, भारतीय नौसेना और मत्स्यन बंदरगाहों सहित भारत में कुल 665.46 मिलियन घन मीटर क्षेत्र में बड़े पैमाने के निकर्षण और 413.95 मिलियन घन मीटर क्षेत्र में रखरखाव-निकर्षण करवाए जाने का अनुमान है। संबंधित निकर्षण-कार्यों के लिए परियोजना-प्राधिकारियों द्वारा जारी निविदाओं में भारतीय और विदेशी दोनों ही निकर्षण कंपनियां भाग ले सकती हैं।

(ख) पत्तनों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के आधार पर नियमित रूप से रखरखाव-निकर्षण करवाया जाता है। सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित बड़े पैमाने की निकर्षण की परियोजनाएं अनुमोदित की हैं:

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)
सेतुसमुद्रम जहाजी नहर परियोजना	2427.40
मुख्य बंदरगाह जलमार्ग को और अधिक गहरा और चौड़ा किए जाने तथा जवाहर लाल नेहरू-पत्तन-जलमार्ग-परियोजना।	800.00
पारादीप-पत्तन के जलमार्ग को और अधिक गहरा किए जाने की परियोजना	154.84
विशाखापट्टनम-पत्तन के आंतरिक बंदरगाह पहुंच जलमार्ग को गहरा किए जाने का दूसरा चरण तथा टर्निंग सर्किल	45.08
बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर विकसित किए जा रहे नए समुद्रीय तरल पदार्थों, लौह अयस्क तथा कोयला टर्मिनलों के लिए इन्नौर पत्तन लिमिटेड पर बड़े पैमाने पर निकर्षण	91.00

(ग) और (घ) अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह में प्रति वर्ष केवल 1,00,000 घन मीटर क्षेत्र का रख-रखाव की दृष्टि से निकर्षण करवाए जाने की आवश्यकता होती है।

मॉडल रियायत समझौते के अंतर्गत बजटीय आबंटन

4827. श्री विजय कृष्ण: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मॉडल रियायत समझौते के अंतर्गत राजमार्गों के रख-रखाव के लिए वर्ष 2006-07 की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान राज्य-वार कितने बजटीय आबंटन किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): राजमार्गों के रखरखाव के लिए मॉडल रियायत समझौता कोई बजटीय आबंटन उपलब्ध नहीं कराता है। वर्तमान में मरम्मत आदि के सामान्य अनुबंधों के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग का रख-रखाव किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव तथा मरम्मत के लिए वर्ष 2006-07 के लिए कुल 814.36 करोड़ रुपये का कुल आबंटन जिसमें सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत कार्य के लिए 22.28 करोड़ रुपये भी राशि शामिल है तथा वर्ष 2007-08 के लिए 814.38 करोड़ रुपये का प्रावधान (जिसमें सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत कार्य के लिए 20.06 करोड़ रुपये की राशि शामिल है) किया गया है। वर्ष 2006-07 के लिए राज्य-वार आबंटन संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्ष 2007-08 के लिए राज्य-वार आबंटन नहीं किए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2006-07 के दौरान रख-रखाव और मरम्मत (एमएण्डआर) कार्यों के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आबंटन और व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	आबंटन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	70.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.30
3.	असम	24.99
4.	बिहार	34.34
5.	चंडीगढ़	0.66
6.	छत्तीसगढ़	25.65

1	2	3
7.	दिल्ली	0.43
8.	गोवा	3.71
9.	गुजरात	35.29
10.	हरियाणा	24.27
11.	हिमाचल प्रदेश	24.27
12.	झारखंड	21.66
13.	कर्नाटक	37.78
14.	केरल	29.39
15.	मध्य प्रदेश	58.70
16.	महाराष्ट्र	61.55
17.	मणिपुर	7.07
18.	मेघालय	11.21
19.	मिजोरम	4.30
20.	नागालैण्ड	4.36
21.	उड़ीसा	44.25
22.	पांडिचेरी	0.89
23.	पंजाब	19.44
24.	राजस्थान	61.58
25.	तमिलनाडु	30.85
26.	उत्तर प्रदेश	49.78
27.	उत्तराखंड	18.66
28.	पश्चिम बंगाल	20.16
29.	एनएचएआई	60.44
30.	यातायात अध्ययन	10.00
31.	एनआईटीएचई	2.96
32.	एमबीआईयू (टीएन)	0.13
33.	बीआरडीबी	22.28
	कुल	814.38

[हिन्दी]

कैंसर के खतरे संबंधी आकलन

4828. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री एम. अप्पादुरई:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में ''जंक फूड'' खाने से कैंसर के बढ़ते खतरे का आकलन कर रही है जैसाकि दिनांक 24 अप्रैल, 2007 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कार्ड

4829. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री देविदास पिंगले:
श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री एस. के. खारवेलधन:
श्री मो. ताहिर:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या उन्हें उपलब्ध चिकित्सा सुविधा अन्य देशों में दी जा रही सेवा के समतुल्य नहीं है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी सुविधाओं की कमी के क्या कारण हैं;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना शुरू की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने का है;

(छ) यदि हां, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं पर कुल कितनी राशि व्यय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ज) वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कौन से अन्य कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ज) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में रह रहे वयोवृद्ध नागरिकों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। जहां अधिकांश परिश्चमी एवं विकसित देशों में वयोवृद्ध नागरिकों को सामान्यतया विभिन्न बीमा योजनाओं में कवर किया जाता है, वहीं भारत में वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए सुविधाएं सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली के साथ-साथ सभी सरकारी अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध हैं। कुछ सरकारी अस्पतालों एवं औषधालयों में वयोवृद्ध नागरिकों को एक ही स्थान पर व्यापक सेवाएं प्रदान करने के लिए जराचिकित्सीय क्लिनिक चलाए जा रहे हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में वयोवृद्ध लोगों के लिए एक अलग कार्यक्रम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

60 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों की राज्यवार संख्या

राज्य	60 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों की संख्या
1	2
जम्मू-कश्मीर	675,324
हिमाचल प्रदेश	547,564
पंजाब	2,191,693
चण्डीगढ़	44,912
उत्तरांचल	672,126
हरियाणा	1,584,089
दिल्ली	719,650
राजस्थान	3,810,272
उत्तर प्रदेश	11,649,468
बिहार	5,501,274
सिक्किम	29,040
अरुणाचल प्रदेश	49,916
नागालैण्ड	90,323
मणिपुर	145,470
मिजोरम	49,023
त्रिपुरा	232,549
मेघालय	105,726
असम	1,560,366
पश्चिम बंगाल	5,700,099
झारखण्ड	1,578,662
उड़ीसा	3,039,100
छत्तीसगढ़	1,504,383
मध्य प्रदेश	4,280,924
गुजरात	3,499,063
दमन और दीव	8,042
दादरा व नगर हवेली	8,814
महाराष्ट्र	8,454,660
आंध्र प्रदेश	5,788,078
कर्नाटक	4,062,022
गोवा	112,273
लक्षद्वीप	3,729
केरल	3,335,675
तमिलनाडु	5,507,400
पांडिचेरी	81,016
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17,366
भारत	76,622,321

स्रोत: 2001 की जनगणना

सिंध प्रदेश के हिंदुओं द्वारा आंदोलन

4830. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:
श्री बापू हरी चौरे:
श्री संजय धोत्रे:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के सिंध प्रदेश के हिन्दुओं ने अपने समुदाय के व्यक्तियों के अपहरण की घटनाओं के विरुद्ध आंदोलन चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस मुद्दे को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) पाकिस्तानी अखबारों में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यक वर्ग के पाकिस्तानी नागरिकों पर हिंसा की खबरें छप रही हैं, जिनमें अपहरण की घटनाएं भी शामिल हैं। तथापि, सिंध प्रांत के हिंदुओं द्वारा कोई आंदोलन सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ग) से (ङ) ये खबरें भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता का भाग नहीं रही हैं।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-9, 16 तथा 18 की स्थिति

4831. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9, 16 तथा 18 के रखरखाव तथा विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रत्येक परियोजनाओं की स्थिति क्या है; और

(ग) कब तक इन परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया जाएगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी हां। वर्ष 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 9, 16 और 18 के विकास/अनुरक्षण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त 18 प्रस्तावों में से 43.72 करोड़ रु. की धनराशि के 15 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शेष 3 प्रस्तावों को सीमित मात्रा में धनराशि उपलब्ध होने के कारण स्वीकृत नहीं किया जा सका। अब इन प्रस्तावों को अनंतिम रूप से वार्षिक योजना 2007-08 में शामिल कर लिया गया है।

[हिन्दी]

मधुमेह के रोगियों के लिए दवा

4832. श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक विशेष प्रकार की छिपकली के जहर से मधुमेह के लिए अचूक दवा तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस दवा का व्यापारिक उत्पादन शुरू हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो किस नाम से यह दवा बाजार में उपलब्ध है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) भारत के औषध महानियंत्रक के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी-मैसर्स इली-लिलि द्वारा शोध एवं विकसित की गई मधुमेहरोधी औषध "एक्सेनेटाइड" गिला मान्सटर छिपकली के विष से प्राप्त की जाती है। भारत में इस औषध का परीक्षण/मूल्यांकन औषध एवं प्रशासन सामग्री नियमों के अध्यधीन है।

विदेशों में भारतीय परियोजनाओं को वित्तीय सहायता

4833. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशों में चलाई जा रही भारतीय परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई मानदंड निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) सरकार विदेशों में चलाई जा रही भारतीय परियोजनाओं को अनेक तरीकों से बढ़ावा देकर सहायता प्रदान करती है। इसमें अनुमोदित उपायों के भाग के रूप में विदेशी मुद्रा में वित्तीय सहायता प्रदान करना भी शामिल है। तथापि, हाल के समय में इस संबंध में कोई नवीन अथवा विशिष्ट निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आतंकवादियों को पाकिस्तान की सहायता का सबूत

4834. श्री हितेन बर्मन: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में आयोजित द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पाकिस्तानी विशिष्टमंडल के समक्ष आतंकवादियों को पाकिस्तान की सहायता का सबूत नहीं पेश किया गया; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद और नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार पर समग्र वार्ता प्रक्रिया के अंतर्गत गृह सचिव स्तर पर चर्चा हो रही है। वर्ष 2004 से वार्ताओं के तीन दौर हो चुके हैं। आतंकवादरोधी प्रयासों का पता लगाने और जांच-पड़ताल के कार्यान्वयन के लिए भारत-पाकिस्तान संयुक्त आतंकरोधी तंत्र में आतंकवाद पर भी चर्चा हुई। भारत में कुछ आतंकवादी घटनाओं से संबद्ध सूचनाओं पर भी पाकिस्तान के साथ चर्चा हुई है।

अपराह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 3 पर विचार-विमर्श करेगी .....। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 115(अ) जो 1 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास खतरनाक सामान का (परिवहन, हैंडलिंग और भंडारण) विनियम, 2007 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 116(अ) जो 1 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास (लाइसेंसिंग एण्ड कंट्रोल ऑफ पायलट्स) विनियम, 2007 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी.-6388/07]

(2) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड तथा पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी.-6389/07]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों को एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी.-6390/07]

(5) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 36 के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2007 जो 24 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 31 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी.-6391/07]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण सभा में शांति बनाए रखने की कृपा करें।

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1)(एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी.-6392/07]

(3) (एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरम्बदूर के वर्ष 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरम्बदूर के वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी.-6393/07]

(5) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2004-05 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2004-05 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी.-6394/07]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 जो 20 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 213(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन), दूसरा संशोधन विनियम, 2006 जो 29 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 774(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2006 जो 29 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 775(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2007 जो 12 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 21(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन विनियम, 2007 जो 12 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 22(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2007 जो 10 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 277(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2007 जो 10 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 278(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2007 जो 2 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 170(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 10 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का सा.का.नि. 279(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन विनियम, 2007 जो 2 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.का.नि. 171(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2007 जो 16 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 89(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन विनियम, 2007 जो 16 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 90(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 2007 जो 12 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 20(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी.-6395/07]

(2) केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 के नियम 12 के उपनियम (4) के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड 1 की पदोन्नति और प्रवर ग्रेड) संशोधन विनियम, 2005 जो 17 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 139(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी.-6396/07]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): महोदय, मैं अपनी सहयोगी, श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी.-6397/07]

(3) (एक) भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी.-6398/07]

(5) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा

केन्द्रीय परिषद (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) विनियम, 2007 जो 22 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11-8/2007 (यू) (पीजी रेग्ल.) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.-6399/07]

(6) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 2006 जो 8 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 352(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 6400/07]

(8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरूवनंतपुरम का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी.-6401/07]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): अध्यक्ष महोदय, मैं कोल इण्डिया लिमिटेड और कोयला मंत्रालय के बीच हुए वर्ष 2007-2008 से संबंधित समझौता ज्ञापन की प्रति सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)। *...(व्यवधान)*

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 6402/07]

अध्यक्ष महोदय: यह सभा अब बाजार की भांति लग रही है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं। सभा की कार्यवाही चल रही है और मजे की बात यह है कि हर किसी ने अपनी-अपनी चर्चा करना शुरू कर दी है। अध्यक्षपीठ के लिए यह समझना बड़ा दुष्कर है कि आखिर यह क्या हो रहा है। कृपया सभा भवन में शांति बनाए रखें।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं:

(1) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत मल्टी आपरेटर एण्ड मल्टी नेटवर्क परिदृश्य में इंटेलीजेंट नेटवर्क सेवाएं विनियम, 2006 जो 27 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 416-2/2003-एफएन में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 25 जनवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या 416-2/2003-एफएन (भाग 3) में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 6403/07]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों की सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी.-6404/07]

(5) आईटीआई लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2006-2007 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 6405/07]

(6) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (संशोधन) नियम, 2007 जो 20 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 210(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 6406/07]

(7) वर्ष 2007-2008 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 6407/07]

(8) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार अंतरसंबंध (बंदरगाह प्रभार) संशोधन विनियम, 2007 जो 2 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एक संख्या 409-10/2006-एफएन में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 6408/07]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.सा. 161(अ) जो 8 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्राकशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.ई.-2 (ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे) (सोनीपत खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का.आ. 299(अ) जो 28 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 (भौंटी-फतेहपुर सीमाखंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि), अनुरक्षण प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 162(अ) जो 8 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.ई.-2 (ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे) (बागपत खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 163(अ) जो 8 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1214 (अ) में कपितय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का.आ. 111(अ) जो 5 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.ई.-2 (ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे) (गौतमबुद्धनगर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का.आ. 112 (अ) जो 5 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 अगस्त 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1307(अ) में कतिपय संशोधिन किए गए हैं।

(सात) का.आ. 290(अ) जो 26 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में बाइपासों के निर्माण सहित, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (ललितपुर-सागर खंड) के निर्माण (चौड़ा करना), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 283(अ) जो 23 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (भरूच-सूरत खंड) के निर्माण, (छह लेना वाला बनाना), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 287(अ) जो 26 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (महुला-जयपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का.आ. 352(अ) जो 13 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (आगरा-ग्वालियर, खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 386(अ) जो 16 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (जीरकपुर-परवानू खंड और पिंजौर-कालका-परवानू बाइपास) के निर्माण (चार लेन वाला बनाना, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का.आ. 75(अ) जो 24 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 2005(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) का.आ. 180(अ) जो 12 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बेलगाम-महाराष्ट्र सीमा खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 181(अ) जो 12 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बेलगाम बाइपास खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 285(अ) जो 26 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 जनवरी, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 44(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का.आ. 387(अ) जो 16 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 44(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्रह) का.आ. 429(अ) जो 23 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 जून, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ. 556(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठारह) का.आ. 116 (अ) जो 6 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 अक्टूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1793 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का.आ. 421(अ) जो 23 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का.आ. 376(अ) जो 15 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 329(अ) जो 7 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो, मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (लखनाडोन-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 381(अ) जो 15 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (झांसी-लखनाडोन खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 414 (अ) जो 22 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (झांसी-लखानाडोन खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 291(अ) और का.आ. 292(अ) जो 26 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में बाईपास (झांसी-लखनाडोन खंड) के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के विभिन्न खंडों के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

(पच्चीस) का.आ. 1540(अ) और का.आ. 1541(अ) जो 15 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खंड) के विभिन्न खंडों के निर्माण (चार लेनों वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 1954(अ) जो 14 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 1955(अ) जो 14 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठाईस) का.आ. 1976(अ) जो 16 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 55 (टिंडीवनम-विल्लुपुरम-तिरूचिरापल्ली खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनत्तीस) का.आ. 1982(अ) जो 17 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सलेम-करूर खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाना), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का.आ. 2013(अ) जो 24 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में चेन्नई बाईपास (चरण-1) को चौड़ा करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 45 पर भूमि का अर्जन करने के लिए विशेष जिला राजस्व अधिकारी (एलए) कांचीपुरम और तिरूवल्लु जिला को प्राधिकृत किया गया है।

(इकत्तीस) का.आ. 2037(अ) जो 28 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलोर-सलेम-मदुरै खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि), अनुरक्षण प्रबंधन तथा प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 2044(अ) जो 30 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा इसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तैंतीस) का.आ. 2149(अ) जो 26 दिसंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाने और निर्बाध आवागमन सुविधाओं के लिए जंक्शन सुधार/निर्माण), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 90(अ) जो 31 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में तंबरम-चेंगलपट्टु खंड को सुदृढ़ करने सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (चेंगलपट्टु-टिंडीवनम खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाना) हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 91(अ) जो 31 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी-

रानीपेट खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. 92(अ) जो 31 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1538(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैंतीस) का.आ. 383(अ) जो 16 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सलेम-करूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 264(अ) जो 22 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा तो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाना) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 265(अ) जो 22 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में बाईपास (सलेम-करूर खंड) सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण (चार लेन वाला बनाना) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 266(अ) और का.आ. 267(अ) जो 22 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (सलेम-करूर खंड) के विभिन्न खंडों के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेने वाला बनाना, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ. 271(अ) और का.आ. 272(अ) जो 23 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सलेम-करूर खंड) के विभिन्न खंडों के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 273(अ), का.आ. 275(अ) और 276(अ) जो 23 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कृष्णगिरी-थोप्पुर घाट खंड) के विभिन्न खंडों के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेंतालीस) का.आ. 274(अ) जो 23 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1356(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौवालीस) का.आ. 277(अ) जो 23 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 15 मई, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 715(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंतालीस) का.आ. 278(अ) जो 23 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1282(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियालीस) का.आ. 277(अ) जो 23 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सलेम-करूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतालीस) का.आ. 45(अ) जो 17 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडीवनम-विल्लीपुरम-तिरूचिरापल्ली खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ. 54(अ) और का.आ. 55(अ) जो 19 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सलेम-करूर खंड) के विभिन्न खंडों के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनचास) का.आ. 56(अ) जो 19 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का.आ. 57(अ) जो 19 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सलेम-मदुरै खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यावन) का.आ. 59(अ) जो 20 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 को जोड़ने वाले चेन्नै-बाईपास (चरण-दो) के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बावन) का.आ. 60(अ) जो 20 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 को जोड़ने वाले चेन्नै-बाईपास (चरण-दो) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरपन) का.आ. 84(अ) जो 25 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (मदुरै-कन्याकुमारी खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाना) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौवन) का.आ. 117(अ) से का.आ. 120(अ) जो 6 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खंड) के विभिन्न खंडों के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचपन) का.आ. 197(अ) जो 14 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडीवनम-विल्लीपुरम-तिरूचिरापल्ली खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छप्पन) का.आ. 343(अ) और का.आ. 344(अ) जो 12 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कृष्णागिरी-थोप्पूर घाट खंड) के विभिन्न खंडों के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तावन) का.आ. 345(अ) जो 12 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 अक्टूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1710(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठावन) का.आ. 346(अ) जो 12 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 अक्टूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1711(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनसठ) का.आ. 347(अ) जो 12 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(साठ) का.आ. 358(अ) और का.आ. 359(अ) जो 13 मार्च 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 45 के विभिन्न खंडों के जोड़ने वाले चेन्नई बाइपास (फेज-1) के निर्माण (चौड़ा-करना), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकसठ) का.आ. 360(अ) जो 13 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (कोयमबेडू जंक्शन के लिए मदुरावोयल बाइपास) को चौड़ा करने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बासठ) का.आ. 382(अ) जो 16 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलोर-सेलम-मदुरै खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरसठ) का.आ. 1774(अ) जो 17 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के चार लेन वाले खंड के प्रयोक्ताओं के उद्ग्रहण की जाने वाली शुल्क के बारे में है।

(चौंसठ) का.आ. 384(अ) जो 16 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (वायालर-त्रिसूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंसठ) का.आ. 286(अ) जो 26 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में बाइपास के निर्माण सहित विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करना), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के लिए सबडिवीजनल अधिकारी, देवरी, महाराष्ट्र को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किये जाने के बारे में है।

(छियासठ) का.आ. 426(अ) जो 23 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में बाइपास के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (पनवेल-इंदापुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के लिए विशेष भू-अर्जन अधिकारी, रायगसाढ़ (1) अलीबाग को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किये जाने के बारे में है।

(सड़सठ) का.आ. 294(अ) जो 27 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (पुणे-शोलापुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के लिए उप कलेक्टर और विशेष भू-अर्जन अधिकारी संख्या 5, को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किये जाने के बारे में है।

(अड़सठ) का.आ. 295(अ) जो 27 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (पुणे-शोलापुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के लिए उप कलेक्टर और विशेष भू-अर्जन अधिकारी संख्या 17, को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किये जाने के बारे में है।

(उनहत्तर) का.आ. 328(अ) जो 7 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1247(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(सत्तर) का.आ. 349(अ) जो 12 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.ई.-2 (ईस्टर्न पैरीफेरल एक्सप्रेसवे) (गौतमबुद्ध नगर खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि), तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकहत्तर) का.आ. 350(अ) जो 12 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1307(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(बहत्तर) का.आ. 465(अ) जो 29 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में पुणे-नासिक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 के जियोमैट्रिक सुधार के साथ पुलियों के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (चौंसठ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-6409/07]

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2153(अ) जो 26 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 26 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 602 (अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-6410/07]

अपराह्न 12.01 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

27वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सत्ताईसवां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में दिनांक 14 मार्च, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2184 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण*

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): महोदय, मैं पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में श्री सुभाष सुरेश चन्द्र देशमुख द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2184 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारणों के बारे में एक वक्तव्य (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) लिखित प्रश्न संख्या 2184 के भाग (क) के उत्तर के अनुबंध-1 में 'हरियाणा' शीर्षक के अंतर्गत क्रम सं. 14 में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग 73ए का रूट विवरण यमुनानगर जगाधरी-मुस्तफाबाद-लेडी-दारपुर से हिमाचल प्रदेश सीमा' को 'हरियाणा में यमुनानगर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 73 के जंक्शन से प्रारंभ होकर और वाया छछरौली, ताजेवाला, खिजराबाद, कालेसर, लालडंग, जगाधरी चौक (रारा 73 के साथ जंक्शन) को जोड़ते हुए हरियाणा/हिमाचल प्रदेश सीमा तक राजमार्ग पढ़ा जाए।

(2) लिखित प्रश्न संख्या 2184 के भाग (क) के उत्तर के अनुबंध-1 में 'हिमाचल प्रदेश' शीर्षक के अंतर्गत क्रम सं. 8 में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग 73-ए का रूट विवरण 'हरियाणा सीमा से पौंटासहिब के समीप रा.रा. 72 के साथ जंक्शन' को 'हरियाणा/हिमाचल प्रदेश सीमा से हिमाचल प्रदेश में बाटा चौक (पौंटासाहिब के समीप रारा-72 के साथ जंक्शन) पर समाप्त' पढ़ा जाए।

(3) लिखित प्रश्न संख्या 2184 के भाग (क) के उत्तर के अनुबंध-1 में 'तमिलनाडु' शीर्षक के अंतर्गत क्रम सं. 8 में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग 45सी का रूट विवरण 'तंजावुर के समीप रा.रा. 67 के साथ जंक्शन से प्रारंभ होकर कुंबकोणम-पालावूर-अंदीगादम-वृद्धाचलम-मंगलमपेट्टै-उलूंडरपेट्टै को जोड़ने वाला राजमार्ग' को 'तंजावुर के समीप रा.रा. 67 के साथ जंक्शन से प्रारंभ होकर कुंबकोणम, सेतियातोपे, नेवेली टाउनशिप, वडलूर, पनरुती को जोड़ते हुए विक्रवंडी के समीप रारा-45 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग' पढ़ा जाए।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6411/07]

अपराह्न 12.03 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

गत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किये गये कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आपकी सूचना के लिए मैं पिछले सप्ताह सभा द्वारा किये गये कार्य की मुख्य मदों को संक्षिप्त में दोहराता हूं।

गृहीत 60 तारांकित प्रश्नों में से केवल 14 का मौखिक उत्तर दिया जा सका। शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तरों सहित 526 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों को सभा पटल पर रखा गया था।

इस अवधि के दौरान अविलंबनीय लोक महत्व के 32 मामलों को उठाया गया था। नियम 377 के अधीन 32 मामले भी उठाये गये। सभा ने वित्त विधेयक, 2007 को पारित करने से पूर्व इस पर लगभग आठ घंटे 44 मिनट तक चर्चा की।

सभा ने एक घंटे से अधिक समय तक वाद-विवाद के बाद केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006 को भी पारित किया।

विद्युत (संशोधन) विधेयक 2007 पर भी चर्चा शुरू की गई थी और यह चर्चा पूरी नहीं हो सकी।

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के संबंध में 14 विधेयक पुर:स्थापित किये गये थे। कृषि कर्मकारों के कल्याण और उनके रोजगार तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने और संबंधित मामलों के लिए हेतु श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा प्रस्तुत विधेयक से संबंधित मामलों के लिए उपबंध करने हेतु एक गैर-सरकारी विधेयक अर्थात् कर्मकार कल्याण विधेयक, 2005 पर सभा की अनुमति से वापस लिये जाने से पहले और दो घंटों तक चर्चा की गई।

शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन देने के लिए एक अन्य गैर-सरकारी सदस्य विधेयक श्री चंद्रकांत खैरे द्वारा प्रस्तुत स्वरोजगार विधेयक, 2006 पर भी चर्चा की गई थी और इस पर लगभग 17 मिनट तक चर्चा की गई। तथापि, चर्चा पूरी नहीं हुई।

सभा ने ''देश में भूख से पूर्णत: मुक्ति के लक्ष्य को लेकर व्यापक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना को तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के संबंध में'' श्री नवीन जिंदल द्वारा दिनांक 15 दिसंबर, 2006 को प्रस्तुत गैर-सरकारी संकल्प पर चर्चा आरंभ की। संकल्प पर लगभग 1 घंटे 14 मिनट तक चर्चा हुई और इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला।

विभागों से संबंधित स्थायी समिति ने पिछले सप्ताह एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

व्यवधानों और जबरन स्थगन के कारण सभा की कार्यवाही का 28 मिनट का समय बर्बाद हुआ।

मैं कार्यवाही के संचालन में सहयोग के लिए माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाको (मुवत्तुपुजा): आपकी अनुमति से, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: यह मेरे पास विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): आपने बारह बजे के लिए कहा था ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप जानते हैं कि नियमों के अनुसार यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद आता है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रक्रिया के अनुसार,

[हिन्दी]

कालिंग अटेंशन के बाद ही होता है।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: हम लोग एक हफ्ते से नोटिस दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): हम एक हफ्ते से नोटिस दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, यह ध्यानाकर्षण है।

[हिन्दी]

यह काल अटेंशन के बाद होगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसे कैसे चलेगा?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं। क्या आप सभा को चलने नहीं देना चाहते?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, ध्यानाकर्षण की बारी है। आप जानते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे बताइये कि क्या आप ध्यानाकर्षण चाहते हैं या नहीं। क्या आप ध्यानाकर्षण चाहते हैं या नहीं? मैं यह जानना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आप इसके बाद कालिंग अटेंशन लीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: हमें दो मिनट अपनी बात कहने का मौका दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: गुजरात में कम्युनल वायलेंस नहीं फेक एंनकाउंटर हुआ है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अगर आप लोग भी ज्वाइन करेंगे तो और गड़बड़ होगी।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: हम एक हफ्ते से नोटिस दे रहे हैं *...(व्यवधान)* यह मानवाधिकार का सवाल है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या चाहते हैं? आप जो चाहते हैं मैं उसका अनुसरण भी नहीं कर सकता हूं। मैं नहीं जानता आप क्या चाहते हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ नोटिस मिले हैं किंतु कोई भी नोटिस महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए नहीं है जिसे यहां अभी उठाया जा सके।

अपराह्न 12.07 बजे

(इस समय, डा. शफीकुर्रहमान, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट आकर खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मोदी सरकार को बर्खास्त करना जरूरी है। *...(व्यवधान)* हम लोग एक हफ्ते से नोटिस दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: हम एक हफ्ते से नोटिस दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कहना चाहते हैं मुझे सुनने दीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं मुझे समझने तो दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: हम एक हफ्ते से नोटिस दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या चाहते हैं? आप वहां से बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, मैं सोचता हूं कि सदस्यों की इसमें रुचि नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जी, हां। श्री रामजीलाल सुमन, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: गुजरात में अल्पसंख्यकों की निर्मम हत्याओं के संबंध में हम बराबर एक सप्ताह से नोटिस दे रहे हैं *...(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर मामला है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ध्यानाकर्षण के बाद मैं देखूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, हमने आपसे कई बार आग्रह किया था *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग एक सप्ताह से नोटिस दे रहे हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं। कृपया मेरी बात सुनें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: हम लोग लगातार एक सप्ताह से नोटिस दे रहे हैं। *...(व्यवधान)* यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनें। कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: पहले इस पर डिस्कशन कराइये। *...(व्यवधान)*

[अुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मिस्त्रीजी, आप क्या कह रहे हैं, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अभी कालिंग अटैन्शन का टाइम है। यह तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.02 बजे

(तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा, अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, राम सेतु पर हमारा कालिंग अटैंशन का नोटिस सुबह से पैंडिंग पड़ा हुआ है और कल से लेकर आज तक तीन दिन से यही हो रहा है और यहां पर एक साजिश के तहत यह मालमा उठाने न दिया जाए ...*(व्यवधान)* इसे उठाने नहीं दिया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग एक सप्ताह से नोटिस दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)* गुजरात में फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं। ...*(व्यवधान)* यह राष्ट्रीय हित का विषय है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उपाध्यक्ष जी, जब तक राम सेतु का मामला डिसकस नहीं होगा, दूसरा विषय नहीं लिया जाएगा। पहले राम सेतु पर चर्चा होगी। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप सब पहले मेरी बात सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): सर, रूलिंग पार्टी के चीफ विप खड़े होकर सदन को रुकवाते हैं। ये सरकार चला रहे हैं। इनको सदन को चलाना चाहिए जबकि ये सदन रुकवाते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): यह आप क्या बात कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उपाध्यक्ष महोदय, पहले राम सेतु का मामला डिसकश होगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे पास मौजूद कार्य-सूची के अनुसार, अब हम नियम 193 पर चर्चा करेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अगर हाऊस चाहता है तो मैं कालिंग अटैंशन ले लेता हूं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.02 बजे

(इस समय श्री सुभाष महरिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: पहले आप अपनी सीट पर जाइए। मैं कालिंग अटैंशन ले लेता हूं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.03 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आज के लिए सूचीबद्ध मद संख्या-13 नामत: नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा हुआ माना जाएगा और वे कार्यवाही-वृत्तांत का हिस्सा बनेंगे।

(एक) उड़ीसा में तालचेर-विमलागढ़ रेल लाइन के निर्माण हेतु पर्याप्त धनराशि दिये जाने की आवश्यकता

श्री जुएल ओराम (सुंदरगढ़): 154 किलोमीटर लम्बी तालचेर-विमलागढ़ लाइन के निर्माण में हो रहे असाधारण विलम्ब के कारण उड़ीसा के लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

इस लाइन से संबंधित चयनित स्थल का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन अभी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

राज्य सरकार ने वर्ष 2006-07 में रेल मंत्रालय से परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण करने का अनुरोध किया था लेकिन इस संबंध में अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

प्रस्तावित रेल लाइन से तलचर और अंगुल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एनटीपीसी सहित कोयला, एल्युमिनियम और अन्य खनिज क्षेत्रों का विमलागढ़ के साथ संपर्क स्थापित हो जाएगा। जहां पर छोटे-छोटे उद्योग लगे हुए हैं। इस लाइन के निर्माण से इस क्षेत्र के खनिज और कोयले की ढुलाई में सुविधा होगी और इससे उद्योगों की आवश्यकता की भी पूर्ति होगी। इसलिए यह लाइन एक आर्थिक लाइन होगी और रेलवे को अच्छा खासा राजस्व प्राप्त होगा। इससे जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी क्योंकि यह रेल लाइन परम्परागत रूप से जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र से होकर गुजरेगी।

इसलिए मैं तलचेर-विमलागढ़ लाइन हेतु पर्याप्त धनराशि मंजूर करने का अनुरोध करता हूं ताकि निर्माण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जा सके।

(दो) कर्नाटक के हवेरी जिले के शिगांव में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोले जाने की आवश्यकता

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण): महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि शिगांव मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शिगांव एक तालुका मुख्यालय है जो पुणे और बंगलौर के बीच राजमार्ग के बीच स्थित है। इस समय वहां पर केवल केनरा बैंक स्थित हैं। यह बैंक इस क्षेत्र के लोगों के बढ़ते हुए आर्थिक क्रियाकलापों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। शिगांव के लोगों को केनरा बैंक में अपने काम कराने के लिए लम्बा इंतजार करना पड़ता है। केवल कुछ सहकारी बैंकों को छोड़कर इस क्षेत्र में कोई अन्य बैंक नहीं है। शिगांव तालुका कर्नाटक के उत्तरी तालुकों में से शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ा हुआ तालुका है। यदि शिगांव में किसी चीज की कमी है और यहां के लोग जो चाहते हैं, वह यह है कि इस क्षेत्र में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एक और शाखा खोली जाए। यहां पर रहने वाले अधिसंख्य लोग बहुभाषी हैं।

वर्ष 1994 में शिगांव में कर्नाटक स्टेट रिजर्व पुलिस (केएसआरपी) की 10वीं स्थायी बैटालियन की स्थापना की गई थी और इसके साथ-साथ 5,000 लोगों की टाउनशिप का सृजन किया गया था। शिगांव मुख्यत: कृषि संबंधी क्रियाकलापों पर निर्भर रहता है और यह एक उभरता हुआ कस्बा है। अत: शिगांव तालुका में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा खोलना लाजिमी हो गया है।

इन्हीं स्थितियों के मद्देनजर मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की ओर से आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से कर्नाटक में हवेरी जिले के शिगांव तालुका में तत्काल भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा की स्थापना के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक अनुदेश देने का अनुरोध करता हूं।

(तीन) रेल यात्री सुविधाओं में सुधार किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रघुवीर सिंह कौशल (कोटा): महोदय, भारतीय रेलवे की यात्री सेवा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि रेलवे के सबसे ज्यादा उपयोगकर्ता वर्ग दूसरे दर्जे का उपयोग करने वाला यात्री वर्ग है। इतनी बड़ी संख्या के रेल उपयोगकर्ता की दयनीय दशा की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस वर्ग के लिए पर्याप्त कोच नहीं है, एक कोच में चार से पांच गुना अधिक यात्री यात्रा करते हैं। कई लोक यात्री गाड़ियों में तो कोच के ऊपर बैठ कर यात्रा करने के दृश्य देखने को मिल जाते हैं।

साधारण यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधायुक्त यात्रा की व्यवस्था नहीं है। कोचेज की भारी कमी है, लोकल यात्री गाड़ियों की भारी कमी है, लोक स्टेशनों पर पर्याप्त ठहराव की भारी कमी है।

अत: आपके माध्यम से आग्रह है कि सामान्य श्रेणी के यात्री वर्ग को राहत प्रदान करवाये जाने की कार्यवाही करवाई जाये।

(चार) भरतपुर (राजस्थान) और मथुरा (उत्तर प्रदेश) की पहाड़ियों में खनन कार्यों को रोके जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): महोदय, राजस्थान में भरतपुर, मथुरा और राजस्थान के मध्य जो पहाड़ियां बनी हुई हैं, प्रतिदिन गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए हजारों लोग वहां जाते हैं। इन पहाड़ियों का आजकल खनन कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण निकट भविष्य में इन पहाड़ियों की सुन्दरता समाप्त हो जाएगी और ज्ञात रहे कि भगवान श्रीकृष्ण ने भी इन पहाड़ियों को एक उंगली पर उठाकर गोवर्धन के निवासियों की रक्षा की थी।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इन ऐतिहासिक पहाड़ियों की रक्षा की जाये और इसके खनन कार्य को बंद कर इसके सौन्दर्यीकरण को बढ़ावा दिया जाये।

(पांच) गुजरात के सहकारी बैंकों को आयकर अधिनियम के दायरे से बाहर रखे जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (बड़ोदरा): गुजरात में सहकारी बैंक संघ, कुछेक वाणिज्य और उद्योग परिसंघों तथा गुजरात राज्य के कृषि मंत्री ने भारत सरकार द्वारा वापस ली गई आयकर छूट को फिर से बहाल किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रतिवेदन दिया है।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस मामले की समीक्षा की जाए और शीघ्रातिशीघ्र उचित कार्रवाई की जाए।

(छह) रेल विक्रेताओं (हाकर्स) के लाइसेंस का नवीकरण करने/नया लाइसेंस जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): रेलवे हाकरों को हटाये जाने के संबंध में कोलकाता स्थित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के फलस्वरूप एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। लाखों रेलवे हाकरों की जीविका खतरे में पड़ जाएगी। हालांकि, माननीय रेल मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इन हाकरों को लाइसेंस जारी किये जाएंगे, तथापि, यह अत्यंत खेदजनक बात है कि संसद सदस्यों और हाकरों का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मचारी संघों द्वारा अनेक प्रतिवेदन दिये जाने के बावजूद भी लाइसेंस का मुद्दा अभी भी लंबित है।

मैं माननीय रेल मंत्री से एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में जल्दी से जल्दी निर्णय लें ताकि रेलवे हाकरों की जीविका को बचाया जा सके।

(सात) तमिल कार्यक्रमों के लिए समर्पित एक विशेष टी.वी. चैनल (टिरेट्रिअल सर्विस) शुरू किये जाने की आवश्यकता

श्री पी. मोहन (मदुरै): राज्य में ऐसे अनेक गरीब लोग हैं, जो केबल टी.वी. का मासिक प्रभार अदा करना वहन नहीं कर सकते और वे पूरी तरह दूरदर्शन पर निर्भर हैं। कुछ अन्य लोग भी इन टी.वी. एंटिनाओं का प्रयोग कर रहे हैं, चूंकि वे अपने बच्चों के शिक्षा को देखते हुए केबल टी.वी. नहीं लगाना चाहते थे। इस टीवी एंटेना के माध्यम से वे टेरेट्रिअल ट्रांसमिशन (राष्ट्रीय चैनल) पर प्रसारित होने वाले दूरदर्शन कार्यक्रमों को भी दिखा सकते हैं। लोगों के पास केवल इस चैनल को देखने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है, जो हिन्दी और तमिल कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। "कल के कार्यक्रम" में दिखाए जाने वाले अनेक तमिल कार्यक्रम इन लोगों द्वारा नहीं देखे जा सकते क्योंकि उस समय विशेष पर केवल हिन्दी कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इस चैनल पर जो कुछ भी दिखाया जाता है, उसे इन गरीब लोगों को देखना पड़ता है।

तमिलनाडु में लोग केवल सीमित समय तक तमिल कार्यक्रम देख पाते हैं। एक सप्ताह में 129.30 घंटे में से केवल 58 घंटे के लिए तमिल कार्यक्रम देखे जा सकते हैं। विशेषकर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को तमिलनाडु के लोगों द्वारा 55.30 घंटे के कुल प्रसारण समय में से केवल 22 घंटे के लिए तमिल कार्यक्रम देखे जा सकते हैं अर्थात् हिन्दी कार्यक्रमों के लिए 60.22% समय और तमिल कार्यक्रमों के लिए 39.78 प्रतिशत है। अत: त्यौहार दिवसों सहित ज्यादातर अवकाशों पर, लोग केवल बहुत कम समय के लिए तमिल कार्यक्रम देख पाते हैं।

तमिलनाडु के अनेक भागों में यही स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो 6 उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों, 46 कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों और 7 अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों से जुड़े हैं।

यदि "टीवी एंटेना" के माध्यम से एक से ज्यादा चैनलों की पेशकश की जा सकती है, तो एक चैनल विशिष्ट रूप से तमिल कार्यक्रमों के लिए होना चाहिए और अन्य चैनल दूरदर्शन के विकल्पानुसार हो सकता है। लेकिन यदि केवल एक ही चैनल का प्रसारण किया जा सकता है, तो यह पूर्ण रूप से केवल तमिल कार्यक्रमों के लिए ही होना चाहिए। ऐसा होने से गरीब लोग तमिल कार्यक्रमों को देख पाएंगे।

हाल ही के समय में, प्रसारण से जुड़ी प्रौद्योगिकी/सुविधा में व्यापक प्रगति हुई है और इस अवसर का उपयोग करते हुए, दूरदर्शन को तमिलनाडु में टीवी एंटेना टिरिस्ट्रिअल के माध्यम से एक उपलब्ध चैनल में केवल तमिल कार्यक्रमों का प्रसारण करने के बारे में विचार करना चाहिए।

अत:, मैं अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में कार्रवाई की जाए ताकि तमिलनाडु के गरीब लोग तमिल कार्यक्रम देख पाएं।

(आठ) देश में प्रखंड स्तर (ब्लाक लेवल) तक कंप्यूटरीकरण के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं का अनिवार्य रूप से नेटवर्किंग सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): ब्लाक स्तर तक कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं की अनिवार्य नेटवर्किंग सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है ताकि ब्लाक स्तर की जनगणना, केन्द्रीय योजनाओं की स्थिति तथा इनके लाभार्थियों के बारे में जानकारी सभी नागरिकों को उपलब्ध हो सके। व्यावहारिक अनुभव बताते हैं कि अधिकांश कार्यालय अपनी अनियमितताएं छुपाने के लिए विभिन्न बहाने बनाकर आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण नहीं करना चाहते। वास्तविक लाभार्थियों को वंचित करके अयोग्य लाभार्थियों

का चयन करना तथा पंचायती राज संस्थानों के विभिन्न स्तरों पर योजनाओं को दोहराना आम बात है। ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से केन्द्र सरकार से भारी रकम हस्तांतरित किये जाने के बावजूद गरीब और गरीब होता जा रहा है। कम्प्यूटर नेटवर्किंग के माध्यम से जब तक पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जाती तब तक सतर्कता समितियां भी स्थिति को काबू नहीं कर पाएंगी।

यह जरूरी है कि पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति करके पंचायत संबंधी आंकड़ों को शामिल करके ब्लाक कार्यालयों का राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) के माध्यम से पूर्णत: कम्प्यूटरीकरण किया जाए। नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो जेनरेटर उपलब्ध कराए जाने चाहिएं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पीएम पैकेज के अंतर्गत ब्लाक स्तर के सामुदायिक सूचना केन्द्रों (सीआईसी) का भी उपयोग किया जा सकता है।

अत: मैं पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि लक्षित लाभार्थियों तक एक-एक पैसा पहुंचाने तथा बेहतर पारदर्शिता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से ब्लाक कार्यालयों का अनिवार्य कम्प्यूटरीकरण किया जाए। यदि आवश्यक हो तो इसे लागू करने के लिए एक नीति संबंधी निर्णय लेकर सभी योजनाओं से एक निर्धारित प्रतिशत धनराशि ली जा सकती है।

(नौ) असम के कोकराझार (संख्यांक 9) और उदलगिरि (संख्यांक 10) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट (बीटीएडी) के अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किये जाने की आवश्यकता

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): असम राज्य के संबंध में भारतीय परिसीमन आयोग ने बोडोलैंड टैरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट (बीटीएडी) के लिए दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों नामत: "सं. 9 कोकराझार तथा सं. 10 उदलगिरि" निर्धारित किये हैं और यह एक गम्भीर चिंता का विषय रहा है कि परिसीमन आयोग के नवीनतम ड्राफ्ट वर्किंग पेपर में संविधान के अनुच्छेद 330(ग) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विद्यमान सं. 5 कोकराझार (एसटी) एचपीसी (नई संख्या 9) तथा नव सृजित सं. 10 उदलगिरि एचपीसी आरक्षित/सामान्य दोनों को दिखाया गया है। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि स्वतंत्रता से अब तक वर्तमान सं. 5 कोकराझार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जिसका मैं इस सम्मानित लोक सभा में असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट से प्रतिनिधित्व करता हूं, वह अनुसूचित जनजातियों (मैदानी क्षेत्र) के लिए आरक्षित है।

इस संबंध में आगे यह भी उल्लेखनीय है कि एक तरफ भारत सरकार और असम सरकार के बीच तथा दूसरी ओर 10 फरवरी 2003 को उस समय बोडो लिबरेशन टाइगर्स के साथ नए राजनैतिक समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के फलस्वरूप देश के संविधान (अनुच्छेद 244(2) की छठीं अनुसूची के प्रावधानों के अंतर्गत एक नई व्यवस्था जिसका नाम और शैली "बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट (बीटीएडी) तथा इसका प्रशासनिक सहायक बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी)" है, बनाई गई। यह तथ्य भी सभी जानते हैं कि संविधान सभा की बोरदोलोई उप समिति द्वारा गई सिफारिशों के अनुसरण में अनुच्छेद 330(ग), अनुच्छेद 344(2) के प्रावधानों के अंतर्गत गठित स्वायत्तशासी जिलों में अनुसूचित जनजातियों को उनके संबद्ध स्वयत्तशासी जिलों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित कर सकते हैं।

इसके मद्देनजर, मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह अनुच्छेद 330(ग) के उपबंधों के अनुसार बोडोलैंड क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के लिए संख्या 9 कोकराझार तथा सं. 10 उदलगिरि दोनों संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित किया जाना सुनिश्चित करने में सहायता करे।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.03 बजे

(इस समय, श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीट पर चलिए, मैं कालिंग अटैंशन ले लेता हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा कल 10 मई 2007 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 10 मई 2007/20 वैशाख, 1929 (शक) पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न सं.
1.	श्री हंसराज गं. अहीर	482
2.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	483
3.	डा. धीरेन्द्र अग्रवाल श्री गिरिधारी यादव	484
4.	श्री सर्वे सत्यनारायण श्रीमती रूपाताई डी. पाटील	485
5.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा श्री हरि सिंह चावड़ा	486
6.	अविनाश राय खन्ना	487
7.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	488
8.	श्री अब्दुल रशीद शाहीन श्री गणेश सिंह	489
9.	श्री विजय कुमार खंडेलवाल श्री रावसाहेब दानवे पाटील	490
10.	श्री प्रहलाद जोशी	491
11.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया श्रीमती निवेदिता माने	492
12.	श्री दुष्यंत सिंह श्री रघुवीर सिंह कौशल	493
13.	श्री चन्द्रभान सिंह	494
14.	श्रीमती किरण माहेश्वरी श्री गिरधारी लाल भार्गव	495
15.	श्री रामजीलाल सुमन श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	496
16.	श्री हेमलाल मुर्मू	497
17.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी श्री चंद्रकांत खैरे	498
18.	श्री रायापति सांबासिवा राव	499
19.	श्री मधुसूदन मिस्त्री श्री अनन्त नायक	500
20.	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	501

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	4677
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	4658, 4687, 4699, 4773, 4778
3.	अग्रवाल, श्री धीरेन्द्र	4742, 4809
4.	अहीर, श्री हंसराज गं.	4715, 4797
5.	अजय कुमार, श्री एस.	4684
6.	अप्पादुरई, श्री एम.	4671, 4828
7.	अर्गल, श्री अशोक	4635, 4735
8.	आठवले, श्री रामदास	4694, 4776
9.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	4616
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	4689, 4703, 4725, 4802
11.	बर्मन, श्री हितेन	4649, 4763, 4834
12.	बर्मन, श्री रनेन	4651, 4756
13.	बखला, श्री जोवाकिम	4606, 4750, 4763
14.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	4623, 4704, 4727, 4819
15.	भगोरा, श्री महावीर	4619, 4731, 3795
16.	भक्त, श्री मनोरंजन	4826
17.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	4740
18.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	4666
19.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	4605, 4718, 4791
20.	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	4611, 4721

1	2	3
21.	बोस, श्री सुव्रत	4609, 4756
22.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	4668
23.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	3634
24.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	4679
25.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	4696
26.	चौरे, श्री बापू हरी	4673, 3685, 4808, 4830
27.	चावड़ा, श्री हरि सिंह	4639, 4665
28.	चिन्ता मोहन, डा.	4690, 4741, 4766
29.	चौधरी, श्री अधीर	4657, 4770, 4820
30.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	4696, 4802
31.	देवरा, श्री मिलिन्द	4615, 4659, 4724, 4801
32.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	4693, 4775, 4830
33.	धनराजू, डा. के.	4695, 4711, 4787
34.	धोत्रे, श्री संजय	4673, 4685, 4830
35.	दूबे, श्री चन्द्र शेखर	4658, 4748
36.	गढ़वी, श्री पी.एस.	4660, 4675, 4788
37.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	4760, 4815
38.	गंगवार, श्री संतोष	4677, 4709, 4785
39.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	4673, 4685, 4830
40.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	4675
41.	हसन, चौधरी मुनव्वर	4648, 4747
42.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	4761
43.	हुसैन, श्री अनवर	4676
44.	जगन्नाथ, डा. एम.	4705, 4780
45.	जय प्रकाश, श्री	4659
46.	झा, श्री रघुनाथ	4647
47.	जिंदल, श्री नवीन	4617, 4736, 4798, 4825
48.	जोगी, श्री अजीत	4657, 4674, 4781
49.	जोशी, श्री प्रहलाद	4738, 4800
50.	कलमाडी, श्री सुरेश	4815
51.	खैरे, श्री चंद्रकांत	4683, 4768, 4818, 4832
52.	खन्ना, श्री अविनाश राय	4717, 4789
53.	खारवेनथन, श्री एस.के.	4632, 4684, 4733, 4796, 4829
54.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	4720, 4794, 4802, 4810
55.	कोया, डा. पी.पी.	4646
56.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	4695
57.	विजय कृष्ण, श्री	4765, 4827
58.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	4662
59.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	4690, 4741, 4813
60.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारू	4824
61.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	4672
62.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	4614, 4713, 4737, 4785
63.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	4696

1	2	3
64.	महतो, श्री नरहरि	4627, 4655
65.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	4716, 4740, 4833
66.	महताब, श्री भर्तृहरि	4708
67.	महतो, श्री टेक लाल	4645, 4746
68.	माझी, श्री परसुराम	4704
69.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	4696, 4709
70.	माने, श्रीमती निवेदिता	4760, 4815
71.	मनोज, डा. के.एस.	4654
72.	मसूद, श्री रशीद	4682, 4707
73.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	4653, 4783
74.	मेघवाल, श्री कैलाश	4644, 4683, 4768, 4818
75.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	4644, 4745
76.	मैन्या, डा. टोकचोम	4684, 4688
77.	मिश्रा, डा. राजेश	4621, 4784
78.	मोघे, श्री कृष्ण मुरारी	4822
79.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	4640
80.	मो. ताहिर, श्री	4682, 4829
81.	मोल्लाह, श्री हन्नान	4669
82.	मंडल, श्री अबु अयीश	4641, 4782
83.	मुर्मू, श्री हेम लाल	4758, 4804
84.	नन्दी, श्री अमिताभ	4643
85.	नरहिरे, श्रीमती अर्चना	4695
86.	निहाल चन्द, श्री	4824
87.	निखिल कुमार, श्री	4710, 4820
88.	नायक, श्री अनंत	4767, 4816
89.	ओराम, श्री जुएल	4642, 4675, 4820
90.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	4628, 4682, 4754, 4807
91.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	4610, 4728, 4792
92.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	4709, 4722, 4734, 4823
93.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	4636, 4802
94.	पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई	4689
95.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	4639, 4769
96.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	4631, 4744, 4779, 4805
97.	पटैरिया, श्रीमती नीता	4692, 4774
98.	पाठक, श्री हरिन	4703
99.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	4692, 4722, 4774
100.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	4682, 4829
101.	पिंगले, श्री देविदास	4682, 4829
102.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	4652, 4743
103.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	4739, 4802
104.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	4633
105.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	4629, 4742, 4757
106.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	4625
107.	राई, श्री नकुल दास	4714
108.	राजगोपाल, श्री एल.	4825
109.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	4706
110.	रामदास, प्रो. एम.	4656
111.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	4608, 4680, 4723
112.	राणा, श्री काशीराम	4624
113.	राव, श्री के.एस.	4620
114.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	4626, 4786
115.	रावले, श्री मोहन	4815

1	2	3
116.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	4629, 4698, 4777
117.	रेड्डी, श्री के.जी.एस.पी.	4682, 4713
118.	रेड्डी, एम. राजा मोहन	4704, 4831
119.	रेड्डी, एम. श्रीनिवासुलु	4663, 4751
120.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	4607
121.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	4802
122.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	4655, 4757, 4809
123.	साई प्रताप, श्री ए.	4697, 4802
124.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	4682, 4701, 4729, 4793
125.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	4712
126.	सरोज, श्री तूफानी	4667, 4755
127.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	4753
128.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	4764, 4811
129.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	4762, 4810
130.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	4702, 4802
131.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	4758
132.	शर्मा, डा. अरविन्द	4700
133.	शिवाजीराव, अधलराव पाटील	4658, 4687, 4699, 4773, 4778
134.	शिवन्ना, श्री एम.	4659
135.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	4677, 4828
136.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	4630, 4730, 4817
137.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	4638
138.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	4684
139.	सिंह, श्री चन्द्रभान	4678
140.	सिंह, श्री दुष्यंत	4765, 4812
141.	सिंह, श्री गणेश	4719, 4803
142.	सिंह, प्रभुनाथ	4661
143.	सिंह, श्री राकेश	4637
144.	सिंह, श्री रेवती रमन	4650, 4772
145.	सिंह, श्री सुग्रीव	4670, 4744, 4779, 4805
146.	सिंह, श्री उदय	4691
147.	सुब्बा, श्री एम.के.	4622, 4726, 4790
148.	सुगावनम, श्री ई.जी.	4612, 4676, 4732, 4792, 4799
149.	सुमन, श्री रामजीलाल	4766, 4813
150.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	4821
151.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	4618, 4703
152.	थामस, श्री पी.सी.	4664, 4682, 4752, 4806
153.	ठुम्मर, श्री वी.के.	4681
154.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	4633, 4722, 4734, 4823
155.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	4613, 4785
156.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	4759, 4814
157.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	4665
158.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	4686, 4771
159.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	4658, 4687, 4773, 4778
160.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	4749, 4769
161.	यादव, श्री गिरिधारी	4749
162.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	4682, 4829
163.	यादव, श्री मित्रसेन	4680, 4802
164.	यादव, श्री पारसनाथ	4706
165.	यादव, श्री राम कृपाल	4661, 4765
166.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	4829

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	484
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	493, 499, 500
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
विदेश	:	486, 487, 491, 492, 498
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	485, 501
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
पंचायती राज	:	490
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	497
योजना	:	488, 495, 496
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	494
अंतरिक्ष	:	482
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	483, 489

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	4606, 4609, 4623, 4637, 4640, 4645, 4649, 4651, 4658, 4695, 4710, 4715, 4719, 4729, 4744, 4745, 4746, 4748, 4749, 4754, 4756, 4759, 4767, 4781, 4797, 4813
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	4610, 4613, 4617, 4619, 4622, 4624, 4625, 4628, 4629, 4630, 4644, 4652, 4660, 4672, 4675, 4682, 4683, 4689, 4699, 4703, 4708, 4727, 4731, 4740, 4743, 4751, 4755, 4771, 4772, 4773, 4780, 4785, 4795, 4801, 4803, 4805, 4809, 4819
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	4714, 4721
विदेश	:	4621, 4627, 4632, 4633, 4673, 4677, 4679, 4685, 4688, 4690, 4692, 4696, 4704, 4709, 4713, 4720, 4750, 4764, 4768, 4770, 4779, 4784, 4788, 4789, 4799, 4811, 4814, 4823, 4830, 4833, 4834
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	4605, 4607, 4608, 4635, 4639, 4642, 4643, 4653, 4656, 4657, 4666, 4671, 4674, 4676, 4686, 4691, 4698, 4700, 4702, 4706, 4707, 4711, 4712, 4716, 4728, 4730, 4737, 4743, 4747, 4760, 4762, 4765, 4768, 4774, 4776, 4782, 4786, 4787, 4791, 4793, 4796, 4800, 4806, 4820, 4825, 4828, 4829, 4832
प्रवासी भारतीय कार्य	:	4612, 4636, 4684, 4736, 4752, 4792
पंचायती राज	:	4616, 4655, 4665, 4723, 4733, 4757, 4802, 4810
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	4611, 4620, 4626, 4647, 4650, 4669, 4680, 4705, 4718, 4725, 4726, 4741, 4758, 475, 4783, 4807, 4812, 4827
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	4615, 4631, 4634, 4648, 4641, 4646, 4648, 4654, 4663, 4664, 4667, 4678, 4681, 4687, 4694, 4701, 4717, 4724, 4732, 4735, 4738, 4753, 4763, 4778, 4790, 4804, 4815, 4816, 4818, 4821, 4822, 4824, 4826, 4831
अंतरिक्ष	:	4618, 4794
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	4670, 4697, 4734, 4739
युवक कार्यक्रम और खेल	:	4614, 4659, 4661, 4662, 4722, 4766, 4769, 4798

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।